कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के परिवारिक संगठन का एक सामाजशास्त्रीय अध्ययन

(जनपद झाँसी स्थान समथर के सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

पी एच0 डी0 (समाज शास्त्र) उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध

वर्ष 2003 - 04

शोध निदेशक :-

डॉ० एन.एन. अवस्थी

एम.ए. (समाज कार्य), एम.ए. (अर्थशास्त्र)
डी.एच.ई., पीएच.डी.
भूतपूर्व सह आचार्य (स्वास्थ्य शिक्षा)
मेडिकल कॉलेज झाँसी
वर्तमान – विभागाध्यक्ष समाजकार्य
डॉ0 बी.आर. अम्बेदकर इन्स्टीटयूट
आफ़ सोसल साइन्सेज
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी
शोध निदेशक

शोध कर्ता :-

प्रद्युम्न कुमार मुदगिल

एम0ए0 (समाज शास्त्र)
सहायक प्राध्यापक (वैकल्पिक व्यवस्था)
डी.पी.एस.महाविद्यालय
दबोह जिला भिण्ड (म0प्र0)
पिन – 477447

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न कुमार मुदगिल एम0ए0 (समाजशास्त्र) ने मेरे निर्देशन में "कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" विषय पर शोध कार्य सम्पन्न किया है और यह उनका मौलिक प्रयास है।

इन्होंने नियमानुसार दो सौ दिन की उपस्थिति पूरी की है। ये शोध – प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा निर्धारित मान्यताओं को पूरा करता है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि शोध प्रबंध के आंकड़े क्षेत्र में भ्रमण करके एकत्र किये गये हैं, और इस दृष्टि से इनके कार्य में सम्पर्क और आवश्यकतानुसार यथोचित उपयोग हुआ है।

यह शोध – प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा प्रस्तावित नियमों को पूरा करता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को मूल्यांकन हेतु अग्रसारित किया जाता है।

N.N. Awasthi

दिनाँक : 20/10/03

डॉ0 एन0एन0 अवस्थी,
एम.ए. (समाजकार्य),
एम.ए. (अर्थशास्त्र)
डी.एच.ई., पीएच.डी.,
भूतपूर्व एसोशियेट प्रोफेसर,
म0ल0बा0 मेडिकल कालेज,
झाँसी – 284128 उत्तर प्रदेश,
(शोध – निदेशक)

वर्तमान – विभागाध्यक्ष समाजकार्य
डॉ0 बी.आर. अम्बेदकर इन्स्टीटयूट
आफ सोसल साइन्सेज
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

-: प्राक्कथन :-

महिला श्रमिकों का पारिवारिक संगठन एवं उनकी स्थिति का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि उससे समग्र रुप से होने वाली सामाजिक परिवर्तन को दिशा का पता चलता है। महिला श्रमिकों की स्थिति, समाज की प्रथाओं पर परम्पराओं से घनिष्ठ रुप से जुड़ी है। प्रत्येक समय व काल में महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक परम्पराओं में परिवर्तन आया है। आधुनिक समय ने सम्बन्धित महिला वर्ग को बढ़ी तीव्रता से प्रभावित किया हैं। शहरों में रहने वाली मध्यम वर्गीय समाज की महिलाओं में प्रथाओं एवं परम्पराओं के प्रति गहरे परिवर्तन देखें गये हैं। नारी के बदलते हुए स्वरुप और विचारों ने उसे समाज में नई दिशा और स्थान दिया है।

लगभग 300 महिला श्रमिकों को निर्दशन विधि द्वारा लगभग 1000 महिलाओं से चुना गया और उत्तरदाताओं का अध्ययन साक्षात्कार अनुसूची द्वारा किया गया। द्वितीय तथ्यों, शोध प्रबन्धों, पत्र – पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य उपलब्ध सामग्री से एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण सारणी आदि के माध्यम से किया गया। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में प्रथम अध्याय में प्रस्तावना, अध्ययन के उद्देश्य, उपकरण एवं विधि, अध्ययन के तरीके एवं साक्षात्कार प्रक्रिया आदि को स्थान दिया है।

द्वितीय अध्याय में श्रमिक महिलाओं का स्वरुप उनकी विशेषतायें, उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति एवं कृषि से सम्बन्धित दक्षता का अध्ययन है।

तृतीय अध्याय में महिला श्रमिकों का स्वरुप उनकी विशेषतायें, आयु, वैवाहिक स्थिति एवं कृषि से सम्बन्धित दक्षता का अध्ययन है।

चतुर्थ अध्याय में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

पंचम अध्याय में महिला श्रमिकों से सम्बन्धित सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार विवाह उनके जातिगत आचार – विचार तथा सामाजिक मूल्यों पर अध्ययन किया गया है।

षष्टम् अधयाय में महिला श्रमिकों की सांस्कृतिक विशेषतायें जैसे शिक्षा, धर्म, मनोरंजनात्मक कार्य एवं अन्तः क्रियाओं का अध्ययन किया गया है।

सप्तम् अध्याय में महिला श्रमिकों की राजनीतिक चेतना एवं उनकी राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

अष्ठम् अध्याय में निष्कर्ष तथा सम्बन्धित अनुशंसायें की गयी है।

सम्पूर्ण सामाजिक संगठनों में परिवार का स्थान केन्द्रीय है। इसलिये परिवार अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। साधारणतया सभी संगठन परिवार की इकाइयों से ही बने होते हैं। जब तक किसी भी परिवार की स्थिति एवम् पारिवारिक सदस्यों के कार्यो में सामन्जस्य बना रहता है तब तक बह परिवार संगठित रहता है। जब परिवार की स्थिति एवं सदस्यों के कार्यो में सामन्जस्य समाप्त होने लगता है, स्त्रियों की उपेक्षा होने लगती है तो परिवार में विघटन की स्थिति निर्मित हो जाती है। परिवार में पुरुष या स्त्री कोई भी सदस्य हो उनकी निर्धारित आयु एवं स्थिति के अनुसार ही कार्य निर्धारित रहते हैं। यदि ये परिवार के सदस्य अपने, अपने निजी स्वार्थो को त्यागते हुए परिवार के सभी सदस्यों का हित देखते हुए अपने निर्धारित कार्यो को करते हैं तो वह परिवार संगठित बना रहता है।

उद्देश्यों की एकता एक संगठित परिवार का अनिवार्य लक्षण है। उद्देश्यों की एकता से तात्पर्य महत्वपूर्ण क्रिया कलापों के सम्बन्ध में सदस्यों के दृष्टिकोणों में समानता से

है। दृष्टिकोणों में समानता कुछ पारस्परिक समस्याओं से सम्बन्धित है और बच्चों की देखभाल एवं उनमें अनुशासन, उनकी शिक्षा पारिवारिक बजट में सम्मिलित की जाने वाली मदें, घर की स्थिति (लोकेशन) यौन इच्छाओं की पूर्ति आदि व्यक्तिगत प्रश्न, संगठित परिवारों में इन प्रश्नों पर सदस्यों के दृष्टिकोणों में समानता रहती है।

वर्तमान व्यक्तिवादी युग में परिवार के सभी सदस्यों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ तो समान हो ही नहीं सकती। परन्तु एक संगठित परिवार में सभी सदस्यों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के पीछे भी व्यापक रुप से परिवार के कल्याण की भावना छिपी रहती है। यही भावना सदस्यों को संयुक्त बनाये रखती है।

आदिम अवस्था से लेकर आज तक पुरुष ने नारी के प्रति संरक्षण तथा नारी ने पुरुष के प्रति समर्पण का भाव रखकर परिवार को संगठित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह परम्परा का कब से श्री गणेश हुआ कुछ कहा नहीं ज़ा सकता, परन्तु प्रकृति की सचहरी बनकर नारी ने सृष्टि को जीवन प्रदान किया है और शिशुओं के प्रति जननी का भाव रखते हुए परिवार को पल्लवित किया है। स्त्री–पुरुष अनादि काल से ही कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं। पाषाण काल से लेकर आज तक यह क्रम चलायमान है। इन दोनों की सक्रिय संयोजना ही परिवार अथवा समाज जैसी संस्थाओं का निर्माण कर सकी है

परिवार के संगठन में नारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवार में महिला के सहयोग बिना परिवार का संगठन दिवा स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। भारतीय नारी जीवन की कटुता और विषमताओं का विष पीकर भी परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य और त्याग का सन्देश देती रही है।

19वी शताब्दी में राजा राम मोहनराय ने सुधार आन्दोलन के द्वारा महिला समाज में व्याप्त कुरीतियों पर ध्यान दिया। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने पुरुषों की भांति महिलाओं को भी समान अधिकार दिये जाने पर बल दिया। गांधी जी सहित अन्य अनेक नेताओं ने महिला उत्थान के लिए जीवन पर्यन्त कार्य किये। भारतीय संबिधान में यह घोषणा की गई कि "राज्य धर्म, जाति, सम्प्रदाय, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेद भाव नहीं करेगा।" 'शारदा एक्ट' एवं 'उत्तराधिकारी अधिनियम ' के द्वारा भी स्त्रियों की दशा सुधारने का भी प्रयास किया गया।

आज भारत को आजाद हुए 56 वर्ष हो चुके है। आजादी के बाद महिलाओं की दशा में सुधार तो हुआ पर वह सुधार नहीं जो होना चाहिए था। ग्रामीण महिलाओं की दशा और गई बीती है। ग्रामीण महिलाओं में कुछ विषमताएँ तो अग्रेंजी शासन काल की निहित हैं।

महिलाओं की स्थिति आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न सोपानों मे लेखबद्ध की गई है। भारत में महिला विकास की पहल अग्रेंजी शासनकाल से प्रारम्भ हो गई थी। फलतः स्वातंत्रोत्तर काल में ग्रामीण महिला शिक्षा का प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार किया गया। परन्तु ग्रामीण महिलाओं पर शिक्षा का प्रभाव अपेक्षाओं के अनुकूल दिखाई नहीं पड़ा। अतः इनकी पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने हेतु गहन एवं सार्थक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने की आवश्यकता है।

जब आज के समय में महिला श्रमिकों के विकास से सम्बन्धित चर्चा चलती है तो हमारे समक्ष जनसंख्या और दिन–प्रतिदिन बढ़ते हुए परिवार एक समस्या के रुप में दृष्टिगोचार होते हैं। क्या परिवार के लोग इस बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए परिवार और

इनसे जुड़ी हुई देश की प्रगति, मनुष्यों को जीवित रहने के लिये भोजन, रहने के लिए मकान, तन ढ़कने के लिए वस्त्र जुटा सकेगें। हमें इसका समाधान खोजना होगा तभी हम विश्व शान्ति और वसुधैव कुटुम्बकम् का नारा बुलन्द कर सकेंगे।

ग्रामीण महिलाओं का एवं महिला श्रमिकों का पारिवारिक संगठन शहरी महिलाओं के पारिवारिक संगठन से बहुत कुछ श्रेष्ठ है। इसलिए जनपद झाँसी स्थान समथर की महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने की उत्कृष्ट इच्छा मेरे मन में जाग्रत हुई जो शीघ्र ही साकार रुप में प्रकट हो गई। शोधार्थी जनपद झाँसी स्थान समथर का रहने वाला है, उसने इस क्षेत्र की महिला श्रमिकों को अति निकट से देखा है। उनसे प्रभावित होकर मैने " कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन " अपने शोध का विषय बनाकर अध्ययन करने का निश्चय किया। शोध कार्य के दौरान मैने विषय से सम्बन्धित अनेक विद्वानों तथा मनीषियों से विचार विमर्श किया जिससे लाभान्वित होकर मैं इस शोध कार्य की आधार शिला रखने में सफल हो सका।

इस शोध ग्रन्थ के द्वारा इसी पारिवारिक संगठन के सन्देश को अधिक से अधिक महिला श्रमिकों तक पहुंचाना ही शोधार्थी का उद्देश्य है। सम्भवतः महिला श्रमिकों की अशिक्षा एवं अदूरदर्शिता से उत्पन्न पारिवारिक समस्या और उसके निदान में लगे हुए विद्वज्जनों को नई दिशा प्रदान करते हुए यदि यह शोध ग्रन्थ मार्ग दर्शक का कार्य कर सकेगा तभी मेरी सच्ची उपलब्धि होगी।

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के प्रणयन में गुरुवर डा0 श्री एन0एन0 अवस्थी पूर्व एसोशियेट प्रोफेसर महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कॉलेज, झाँसी के आशीष एवं निर्देश सदैव मेरे साथ रहे

हैं। उनकी कृपा के प्रति मेराउत्रऋण होना असम्भव है। प्रारम्भ से लेकर अन्त तक जो भी शोध किया गया, वह उनकी प्रेरणा का ही परिणाम है। उन्होनें अपने व्यस्त समय से बड़ा ही अमूल्य समय निकालकर तर्क विवेचन द्वारा शोध प्रारुप, अनुसूचियों, सारिणियों और अध्यायों को अन्तिम रुप दिया। मैं उनके प्रति सच्चे हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

इस शोध समस्या के कठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरे पूज्य चाचा जी श्री मुन्नालाल मुदगिल पूर्व प्रधानाचार्य राजर्षि पुरुषोत्तम टण्डन उ0मा0 विद्यालय झाँसी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होनें सुयोग्य मार्ग दर्शन हेतु डॉ0एन0एन0 अवस्थी से सम्पर्क साधने का उचित परामर्श दिया। जब मैंने डा0एन0एन0 अवस्थी से सम्पर्क कर अपना मन्तव्य प्रकट किया तो वह मेरी रुचि और इच्छाओं को जानकर न केवल मुझे उत्साहित ही नही वरन् मेरे मार्ग दर्शन हेतु सहमत हो गये। डा0एन0एन0 अवस्थी जैसा सरल सहृदय सम्वेदनशील व सुयोग्य मार्गदर्शक प्राप्त करना ही मेरे लिये गर्व एवं सौभाग्य की बात रही।

मैं डॉ0 कृष्णा गुप्ता,प्राचार्य श्री दुर्गाप्रसाद सर्राफ महा विद्यालय दबोह (भिण्ड) म0प्र0 का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होनें मुझे महिला श्रमिकों से मिलने एवं शोधग्रंथ लिखने हेतु सविधायें प्रदान की जिससे मैं महा विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के साथ साथ अपना शोध ग्रंथ भी पूर्ण कर सका।

मै डॉ0 राजकुमार गुप्ता सहायक प्राध्यापक राजनीति विभाग , श्री कमलेश शर्मा सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग श्री दुर्गा प्रसाद सर्राफ महा विद्यालय दबोह (भिण्ड) म0प्र0 एवं डा0 अजीत प्रताप सिंह सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय समथर (झांसी) उ0प्र0 का हृदय से आभारी हूँ। जिन्होने समय समय पर मुझे शोधकार्य में

सहयोग प्रदान किया ।

डॉ0 श्रीमती किरन अवस्थी (चाचीजी) प्रधानाचार्य सनातन धर्म इंटर कालेज झांसी मेरा समय – समय पर उत्साह वर्द्धन करती रहीं, मैं इनके प्रति सच्चे मन से आभार मानता हूँ। वस्तुतः डॉ0 अवस्थी दम्पत्ति के पारिवारिक परिवेश में मेरा शोध कार्य निर्विघ्न रुप से पूर्ण हुआ। मैं इस दम्पत्ति का आजीवन कृतज्ञ रहूँगा।

इस शोधकार्य में मुझे अनेक पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ा है, लेकिन उन समस्याओं के दिनान में मेरे बड़े ताऊ श्री महन्त अवध बिहारी शरण ने मुझे सम्बल दिया तथा असीम सहयोग प्रदान कर इस शोध कार्य को सम्पन्न कराया। अतः उनका अशीर्वाद एवं अकथ सहयोग को मै जीवन पर्यन्त नहीं भूल सकूँगा। मेरे पूज्य पिताजी श्री बिहारी लाल मुदगिल एवं माताजी श्रीमती अवधकुंवर के आत्मिक सहयोग एवं प्रेरणा से मै अपने लक्ष्य तक पहुँच सका उनके प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

इसके अलावा मैं हृदय से उन सभी विद्वानों, मित्रों एवं सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनका भरपूर सहयोग एवं सामग्री का उपयोग इस शोध ग्रंथ में किया गया है। अन्त में मैं अपने समस्त उत्तरदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होनें अपनी जिम्मेदारी को मेरे ग्रंथ हेतु समझा और मुझे भरपूर सहयोग दिया।

प्रद्युम्न कुमार मुदगिल
शोधार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक : २० .१२-०३

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या

अध्याय - 6

12 – पल्स पोलियो से बच्चों को सुरक्षा

13 – बच्चों का टीकाकरण

14 – जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक उत्थान में बाधा

15 – जनसंख्या समस्या का हल

16 – मनोरंजन एवं सूचना के साधन

अध्याय - 7

तालिकाओं की सूची

अध्याय – 6

प्रथम अध्याय

समथर क्षेत्र का परिचय, महिला–श्रमिकों की जनसंख्यात्मक स्थिति एवं अध्ययन विधि :–

1 – प्रस्तावना

2 – अध्ययन के उद्देश्य

3 – उपकरण एवं विधि

4 – अध्ययन के तरीके

5 – साक्षातकार की प्रक्रिया

6 – सांख्यकीय विश्लेषण

7 – सैम्पल की पर्याप्ता

8 – पारिभाषिक शब्दावलियां ।

प्रस्तावना :–

किसी भी सामाजिक संरचना के यर्थाथ का आधार परिवार होता है। इस बारे मे अधिक मतभेद नहीं हैं आगस्ट कॉम्टे से लेकर समकालीन समाज शास्त्रियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया हैं। परिवार एक सार्वभौमिक सच्चाई है। यह केवल मानव समाज में ही मिलता हो ऐसा नहीं है। पशु समाज में भी परिवार का अस्तित्व किसी न किसी रुप में मिलता है। सच तो यह है कि किसी भी सामाजिक संरचना को उसकी सम्पूर्णता में यदि समझना है और समझाना है तो हमें अनिवार्यता परिवार से ही शुरु होना पड़ेगा।[1]

भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण श्रमिक महिलाओं का अन्य इकाइयों की श्रमिक महिलाओं से अपना एक विशेष स्थान है। कृषि कार्य को प्रगतिशील दिशा प्रदान करने एवं समाज में समान स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सिक्के के दो–पहलुओं की तरह " कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों " ने पुरुषो के साथ समान रुप से कृषि कार्य किया। यह कृषि कार्य मानव सभ्यता के अरुणोदय काल से प्रारभ होकर वर्तमान समय में इस कृषि भूतल पर पल्लवित हो रहा है। इसके उपरान्त श्रमिक समस्या, विशेष रुप से कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन की एक जटिल समस्या अभी हाल के कुछ वर्षो मे देखने को मिली है। कृषि कार्य में संलग्न महिला श्रमिकों के कड़े परिश्रम के बाबजूद भी पारिवारिक संगठन में अनेक विसंगतियां एवं भान्तियां दृष्टिगोचार हुई हैं। महिला श्रमिक, समाज की एक इकाई है और देश के प्रगति के मार्ग को कण्टकहीन मार्ग बनाने में उसका महत्व पूर्ण योगदान है।

भारत देश की तीन चौथाई महिलायें अभी भी गांवों में ही रहती हैं। ग्रामीण महिलाओं का रहन–सहन, जीवन स्तर, पहनावा और अभिरुचियों में शहरी महिलाओं की तुलना में उल्लेखनीय–भिन्नतायें हैं। पर यह भी सत्य है कि शहरी महिलाओं और ग्रामीण

1– ,श्रीमती डा0 परमार दुर्गा श्रमजीवी महिला और समकालीन पारिवारिक संगठन, साहित्य भवन (प्रा0) लिमिटेड इलाहाबाद, 1982 पेज. 78

महिलाओं में भिन्नतायें मूलतः नगरीय और ग्रामीण न होकर मुख्यतः महिलाओं की जाति, पद, आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर, द्वारा निर्धारित होती हैं। ग्रामीण समाज में उच्च जातीय एवं साधन सम्पन्न वर्गो की महिलायें बड़े आराम की जिन्दगी बिताती हैं। पूर्व जमींदारों, सामन्तों एवं रियासत कालीन सरदारों की महिलाओं को शहर में रहने वाली उच्च अधिकारियों की महिलाओं समान वातानुकूलित लगभग सभी सुविधायें प्राप्त होती हैं फिर भी इनके बीच में एक बहुत बड़ा अन्तर देखने को मिलता हैं। वह अन्तर क्या हैं ? बस वह अन्तर है प्रायः घर की चाहरदीवारी में नजर कैद रहना। मुक्त ग्रामीण वातावरण में घूमना इन लोगों की वंश परम्परा के विपरीत माना जाता है। उन्हें आर्थिक सुविधायें तो प्राप्त है, पर प्राकृतिक वातावरण में मन वहलाने की स्वतन्त्रता नहीं है।

तथाकथित मझली कृषक और दलित मुस्लिम जाति की महिलायें पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खेती बाड़ी, दस्तकारी और मजदूरी में हाथ बटाने के साथ–साथ घर के काम काज और बच्चों के पालन पोषण का भार भी वाहन करती हैं। इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं सुख सुविधा पूर्व जमीदारों की महिलाओं से अवश्य कमजोर है पर स्वयं आत्म निर्भर बनना, कमना और अपने पेरों पर खड़ा होने के कारण, प्राकृतिक सुन्दरता की गोद में विचरण करने के कारण इन्हें कहीं उनसे अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है।

कृषि की उन्नत दिशा निर्धारित होने से एवं कृषि कार्य में महिलाओं के सहयोग से गांव से होन वाले पलायन को रोका गया है। कृषि कार्य करने वाले पृरुषों और महिलाओं को रोजगार की तलास में शहरों की ओर भागने से निवृत्ति हुई है। सृष्टि के सृजन में पुरुषों एवं महिलाओं को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है, उसी प्रकार कृषि कार्य को करने के लिए भी एक दूसरे का सहयोग अपेक्षनीय होता है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक ढ़ंग से खेती करने की तकनीक को विकसित किया गया हैं। इसमें अच्छे प्रकार के खाद, बीज एवं समय समय पर पानी उपलब्ध कराने के लिए छोटी एवं बड़ी नहरों की व्यवस्था की गयी है। यदा

कदा जब समय पर नहरों में पानी नहीं आता है, उसी समय पानी की किसानों को महती आवश्यकता होती हैं तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शासन के द्वारा " टयूब्बैल " नलकूपों की व्यवस्था की गयी है। जहाँ सरकारी सहायता के अभाव में नलकूपों की व्यवस्था नही की जा सकी है तो वहां पर बड़े – बड़े काश्तकारों ने अपने खर्चे पर नलकूपों की व्यवस्था की है जिससे बड़े काश्तकारों के साथ छोटे काश्तकारों को भी लाभ प्राप्त हुआ है।

भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए समथर परिक्षेत्र में का जो भाग मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पड़ता है इस भाग की कृषि योग्य भूमि में छोटीं छोटीं झीलें अधिक हैं। इन झीलों को उपयोगी बनाने के लिए एवं पानी के बहाव को रोकने के लिए शासन द्वारा राजीव गांधी जल संग्रहण प्रबन्धन योजना शुरु की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि वैज्ञानिकों का यह सन्देश भी सफल होता है कि गांव का पानी गांव में ही रहना चाहिए, यह कृषि क्षेत्र में एक वैज्ञानिक क्रान्ति है साथ ही साथ पृथ्वी से प्राप्त जल श्रोतों को भी लाभ होता है 100 प्रतिशत जल भण्डारन में 94 प्रतिशत जल समुद्री श्रोतों में है और मात्र 6 प्रतिशत जल पृथ्वी श्रोतों में है। जब वर्षा का जल खेतो में एक निश्चित समय तक रुकेगा तो निश्चय है कि कृषि की उपज बढ़ेगी और भूगर्भ में स्थित जल स्तर भी बढ़ेगा। इस राजीव गांधी जल संग्रहण योजना के अन्तर्गत समथर क्षेत्र के किसानों ने जब कार्य होते हुए देखा तो इन किसानों ने भी पानी के बहाव को रोकंने के लिए अपने निजी खर्चे से एवं अपनी शारीरिक कड़ी मेहनत से अपनी – अपनी मेड़ों को वांधना शुरु किया जिसके कारण बरसात का पानी खेतों मे रुका और उन खेतों में धान की रोपाई शुरु की गयी। धान की रोपाई में महिला श्रमिकों ने किसानों का सर्वाधिक सहयोग किया। इस क्षेत्र में धान की रोपाई एवं कटाई के समय देखा जाये तो खेतों मे 100 प्रतिशत महिलायें ही काम करती नजर आती है। यह तथ्य अतिश्योक्ति पूर्ण नहीं है।

यह अब अनुभव किया जा रहा हे कि कोई भी समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब कि स्त्रियों को स्वाधीनता के साथ–साथ पर्याप्त आय स्वास्थ्य सुविधायें व्यवहारिक शिक्षा और लोकतांत्रिक कर्तव्यों का बोध न हो, चूकि माँ ही बच्चों की प्रथम व प्रभावी शिक्षक है जिससे भावी ज़ीवन के संस्कार पड़ते हैं इसलिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होना बहुत जरुरी है भारत के संविधान में महिलाओं और पुरुषों को न केवल समान अधिकार और सुविधायें दी गयी हैं बल्कि महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान किये गये हैं, देश में महिलाओं के स्तर और स्थिति को उन्नतशील बनाने के लिए समय समय पर कई सामाजिक कानून बनाये गये है। पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्रियों और बच्चों के लिए पोषाहार और परिवार कल्याण के साथ एकीकृत न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं, स्त्री शिक्षा के द्रुत विस्तार, श्रमिक बल में उनकी वृद्धि और महिलाओं के लिए कल्याण सेवाओं की व्यवस्था करने पर लगातार विशेष बल दिया हे। महिलाओं के रहन–सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए और आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनों तक उनकी पहुंच और उनके नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कल्याण और विकास के विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किय गये हैं कानूनी एवं सामाजिक बाधाओं और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष उपाय किये गये हैं ताकि वे उपलब्ध कराये जाने वाले नये अधिकारों और अवसरों उपयोग कर सकें।

विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि महिलायें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों, योग्यताओं एवं कार्य क्षमताओं के प्रति अधिक सजग होती जा रहीं हैं। तथापि लड़कियों की अधिक मृत्यु दर, परिणाम स्वरुप महिला अनुपात में लगातार कमी,, साक्षरता की दर में कमी और निम्न आर्थिक स्थिति जैसी महिलाओं की जनसंख्या से सम्बन्धित सांख्यिकीय विशेषताओं से महिलाओं के आर्थिक उत्थान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता स्पष्ट है। भारतीय

समाज के बहुत बड़े भाग में महिलाओं की निम्न स्थिति को स्वतन्त्र रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराये बिना उन्नत नहीं किया जा सकता। परन्तु सामाजिक आर्थिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति को उन्नत करने के लिए परिर्वतन की प्रक्रिया के लिए काफी समय तक सतत् प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

कृषि का क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो जहां महिलाओं को अनवरत कार्य करने को मिलता रहता है तो वहां उनको आर्थिक परेशानी से निवृत्ति प्राप्त होती रहती हैं। आज का युग " अर्थ " प्रधान युग है। अर्थ के अभाव में पारिवारिक संगठन का ढ़ाचा चरमराता नजर आता है। कृषि कार्य करके अपने परिवार के भरण पोषण में सहयोग करने वालीं महिलाओं को खरीफ और रवी इन दोनों फसलों मे अधिक से अधिक कार्य करने को मिलता है यह दोनों फसलें कार्तिक और चैत्र मास में पक कर तैयार हो जाती हैं दोनों फसलों में दलहन और तिलहन अपना एक विशेष स्थान रखतीं हैं। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजारा, मक्का, धान, सोयाबीन और दलहन में मूंग, उर्द एवं अरहर और तिलहन में तिली पैदा होती है। रवी की फसल में गेहूं ,चना , मटर , दलहन में मसूर और तिलहन में काली राही, पीली सरसों और सैमुआ पैदा होता है। खरीफ में केवल एक जिन्स देशी अरहर अषाढ़ मास में बोयी जाती है और रवी की फसल के साथ चैत्रमास में काटी जाती है अभी हाल की कुछ वर्षो में कृषि विशेषज्ञों ने अरहर की एक अलग किस्म (वैरायटी) खोज निकाली है। यह अरहर खरीफ की फसल के साथ ही बोयी जाती है और इसी फसल के साथ कार्तिक मास में पक कर तैयार हो जाती हैं। देशी अरहर (चैत्र की अरहर) और नई अरहर (कार्तिक की अरहर) का आकार जो लगभग एक सा रहता है परन्तु इन दोनों के रंग और स्वाद में अन्तर रहता है। इसलिए उपभोक्ता नई अरहर की जगह देशी अरहर को अधिक पसन्द करते हैं इन दोनों फसलों में सभी जिन्स एक साथ नहीं पकते हैं वल्कि कुछ दिनों के अन्तर में पकते रहते हैं

इससे महिलाओं को क्रमवार कृषि कार्य करने का अवसर मिलता रहता है खेतों में मजदूरी करने के अलावा उन्हीं खेतों से अतिरिक्त समय में महिलायें खेतों में पक कर गिरे हुए या फसल काटते समय गिरे हुए या छूटे हुए ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उर्द, तिली, और रवी के समय में चना गेहूं, मटर, मसूर राई, सरसों आदि को बीन कर परिवार में खाद्यानों के अभाव को कम कर देती हैं।

अशिक्षित एवं पिछड़ेपन से मुस्लिम एवं दलित जातियों मे आमदनी के स्रोत बहुत कम होते हैं और खर्च के स्रोत कुछ बड़े ही होते हैं। इन जातियों में आमदनी के अनुरूप खर्च करने का ढंग नही होता, यह खर्च किसी अच्छी वस्तु के उपयोग में नही होता बल्कि अनावश्यक वस्तुओं के उपयोग मादक व्यसन, मांस मदिरा में इनका धन अपव्यय होता है। जबकि यह धन उनके दिन भर धूप में पसीना बहाने से मिलता है। परिवार में जो मजदूर महिलायें होती हैं । वह पुरूषों के अवगुणों पर ध्यान न देकर बड़ी मेहनत से खेती का काम करके परिवार को दो जून की रोटी प्राप्त करा देती है यदि कहीं महिलायें इनका सहयोग न करें तो पारिवार संगठन के ढांचे को ध्वस्त होने में कितना समय लगेगा ? इसको तो स्वयं जाना जा सकता है।

समथर क्षेत्र के कुछ गरीब परिवार इस प्रकार के भी है जिनका पारिवारिक संगठन कृषि कार्य करने वाली महिलाओ के ही हाथों में निहित है इन परिवारों के पुरूष तो अकर्मण्यों की तरह कुछ कार्य करना ही नहीं चाहते है दिन में ताश खेंल कर अपना समय व्यतीत करते है और कुछ लोग मादक द्रव्य व्यसन में ही अपना समय गंवाते हैं। ऐसे परिवारों में दरिद्रता की स्थिति से निवटने के लिये मजबूर होकर महिलायें दिन भर खेतों में काम करके अन्न और वस्त्रों का इंतजाम कर पातीं है । कृषि कार्य को बाखूबी करने के बाद भी गृह के दैनिक कार्यो से छुटकारा तनिक भी प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ परिवारों के पुरूषों

को कुछ न करने के बाद भी धौंस देकर रौब गालिब करके महिलाओं की कमाई खाने की कुछ आदत सी पड़ गई है। कृषक मजदूर महिलायें अपने पिरवार को किस प्रकार चलाती है इसको देखकर दृष्टा की आँखों में दयनीय चित्र उपस्थित हो जाता है । बड़े प्रातः काल उठकर घर के सभी काम करके फिर भोजन बनाना, बच्चों और बड़ो को खिलाना, इसके बाद स्वयं खाना, दिन भर के लिये छोटे–छोटे बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम कर जाना फिर 5 या 6 कि.मी. वर्षा,सर्दी और गर्मी में पैदल चलकर खेत पर पहुँचना और कहीं खेत पर पहुँचने में थोड़ा सा बिलम्ब हो गया तो फिर खेत के स्वामी की डांट – फटकार भी सुनना, दिन भर खेतों पर काम करना फिर सायंकाल घर लौटते समय जंगली साग सब्जी भी लाना। घर आकर फिर सुबह की भांति काम करना यह कृषि मजदूर महिलाओं की दिनचर्या है।

महिलाओं ने श्रमिकों के रूप में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वह पुरूषों से किसी भी रूप में कम नहीं है। ग्रामीण समाज में महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है इनको शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। शिक्षा प्राप्त करने वाली या सरकारी, अर्द्धसरकारी सेवा करने वाली महिलाओ को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है । यदि विदेशों की तुलना में हम अपने देश भारत को देखें तो विदित होगा कि भारत में महिलाओ की स्थिति अच्छी नहीं है। यह एक बड़ी बिडम्बना है और नारी के जीवन के प्रति दर्द भी, महिलाओं के जीवन में आने वाली विसंगतियों के कारण शोध अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव की गई।

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत शोध में निहित है। इस शोध कार्य के लिये जनपद झाँसी स्थान समथर (पूर्व समथर रियासत) को चुना गया है इस स्थान की कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं तथा समस्याओं का अध्ययन करना मुख्य लक्ष्य होगा। इस शोध प्रबन्ध में, कार्य करने के स्थान समथर (पूर्व समंथर रियासत) के

इतिहास का संक्षेप में उल्लेख करना भी आवश्यक है।

इतिहास के परिवर्तन काल से फायदा उठाकर इसी वीर भूमि में सूर्यवंश की शाखा खटाणा कुल के गुर्जरों ने बुंदेलखण्ड के अंतर्गत 25 अंश 33 कला व 25 अंश 57 कला उत्तर अक्षांस तथा 74 अंश 48 कला व 79 अंश 7 कला पूर्व देशांतर में शमशेरगढ़ (समथर) राज्य की नींव डाली। समथर राज्य अंग्रेजी राज्य काल में बुंदेलखण्ड ऐजेंसी पोलोटिकल ऐजेंन्ट द्वारा सर्वोच्च सत्ता के अधीन गूजरों का राज्य प्रसिद्ध रहा।[2]

जिसके पूर्व दिशा में नदी बेतवा पश्चिम दिशा में नदी पहूज जिला दतिया और जिला भिण्ड (पूर्व ग्वालियर स्टेट) स्थित है। उत्तर दिशा में जिला जालौन और दक्षिण दिशा में जिला झाँसी स्थित है। पहूज और बेतवा नदी इसको शस्य श्यामल उर्वरा बनाये हुये हैं। बेतवा नदी की नहर द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध होने से राज्य में अकाल का भय नही रहा। पूर्व समथर राज्य में एक पर्वत है जिसमें पीली मिट्टी निकलती है।

इस पर्वत का नाम शिवरा पहाड़ प्रसिद्ध है इसका आधा भाग रियासत में था। और आधा भाग अग्रेंजी शासन में था। शिवरा पहाड़ में एक मन्दिर कपिल नाथ जी का प्रसिद्ध है। जो कि अति पुष्ट और पृथ्वी से अनुमानित 300 हाथ ऊँचा है। और उसकी श्रेणी मन्दिर तक बराबर बनी हुई है। सीढ़िया नीचे से ऊपर तक पक्की बनी हुयी है। पर्वत के मध्य में एक गुफा बड़ी विस्तृत हैं जिसमें सदैव स्वच्छ और निर्मल जल भरा रहता है उस पानी की यह प्रसंशा हैं कि गेरुवा (कृषि को नष्ट करने वाला कीड़ा) जो कृषि को नष्ट कर देता है, उसके लिए यह पानी तूल पर अग्निका प्रचार है। मन्दिर से गुफा तक जाने का एक रास्ता जारी है और उस पहाड़ पर एक बंगला महाराजाधिराज बैंकुठ बासी ने अपने समय में निर्मित कराया था। उसके सामने एक विचित्र कूप बना है जहाँ प्रतिसम्वत् होली पर फागुन के महीने में जब किसानों की फसल पककर तैयार हो जाती है तब एक बड़ा उत्तम मेला भरता है।

2:— सिंह यशपाल, यतीद्र कुमार गुर्जर —गुर्जर इतिहास, विजया प्रेस मेरठ सम्वत 2011 सन् 1954 पेज—285

यह मेला लगभग 150 वर्ष से अनवतरत रुप से भरता चला आ रहा है सामाजिक क्षेत्र में कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रियासत में रामनवमी का प्रसिद्ध मेला भरता था यह मेला भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात 40 वर्ष तक बाकायदा भरता रहा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसका नाम रहा, शमशेरगढ़ (समथर) का किला राज्य के प्राचीन वैभव की स्मृति हैं, जिसकी तुलना बुन्देलखण्ड क्या भारत के देशी राज्यों के ऐतिहासिक थोड़े से ही इने गिने किले कर सकते है। यह उच्चगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है यह गढ़ अति उतंग और अत्यन्त दृढ़ है और शहर के पश्चिम दिशा में शोभित है इसमें तीन घेरे हैं अर्थात शहर पनाह जो यहाँ पर कोट और रैनी करके प्रसिद्ध है। यह इस प्रकार बना है कि प्रथम कोट पृथ्वी से 5 गज ऊँचा है और दूसरा कोट उसकी पृथ्वी से 15 गज और तीसरा कोट दूसरे कोट की पृथ्वी से 15 गज ऊँचा है और प्रति तीनों कोटों के मध्य का रास्ता 40–40 फुट विस्तृत है। प्रत्येक कोट में लगभग 100–100 गज की दूरी पर एक–एक बुर्ज जगह जगह चौकिया और बारिंगे बनी है। कोटों की दीवारे पत्थरी और चूना की चुनाई से बनाई गयी है। आयाम दीवारों का 7–7 हाथ चौड़ा है और नीव पनिया सोत है तत्पश्चात् एक गम्भीर खावां कोट को घेरे हुये है जो प्राचीन समय से बना हुआ है लम्बाई व चौड़ाई इतनी है कि मनुष्य की क्या गणना तेज हवा (तेज आंधी) भी उसमे प्रवेश नहीं कर सकती है।

इस किले का नक्शा हरचरण और कथूले नाम के दो कारीगरों ने तैयार किया था जिनके वंशज अभी भी समथर में रहते है। किले के मध्य में चार बड़े बड़े दरवाजे हैं जो अपने अपने नामों से प्रसिद्ध है । किले के मध्य मे फूलबाग, रंगमहल और चौबुर्ज कोट की इमारतें, खास महल, सतखण्डा, शाही तोपखाना, जिन्नत महल, राज मन्दिर, मोती महल, दर्शनीय एवं प्रसिद्ध हैं। चित्रेश सागर, तालकटोरा, चतुर्भुज जी का मन्दिर तथा विजय पैलेश प्रसिद्ध है।

प्रथम यह स्थान " समथल "नाम से प्रसिद्ध था जिसका अर्थ संस्कृत में समका है क्योंकी यहा की पृथ्वी बराबर है पर्वत और गढ्ढा आदि से बिलग है समथल के नाम इसका नाम शमशेरगढ़ हुआ और फिर इसका नाम समथर हुआ।[3]

समथर राज्य के अनतर्गत सन 1857 में ग्राम लोहागढ़ (लुहारी) में तत्कालीन शासक श्रीमन्त महाराजा हिन्दुपत जूदेव बहादुर की आज्ञा अनुसार श्री मन्त महारानी लक्ष्मीबाई झाँसी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम का एक युद्ध भी लड़ा गया था। यह युद्ध झाँसी के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध था उसी दिन से समथर रियासत का यह ग्राम ऐतिहासिक ग्राम के रुप में जाना जाने लगा इस युद्ध में दोनों पक्षों के बहुत से योद्धा वीरगती को प्राप्त हुये थे। लोहागढ़ स्थान के एक किसी अज्ञात देशप्रेमी ने इस सम्बन्ध में एक कविता भी बनाई थी जिसे अग्रेंज शासकों के भय से उजागर नहीं किया गया था। इस कविता को परम्परागत रुप से कुछ लोगों ने मौखिक रुप से याद किया है जो आज भी गायी जाती हे।

इसी स्वतंत्रता प्राप्ति की क्रमबद्धता में किसानों, मजदूरों और नौजवानों में देश प्रेम की अलख जाग्रत करने के लिए पण्डित रामानुज शास्त्री, हित प्रसाद सोनी, प्रेमनारायण तिवारी और अन्य काग्रेस कार्यकर्ताओं के विशेष प्रयत्नों से सन् 1940 में तत्कालीन काग्रेस अध्यक्ष नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का समथर क्षेत्र के टोरी ग्राम में आगमन हुआ था तब किसान और मजदूर वर्ग ने जमीन पर अपना अधिकार घोषित करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ राजाओं और अंग्रेजो से लड़ने का बिगुल बजाया था।[4]

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इसके बाद सन् 1948 में देशी राज्यों का विलय हुआ रियासते खत्म हुई समथर रियासत के खत्म होने पर वहाँ प्रजामण्डल की स्थापना हुई तब प्रजामंण्डल ने अपने नियमानुसार उत्तरवाई शासन में प्रधानमंत्री पद के लिए स्वतंत्रता सैनानी पं0श्री प्रेम नारायण तिवारी को एवं न्याय तथा वित्तमंत्री पद के लिये

3– सिंह जगजीत दीवान साहब – तब़ारीख गुलदस्ता जंग, मुंशी नवलकिशोर प्रेस (सी0आइ0ई0) लखनऊ सन 1895 ई0– पेज 3

4– भारत के किसान मजदूर एक हो जाओ, भारत के हृदय सम्राठ श्री सुभाषचन्द्र बोस के आगमन का पम्पलेट 26, 27 फरबरी 1940 स्वाधीन प्रेस झाँसी

स्वतंत्रता सैनानी पं0 श्री रामानुज शास्त्री को एवं काग्रेस अधयक्ष पद के लिये स्वतंत्रता सैनानी श्री हित प्रसाद सोनी को चुना गया था।

समथर कस्बा के सम्बंध में वर्तमान स्थतियाँ निम्न प्रकार है :—

कस्बे का स्तर व श्रेणी	—	नगर पालिका परिषद-समथर (झाँसी)श्रेणी—4
कस्बे का क्षेत्रफल	—	285 एकड़ 70 डिसमिल

सन 2001 की जनगणना के अनुसार जनसँख्या का आधार इस प्रकार है :—

कुल पुरुष महिला	—	20227
पुरुष	—	10754
महिलायें	—	9473
कुल लड़के लड़कियाँ	—	3256
लड़के	—	1725
लड़कियाँ	—	1531
कुल साक्षर पुरुष महिलायें	—	11194
पुरुष	—	7109
महिलायें	—	4085
खेती योग्य भूमि	—	740 हेक्टेयर
अकृषित भूमि	—	250 हेक्टेयर

अध्ययन के उद्देश्य :—

1. कृषि पर आधारित श्रमिक महिलाओं की सामाजिक स्थति एवं उनके पारिवारिक संगठन का अध्ययन।
2. महिला श्रमिकों का स्वरुप एवं कृषि कार्य से संबन्धित निपुणता का अध्ययन।

3. महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति एवं उनकी आर्थिक विषमता का अध्ययन।

4. महिला श्रमिकों से संबन्धित संस्थाओं एवं सामाजिक मूल्यों का अध्ययन।

5. महिला श्रमिकों की सांस्कृतिक विशेषताएं एवं उनकी शिक्षा आदि का अध्ययन।

6. श्रमिक महिलाओं की राजनीतिक चेतना एवं-उनकी भागीदारी का अध्ययन।

शोध प्रबन्ध को सुसंगठित करने के हेतु 8 अध्यायों में विभाज़ित किया गया है। विभिन्न अध्यायों की रुप रेखा निम्न प्रकार है :–

प्रथम अध्याय :–

समथर क्षेत्र (पूर्व समथर रियासत) का परिचय, महिला श्रमिकों की जनसँख्यात्मक स्थिति एवं अध्ययन विधि आदि का अध्ययन किया जायगा।

द्वितीय अध्याय :–

द्वितीय अध्याय में महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति पारिवारिक संगठन एवं उनके ढ़ाचे का अध्ययन किया जायेगा।

तृतीय अध्याय :–

तृतीय अध्याय में महिला श्रमिकों का स्वरुप, विशेषताये, उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति एवं कृषि कार्य से सम्बन्धित दक्षता का अध्ययन किया जायेगा।

चतुर्थ अध्याय :–

चतुर्थ अध्याय में महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जायेगा।

पंचम अध्याय :–

पंचम अध्याथ में श्रमिक महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक सस्थओं जैसे परिवार विवाह उनके जातिगत आचार–विचार तथा सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया जायेगा।

षष्ठम् अध्याय :–

षष्ठम् अध्याय में महिला श्रमिकों की सांस्कृतिक विशेषतायें जैसे शिक्षा, धर्म, मनोरंजनात्मक कार्य एवं अन्तः क्रियाओं का अध्ययन किया जायेगा।

सप्तम अध्याय :–

सप्तम् अध्याय में राजनीतिक चेतना एवं उनकी भागीदारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जायेगा।

अष्ठम् अध्याय :–

अष्ठम् अध्याय में निष्कर्ष स्पष्ट किया जायेगा तथा सम्बन्धित अनुशंसायें की जायेगी।

उपकरण एवं विधि :–

प्रस्तुत अध्याय में सम्बन्धित तथ्यों का समायोजन करने के लिए अधुनिक समाज शास्त्रीय व्यवहार मूलक शोध प्रक्रियायें जैसे प्रश्नावली प्रणाली,साक्षत्कार प्रणाली, सर्वेक्षण प्रणाली, सांख्यिकीय प्रणाली आदिका प्रयोग किया गया है जिसके कारण शोध प्रबन्ध आधुनिक वैज्ञानिक शोध ग्रन्थ व वस्तुपरक बन सके। इस अध्ययन के आंकड़े समथर क्षेत्र की महिला श्रमिकों के सर्वेक्षण से प्राप्त हुए है इस क्षेत्र में लगभग 1000 महिला श्रमिक कार्य में संलग्न हैं जो निम्न तालिका में स्पष्ट की गई है :–

तालिका नं. –1

समथर क्षेत्र में महिला श्रमिकों की कुल संख्या

क्रम सं.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	710	71.0
2	मुस्लिम	290	29.0
3	सिख	–	–
4	इसाई	–	–
5	अन्य	–	–
	योग	1000	100.00

सैम्पल का चयन :–

प्रस्तुत अध्ययन कुल 1000 महिला श्रमिकों की एक तिहाई संख्या पर आधारित है। शोधार्थी की व्यक्तिगत क्षमता एवं समय को देखते हुए 1000 महिला श्रमिकों का अध्ययन सम्भव नहीं था। अतः मात्र 300 महिला श्रमिको का मूल रुप से 30 प्रतिशत का ही अध्ययन सम्भव हो सका। इन महिला श्रमिकों का चुनाव सम्पूर्ण महिला श्रमिकों में से निर्देशन विधि द्वारा किया गया जो पूरे सैम्पिल का लगभग 30 प्रतिशत था। महिला श्रमिकों के चयन मे लाटरी विधि का प्रयोग किया गया। अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध केवल 300 महिला श्रमिकों पर आधारित है। इनके चुनाव के आधार निम्न थे।

1 – श्रमिक क्षेत्र में महिलाओं को समानता का दर्ज बहुत पहले से प्रदत्त है, अधिकांशतः महिला श्रमिकों ने इसे समझा युग के बदलते परिवेश में उन्होंने आधुनिकता की ओर झुकाव किया तथा उनकी धारणायें भी इसके अधिक अनुकूल थी।

2 – महिंला श्रमिकों के रहने के स्थान तथा उनकी पारिवारिक दशा का ज्ञान था जो

शोध प्रबन्ध के हेतु बहुत कुछ सहायक रही। मूल सैम्पिल के आकार को इस आधार पर रखा गया था कि अगर 300 महिला श्रमिकों में से कुछ महिला श्रमिक अध्ययन में किन्हीं परिस्थिति वश सहयोग नही देती हैं तो अन्य महिला श्रमिकों का चुनाव इसी आधार पर कर लिया जायेगा। चुनी गई-महिला श्रमिकों के निवास करने का स्थान शोधार्थी को विदित था। इसलिए उनको ढूँढ़ना बहुत आसान था।

अध्ययन के तरीके (विधि) : –

शोधार्थी द्वारा एक अनुसूची अपने शोध निदेशक एवं अन्य शोध विशेषज्ञों के सहयोग से तेयार की गयी तथा अन्य क्षेत्र में उसका प्रयोग करके मूल्याकन किया गया तथा त्रुटियों को दूर करके शुद्ध एवं सही अनुसूची प्रयोग में लाई गयी।

अनुसूची : –

एक अनुसूची, जिसमें 110 प्रश्न थे वह शोधार्थी द्वारा तैयार की गयी और यह प्रयास भी किया गया कि सामान्य रुप से सही आंकड़े प्राप्त हो सके अनुसूची को इस तरह से तैयार किया है कि कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन से सम्बन्धित अध्ययन के सभी पहलुओं के उत्तर पूर्ण रुप से प्राप्त किये जा सके।

अनुसूची द्वारा निम्न सूचनाएँ एकत्रित की गयी

1 – सामान्य सूचनाएँ

2 – शैक्षिक स्थिति का अध्ययन

3 – पारिवारिक स्थिति का अध्ययन

4 – सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन

5 – महिला श्रमिकों का पारिवारिक आकार तथा वर्तमान आय के आंकड़े

6 – कृषि में अधिक उपज करने में कठिनाइयों से सम्बन्धित आंकड़े

7 – शहरी करण एवं औधेगिकरण के कारण खानपान से सम्बन्धित आंकड़े।

8 – शिशु का जन्म एवं पालनपोषण सम्बन्धी तरीकों का अध्ययन

9 – धर्म एवं संस्कार सम्बन्धी अध्ययन।

10 – जनसंख्या की समस्या को हल करने सम्बन्धी तरीकों का अध्ययन

11 – कृषि सम्बन्धी दक्षता का अध्ययन।

12 – महिला श्रमिकों का परिवार के प्रति उत्तरदायित्व तथा दृष्टिकोण से सम्बन्धित आंकड़े।

अनुसूची में प्रश्नों को इस तरह रखा गया था जिससे उत्तरदाताओं को उत्तर देने में कोई भी किसी प्रकार की कठिनाइ न हो। अन्तिम अनुसूची में यह प्रयास किया गया कि सभी सम्बन्धित प्रश्न इसमें सम्मिलित हो तथा उनके उत्तर भी सही रुप से मिल सकें यह अनुसूची एक मानक उपकरण थी, जिसमें प्रश्नों को और अच्छी तरह से पढ़ने तथा अधिक सूचनायें एकत्रित करने का अवसर मिले, जहाँ उसकी आवश्यकता हो।

अनुसूची, निदेशक महोदय द्वारा मान्य करने के वाद 350 कापियां साक्षात्कार अनुसूची की तैयार की गई और उनको चुनी गई महिला श्रमिकों में प्रयोग किया गया जनवरी 2001 से जून 2001 तक समथर क्षेत्र में आकड़े संकलन करने का समय दिया गया, फिर शोधार्थी ने घर–घर जाकर अनुसूची से सम्बन्धित सभी आंकड़े एकत्रित किये।

साक्षात्कार प्रक्रिया :–

शोध प्रक्रिया को दृष्टिगोचर करते हुए महिला श्रमिकों से समय मांग करके विचार विमर्श किया गया उनकी जो भी समस्यायें थी उनको ध्यान में रखकर प्रश्न किये गये और जो भी उत्तर उन्होंने दिये लिपिबद्ध किये गये और उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को गोपनीय तरीके से रखा गया। दूसरी दृष्टि से वहां की स्थिति एवं साक्षात्कार के माध्यम से महिला श्रमिकों की जो भी समस्यायें अवगत हुई उनको भी गुप्त रखा गया। प्रस्तुत अध्ययन

के अन्तर्गत महिला श्रमिकों से जो साक्षात्कार लिये गये, उनकी समस्याओं के निर्णय भी उन्हीं के घरों पर किये गये। ये निर्णय उनके परिवार के सदस्यों, पुत्रों, पुत्रियों, रिश्तेदारों, परिचित सम्बन्धियों से गुप्त रखे गये।

महिला श्रमिको के यहाँ जो भी साक्षात्कार लिये गये वह शान्त वातावरण में लिए गये अधिकांशतः साक्षात्कार की सफलता एवं कार्य सम्पन्नता के लिए अनेक विधियों से प्रश्न पूछे गये और उनमें गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया। साधारण रुप से एक महिला श्रमिक से साक्षात्कार में एक घण्टे का समय लगा और आधे घण्टे का समय घर का अवलोकन, उत्तरदाता से परिचय उनसे प्रश्न पूछने की सम्मति घर के सदस्यों की अनुमति एवं उत्तरदाता को साक्षात्कार में विश्वस्त करने में लगा।

प्रस्तुत अध्ययन शोधार्थी द्वारा सही तथ्यों से विदित कराने एवं उत्तरदाताओं के बारे में तैयार किया गया। शोधार्थी ने जो भी प्रश्न उत्तरदाताओं से पूछे वह साधारण, सरल एवं सुविधानुसार समझ में आने वाले थे। इस अध्ययन में कृषि पर आश्रित एवं निराश्रित तथा कृषि को आधुनिक वैज्ञानिक ढ़ंग से करने के लिए साधन सुलभ होना, कृषि से सम्बन्धित जानकारी होना तथा सामान्य वगे, पिछड़ा वर्ग एवं दलित मुस्लिम वर्ग की श्रमिक महिलाओं द्वारा कृषि कार्य करते हुए पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने की उच्च भावनात्मक अभिव्यक्ति की जानकारी पाई गई एवं उसका अध्ययन किया गया।

शोधकर्ता ने महिला श्रमिकों के साक्षात्कार हेतु घर घर जाकर विषय से सम्बन्धित कृषि में दक्षता सम्बन्धी प्रश्न एवं पारिवारिक संगठन से सम्बन्धित प्रश्नों की पूंछतांछ की। महिला श्रमिकों ने अपने साक्षत्कार में बताया कि अमुक समय में कौन कौन सी फसल बोई जाती है और अमुक समय का पानी (बरसाती जल) कौन कौन सी फसल के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। दोहरी फसल पैदा करने के लिए जमीन की जुताई–गुड़ाई

कैसी करनी चाहिए, गोबर की खाद का प्रयोग किस समय और किस जगह पर करना चाहिए। उवर्रक खादों का प्रयोग जैसे यूरिया डी0ए0पी0 आदि का प्रयोग कब करना चाहिए ? इन सभी कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। फिर कृषि कार्य करके किस प्रकार पारिवारिक संगठन को बनाये रखती हैं, किस प्रकार के संस्कार में आपका विश्वास है। पर्दा प्रथा, छुआछूत एवं अन्तर्जातीय विवाहों में आपकी क्या सम्मति है ? इन प्रश्नों के बारे में भी महिला श्रमिकों ने अपने विचार व्यक्त किये। शासन की ओर से आपको कोई सहायता प्राप्त हुई है या नहीं। इसके सम्बन्ध में भी प्रश्न किये गये जिन–जिन महिला श्रमिकों को सरकारी सहायता प्रापत हुई है। उन–उन श्रमिक महिलाओं ने शोधार्थी को बताया और प्रमाण भी प्रस्तुत किये।

इन सब प्रश्नों के बाद कृषि कार्य और पारिवारिक संगठन से सम्बन्धित परेशानी या तकलीफ की जानकारी ली गई तो श्रमिक महिलाओं ने शोधार्थी को मौखिक रुप से अवगत कराया।

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन करने से प्रतीत हुआ कि वर्तमान आज और भविष्य की तुलना में कितनी प्रगति हुई है और महिला श्रमिकों के लिए कितनी लाभप्रद रही है ? साक्षात्कार के लिए जिन महिला श्रमिकों ने अपनी स्वीकृति दी है। इसका प्रभाव आने वाले समय में महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन के लिए प्रभावी रहेगा। समाज में महिलाओं को उचित स्थान देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 को महिला शक्तिकरण वर्ष के रुप में मनाया गया था।

प्रश्नों के संदर्भ में : –

सर्वेक्षण करने और आंकड़े एकत्रित करने में जो प्रश्न हमारे शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में सहायक होंगे उनका अर्थ एवं स्पष्टीकरण निम्न है।

1 – शैक्षिक स्थिति (प्रश्न नं० – 9)

सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि अधिकांशतः महिला श्रमिक निरक्षर हैं। साक्षर जीवन का सामाजिकता में अत्यधिक महत्व है। कृषि पर आधरित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर महिला श्रमिकों की शैक्षिकता ज्ञात करने की आवश्यकता अनुभव की गयी। जानकारी लेने पर विदित हुआ कि महिला श्रमिकों में शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है। आज के साक्षर युग में इस विषय से सम्बन्धित महिलायें बहुत ही कम साक्षर हैं इससे भी कम प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल हैं और इससे भी कम हाईस्कूल हैं।

2 – परिवार का आकार (प्रश्न नं० – 10)

एक आदर्श परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए ? यह प्रश्न विचारणीय है। पूंछने पर महिला श्रमिकों ने अपने परिवार को एक आधुनिक परिवार बताया। परन्तु जब उनको समझा बुझाकर पूंछा गया तो उनहोंने वास्तविकता प्रस्तुत की।

3 – कृषि से सम्बन्धित आय (प्रश्न नं० – 31)

परिवार के उत्तरदायित्व को निभाने मे अर्थ प्राप्ति आवश्यक है। महिला श्रमिकों से सम्बन्धित इस अध्ययन में आय के श्रोत कृषि एवं कृषि कार्य पर निर्भर हैं। महिला श्रमिकों की कम से कम आय 800 रुपये या इससे कम औ अधिक से अधिक 1601 रु० या इससे अधिक पाई गई।

4 – मासिक बचत एवं व्यय (प्रश्न नं० – 32,33)

यह दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत कठिन है। कभी कभी परिवार का खर्च आय से अधिक हो जाता है और कभी कभी आय एवं व्यय बराबर रहता है फिर भी महिला श्रमिको द्वारा भविष्य में काम आने के लिए थोड़ी बहुत बचत भी की जाती है। जो आर्थिक कुसमय पर मित्रवत् काम आती है।

5 – आपका परिवार संगठित है कोई बिखराब तो नहीं आया (प्रश्न नं0 – 24)

साक्षात्कार दाताओं ने शोधार्थी को पहले इस प्रश्न का उत्तर कुछ हट कर दिया था जब शोधार्थी ने उनसे गम्भीरता से पूंछा तो वास्तविकता सामने आई। परिवार से न्यारे (पृथक) रहना एक अलग बात है, समय पर एक होना यही संगठन है और एक न होना यही बिखराव है।

6 – आंपको धर्म में विश्वास है (प्रश्न नं0 – 46)

शोधार्थी को सर्वेक्षण करने पर विदित हुआ कि हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों की महिलाओं को अपने धर्म में विश्वास है किन्तु धार्मिता में कई तत्व ऐसे भी है जिन पर महिला श्रमिकों को विश्वास कम है।

7 – जाति प्रथा का प्रचलन (प्रश्न नं0 – 47)

सर्वेक्षण करने पर जाति प्रथा एक सामाजिक प्रतिमान के रुप में शोधार्थी को विदित हुई जाति प्रथा प्रचलन हर एक धर्म में है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि श्रमिक वर्ग अपनी जाति धर्म के अनुकूल ही कार्य करके परिवार का पालन पोषण करते हैं।

8 – महिला नेतृत्व (प्रश्न नं0 – 88)

शोधार्थी ने जब महिला श्रमिकों से महिला नेतृत्व के बारे में प्रश्न किया तो उनको इस प्रश्न का उत्तर देने में रुचि उत्पन्न हुई। विदित हुआ जहां जीवन है वहां समाज है, जहाँ समाज है वहाँ नेतृत्व है। सामाजिक परिस्थितियां ही महिलाओं में नेतृत्व के भाव जागृत करती हैं।

आंकड़ों को संगठित करना –

उपलब्ध आंकड़ो को साधरण एवं संयुक्त आवर्ती सारिणियों के समूह में रखा गया। एक मानक वर्गीकरण का प्रयोग किया गया है जिससे इनकी तुलना (मिलान) करने में और अन्तर करने में सुविधा हो।

द्वितीय आंकड़ो का अध्ययन –

शोध प्रबन्ध में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 300 महिला श्रमिकों का साक्षात्कार किया गया जिनको विभिन्न सम्बन्धित पुस्तकों, समाचार पत्रों, विकास खण्ड कार्यालय और निरीक्षण अवलोकन पद्धतियों से तुलना (मिलान) किया गया और कुछ आंकड़ो को तथ्यों पर परखा गया ।

सांख्यकीय विश्लेषण –

सांख्यकीय विश्लेषण हेतु शोधार्थी द्वारा अनेक प्रकार की सारणियों का विश्लेषण किया गया। आंकड़ो को प्रतिशत दरों में दर्शाया गया आंकड़ो को प्रति महिला श्रमिक के अनुसार पति पत्नी की उम्र, परिवार का आकार एवम् प्रकार आय, व्यय, बचत, शैक्षणिक स्तर, धर्म, व्यवसाय, परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में लिए जाने वाले निर्णय, सामाजिक संस्कार, जाति प्रथा, विधवा विवाह घर में बृद्धों को उचित सम्मान अनेक प्रकार से सम्बन्धित सामाजिक क्रिया कलापों को जोड़ने बाले अध्ययन और निर्णय शामिल हैं। यह सांख्यकीय विश्लेषण पारिवारिक संगठन के प्रति श्रमिक महिलाओं के दृष्टिकोण की संरचना और सैम्पल को सही रुप में प्रस्तुत करने में एवं परिणाम निकालने में सहायक सिद्ध होगा।

सैम्पिल की पर्याप्ता –

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन में जनपद झाँसी समथर क्षेत्र की लगभग 1000 महिला श्रमिकों में से 300 महिला

श्रमिकों का साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार करने के रैन्डम सैम्पलिंग विधि को अपनाया गया जिसके अनुसार 300 महिला श्रमिकों को 1000 महिलाओं से चुना गया और उन्हीं का साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार अनुसूची के अनुसार महिला श्रमिकों से जो भी प्रश्न पूछे गये उनमें मुख्यतः शैक्षिक पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक संगठन आदि के बारे में प्रश्न थे। यह विषय से सम्बन्धित अपने आप में पर्याप्त थे। इस कार्य में कुछ महिला श्रमिकों ने सहयोग दिया और कुछ ने सहयोग देने से आनाकानी की किन्तु जब बाद में उन्हें समझाया गया तब उन्होंने सहयोग देना प्रारम्भ किया।

शोधार्थी द्वारा सैम्पिल के चयन में यह प्रयास किया गया कि महिला श्रमिकों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जा सके उन्होंने पारिवारिक संगठन को बनायें रखने में कौन से कार्यो को क्रियान्वित किया ? जो महिला श्रमिकों के साक्षात्कार रेन्डम सैम्पलिग विधि द्वारा किये गये वे शोधार्थी के अपने स्वयं के विचार से किये गये। इसके वाद सैम्पिल भी पर्याप्तता का भी आंकलन किया गया। सामान्य दृष्टि से जो भी आधार श्रमिकों के आंकलन के बारे में रखे गये वह उनके धर्म, जाति, परिवार में सदस्या की संख्या, शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, खानपान एवं रहन सहन आदि की विशिष्टता के अनुसार रखने में काफी सहायता मिली इन आंकडो से सम्बन्धित जानकारियां कृषि कार्य में संलग्न महिलाओं द्वारा विदित हुई है।

प्रथमतः अपने सैम्पिल के रुप में महिला श्रमिकों को शोधार्थी द्वारा निर्देशित किया गया, जो पारिवारिक संगठन को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है।

द्वितीय स्वीकार कर्ता एवं अस्वीकारकर्ता के विशिष्ट गुणों को अभिव्यक्त करते थे। इस प्रकार हमारे सैम्पिल के रुप में महिला श्रमिक पर्याप्त प्रतिनिधित्व करती थी।

उपर्युक्त जो भी जानकारी एकत्रित की गयी थी वह 1991 के पश्चात् सर्वेक्षण

पर आधारित है। अधिकांशतः जो भी अध्ययन महिला श्रमिकों पर किये गये थे सन 1962 के वाद सम्पूर्ण भारत वर्ष में आरम्भ किये गये जो शोध प्रोजेक्ट पर आधारित हैं। बहुत स्थानों से आंकड़ों को एकत्रित किया गया जो आंकड़े अधिकांशतः आधुनिक तकनीक, पर आधारित हैं। एकाकी या सीमित परिवार को मापने के लिए जो दृष्टि कोण अपनाया गया वहां उत्तरोत्तर विकास क्रम को रखा गया।

पारिभाषिक शब्दावलियां :–

1 – महिला श्रमिक :–

इस शोध प्रबन्ध में महिला श्रमिक से ऐसी महिला अभिप्रेत है जो कृषि कार्य को अपने हाथों से करती हो। यह 800 रु0 या इससे कम और 1601 रु0 या इससे अधिक मासिक कमाती हे। वह महिला श्रमिक कहलाती हैं।

2 – साक्षात्कार :–

साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान (शोध) की वह पद्धति है जिसके माध्यम से साक्षात्कार द्वारा महिला श्रमिकों के विचारों और भावनाओं में प्रवेश करके आंकड़ों का संकलन किया गया।

3 – अनुसूची :–

अनुसूची प्रायः ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हे एक साक्षात्कार कर्ता द्वारा अन्य व्यक्ति या महिला से आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूंछता है और स्वयं उत्तरों को भरता है।

4 – पारिवारिक संगठन :–

पारिवारिक संगठन हम उस संगठन को कह सकते है जो अधिक समय तक स्थाई रुप से रहे जो अपने विभिन्न सदस्यों के आयामों को संरक्षित रखता हो इसके स्थायित्व

का प्रमुख आधार भावनात्मक सम्बद्धता का होना है। विवाह, वंश, नाम, संतानोत्पत्ति आदि परिवार के केन्द्र बिन्दु हैं।

5 – कृषि पर आश्रितता :–

कृषि पर आश्रितता का तात्पर्य अधिकांशतः उन सभी महिलाओं से है जिनके पास स्वयं की खेती है या जोत की है या सामूहिक है। सामान्यतः जिन महिला श्रमिकों के पास खेती नहीं है वह भी परोक्ष रुप से कृषि पर आधारित है क्योंकि खेती के प्रभावित होने पर पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होने लगता है।

6 – महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार :–

महिला की स्थिति में अन्तर से तात्पर्य है कि महिलाओं के जीवन के सम्बन्ध मे पुराने विचारों को विस्मृत करते हुए नये विचारों के अन्तर्गत महिलाओं के सम्बन्ध में नये नियमों का अध्ययन करके, फिर इसे समझना है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार स्पष्ट झलकता नजर आयेगा।

7 – भूमि का कटाव रोकना (भूमि संरक्षण) :–

भूमि का कटाव रोकने से तात्पर्य भूमि संरक्षण से है। जब पानी के वहाव या भराव से भूमि कट जाती है। तब इसकी सुरक्षा आवश्यक है। सामान्य भूमि दो प्रकार से कटती है।

1 – पानी का निरन्तर बहना।

2 – पानी के भराव के कारण पशुओं का आकर पानी पीना ।

पानी के वहाव से मिट्टी गल–गल कर बहती जाती है और भराव के कारण पशुओं के आने से उनकें खुरों से मिट्टी कटती जाती है इसको रोकने के लिए उस जगह पर वृक्षारोपण आवश्यक है। इससे भूमि संरक्षण का विकास होता है।

द्वितीय अध्याय

श्रमिक महिलाओं की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक संगठन एवं उसके ढ़ाचे का अध्ययन :–

1 :– पृष्ठ भूमि

2 :– महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति

3 :– धर्म और जाति के आधार पर महिला श्रमिको की स्थिति

4 :– विवाह विच्छदे युक्त महिला श्रमिकों की स्थिति

5 :– महिला श्रमिकों का रहन–सहन एवं पारिवारिक व्यवसाय

6 :– महिला श्रमिकों में पारिवारिक संगठन

7 :– परिवार का प्रारुप

8 :– पारिवारिक गतिशीलता

9 :– सीमित परिवार

10 :– परिवार में वृद्धों की संख्या

11 :– वृद्धों का सम्मान

12 :– महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार

-: पृष्ठभूमि :-

प्रस्तुत अध्याय में श्रमिक महिलाओं की सामाजिक स्थिति पारिवारिक संगठन एवं उसके ढ़ाचे का अध्ययन विशेष रुप से किया गया है। यह अध्ययन जनपद झाँसी स्थान समथर (पूर्व समथर रियासत) में कृषि कार्यरत श्रमिक महिलाओं पर किये गये सर्वेक्षण पर आधारित है। इस अध्याय के अर्न्तगत महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति पारिवारिक संगठन एवं उसके ढ़ाचे पर प्रकाश डाला गया हैं।

इस अध्याय के अर्न्तगत जो भी परिवार के वर्गीकरण से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किये गये है उनका श्रमिक महिलाओं की स्थिति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आंकड़े इस प्रकार हैं। धर्म जाति के आधार पर महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति, परिवार का प्रारुप, पारिवारिक संगठन, वृद्धों का सम्मान, महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार आदि ।

इन आंकड़ों के आधार पर महिला श्रमिकों की राय और उनके आपसी सम्बन्धों का अध्ययन प्रस्तुत अध्याय में किया गया है। अध्ययन द्वारा प्राप्त विवरणों को एकत्र करके उनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों से महिला श्रमिकों का जीवन अप्रभावित नहीं रहा है। आधुनिक परिवारों में पति पत्नी और उनके बच्चे आते हैं। समयानुसार अब भी एकाकी परिवार भी अधिक प्रचलन में है। परिवार में बच्चों की संख्या ही सीमित रहने लगी और बच्चों के विकास के लिये माता–पिता हमेशा तत्पर रहने लगे हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि आधुनिक वातावरण का भी महिला श्रमिकों पर कुछ प्रभाव पड़ा है जिस प्रभाव को स्वथ्य प्रभाव नहीं कहा जा सकता। किन्हीं परिवारों में पति पत्नी का जीवन नीरस पाया गया और इस प्रकार अव्यवस्थित जीवन के सम्बन्ध अच्छे दृष्टिगोचर नहीं हुये हैं किन्तु वर्तमान में महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि इनका परिवार

गतिशील दिशा की ओर अग्रसित हुआ है। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई हुआ करता है सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उसका स्थान सर्वोपरि होता है। कुछ थोड़े से परिवार ऐसे भी हैं जिनमें पिता काम करते नहीं पाये गये हैं लेकिन इससे पिता की सामाजिक स्थिति में कोई परिर्वतन नहीं पाया गया । एक ओर तो देखते है कि महिला श्रमिकों के परिवार के आकार और स्वरुप में परिवर्तन हो रहा है, दूसरी ओर महिला श्रमिकों के परिवार में परम्परागत आस्थायें, विश्वास और मान्यतायें मूर्तरुप में विद्यमान हैं। ये परिवार अशिंक्षित होने के कारण नवीनता के प्रति थोड़े संशकित रहते है इसलिये अपनी मान्यताओं का परित्याग करना नहीं चाहते।

महिला श्रमिक अपने पारिवारिक संगठन का सामाजिक अपवाद के कारण परिवर्तन नहीं चाहती है। परम्परागत ग्राम्य जीवन इन्हें आधिक प्रिय है तथा पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यतायें भी प्रिय है, परन्तु वर्तमान युग में हो रहे नगरीकरण और औधोगीकरण के प्रभाव से ये परिवार भी अछूते नहीं बचे हैं।

महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति :–

'स्थिति' शब्द सामान्य भाषा में आने वाला शब्द है । समाज में प्रत्येक महिला, पुरूष की अपनी एक स्थिति होती है। प्रत्येक महिला अपनी सामाजिक या अन्य प्रकार की स्थिति को उन्नत करना चाहती है।

"स्थिति शब्द की सबसें सरल परिभाषा यह है कि वह समूह में महिला या पुरूष के स्थान को बताती है।[1] "स्थिति सांमाजिक झुण्ड में वह स्थान है जिसका परिज्ञान आदर्शों के प्रतीकें एवं कार्यों के स्वरूपों से किया जाता है। विदित होता है कि महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति ही अपनी विशिष्ट भूमिकाओं एवं पदों पर सफलताओं एवं असफलताओं का परिणाम सिद्ध होती है।

1. Agburn & Nimpoff - A Hand book of Sociology P. 208
2. Martin dale & Monachesi - Elements of sociology P. 208

इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी महिला श्रमिक की "सामाजिक स्थिति" महिला समूह या समुदाय में पदवी या प्रतिष्ठा है। सामाजिक स्थिति वह पद या प्रतिष्ठा है जिससे कोई पुरूष या महिला आदर प्राप्त करती है। सामाजिक स्थिति एक तुलनात्मक विचार है, जो एक महिला को दूसरी महिला से या एक समुदाय को दूसरे समुदाय से तुलना करके ही उस महिला या समुदाय की स्थिति का अन्दाज लगाया जा सकता है।

महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति से तात्पर्य है कि समाज में पुरूषों की तुलना में उनकी दशा कैसी है? समाज में उनका क्या स्थान है ? महिला श्रमिकों एवं पुरूषों के संबंधों का आधार क्या है? महिला श्रमिकों एवं पुरूषों के मध्य श्रम विभाजन का आधार क्या है ? इन सब के आधार पर उत्पन्न पुरूषों एवं महिला श्रमिकों के सम्बन्धों की दशा को महिला श्रमिकों की "सामाजिक स्थिति" कहा जाता है। महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण प्रत्येक समाज की एवं तत्कालीन परिस्थितियों एवं संस्कृति के द्वारा होता है। समाज की परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुसार महिला श्रमिकों स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है।

समथर क्षेत्र की महिला श्रमिकों की स्थिति पुरूष श्रमिकों से कुछ न्यून है। खेतों एवं खलिहानों में पुरूषों के साथ समान कार्य करने के बाद भी पुरूषों के समान पारिश्रमिक नहीं मिल पाता । इस धारणा के आधार पर यह प्रश्न सामने आता है कि इस स्थिति को क्या कहा जाय ? जहाँ समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक न हो । इस स्थिति को कृषि क्षेत्र में विसंगति की स्पष्ट स्थिति कह सकतें हैं।

धर्म और जाति के आधार पर महिला श्रमिकों की स्थिति :—

जनपद झांसी के समथर क्षेत्र में विभिन्न धर्मों एवं जातियों की महिलायें श्रमिकों के रूप में कृषि कार्य सम्पादन करती है एवं उसी से अपनी पारिवारिक जीविका का निर्वाहन

करती है। वह धार्मिक एवं जातीय भेदभाव के बिना एक दूसरे के साथ सेवा भाव से कार्य करती है। इस क्षेत्र में साम्प्रदायिक और जातीय भावना को कोई स्थान नहीं है।

इस क्षेत्र में भारतीय संविधान में वर्णित धर्म निरपेक्षता का पूरा – पूरा पालन किया जाता है। इसी धर्म निरपेक्षता को ध्यान मे रखकर सभी धर्म की अनुयायी महिलायें सौहार्द्र पूर्ण वातावरण के युक्त प्राकृतिक आंगन में कृषि कार्य साधना करती है। समथर क्षेत्र की कुल महिला श्रमिकों में हिन्दू धर्म को मानने वाली महिलायें अधिक है। तत्पश्चात मुस्लिम महिलायें है। सिख और ईसाई धर्म के अनुयायी इस क्षेत्र मे नहीं रहते हैं। अपने, अपने धर्म को मानने के लिये प्रत्येक महिला एवं पुरूष पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र है ।

कृषि कार्य में कार्यरत मुस्लिम महिलाओं को समयानुसार नमाज अता करने का समय दिया जाता है। रोजों के अवसर पर सभी महिला श्रमिको से उन्हें पहले छोड़ दिया जाता है। सभी महिलायें एक दूसरे के धर्माचरणों का आदर करती हैं। वर्ष भर में हिन्दू एवं मुसलमानों के त्योहारों "दीपावली", "होली","मुहर्रम""ईद""गुरूनानक जयंती"आदि त्योहार सर्व धर्म सद्भावना के साथ मनाये जाते हैं।

भारतीय सामाजिक संरचना का आधार जाति व्यवस्था है। जो समाज के प्रत्येक पक्ष को चाहे वह सामाजिक राजनैतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक हो सभी को प्रभावित करती हैं। जाति का अन्वर्विवाही समूह वाला रूप इतना व्यापक है कि इससे हिन्दुओं की चली क्या? मुसलमान सिख ईसाई तक अछूते नहीं बचे हैं।

इस क्षेत्र में विभिन्न जातियों की महिलायें कार्यरत हैं। जैसे सामान्य जाति, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति। ये जातियां प्रत्येक धर्म में पाई जाती हैं, महिला श्रमिक किसी भी जाति की हो पहले वह श्रमिक है बाद में अमुक जाति की है। खेतों में कार्य करते समय कोई भी जातीय भेदभाव देखने को नही मिलता। दोपहर के

समय सभी जाति की महिलायें एक साथ बैठकर अपना अपना भोजन निकालकर खाती हैं। और एक साथ कुएं पर जाकर पानी पीती है। इस प्रकार महिला श्रमिको के परस्पर व्यवहार में धार्मिक एवं जातीय सहिष्णुता देखी जाती हैं। कृषि कार्य करते समय खेत के मालिको द्वारा महिला श्रमिकों को जब अपना अपना कार्य बांट दिया जाता है तब यह भी देखा जाता है कि जब कोई महिला अपने कार्य को देर से निबटा रही है तो कुछ महिलायें अपने काम से निवृत्त होकर जाति पाँति की भावन से ऊपर उठकर उस महिला श्रमिक के कार्य मे सहयोग कर देती हैं। अतः इस क्षेत्र में धर्म एवं जातीय सद्भाव का स्थान सर्वोपरि है ।

तालिका क्रमांक 2 – (1)

महिला श्रमिको का धर्म के आधार पर वर्गीकरण :–

क्रमांक	धर्म	संख्या	प्रतिशत
01.	हिन्दू	233	77.7 %
02.	मुस्लिम	67	22.3 %
03.	सिख	–	–
04.	ईसाई	–	–
05.	अन्य	–	–
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 2 – (1) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में सार्वधिक 77.7 प्रतिशत हिन्दू महिलाओं का है। दूसरा समूह 22.3 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का है।

समथर क्षेत्र में अधिकतर हिन्दू फिर इसके बाद मुस्लिम महिला श्रमिक ही कार्यरत हैं। अतः उसी अनुपात में इनका साक्षात्कार किया गया।

वर्ष 1991 के सर्वेक्षण के अनुसार समथर क्षेत्र में मुख्यतः जनसंख्या इस प्रकार थी। हिन्दू 70.3% तथा मुस्लिम 29.7% थी।

तालिका क्रमांक 2 – (2)

सर्वेक्षण के आधार पर महिला श्रमिको का जातियों के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	जातियां	संख्या	प्रतिशत
01.	सवर्ण	18	6.0%
02.	पिछड़ी जाति	182	60.7%
03.	अनुसूचित जाति	43	4.3%
04.	अनुसूचित जनजाति	57	19.0%
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 2 – (2) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में सबसे अधिक 60.7 प्रतिशत महिला पिछड़ी जाति की है। तथा दूसरा समूह 19.0 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का है। इस प्रकार कृषि पर आधारित महिला श्रमिको में अधिकांशतः पिछड़ी जाति की श्रमिक महिलायें थी।

विवाह विच्छेद (तलाक) युक्त महिला श्रमिकों की स्थिति :–

महिला श्रमिको के विवाह विच्छेद (तलाक) के निश्चित या ठीक ठीक कारणों का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है, तलाक के करणों का निर्धारण पारिवारिक विघटन के कारणों की अनुक्रमणिका तैयार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में तलाक की संख्या अधिक रहती है। कई अध्ययनों से विदित होता है कि तलाको की संख्या उन दम्पत्तियों में अधिक पाई जाती है, जो ऐसे व्यवसायों और नौकरयों में लगे हैं जिन्हें अधिक समय घर से बाहर गुजारना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1887 से 1909 तक

अध्ययन तलाकों के सम्बन्ध में किये गयें। जिसमें 2,26,000 तलाकों का अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों से विदित हुआकि व्यावसायिक यात्रियों ,अभिनेताओं ,संगीतकारों,डॉक्टरों एवं स्टैनोग्राफर्स में तलाक की दर सार्वधिक थी। खदान में काम करने वालों निर्माणी धंधों में लगें हुये उत्पादकों पादरियों, सुतारों व किसानों में तलाक की दर सबसे कम थी।

तलाक विवाहित लोगों की पुनः अविवाहित अवस्था में लोने की एक प्रक्रिया होती है। यह उनके विवाह की असफलता की अधिकृत मान्यता है।[3] आधुनिक युग में पति/पत्नी का समायोजन एक समस्या बन गई है। इस समस्या का माप शोधार्थी को ज्ञात नहीं है, परन्तु तलाक की दर एक मात्र ऐसा मापदण्ड है, जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं। तलाक की दर वैवाहिक जीवन के विच्छेद का मापदण्ड है। वर्तमान में तलाक की दर अधिक है जो वैवाहिक जीवन की सुख विहीनता का खुला प्रदर्शन है।

समथर क्षेत्र में तलाक युक्त महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है क्योकि नगरों की अपेक्षा कस्बा व ग्रामों में तलाक की दर कम होती है। विवाह विच्छेद युक्त महिला श्रमिक व उनके बच्चे समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते, वह पिता के प्यार से वंचित रहते हैं। उनकी पारिवारिक समायोजन की असफलता का परिणाम सामाजिक धरातल पर बच्चों के सामने आता है। भाई – भतीजों के संरक्षण में रहने के बाद भी कुछं श्रमिक महिलायें कृषि कार्य करके बच्चों के निर्वाह का साधन करती हैं। तलाक युक्त महिलायें मानसिक रोगी भी पाई गईं हैं। क्योंकि उनमें जैवकीय एवं मानसिक हीनता पाई गई है।

---

3 - Ray E, Baber - Marriage and Family, 1953 P. 443

तालिका क्रमांक 2 – (3)

गाँव या परिवार में कलह के करण महिला द्वारा तलाक

क्र.सं.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	62	20.7
02	नहीं	238	79.3
	योग	300	100.0

तालिका क्रंमाक 2 – (3) में स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में किये गये स्थान समथर (झांसी) की 300 महिला श्रमिको में से 20.7 प्रतिशत महिलओं नें गाँव या परिवार में हुये तलाकों की जानकारी दी जबकि 73.9 प्रतिशत महिलाओं ने तलाक के सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट की है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम्य स्तर पर तलाक की दर कम है । इनमें एक दो परिवार ऐसे भी हैं जिनके पति अपनी पत्नियों को छोड़कर लम्बे समय तक लापता हो जाते है।

5:– महिला श्रमिकों का रहन–सहन एवं व्यवसाय :–

जीवन में रहन सहन का अपना एक विशिष्ठ स्थान है । रहन सहन के स्तर में मकान जल बिजली आदि की व्यवस्था को देखा जाता है।

ग्रामीण जनसंख्या का-रहन–सहन (जीवन स्तर) निम्न है, ये लोग आराम और विलासिता की वस्तुयें तो क्या जीवन की आवश्यक आवश्यकतायें भी आसानी से पूरी नही कर पाती हैं। गाँव में पौष्टिक एवं संतुलित भोजन का अभाव है। अच्छे कपड़े और मकान उन्हें उपलब्ध नही हैं। वे पानी बिजली और अन्य सुविधाओं से वंचित रहती हैं। गरीबी के कारण उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है।[4]

समथर क्षेत्र की महिला श्रमिको का रहन सहन अधिकांशतः निम्न प्रकृति का है। इनकी स्थिति दयनीय है। महिला श्रमिकों के पक्के मकान कम है और कच्चे मकान अधिक

4 – गुप्ता एम.एल. एवं डॉ. शर्मा डी.डी. भारतीय ग्रामीण सामाज शास्त्र, प्रकाशक साहित्य भवन आगरा, 1995 पेज 124

है महिला श्रमिकों के पक्के एवं कच्चे मकानों में सुख सुविधा नगण्य है। नगर के मकानों में जो सुख सुविधायें होती है वह ग्रामों के पक्के मकानों में नही होती है।

अधिकांश समाजों में कुछ व्यवसायों को अधिक सम्मान पूर्ण और कुछ को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। परन्तु कृषक समाज में कृषि (खेती) कार्य को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय खेती है। इसके अलावा कई परिवारों का मुख्य व्यवसाय नौकरी और श्रमिकता है। सामाजिक स्तरीकरण में व्यवसाय के माध्यम से पुरूष या महिला कोई भी हो, उचित स्थान प्राप्त होता है। अन्य व्यवसायों में भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि(खेती) ही रही है। अन्य कृषि योग्य क्षेत्रों की भांति समथर क्षेत्र में भी करीब करीब हर ऋतुओं में श्रमिक महिलायें कार्य करती देखी जाती हैं।

तालिका क्रमांक 2 – (4)

घर की स्थिति :–

क्रम सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01	कच्चा	176	58.7%
02	पक्का	18	06.0%
03	आधा कच्चा/पक्का	106	35.3%
	योग	300	100.0

उपरोक्त तालिका 2 – (4) में अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से सबसे अधिक 176 महिला श्रमिक 58.7% ऐसी थी जिनके घर कच्चे थे । 06.0% महिला श्रमिको के घर पक्के थे एवम् 35.3% महिला श्रमिको के घर आधें कच्चे एवम् आधे पक्के थे।

तालिका क्रमांक 2 – (5)

परिवार का मुख्य व्यवसाय :–

क्र.सं.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01	कृषि	102	34.0
02	व्यापार	–	–
03	नौकरी	12	4.0
04	श्रमिक	186	62.0
05	अन्य	–	–
	योग	300	100.00

तालिका क्र0 2 – (5) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में से सबसे अधिक 62.0 प्रतिशत श्रमिके (मजदूर) महिलायें थीं। दूसरा समूह 34.0 प्रतिशत कृषि व्यवसाय से सम्बंधित महिला श्रमिकों का है।

तालिका क्रंमाक 2 – (6)

पीनें के पानी का साधन :–

क्र.सं.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01	कुंआ	26	8.7
02	हैण्ड पम्प	189	63.0
03	नल का पानी	85	28.3
04	नदी का पानी	–	–
05	अन्य	–	–
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका 2 – (6) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये 300 महिला श्रमिको मे सबसे अधिक 63.0 प्रतिशत हैण्डपम्प का पानी प्रयोग करती है। 28.3 प्रतिशत नल का पानी एवं 8.7 प्रतिशत कुंआ का पानी प्रयोग करती है।

महिला श्रमिकों में पारिवारिक संगठन :–

जब तक परिवार के सदस्यों की स्थिति और कार्यो का सामन्जस्य रहता है तब तक वह परिवार संगठित कहलाता है। जब स्थिति एवं कार्यो में समन्जस्य समाप्त होने लगता है तो विघटन की स्थिति निर्मित हो जाती है। परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध उनकी आयु एवं प्रतिमानों के अनुरूप स्थित रहते हैं तथा उनकी स्थिति के अनुरूप कार्य भी निर्धारित होते हैं। यदि ये परिवार के सदस्य अपने निर्धारित कार्य उचित ढंग से करते रहते हैं तो सदस्यों के सम्बंधों में कोई गड़बड़ी उत्पन्न नहीं होती। व परिवार संगठित बना रहता है। इसके विपरीत स्थिति में परिवार विधटित होने लगता है।

परिवार सामाजिक मान्यता प्राप्त सम्बन्धों से आवृत्त एक पुरूष एवं एक स्त्री एवं उनके बच्चों से निर्मित एक आदर्श प्रकार की ढांचा युक्त इकाई है।[5] समथर क्षेत्र की श्रमिक महिलाओ का परिवार भी समाज की एक इकाई है इसका एक अपना विशिष्ट ढांचा है तथा सदस्यों में परस्पर एक आदर्श प्रकार के सम्बन्ध है। आदर्श प्रकार के सम्बन्धों से तात्पर्य उन विशिष्ट प्रकार के सम्बन्धों से है जिनका आधार स्नेह ,प्यार ,लगाव एवं एक विशेष प्रकार का सहयोगात्मक साथ है। इस प्रकार के विशिष्ट सम्बन्ध पारिवारिक संगठन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इलियट एवं मेरिल ने पारिवारिक संगठन के तीन मुख्य तत्व या लक्षण बताये हैं।

1 – उद्देश्यों की एकता

2 – व्यक्तिगत महत्वाकाक्षांओ की एकता

3 – हितों की एकता

---

5 - Bell and vogel E.F - A Modern Introduction to the family, Free Press 1960 P. I

उद्देश्यों की एकता एक संगठित परिवार का अनिवार्य लक्षण है। परिवार में सभी सदस्यों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तो समान हो ही नहीं सकती परन्तु एक संगठित परिवार में सभी सदस्यों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं कें पीछे भी व्यापक रुप से परिवार कल्याण की भावना छिपी रहती है। यही सदस्यों को संयुक्त बनाये रखती है। परिवार के सदस्यों में पारस्परिक हितो की एकता भी एक संगठित परिवार का अनिवार्य लक्षण है।

यदि ये तीन लक्षण बने रहते है तो परिवार संगठित रहता है इसके विपरीत स्थिति निर्मित होने पर पारिवारिक संगठन टूटने लगता है।

तालिका क्रमांक 2 – (7)

आप का परिवार संगठित है कोई विखराब नहीं आया है।

क्रम सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हाँ	135	45%
02.	नही	84	28%
03.	कुछ नहीं कह सकते	81	27%
	योग	300	100.0

प्रस्तुत तालिका 2 – (7) से स्पष्ट है कि पारिवारिक संगठन के सम्बन्ध में अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 45 प्रतिशत महिला श्रमिकों में पारिवारिक संगठन पाया गया है जबकि 55 प्रतिशत महिला श्रमिक परिवारो में पारिवारिक संगठन नहीं पाया गया।

परिवार का प्रारुप :–

परिवार जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, कृषि हो या उद्योग हो उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ रहा है। महिला श्रमिकों पर कृषि कार्य दो प्रकार से प्रभाव डालता है। पहला

यह कि उसकी आमदनी कितनी है। कृषि कार्य में उसे जो मासिक आमदनी प्राप्त होगी उसी के अनुकूल महिला श्रमिक के रहन,सहन का स्तर होगा। दूसरा यह कि खेतों में काम करने किस समय जाना होगा। रात को अथवा दिन को कृषि कार्य में संलग्न महिला श्रमिकों की स्थिति, भूमिका एवं प्रतिष्ठा का भी उसके पारिवारिक जीवन पर, पारिवारिक विघंटन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

किसी भी देश की कुल आबादी का अधिंकाश प्रतिशत ऐसा है जो किसी न किसी उद्यम में लगा है। किसी परिवार का एक सदस्य और किसी परिवार के दो सदस्य उद्योगों में कार्य करते है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस प्रकार का शोध किया गया उनसे प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वहां पर 93% परिवार ऐसे थे जिनमें एक, दो और तीनसे अधिक परिवार के सदस्य कार्य करते थे। 7% परिवार ऐसे थे जो किसी भी उद्योग में कार्य नहीं करते थे।[6]

समथर क्षेत्र की महिला श्रमिक अधिकतर एकाकी परिवार में रहती हैं। महिला श्रमिक एकाकी परिवार में रहकर भी अपने परिवार की अन्य सदस्यों सास–ससुर आदि की आर्थिक सहायता करती हैं। इस प्रकार हम देखते है कि उनकी मासिक आमदनी (आय) मात्र महिला श्रमिक के परिवार पर ही व्यय नहीं होती है। वरन् उसका उपभोग परिवार के अन्य सदस्य भी करते हैं।

महिला श्रमिक के परिवार में औसतन् तीन या चार बच्चे होते हैं, जिनमें 2 पुत्र 2 पुत्रियां या 1 पुत्र 3 पुत्रियां या 3 पुत्र। पुत्री सम्मिलित हैं। इस प्रकार देखा जाय तो श्रमिकों का परिवार सामान्य से बड़ा है। इस बड़े परिवार में महिला श्रमिक न तो अपने बच्चों के लिये प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन ही दे पाती हैं और न ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पाती हैं। परिणामतः उनके बच्चों का मानसिक एवम् शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। चूँकि उनका आर्थिक स्तर पूर्व से ही निम्न स्तर का है, ऐसी स्थिति में उनका आर्थिक स्तर सुधरने के विपरीत दिन प्रतिदिन गिरता जाता है।

6 – यू0एस0 व्यूरो आफ दी सेन्सस स्टेटिस्टिकल एक्सट्रेक्ट ऑफ दी यूनाइटेड स्टेट्स 1965 पेज 344

कृषि पर आधरित महिला श्रमिकों में सोचने की स्थिति निचले स्तर की है। वे अपने बच्चों को जो शिक्षा दिलाती हैं, उसका मात्र उद्देश्य कमाने खाने का या नौकरी कराने का होता है। अतः वे अपने बच्चों को जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और आधिक इण्टरमीडिएट तक ही पढ़ाती हैं। तत्पश्चात् श्रमिक उनसे यह आशा रखती हैं कि वे नौकरी करे या अन्य रोजगार करके हमें पैसे से सहारा दें, उनकी छोटी सी उम्र में शादी विवाह कर देने के कारण भी परिवार का वर्तमान प्रारुप, उनकी आशाके अनुरुप ही बड़ा हो जाता है। महिला श्रमिक मन में यह धारणा किये हुए हैं कि वह जल्दी से जल्दी अधिक पीढ़िया देखे और उन्हें पुण्य का फल मिले। जबकि भारत सरकार ने तो परिवार के प्रारुप को निर्धारित करने एवं उनके परिवार कल्याण हेतु अलग से मंत्रालय की स्थापना भी की है। जिसके अन्तर्गत अनेकों स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सालयों में इस कार्यक्रम की जानकारी एवं सुविधायें निःशुल्क दी जाती है। इस परिवार कल्याण कार्यकम के तहत ये भी बताया जाता है कि परिवार को किस प्रकार से छोटा रखा जाय एवं परिवार को सुखी और सम्पन्न बनाया जाय इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे बनाये रखा जाय, बच्चों की मृत्युदर को कैसे कम किया जाय आदि बातों की जानकारी एवम् सहायता निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है।

परन्तु बडे ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि महिला श्रमिक जानते हुए भी इन उपायों से अनभिज्ञ बनी हुई हैं और पुराने परम्परात्मक रुढ़ियों, रीति–रिवाजों के सहारे जीवन के बोझ को ढो रही हैं। इसके अलावा परिवार में बच्चे ईश्वर की देन हैं, बच्चे परिवार में अपना भाग्य लेकर आते हैं, जितने हाथ उतनी कमाई जैसी भावनाओं को अंगीकार किये हुए हैं तथा परिवार को बढ़ायें (असीमित) किये जा रही हैं। परिणामतः श्रमिक महिलायें ऋणग्रस्त, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी, एवं गरीबी से जीने को विवश हो रही हैं साथ ही भावी पीढ़ी के भविष्य की जानबूझकर अनदेखी कर रही हैं।

तालिका क्रमांक 2 – (8)

महिला श्रमिकों के परिवार का वर्तमान प्रारुप (आकार)

क्रमांक	परिवार का प्रारुप	संख्या	प्रतिशत
01.	संयुक्त	61	20.3%
02.	एंकाकी	237	79.0%
03.	विस्तारित	02	0.7%
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 2 – (8) से स्पष्ट है कि कुल 300 महिला श्रमिकों में से सर्वाधिक 79.0 प्रतिशत महिला श्रमिक एकाकी परिवार में रहती हैं। दूसरा समूह 20.3 प्रतिशत महिला श्रमिक संयुक्त परिवार में रहती हैं।

एकाकी परिवार वह परिवार हे, जिनमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे एक ही घर मे साथ–साथ रहते हैं। इसके विपरीत संयुक्त परिवार वे परिवार हैं जिनमें रक्त सम्बन्धी परिवार के सदस्य रहते हैं विस्तृत परिवार वे परिवार हैं, जिनमें दो या दो से अधिक परिवार एक साथ निवास करते हैं।

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांशतः महिला श्रमिक एकाकी परिवार में ही निवास करती हैं। पोटी एवं वत्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि एक रक्त सम्बन्धी संयुक्त परिवार में ही संतान उत्पत्ति का स्तर कम था नाग (1965) के पश्चिमी बंगाल के सात गांवों के आंकड़ों का विश्लेषण करके पाया कि एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार में बच्चे कम पैदा होते हैं।

पारिवारिक गतिशीलता :–

समथर क्षेत्र के अर्न्तगत कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के परिवार आधुनिक समय के परिवेश में कम गतिशील हैं। इसका कारण है कि श्रमिक परिवारों का यह

परम्परात्मक विचार होता हे कि जहां जन्म हो वही पर मरना पुण्य दायक होता है, जो इस परम्परा से हट गये हैं वह परिवार गतिशीलता की ओर उन्मुख हुये हैं। वह भी भारत के बाहर विदेशों में न होकर देश के अन्य भागों में अपने—अपने कार्यो में संलग्न हैं।

गतिशीलता हमें चार रुपों में देखने को मिलती हैं।

1 :— ग्राम से ग्राम में

2 :— ग्राम से शहर में

3 :— शहर से शहर में

4 :— शहर से ग्राम में

यह गतिशीलता हमें प्रत्येक राज्यों के जिलों में और एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में देखने को मिलती है। आन्तरिक देशान्तर के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, हैदराबाद एवं राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि हुई है।[7]

डेविस का मत है कि जिलों के बीच होने वाले प्रत्येक प्रकार के देशान्तरण में 45 प्रतिशत भाग तो ग्रामीण शहरी देशान्तरण का है। जहां आन्तरिक देशान्तरण में कमी आई है वहां पारिवारिक गतिशीलता में भी कमी आई है। इसका कारण निवास स्थान के प्रति भावनात्मक लगाव रहा है। आज भी परम्परागत श्रमिक परिवारों में घर के बाहर अर्थात अपना पैतृक गांव छोड़कर अन्य स्थानों में जाकर काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। पर विकल्प के रुप में यातायात एवं सन्देश वाहन के साधनों के विकास के फलस्वरुप अब संयुक्त परिवार के विभिन्न सदस्य अलग—अलग स्थानों में जाकर कार्य करते हैं। वहां वे अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहते हैं। इस प्रकार उनका परिवार एक गतिशील परिवार बना है।

अतः श्रमिक महिला परिवारों में अब समयानुसार आन्तरिक देशान्तरण के कारण गतिशीलता आई है।

7 — गुप्ता एम0एल0 एवं डा0 शर्मा डी0डी0 भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र प्रकाशित साहित्यभवन आगरा, पेज 124

तालिका क्रमांक 2 – (9)

महिला श्रमिकों की पारिवारिक गतिशीलता में वृद्धि

क्रम सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हाँ	206	68.7
02.	नहीं	94	31.3
	योग	300	100.0

यदि हां तो

	उत्तरदाता	संख्या	नहीं	योग
अ –	लोगों का गांव से शहर	179	121	300
	की ओर जाना	(59.7%)	(40.3%)	100
ब –	रोजगार हेतु गांव में रहना	180	120	300
		(60.0%)	(40.0%)	100
स –	रोजगार हेतु बाहर जाना	185	(115)	300
		(61.7%)	(38.3%)	100

तालिका क्रमांक 2 – (9) से स्पष्ट है कि महिला श्रमिकों के 68.7% परिवारों में गतिशीलता आई है। जबकि 31.3% परिवारों में गतिशीलता नहीं आई है।

सीमित परिवार :–

समथर क्षेत्र की महिला श्रमिकों से सीमित परिवार के बारे में प्रश्न पूछे गये। अधिकाशं महिला श्रमिकों ने अपने ढ़ग से सीमित परिवार को ही अच्छा बताया उन्होंनें कहा कि सीमित परिवार के लिये भोजन बस्त्र, शिक्षा आदि की सुविधा आसानी से जुटा सकते हैं। आज के वर्तमान समय में सीमित परिवार को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है एवम् पारिवारिक वातावरण में सुख, शान्ति रहती है।

एक अध्यन लखनऊ पी0आर0ए0 आई में हुआ जिसमें अधिकांशतः युगल निर्धारित संख्या में बच्चें रखने के पक्षधर थे, जबकि संयुक्त परिवार के लोग आर्थिक बच्चों की इच्छा रखते थे। पुरुषों की तुलना में महिलायें बच्चों को ज्यादा उत्पन्न करना चाहती थीं। इसका प्रमुख कारण समाज में अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये अधिक शक्तिशाली और सम्मान पाने के लिये परिवार में अधिक बच्चे (विशेष कर पुत्र) होना चाहिए। वे लोग जो परिवार को छोटा रखने के पक्ष में थे, वे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण चिन्ताओं से मुक्ति के लिये और बच्चों की अच्छी देखभाल के लिये छोटे परिवार को उचित मानते थे। अधिकतर उत्तरदाताओं ने परिवार में अधिक पुत्रों की इच्छाएं व्यक्त की थी।[8]

प्रस्तुत अध्ययन में महिला श्रमिकों ने मुख्य तीन कारणों से छोटा (सीमित) परिवार रखने की अच्छा व्यक्त की है।

1:— परिवार में बच्चों की अच्छी देखभाल

2 :— बच्चों की अच्छी शिक्षा

3 :— शान्ती का वातावरण

तालिका क्रमांक 2 – (11)

सीमित परिवार अच्छा है ?

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हाँ	241	80.3%
02.	नहीं	59	19.7%
	योग	300	100.0

8 – रिपार्ट ऑफ फेमली प्लानिंग कम्युनिकेशन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इन्स्ट्रीटयूट यू0पी0 लखनऊ 1966, पेज 48

यदि हां तो किन कारणों से

		संख्या	प्रतिशत
अ –	कम खर्च	78	32.4
ब –	सभी की एक रसोई बनाना	51	21.1
स –	अच्छी देखभाल	28	11.6
द –	अच्छी शिक्षा	60	24.9
य –	सामाजिक प्रतिष्ठा	24	10.0
		241	100.0

तालिका क्रमांक 2 – (11) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 80.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि सीमित परिवार से बहुत लाभ है और आज के समय में सीमित परिवार बहुत अच्छा है। दूसरा समूह 19.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होनें सीमित परिवार को अच्छा नही बताया।

80.3 प्रतिशत श्रमिक महिलाओं ने अपनी–अपनी दृष्टि से सीमित परिवारों में होने वाले लाभों को बताया चाहे कम खर्च हो, रसोई आदि सुविधा हो, अच्छी देखभाल, अच्छी शिक्षा हो या सामाजिक प्रतिष्ठा हो। महिला श्रमिक सीमित परिवार में अपना एवं अपने आश्रितों का भविष्य उज्जव देखती हैं और सुखी, सम्पन्न होने की जिज्ञासा रखती हैं।

परिवार में वृद्धों की संख्या :–

विशेषकर ग्राम्य जीवन के अन्तर्गत परिवार में अधिक सन्तानों के दो कारण है जो सीमित साक्ष्यों (प्रमाणों) पर आधारित.है।

1 – वृद्धावस्था में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनका विचार है कि परिवार में अधिक सन्तानें नहीं होगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा ? वृद्धों द्वारा सुझायें गये यही

विचार उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने के लिये प्रेरित करते हैं।

2 – ग्राम्य जीवन के अर्न्तगत वह लोग शिशुओं की मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतः उनका विश्वास है कि परिवार में अधिक बच्चे हो ताकि वह कम से कम एक बच्चा परिवार में रहे जो वृद्ध सदस्य की देखभाल सेवा, शुश्रुषा ठीक ढ़ग से कर सके। इस प्रकार परिवार में अधिक बच्चें रखने का सिद्धान्त आज के नवीन सिद्धान्त से भिन्न है, जो कि वृद्धावस्था में अपनी स्थिति से सन्तुष्ट हो सके और वे अपने आप को आज की स्थिति से सामन्जस्य स्थापित कर सकें।

प्रस्तुत अध्ययन में समथर क्षेत्र की 300 महिला श्रमिकों का अध्ययन किया गया हैं। महिला श्रमिकों से उनके परिवार में वृद्धों की संख्या क़े बारे में जानकारी ली गई और वृद्धावस्था में उनकी सामाजिक स्थिति और मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकांश 47.3 प्रतिशत (142) महिला श्रमिकों के परिवारों में वृद्धों की संख्या एक थी। दूसरा समूह 31.0 प्रतिशत (93) महिला श्रमिकों का था जिनके परिवार में वृद्ध सदस्य नहीं थे। इसके अलावा अन्य महिला श्रमिकों जिनकी संख्या और प्रतिशत इस प्रकार है 12.7% (38), 5.0% (15), 4.0% (12) के, जिनके परिवार में वृद्ध सदस्य क्रमशः 2,3,4 थे। किसी भी महिला श्रमिक परिवार में 76 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध नहीं पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिनके परिवार में वृद्धों की संख्या अधिक थी, उसी के अनुरुप परिवार में बच्चे अधिक पाये गये।

वृद्धों का सम्मान :–

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के बहुत से परम्परागत परिवारों में वृद्ध जनों को आज भी सम्मान प्राप्त होता हैं। यह परिवार में बोझ नहीं समझे जाते है। ग्रामीण सभ्य परिवारों में वृद्धों की सेवा, शुश्रुषा की और विशेष ध्यान दिया जाता हैं। वृद्धों (बुजुर्गो) के

जीवन के अनुभव से परिवार चलाने वाले युवक व युवतियों की दिशा–निर्देश प्राप्त होता है।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि सदस्यों को परिवार में उचित सम्मान मिलता है। तो उत्तर में अधिकाशं 86.3% (259) महिला श्रमिकों ने बताया कि वृद्धों को परिवार में उचित सम्मान मिलता है। दूसरा समूह 13.7% महिला श्रमिकों का था जिन्होने परिवार में वृद्धों के सम्मान को स्वीकार नहीं किया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नगरों की अपेक्षा ग्रामीण परिवारों में वृद्धों का सम्मान आज भी अधिक देखा जाता है।

<u>परामर्श एवं निर्णय</u> :–

परिवार को सही ढ़ग से चलाने के लिये पति पत्नी का आपस में विचारों का सामन्जस्य होना अति आवश्यक है। पति एवं पत्नी का परिवार में परामर्श होने पर निर्णय लेना अति उत्तम होता है। महिला श्रमिकों की राय में पति पत्नी परिवार रुपी गाड़ी के दो पहिये हैं अतः महिला श्रमिकों को कोई कदम उठाने के पहले पति से सलाह मशविरा कर लेना चाहिए महिला श्रमिकों यह भी समझ लेना चाहिए कि परिवार में भीतर और बाहर अनेक कार्य करने होते हैं। ऐसी स्थिति में महिला श्रमिक अपनी दूरदर्शिता और समझदारी से अकेले सही निर्णय नहीं ले सकती हैं। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी, पति से बिना सलाह मशविरा के कोई निर्णय लेती हैं तो वह कार्य बिगड़ जाता है या कार्य सम्पन्न नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में सिवाय पछताने के उसके पास कोई उपाय नहीं रहता तत्पश्चात् सोचती हैं कि इस कार्य को करने के पहले पति से परामर्श लिया होता तो शायद ऐसी मुश्किल या परेशानी नहीं उठाना पड़ती ।

परिवार का आर्थिक बजट एवं सामाजिक स्थिति बहुत कुछ पति–पत्नी के आपसी सामन्जस्य पर निर्भर करती है। यदि दोनों ही स्पष्ट एवं सुलझे विचार वाले हैं तो

उनके परिवार में सुख शान्ति बनी रहती है ओर उनके आश्रित बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास भी सही ढ़ंग से होते रहते हैं जिस परिवार में पति–पत्नी आपस में परामर्श बाद निर्णय लेते हैं उनका परिवार खुशहाल एवं समृद्ध होता है। परिवार भी सीमित होता है जो उनके लिये, समाज और देश के लिये भी लाभदायक सिद्ध होता है।

तालिका क्रमांक 2 – (11)

स्त्रियों की राय (परामर्श) लेना।

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हाँ	223	74.3%
02.	नहीं	77	25.7%
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 2 – (11) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये उक्त महिला श्रमिकों में से 74.3 प्रतिशत के मतानुसार स्त्रियों से राय ली जानी चाहिये। दूसरा समूह 25.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों के मतानुसार स्त्रियों से राय (परामर्श) नहीं लेना चाहिये।

तालिका क्रमांक 2 – (12)

प्रायः परिवार में निर्णय :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	आपके द्वारा	90	30.0%
02.	परिवार के मुखिया के द्वारा	134	44.7%
03	परिवार के नौजवानों द्वारा	60	20.0%
04	सब मिलकर	16	5.3%
05	किसी अन्य द्वारा	–	–
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 2 – (12) से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 44.7 प्रतिशत के मतानुसार परिवार के निर्णय मुखिया द्वारा लिये जाते है। 30.0 प्रतिशत के मतानुर परिवार के निर्णय स्वयं के द्वारा तथा 20.0 प्रतिशत के मतानुसार परिवार के निर्णय नव जवानों द्वारा एवम् 5.3 प्रतिशत के मतानुसार परिवार के निर्णय सब मिलकर लेते हैं।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार :–

कानूनी रूप से भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है और यह परिवर्तन महिलाओं ने बहुत ही कम समय में किया है। यह परिवर्तन उन्होने सीमित परिवार को अपनाकर ही सामाजिक स्थिति में सुधार किया है। विशेषकर श्रमिक महिलायें अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बना सकती हैं, परन्तु इसके लिये उन्हे और अधिक परिश्रम करना होगा। महिला श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार एक अध्ययन में व्यक्त किये गये हैं जो इस प्रकार है :–

1:– समझौते के आधार पर विवाह, दाम्पत्य जीवन में प्रगति और समानता का सम्बन्ध स्थापित करना ।

2:– विवाह की आयु में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सीमित परिवार होना बच्चो का स्वास्थ्य परिपक्व स्थिति में होना, युवा महिला श्रमिकों में शिक्षा का विकास और परिपक्वता की उम्र में विवाह करना आदि।

3:– तलाक के समय महिलाओ की स्थिति में सुधार आना। तलाक के समय पत्नी की सहमति या रजावन्दी होना। महिलाओं द्वारा नौकरी करने और महिलाओं का स्वतन्त्रता पूर्वक परिवार के आय व खर्च में भागीदार होना, अपना चरित्र निर्माण स्वयं करना आदि।

प्रस्तुत अध्याय में उत्तरदाताओं के वास्तविक व्यवहार और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के कारण जानने का प्रयास किया गया,महिला काम काजी हो , घरेलु हो या नौकरी (कामकाज) के लिये बाहर जाती हो । इन सब कारणों से महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ है। अधिकांश महिला श्रमिकों ने सुधार के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है। इसके बाद दूसरे समूह से मालूम हुआ कि महिलाओ की स्थिति में सुधार नही हुआ है। इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि महिलाओ की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। चाहे वह कामकाजी हो, घरेलु हो या नौकरी (कामकाज) के लिये बाहर जाती हो महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत कुछ परिवार की संरचना, उनके बच्चे उनकी पूर्व की आर्थिक स्थिति उनके अधिकार एवं उनके कर्तव्य, श्रम विभाजन दायित्वों का निर्वाह आदि पर निर्भर करती हैं।

वर्तमान समय में महिलाओ की सामाजिक स्थिति में सुधार प्रतीत होता है।

तालिका क्रमांक 2 – (13)

महिलाओ की सामाजिक स्थिति में सुधार प्रतीत होता है ।

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हाँ	208	69.3%
02.	नहीं	92	30.7%
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 2 – (13) से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण किये गये 300 महिला श्रमिकों में 69.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों के मतानुसार महिलाओ की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरा समूह 30.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिनके मतानुसार महिलाओं की सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

अध्याय :- 3

महिला श्रमिकों का स्वरूप उनकी विशेषतायें, आयु वैवाहिक स्थिति एवं कृषि कार्य दक्षता।

1 :– पृष्ठभूमि

2 :– पंचायत द्वारा भूमि का देना

3 :– निजी कृषि योग्य भूमि

4 :– बंजर भूमि विकास से हरित क्षेत्र का विस्तार

5 :– अधिक उपज करने मे कठिनाईयाँ

6 :– बदलती स्थितियों से परिवर्तन

7 :– महिला श्रमिक एवं उनके पतियों की आयु

8 :– पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह की आयु सम्बन्धी विचार

9 :– अंतर्जातीय विवाहों का निषेध

10 :– बहु लाने या पुत्री की शादी में प्राथमिकता

11 :– पारिवारिक उत्थान

12 :– फसलों की जानकारी

13 :– रवी की फसल की बुवाई

14 :– भूमि संरक्षण हेतु वृक्षारोपण

15 :– परिवार कल्याण एवं कार्य क्षमता

पृष्ठभूमि :–

भारत देश प्रमुखतः कृषि कार्य प्रधान देश है। इस देश की करीब करीब 74.3 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। यहाँ पर सक्रिय श्रम शक्ति का 70 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है और इसके द्वारा देश की राष्ट्रीय आय का करीब 50 प्रतिशत भाग उत्पन्न किया जाता है । जिस देश की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती हो और कृषि जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत हो, वह कृषि के समुचित विकास बिना आर्थिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। भारत की आबादी और क्षेत्रफल का बहुत बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है। खेती योग्य भूमि पड़ौसी राज्यों में अधिक है। बीते दशक में प्राकृतिक प्रकोप और अन्य गतिरोधों के बावजूद कृषि के क्षेत्र में महिलाओ के सहयोग से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और खाद्यान्न, दुग्ध, चीनी, गन्ना, पशुपालन आदि कृषि एवं ग्रामीण उत्पादनों में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान पुरूषों की अपेक्षा किसी प्रकार कम नहीं रहा है। भारतीय कृषक समाज में श्रमिक महिलओं का परिश्रम अविस्मरणीय है। कृषि क्षेत्र के अलावा चमड़ा उद्योग कल पुर्जों का निर्माण बिजली आदि औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिला श्रमिकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी राज्य बन गया है।

श्रमिक महिलाओ का पुरूषों के समान समतुल्य रूप से कृषि में संलग्न होने के कारण राज्य ने यह उपलब्धियाँ बहुत तेज गति से चार छैः वर्षो में अर्जित की हैं। केवल आंकड़ों में ही नही, गांव एवं कस्बों की गलियों में चलकर कृषि उद्योग में कार्यरत बरसात में धान की रोपाई एवं निदाई करती हुई श्रमिक महिलाओं को देखकर पानी से भरे हुए धान के खेतों को देखकर खरीफ एवं रवी की लहराती हुई, हरी भरी फसल को निहारकर कार्तिक एवं चैतमास में श्रमिक महिलाओ द्वारा पकी फसल को कटती हुई देखकर और गांव किसान मजदूर शिक्षक व्यापारी नेता आदि किसी भी वर्ग के नागरिक से मिलकर या पूछकर यह महसूस किया जा सकता है कि श्रमिक महिलायें खेती के कार्य में कितना परिश्रम करती हैं।

कृषि कार्यरत महिला हो या पुरूष हो वह देश की एक अरब से अधिक आबादी का अन्नदाता है। उत्तर प्रदेश की 70 फीसदी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट विभूतियों को सम्मानित करने की अनेक योजनायें संचालित है किन्तु अन्नददाता के सम्मान की व्यवस्था नहीं थी। अब सरकार ने प्रत्येक वर्ष किसान दिवस (23 दिसंबर) के अवसर पर प्रत्येक जनपदके दो किसानों को यानी कुल 140 किसानो को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यंह सम्मान जागरूक एवं उत्कृष्ट तीन–तीन किसानों को क्रमश : कृषि रत्न ,कृषि पंडित व कृषि ज्ञानी सम्मान प्रदान किया जायेगा। अन्नदाता का यह सम्मान प्रकारांतर के श्रमशीलता का भी सम्मान है। कृषि रत्न को 20 हजार रूपये , कृषि पंडित को 15 हजार रूपये एवं कृषि ज्ञानी को 10 हजार रूपये का नगद ईनाम दिया जायेगा ।

दलित वर्ग की जो कृषि कार्यरत महिलायें है इन महिलाओं की स्थिति अन्य समाज की महिलाओं से निम्नस्तर की होती है। वे लोग जो कृषि कार्यरत महिलाओं को परिश्रमी, सरल,मितव्ययी होने की प्रशंसा करते है, वह लोग यह भी स्वीकार करते है कि समाज में इन महिलाओं की प्रतिष्ठा ऊँची नहीं होती है। अक्सर श्रमिक महिला वर्ग के लिये यह मान लिया जाता है कि यह वर्ग कुलीन वर्ग की महिलाओं के विपरीत विशेषताएं लिये हुए है यहां कुलीन वर्ग की महिलाओं का प्रयोग ऐसे समूह की महिलाओं के लिये है जिनके परिवारों में प्रचुर भूमि एवं आराम की सुविधायें उपलब्ध होती है, लेकिन स्वयं को श्रम सम्बन्धी कार्यो से अलग रखती है। स्तरीकरण के क्रम में कृषक वर्ग की महिलाओं की स्थिति पर न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि भी विचार किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से श्रमिक महिलाओं के परिवार जिस जमीन को जोतते है उस जमीन का आकार काफी कम होता है आय भी इतनी कम होती है कि वह कठिनता से अपना भरण पोषण कर पाती हैं।

कृषि कार्यरत श्रमिक महिलाओं को अपरिष्कृत, अशिक्षित एवं संस्कार हीन माना जाता है। इनके परिवार में अभी भी कानून की परवाह न करते हुए विवाह आदि संस्कार बाल्य अवस्था में ही कर दिये जाते हैं। इन कारणों से इन महिला श्रमिकों को एवं इनके परिवारों को यह समझा जाता है कि यह सभ्य जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित है।

पंचायत द्वारा भूमि का देना :–

गांव में अक्सर प्रचुर भूमि, असरदार परिवारों के पास होती है। मध्यम वर्ग के परिवारो के पास कम होती है और काफी परिवार भूमिहीन भी होते हैं, ऐसे भूमिहीन परिवारों की समस्याओं का समाधान करने के हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा उन्हें कृषि योग्य भूमि प्रदान की गई है। अभी हाल की कुछ वर्षो में गांव में कृषि योग्य भूमि का आबंटन पात्र भूमि हीन खेतिहर मजदूरों में करने के लिये उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इस विशेष अभियान के दौरान दलित एवं महिला पात्र लोगों के पट्टे के कब्जों को नियमित किया जाना है। जिन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोगों की, महिलाओं की, निराश्रितों की जमीनों पर दबंगों व माफियाओं ने कब्जा किया है ऐसे दबंगों व माफियाओं से कब्जाई हुई जमीन को मुक्त कराकर उन्हें वापस दिलाई गई है इसके लिये सरकार द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाने के लिये विशेष अभियान चलायें तथा हर हाल में दो माह में पट्टेदारों को जमीन पर कब्जा अवश्य दिलादे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों निर्बलों को धान की खेती के लिए समय मिल जाये और वह आर्थिक रूप से आत्म निर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकें। नये पट्टे संयुक्त रूप से पति,पत्नी दोनो के नाम किये जोयगें। पट्टेदारो की भूमि पर उनके वारिस को एक सप्ताह के भीतर विरासत दर्ज करने के निर्देश भी जारी किये गये है जिससे पट्टेदारों की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस फिर से पट्टा कराने तथ

फिर से भूमिहीन होने से बचे रह सकेगें।[1]

दलित एवं महिला वर्ग की भूमि पर अवैद्य कब्जा करने वालों के खिलाफ जहाँ सरकार ने दण्डात्मक कार्यवाही करने का निर्णय कियाहै। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को पट्टा देने तथ उस पर कब्जा दिलाने का सतत् अभियान चलाया तथा उनकी समस्या का समाधान किया। इसी संदर्भ में सरकार ने पट्टों सम्बन्धी वांछित मुकददमों को तीन माह में निपटाने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार दाखिल खारिज के मामले डेढ़ माह में निपटाने तथा चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा – 4 व धारा 9 के तहत चकबन्दी के दौरान इन कार्यो पर रोक लगी थी जिसे राज्य मंत्री परिषद ने संशोधित कर दिया।[2]

समथर क्षेत्र के अंतर्गत शासन की इस कार्यवाही के दौरान कई महिला श्रमिको को पट्टों की भूमि दी गई हैं। पूछने पर कुछ महिला श्रमिकों ने यह भी बताया कि जो शासन द्वारा हमें भूमि दी गई थी वह गांव समाज के बड़े आदमियों द्वारा दबा ली गई थी मगर शासन की कठोर कार्यवाही के कारण यह भूमि हमें फिर प्राप्त हो गई है।

तालिका क्रमांक 3 – (1)

पंचायत द्वारा कृषि योग्य भूमि का देना :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हाँ	27	9.0%
02.	नहीं	273	91.0%
	योग	300	100.0

1. मनीष–भूमिहीनो को भूमि का हक , उत्तर प्रदेश पत्रिका 2002 पेज 24 उ.प्र. सूचना एवं सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित, जुलाई–अगस्त।
2. मनीष–कृषक हितों को सर्वोच्च स्थान पूर्ववत् पेज 26

तालिका क्रमांक 3 – (1) के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में से 9.0 प्रतिशत महिला श्रमिको को पंचायत द्वारा कृषि योग्य भूमि दी गई है।

निजी कृषि योग्य भूमि :–

समथर क्षेत्र के वासियों के पास अधिकांश थोड़ी बहुत जमीनें हैं। भले ही परिवार के विस्तृत होने से और भी थोड़ी रह गई हों। इसका कारण पूर्व में रियासत का होना रहा क्योंकि रियासत काल में राज्य में नौकरी करने के एवज में जमीनें दी जाती थी। कर्मचारियों को माहवार वेतन केवल चार या पांच रूपया मात्र मिलता था।[3] जिन महिला श्रमिकों के परिवार में जमीन नहीं है उसका कारण रियासत का विलय होने के बाद जमीनों का धीरे–धीरे बेच देना रहा।

जिन महिला श्रमिको के पास घर की जमीन है वह उस जमीन में करीब दो फसले पैदा करती है। एक खरीफ की दूसरी रवी की परन्तु खरीफ की फसल में ऐसे जिन्स नहीं बोती है जो रवी की फसल में जाकर पकती है जैसे–देशी अरहर आदि।

भारतीय खेती मुख्यतः मानसून पर निर्भर है जिस वर्ष मानसून अच्छा होता है उस वर्ष कृषकों की खेती खूब फलती–फूलती है।और जिस वर्ष मानसून फेल हो जाता है तो किसानों की खेती चौपट हो जाती है । भारतीय खेती वर्षा के हाथों का जुआ है। किसी वर्ष वर्षा तो होती ही नहीं और यदि होती भी है तो समय से बहुत पूर्व या समय से बहुत बाद, जिस वर्ष सामान्य वर्षा होती है उस वर्ष भी उसकी अनश्चितता और जल के असमान वितरण कारण अकाल के समान ही दृश्य प्रतीत होते हैं। अनुमान है कि भारत में प्रति पांच वर्षो में से 2 वर्ष अनावृष्टि और दो वर्ष अतिवृष्टि और केवल एक वर्ष ही समय पर पर्याप्त वर्षा होती है ।

3 – रियासत कालीन कर्मचारियों द्वारा दिया गया साक्ष्य।

महिला श्रमिकों ने पूछने पर बाताया कि घर में थोड़ी जमीन होने के बाद एवं आर्थिक परिश्रम के बावजूद भी कृषि से अधिक आय प्राप्त नहीं होती है। इस आय से परिवार का जीवन निर्वाह बहुत कठिनता से होता है । अतः कहा भी जाता है कि भारतीय कृषि कोई लाभदायक व्यवसाय न होकर जीवन यापन का ढंग मात्र है।

तालिका क्रमांक 3 – (2)

निजी कृषि योग्य भूमि :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हां	180	60.0
02.	नहीं	120	40.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 3 – (2) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों से 60% महिला श्रमिकों के पास ही निजी भूमि हैं। दूसरा समूह 40.0% महिला श्रमिकों का था जिनके पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि नहीं है किन्तु कुछ महिला श्रमिक ऐसी भी थी जिनके पास जमीन न होते हुए भी दूसरों की जमीन पेशगी देकर जोत लेती हैं। जिससे उनके पास कुछ समय तक के लिए खाने को अन्न हो जाता है।

बंजर भूमि विकास से हरित क्षेत्र का विस्तार :–

कृषि भारतीय अर्थ व्यवस्थ का मुख्य स्तम्भ हैं। अतः भूमि और जल का महत्व बहुत अधिक हैं। भूमि का एक कुछ हिस्सा खराब हालत में हैं मगर कुछ प्रयासों से ही इसे खेती के योग्य बनाया जा सकता है। इन स्थानों की उत्पादकता बहुत कम है और इनके मालिकों की आर्थिक स्थिति खराब है। भूमि की समस्या के समाधान से गरीबी और पिछड़ेपन की समस्याओं का सामना भी किया जा सकता है।

4 – समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम् ग्राम विकास कार्यक्रमों पर एक नजर नामक "पुस्तिका" सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारतसरकार के लिय प्रकाशित नई दिल्ली 2001 पेज 20

भारत सरकार ने इस कारण पूरे देश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरु किया है ताकि इस भूमि की उत्पादकता को सुधारा जा सके, जिससे इनके धारक ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हो सके तथा वे मजदूरी द्वारा जीवनयापन करने को बाध्य न हो। यह कार्यक्रम पूरी तरह से केन्द्रीय प्रायोजित योजना हैं। बंजर भूमि का विकास कार्य जल संभर आधार पर किया जाता है। जल संभर एक भौगोलिक इकाई है जहाँ किसी क्षेत्र में वर्षा द्वारा प्राप्त जल एक समान बिन्दु से निकलता हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षा के जल का स्थल पर ही इसका संरक्षण करना है। इससे मृदा के कटाव को रोकने में मदद मिलेगी जो कि वर्षा जल के व्यर्थ बह जाने से होता है। जल और मृदा के संरक्षण से परियोजना क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विस्तार होगा जिससे भूमि की उत्पदकता में सुधार होगा। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत गांवों में लघु जल संभर योजनाओं पर आधारित एकीकृत तरीके से बंजर भूमि के विकास का प्रस्ताव है। भूमि की क्षमताओं और स्थान की परिस्थितिओं को ध्यान में रखकर तथा स्थानीय लोगों से उनकी जरुरतों के बारे में बातचीत करके ये योजनायें बनाई जाती हैं। जल संभर योजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय लोगो द्वारा कम खर्चीली स्थानीय उपलब्ध प्रौधोगिकी से किया जाता है।

जिला परिषद/डी आर डी ए परियोजना क्षेत्र परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी को सौंपती है जो कि पंचायती राज संस्थान, सरकारी क्षेत्र की कोई संस्थान या गैर सरकारी संस्थान हो सकती है। परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी परियोजनाओं को अमल में लाने का काम जल सभंर परिसंधों के जरिए जल संभर परियोजनाओं की योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने के साथ–साथ स्थानीय लोगों पर इन परियोजनाओं के रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी है। इसके लिये लोगों के योगदान से जल संभर विकासनिधि एक प्रकार का विशेष कोष बनाया जाता है।

बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संभर गतिविधियों से बंजर भूमि की उत्पादकता में सुधार, ईधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता में बढ़ोतरी, जल की अधिक उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन में कमी और ग्रामीण लोगों की आर्थिक हालत में कुल मिलाकर सुधार होने की आशा हैं।

महिला श्रमिकों ने बंजर भूमि के विकास के बारे में पूछने पर बताया कि बंजर भूमि से हरित क्षेत्र का विस्तार होगा। खाद्यान्न पदार्थो की बढोत्तरी के साथ–साथ पशुधन के लिए भूसा की समस्या भी कुछ सीमा तक हल की जा सकती है।

तालिका क्रमांक 3 – (3)

बंजर भूमि विकास से हरित क्षेत्र का विस्तार :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हां	291	97.0
02.	नहीं	9	3.0
	योग	300	100.0

प्रस्तुत तालिका 3 – (3) के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 97.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया कि बंजर भूमि विकास से हरित क्षेत्र का विस्तार होगा। दूसरा समूह मात्र 3.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होने इस बात को स्वीकार नहीं किया।

अधिक उपज करने में कठिनाइयाँ :–

कृषि भारतवर्ष का सबसे प्रमुख प्राचीन धन्धा है। कृषि उद्योग पर देश की लगभग 70 फीसदी जनसंख्या अपने जीवन का निर्वाह करती है। फिर भी इसकी दशा बहुत गिरी हुई है। आज जबकि संसार में सर्वत्र कृषि में आश्चर्य जनक उन्नती हुई है, भारतीय

कृषक वर्ग बहुत कुछ आज वहीं खड़ा है जहाँ उसके पूर्वज थे, यद्यपिइस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सन 1981 में खाद्यान्न उत्पादन 14 करोड़ 34 लाख टन हुआ लेकिन देश में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुये यह पर्याप्त नहीं था। भारतीय खेती को करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है पुरुष वर्ग की अपेक्षा महिला वर्ग कृषि शास्त्र के ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ है। बीज बोने, फसल काटने खेत जोतने आदि की सभी प्रक्रियायें अधिकांशतः प्राचीन ढ़ग से होती हैं फसलों के हेरफेर के सिद्धान्त को भी ठीक ढ़ग से नहीं अपनाया जाता है।

पश्चिमी देशों में खेती बाड़ी के लिये नये–नये यन्त्र जैसे ट्रेक्टर, सोअर (Sower) मोक्षर (Mower) हैरो (Harrow) आदि का प्रयोग होता है भारत में अधिकांश खेत इतने छोटे है कि उन पर इनका प्रयोग ही नहीं किया जा सकता और न ही गरीब किसान परिवार उन्हें खरीदपाते। इस कारण इन यन्त्रों का प्रयोग कुछ बड़ें खेतों तक ही सीमित है। भारतीय कृषि रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने मेस्टन आदि के उन्नत और सस्ते हल बनाकर इस दिशा में बहुत कुछ कार्य किया है। कृषि शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि पश्चिमी बंगाल, आसाम, उड़ीसा और मद्रास में खेत का औसत क्षेफफल 4.5 एकड़ है, इतना ही नहीं, ऐसा अनुमान है कि अनेक राज्यों में तीन चौथाई से भी अधिक खेतों का क्षेत्रफल 5 एकड़ से कम है। इन छोटे खेतों में आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो पाता है और न ही किसान अपने हल और बैलों की जोड़ी का पूरा–पूरा उपयोग कर पाते हैं, इससे उत्पादन व्यय बढ़ता है। जब ये खेत एक स्थान पर न होकर दूर–दूर बिखरे होते है तो समस्या और भी गम्भीर हो जाती है।

भारतीय कृषि,मानसून पर अधिक निर्भर होती है। कई भागों में अधिक वर्षा कई भागों में कम और कई भागों में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकार द्वारा नहरें तालाब ट्यूब्बैल आदि बनाये गये है। परन्तु भारतीय कृषि की आवश्यकता को देखते हुये बहुत कम है। भारत में प्रतिवर्ष जो 70 करोड़ टन के लगभग गोबर प्राप्त होता है और जो

बहुत अच्छी और सस्ती खाद है। उसका आधे से अधिक भाग उपले बनाकर जलाने के काम में लाया जाता है। कम्पोस्ट खाद बनाना भी अधिकांश भारतीय कृषक नहीं जानते। विष्ठा, मछली, हड्डी आदि की खाद धार्मिक और सामाजिक कारणों के कारण प्रयोग नहीं की जाती। अपनी निर्धनता के कारण कृषक रासायनिक खाद भी नहीं खरीद पाते। छोटे किसानों के लिये अधिक उपज करने में एक कठिनाई यह भी होती है कि उनकों बीज अच्छे किस्म का उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे फसल भी निम्न प्रकार की होती है। भूमिहीन महिला श्रमिकों की भी एक समस्या है जिनक पास जमीन नहीं है और जिनके पास है भी, तो वह इतनी छोटी है कि उसमें कोई फसल उपजाई नहीं जा सकती।

कुछ ही लोग उचित आकार के खेत के स्वामी या नियन्त्रक है जब कि अधिंकांश कृषक परिवारों के पास छोटे खेत है। नेशनल सैम्पल सर्वे (National sample Survey) द्वारा 1953—54, 1959—60, 1969—61 के जो आकड़े दिये गये हैं, वे विभिन्न आकार की जोतों के विवरण में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन व्यक्त नहीं करते। 1953—54 में 60 प्रतिशत जोत 5 एकड़ से छोटे थे, जबकि 1959—60 तथा 1960—61 के लिये आंकड़े क्रमशः 62.96 तथा 61. 69 प्रतिशत थे। इस प्रकार के जोतों द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र 1953—54 में कुल क्षेत्र का 15.44 प्रतिशत था। 1959—60 में 18.88 तथा 1960—61 में 19.18 प्रतिशत था। दूसरी ओर 1953—54 में 30 एकड़ से ऊपर के जोत सम्पूर्ण का 4.27 प्रतिशत थे और ये 30.81 प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुऐ थे। 1960—61 में से खेत कुल खेतो का 3.21 प्रतिशत थेऔर कुल क्षेत्र का 23.65 प्रतिशत भाग घेरे हुऐ थे। इन आंकडों से ज्ञात होता है कि भारत में भूमि वितरण सम्बन्धी असमानता काफी मात्रा में व्याप्त है। सन् 1976—77 में जहाँ देश में कुल जोतों की संख्या 8.16 करोड़ थी वहाँ 1980—81 में बढ़कर 8.89 करोड़ हो गई। इनमें से सीमान्त एवं

लघु जोतों की संख्या कुल जोतो की करीब 75 प्रतिशत है। एक हेक्टेयर से कम वाली जोतो को सीमान्त जोत तथा एक हेक्टेयर से अधिक, किन्तु 2 हेक्टेयर से कम वाली जोतो को लघु जोत माना गया है।[5]

महिला श्रमिकों से जब खेती में अधिक, उपज करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछा गया तो उन्होनें अंपने–अपने अनुसार अधिक उपज पैदा करने में होने वाली कठिनाईयों को बताया। इसमें अधिक कठिनाइयाँ रसायनिक खादो की एवं अच्छे प्रकार के बीज की होती है। महिला श्रमिकों ने बताया कि खादों में विक्रेताओं की ओर से मिलावट की जाती है एवं गांव के साहूकारों द्वारा अच्छी प्रकार का बीज उपलब्ध नहीं होता है। कभी–कभी तो ऐसा बीज उपलब्ध होता है जो बहुत ही कम अंकुरित होता है, जल की प्रचुरता के सम्बन्ध में महिला श्रमिकों ने बताया कि नहरों से पानी के बहाव की शासन द्वारा उचित व्यवस्था न होने पर नहर के पास वाले खेतों की फसलों को नुकसान होता है। स्थानीय श्रमिकों के बारे में महिला श्रमिकों का यह विचार था कि समथर क्षेत्र में कृषि कार्य के लिये श्रमिक अधिकतर समय पर उपलब्ध हो जाते हैं।

---

5 – आन्द्रे बिताई द्वारा बनाये गये आंकड़े–भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र प्रकाशक साहित्य भवन हास्पीटल रोड आगरा, 1995, पेज 424

तालिका क्रमांक 3 – (4)

अधिक उपल करने में कठिनाइयां

क्र0सं0	उत्तरदाता			योग
अ–	भूमि			
	प्रचुर	कम	भूमिहीन	
	–	180	120	300
		60%	40%	100.0%
ब–	जल			
	प्रचुर	कम	कोईसाधन नहीं	
	210	60	30	300
	70.0%	20.0%	10.0%	100.0%
स–	उन्नत बीज			
	उपलब्ध	अनुपलब्ध	कोइ साधन नहीं	
	105	130	65	300
	35.0%	43.3%	21.7%	100.0%
द–	रसायनिक खादें			
	उपलब्ध	अनुपलब्ध	कोई साधन नहीं	
	112	128	60 300	
	37.7%	42.7%	20.0% 100.0%	
य–	ट्रैक्टर थ्रेसर			
	उपलब्ध	अनुपलब्ध	कोई साधन नहीं	
	224	76	–	300
	74.7%	25.3%		100.0%
र–	स्थानीय श्रमिक			
	उपलब्ध	अनुपलब्ध	कोई नहीं	
	250	50	–	300
	83.3%	16.7%		100%

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से प्रचुर भूमि किसी के पास नहीं है, कम भूमि 60.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास है जब कि 40.0 प्रतिशत महिला श्रमिक भूमिहीन हैं। जल समथर क्षेत्रान्तर्गत प्रचुर मात्रा में 70.0 प्रतिशत

महिला श्रमिकों प्राप्त है जबकि 20.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों को जल कम मात्रा में प्राप्त है। उन्नत बीज 35.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों को प्राप्त है जबकि 43.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों को बीज अनुपलब्ध है। रसायनिक खादें 37.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों को उपलब्ध हैं जबकि 42.7 प्रतिशत को अनुपलब्ध हैं। ट्रैक्टर थ्रेसर 74.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों को उपलब्ध हैं ज़बकि 25.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों को अनुपलब्ध हैं। स्थानीय श्रमिक 83.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों की दृष्टि में उपलब्ध हैं, जबकि 16.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों की दृष्टि में अनुपलब्ध हैं।

बदलती स्थितियों से परिवर्तन :–

भारत में अधिकांश छोटे–छोटे किसान पाये जाते है इनके खेतों के नम्बर भी बहुत छोटे–छोटे होते हैं। 20 या 25 वर्ष पूर्व जिन कृषकों के नम्बर बड़े थे, उनके परिवार के बढ़ने के कारण भाइयों के बंटवारे से बड़े–बड़े नम्बर भी छोटे हो गये। भूमि पर जनसंख्या के अधिक भार के कारण थोड़ी सी खेती वाले भू स्वामीऔर भूमिहीन काश्तकार दोनों ही भूमि के छोटे–छोटे टुकड़ों से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। काश्तकार आर्थिक कारणों की बजह, परिस्थिति या प्रतिष्ठा सम्बन्धी कारणों से भूमिहीन श्रमिक के रुप में कार्य करने की बजह दूसरों की भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े जोतना श्रेयस्कर समझते हैं। खेती योग्य भूमि के छोटें–छोटे टुकड़े होने से कृषि कार्य भी प्रभावित हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सरकार के समक्ष सबसे प्रमुख समसया देश के नागरिकों को वांछित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की थी। इसके लिए योजना विकास का मार्ग चुना गया तथा 1 अप्रैल,1951 से देश में पहली पंचवर्षीय योजना शुरु की गई थी। जो मुख्य रुप से कृषि पर आधारित योजना थी। आगे की योजनाओं में भी कृषि का महत्व स्पष्ट किया गया।[6]

6:– प्रो0 दास हरसरन – कृषि अर्थशास्त्र, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम खण्ड 9 के अन्तर्गत, संस्करण सत्तरहवां (17) रामापब्लिशिंग हाऊस बड़ौत – 2000 पेज 6

योजना काल में कृषि एवं सिंचाई आदि पर किया गया कुल व्यय परिचय

अवधि	करोड रुपय व्यय/परिचय
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–52 से 1955–56)	724
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–57 से 1960–61)	979
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–62 से 1965–66)	1,753
तीन वार्षिक योजनाएं (1966–67, 1967–68,1968–69)	1,578
चतुर्थ पंचवर्षीय योंजना (1969–70 से 1973–74)	3,674
पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–75 से 1978–79)	8,742
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–81 से 1984–85)	24,550
सातवी पंचवर्षीय योजना (1985–86 से 1989–90)	44,629
आठवी पंचवर्षीय योजना (1992–93 से 1996–97)	89,418

सिंचाई के साधन आधुनिक युग में अधिक विकसित हुये हैं। सरकार द्वारा नहरों एवं टयूब्बैलों का पर्याप्त मात्रा में निमार्ण कराया गया है। सिंचाई के साधन आज के समय में कम नहीं बल्कि अधिक हुये हैं। "शहरी भारत" और "ग्रामीण भारत" में जमीन आसमान का अन्तर है। प्रगति के राय पर ग्रामवासी साथ–साथ कदम नहीं बढ़ा सकें परन्तु अब ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के नवीन साधनों जैसे रेल, मोटर, जीप, तथा छोटे–छोटे वाहनों आदि के कारण ग्राम्य जीवन में परिवर्तन आया है एवं उनमें गतिशीलता बढ़ी हैं। गांवों से नगरों को जोड़ने के लिए यातायात के साधन विकसित हुये हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक 1000 वयक्तियों से ज्यादा जनसंख्या वाले हर वसावट को अच्छी, बारहमासी सड़कों से जोड देने की योजना हैं। वर्ष 2007 तक 500 व्यक्तियों से ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ दिया जायेगा।

7:– प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम विकास कार्यक्रमों पर एक नजर (नामक पुस्तिका) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए प्रकाशित नई दिल्ली 1 मई,2001 पेज–3

8:– भारती एम0 कृषि चर्चा, उत्तर प्रदेश संदेश 'पत्रिका', सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित एवं प्रेम प्रेस लखनऊ में मुद्रित मार्च 2003 पेज–17

1,00,000 बसावटों को सम्पर्कता दिलाने के साथ–साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य मौजूदा 5 लाख किलोमीटर ग्राम सड़कों को मानकों के अनुरुप सुधारना भी है।[7]

ग्रामीण लोग हल, बैल एवं पुराने तरीकों से खेती करते थे, सिंचाई के लिये चरस एवं रहट का उपयोग करते थे, किन्तु वर्तमान समय में कृषि के कई नवीन यन्त्रों का आविष्कार हुआ है। ट्रैक्टर, बुलडोजर, उन्नत खाद एवं बीज फसल काटने की मशीन, पम्प एवं टयूब्बैल आदि की सहायता से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है एवं कृषि कार्य में संलग्न महिला श्रमिकों के पारिवारिक जीवन में परिवर्तन आया है। अधिक उत्पादन को बेचने के लिए, ग्रामीण लोग मण्डियों में जाने लगे है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। उन्नत आर्थिक जीवन के कारण उनकी मनोवृत्तियों आदतों एवं विश्वासों में परिवर्तन हुआ है मानसिक संकीर्णता समाप्त हुई है और उनके सम्बन्धों का दायर विस्तृत हुआ है।

किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए बीजों की जमाव क्षमता, प्रजाति की शुद्धता, भौतिक शुद्धता तथा बीजों के रोग आदि का परीक्षण बहुत कड़ाई के साथ किया जाता है। सन् 1977 से उत्तर प्रदेश में बीजों के प्रमाणी करण का कार्य संस्थागत तरीके से किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में अभिजनक (ब्रीडर) तथा आधारभूत (फांउडेशन) बीज स्रोत की सूची तैयार की गई है। बीज प्रमाणन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर विभिन्न प्रजातियों से अच्छादित है। जिससे लगभग तीस लाख कुन्तल प्रमाणित बीज प्राप्त हो रहा है। विभिन्न बीजोत्पादक संस्थाओं द्वारा 246 बीज संयत्र उत्तर प्रदेश में चलाये जा रहे है।[8]

महिला श्रमिकों ने अपने साक्षात्कार में बताया कि भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े होने से कृषि कार्य में न्यूनता आई है। सिंचाई के साधनों की कमी नहीं बल्कि बढोत्तरी हुई है। यातायात के साधनों का विकास हुआ है। नये कृषि उपकरण एवं खाद बीजों से बड़े

भूमिधर कृषकों के जीवन में अधिक परिवर्तन आया है, किन्तु कम भूमि वाले या भूमिहीन महिला श्रमिकों के पारिवारिक जीवन में बहुत कम परिवर्तन आया है।

तालिका क्रमांक 3 – (5)

बदलती स्थितियों से परिवर्तन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	हां	संख्या नहीं	योग
1–	कृषि योग्य भूमि के	201	99	300
	छोटे छोटे टुकडे हो गये है।	(67%)	(33%)	100%
2–	सिंचाई के साधन कम हो	–	300	300.0
	गये हैं।		(100%)	100%
3–	नए कृषि उपकरण	209	91	300
	प्राप्त है।	(69.7%)	(30.3%)	100%
4–	नए बीज एवं खाद	196	104	300
	सुलभ है।	(65.3%)	(34.7%)	100%

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 श्रमिकों में से 67.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने भूमि के छोट–छोटे टुकड़े होना स्वीकार किया। 100 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने सिंचाई के साधन कम हो गये है, इसको अस्वीकार किया, 69.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों को नए भूमि कृषि उपकरण प्राप्त हैं, जबकि 30.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों को प्राप्त नहीं हैं। 65.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों को नए बीज एवं खान सुलभ हैं जबकि 34.7 प्रतिशत महिला श्रमिको को सुलभ नहीं थे।

महिला एवं उनके पतियों की आयु :–

कृषि कार्य एक ऐसा कार्य होता है जिसमें शरीर से सहजोर एवं कमजोर सभी प्रकार की महिला श्रमिकों एवं पुरुष श्रमिकों का सहयोग वांछनीय होता है। खेतों में फसलों की जुताई–गुड़ाई के बाद फसल बोई जाती है। फसल के उगने से लेकर कटाई तक आबारा

पशुओं एवं जंगली सुअरों से सुरक्षा करना आवश्यक होता है, इसलिये कुछ अधिक उम्र की महिला श्रमिक ऐसी भी हैं जो फसल की रखवाली का कार्य करती हैं।

समथर क्षेत्रान्तर्गत युवा महिलाओं के अलावा कुछ अधिक उम्र की महिला श्रमिक भी है जो कृषि कार्य को शारीरिक क्षमता के अनुसार करती हुई परिवार संगठन को बनाये हुये थी।

तालिका क्रमांक 3 – (6)

महिला श्रमिको एवं उनके पतियों की आयु : –

क्र0सं0	आयु समूह	महिला श्रमिकों	की आयु	पतियों की	आयु
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1–	19वर्ष या इससे कम	02	0.7	–	–
2–	20 वर्ष से 29 वर्ष	74	24.7	36	12.0
3–	30 वर्ष से 39 वर्ष	81	27.0	99	33.0
4–	40 वर्ष से 49 वर्ष	77	25.7	90	30.0
5–	50 वर्ष से 59 वर्ष	42	14.0	40	13.3
6–	60 वर्ष से 69 वर्ष	21	07.0	26	08.7
7–	70 वर्ष से 79 वर्ष	03	01.0	09	03.0
	योग	300	100.0	300	100.0

उपरोक्त तालिका क्रमांक –3 (6) में महिला श्रमिको की एवं उनके पतियों की आयु को दर्शाया गया है। 27.0 प्रतिशत ऐसी महिला श्रमिको का साक्षात्कार किया गया। जिनकी आयु 30 वर्ष से 39 वर्ष के मध्य थी। 33.0 प्रतिशत ऐसे महिला श्रमिकों के पति थे जिनकी आयु 30 वर्ष के मध्य थी।

दूसरा समुह 25.7 प्रतिशत ऐसी महिला श्रमिको का था जिनकी आयु 40 वर्ष से 49 वर्ष के मध्य थी एवम् 30.0 प्रतिशत ऐसे महिला श्रमिको के पति थे जिनकी आयु 40 वर्ष से 49 वर्ष के बीच थी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला श्रमिकों की आयु उनके पतियों से 6 वर्ष कम थी।

पुत्र पुत्रियो के विवाह की आयु सम्बन्धी विचार :–

समथर क्षेत्र में कृषि कार्यरत महिला श्रमिकों ने बताया कि विवाह क्रमशः 20 या 21 वर्ष के आस–पास कर देना चाहिये। परन्तु शोधकर्ता ने उनके स्वयं के विवाह के समय की आयु के बारे में पूछा तो अधिकतर महिला श्रमिको ने 13 से 15 वर्ष और इससे भी कम उम्र में विवाह होना स्वीकार किया।

श्रमिक महिलायें इसे व्यवहारिक रूप से मानती चली आ रही हैं, और इनकी मानसिकता में विवाह के सम्बन्ध में बहुत कम परिवर्तन आया है। इसके लिये आर्थिक कमजोरी एवं सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ापन उत्तरदायी है। इनके साथ ही साथ एक और कारण है, जैसे शिक्षा को जीवनोपयोगी न समझना आदि।

भारत में विवाह की आयु के सम्बन्ध में 1927 के पहले तक किसी प्रकार का कदम नही उठाया गया था। 1927 में श्री हरिविलास शारदा ने सरकार के समक्ष लड़के–लड़कियों की न्यूनतम आयु सम्बन्धी (चिल्ड रेस्ट्रेन्टबिल) रखा जो कि 28 सितम्बर 1929 में पास हुआ तथा 1अप्रैल 1930 में लागू किया गया। शारदा कानून के द्वारा निर्धारित सभी समुदायों के लड़के लड़कियो की विवाह आयु क्रमशः 18 तथा 14 रखी गई 1949 में पुनः सुधार हुआ जिसके लड़कियों की आयु 13 वर्ष कर दी गई। 1956 के संशोधन के अनुसार यह आयु

क्रमशः 19 तथा 15 कर दी गई 1971 में यह 22.7 तथा 17.2 वर्ष हो गई।[9]

अब वर्तमान समय में शासन की विवाह सम्बन्धी कानून की शक्ति के कारण ग्राम्य और महिला श्रमिक परिवारो में लड़के एवं लड़कियो के विवाह निर्धारित आयु के आसपास अधिक होने लगे हैं।

तालिका क्रमांक 3 – (7)

पुत्र एवं पुत्रियों की विवाह की आयु :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	पुत्र	प्रतिशत	पुत्री	प्रतिशत
1–	15 साल तक	19	6.3	52	17.3
2–	20 साल तक	81	27.0	244	81.4
3–	25 साल या उससे अधिक	200	66.7	04	01.3
	योग	300	100.0	300	100.0

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 3 – (7) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में से 66.7 प्रतिशत महिला श्रमिको ने बताया कि पुत्र का विवाह 25 साल तक होना चाहिये। 81.4 प्रतिशत महिला श्रमिको ने पुत्रियो का विवाह 20 साल तक होने की जानकारी दी, इसके पश्चात् दूसरा समूह 27.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिसमे पुत्र का विवाह 20 साल तक होने को स्वीकार किया एवं 17.3 प्रतिशत महिला श्रमिक ऐसी थी जिन्होनें पुत्रियो का विवाह 15 साल तक होने को स्वीकार किया।

अन्तर्जातीय विवाहों का निषेध :–

प्रत्येक जाति में विवाह सम्बन्धी नियम पाये जाते हैं। जातियां अनेक उपजातियों में बंटी हुई हैं। प्रत्येक उपजाति अपने ही समूह में विवाह करती है। दूसरी जातियों में विवाह

9:– श्रीवास्तव, एस0सी0 – जनांकिकीय अध्ययन के प्रारुप, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस मुंबई, 1990 पेज 411

करने की छूट नहीं है ऐसा करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है अर्थात् जाति अर्न्तविवाह ही जाति प्रथा का सार तत्व है।[10]

महिला श्रमिकों ने अपने साक्षात्कार में बताया था कि जाति या उप जाति में ही विवाह करना ही उचित है। जाति के बाहर शादी करने पर सम्बन्धित मनुष्य को जाति का कोप बनना पड़ता है और जाति द्वारा दिया गया आर्थिक दण्ड भी भुगतान पड़ता है।

तालिका क्रमांक 3 –(8)

जाति के बाहर शादी की अनुमति :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हां	04	1.3
02–	नहीं	296	98.7
	योग	300	100.0

प्रस्तुत तालिका 3 (8) के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में 98.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों के अन्तर्जातीय शादियों का निषेध किया जबकि मात्र 1.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने इसे स्वीकार किया।

बहू लाने या पुत्री की शादी में प्राथमिकता :–

आज के अर्थ प्रधान युग के अन्तर्गत ग्रामीण जनजीवन में अच्छे परिवार को ही अत्यधिक महत्व दिया जाता है अन्य वस्तुओं को बाद में महत्व दिया जाता है। महिला श्रमिक परिवारों में पढ़ी लिखी या शहरी बहुओं को बहुत ही कम महत्व प्रदान किया जाता है। शहरी परिवार या आधुनिक चमक धमक वाले परिवारों में महिला श्रमिक परिवार अपनी पुत्रियों की शादियां करना उत्तम नहीं समझते हैं।

10:– गुप्ता एम0एल0 एवं शर्मा डी0डी0 – भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र प्रकाशक साहित्य भवन हॉस्पिटल रोड आगरा 1995 पेज 339

अच्छे परिवार ग्रामीण महिला श्रमिक इन्हीं को मानती है जो अर्थिक दृष्टि से थोड़े सम्पन्न, अच्छे व्यवहार एवं स्वभाव वाले एवं साधारण रहन सहन वाले होते हैं। अच्छे परिवारों में विवाह करने पर इनको यह विश्वास होता है कि वर वधु किसी के पक्ष भी किसी भी प्रकार की विसंगति या तनाव नही आता है।

तालिका क्रमांक 3 – (9)

बहु लाने का पुत्री की शादी में प्राथमिकता :–

क्र.0स0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	धन	40	13.3
02–	उच्च जाति	70	23.3
03–	शिक्षा	18	06.0
04–	अच्छी नोकरी / अच्छी खेती	60	20.0
05–	अच्छा परिवार	112	37.4
06–	अन्य	–	–
	योग	300	100.0

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 37.4 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बहु लाने या पुत्री की शादी में अच्छे परिवार को ही प्राथमिकता दी है, दूसरा समूह 23.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंनें उच्च जाति को महत्त्व दिया। तीसरा समूह उन महिला श्रमिकों का था जिन्होंने अपने–अपने दृष्टिकोणों से धन, शिक्षा, अच्छी नौकरी एवं अच्छी खेती को महत्व दिया।

पारिवारिक उत्थान :–

पारिवारिक उत्थान के लिये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति होना आवश्यक पाया जाता है इसलिये सदस्यों में पारिवारिक उत्थान

के लिय परस्पर निर्भरता पाई जाती है। बीमारी, बुढ़ापा और कठिनाइयों के समय सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करते है। गांवो में नगरों की तरह विशेष हितों की पूर्ति व पारिवारिक उत्थान करने वाली द्वैतीयक संस्थायें नहीं हैं।

साक्षात्कार लेने पर महिला श्रमिकों ने पारिवारिक उत्थान के लिये शासकीय स्तर पर सहायता प्राप्ति के हेतु अपने–अपने मतानुसार उत्तर प्रस्तुत किये थे, जिसमें सबसे अधिक प्राथमिकता रोजगार के अवसरों को दी गयी।

तालिका क्रमांक 3 – (10)

पारिवारिक उत्थान हेतु मत :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	शिक्षा के अवारों में वृद्धि	60	20.0
02–	रोजगारों के अवसरों में वृद्धि	158	52.7
03–	कृषि में सुधार	71	23.7
04–	सिचाई के साधनों में सुधार	–	–
05–	अधिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना	11	3.6
06–	अन्य	–	–
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 3 – (10) से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गए 300 महिला श्रमिकों में से 52.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए अपन मत प्रस्तुत किया। दूसरा समूह 23.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था। जिन्होंने कृषि सुधार के लिए अपना मत प्रस्तुत किया। तीसरा समूह 20.0 प्रतिशत उन महिला श्रमिकों का था जो शिक्षा के अवसरों में वृद्धि चाहती थी। चौथा समूह उन महिला श्रमिकों का था जिन्होनें आधिक

कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अपना मत प्रस्तुत किया।

फसलों की जानकारी :–

झाँसी मण्डल में अधिकतर वर्षा जून के अंन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर के मध्य में समाप्त हो जाती है यहां पर मुख्य रुप से एक फसली खेती वर्षा के आधारित दिशा में की जाती है जहां पर सिंचाई की सुविधायें है। वहां पर दो फसले भी की जाती है।[11]

प्रचलित फसल चक्र :–

1:–	धान	एक वर्षीय
2:–	ज्वार चना/मटर	एक वर्षीय
3:–	ज्वार मसूर	एक वर्षीय
4:–	ज्वार + अरहर	एक वर्षीय
5:–	अरहर या सोयाबीन, गेहूँ	एक वर्षीय
6:–	धान, गेहूँ	एक वर्षीय
7:–	बाजरा, मटर/मसूर	एक वर्षीय
8:–	धान, चना	एक वर्षीय
9:–	सोयाबीन	एक वर्षीय

महिला श्रमिकों ने अपने साक्षात्कार में बताया कि ज्वार, बाजरा की बोबाई आषाढ़ महीने के अन्त तक हो जानी चाहिए। यह शब्द जून, के अन्तिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सूचित करते हैं। महिला श्रमिकों ने यह भी बताया कि बलुई, दोमट अथवा ऐसी भूमि जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था होती है वहां ज्वार बाजरा की खेती उपयुक्त मानी जाती है।

11:– सिंह राजेन्द्र खरीफ फसलों की सघन पद्धतियां संस्य जलवायु जोन–6 प्रसार शिक्षा ब्यूरों "कृषि विभाग उ0प्र0, लखनऊ अप्रैल,2003 पेज 1

तालिका क्रमांक 3 – (11)

ज्वार, बाजरा का उत्पादन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	रवी	–	–
02–	खरीफ	300	100.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 3 – (11) से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गए 300 महिला श्रमिकों में से सभी ने यानी 100.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने यह बताया कि ज्वार, बाजरा की बुबाई खरीफ की फसल में की जाती है।

रवी की फसल की बुबाई :–

कृषि प्रधान देश भारत मे खेत और बैल का अटूट रिस्ता माना जाता है रवी की फसल की बुबाई हल (नारी) के द्वारा प्राचीन समय से होती आई है। वर्तमान समय में ट्रैक्टरों का अधिक प्रयोग होने से फसल की बुबाई सीडल से कर दी जाती हैं, बैलों वाली नारी से बुबाई करने में बूजा (जिस जगह बीज न पड़े) कम होते हैं, और होते भी है तो तत्काल पता पड़ जाता है और उस जगह की बुबाई दुबारा कर दी जाती है। पर ट्रैक्टर के सीडल से बूजा होन पर दुबारा उसी जगह पर बुवाई करना असम्भव हो जाता है।

बैलों वाली नारी की बुबाई से खेत का कूड़ थोड़ा टेढ़ापन लिये होता है जो देखने में सुन्दर लगता है नारी की बुबाई में तिलहन राई, सरसों, अलसी एवं सेमुआ को गेहूँ, चना, मटर, मसूर के साथ बुबाई न करके बैलों की नारी से उसी फसल के खेत में सिलारी लगाकर तिलहनों की बुबाई कर दी जाती है जिससे चना, गेहूँ, मटर एवं मसूर की फसल प्रभावित नहीं होती है और तिलहन भी रवी की फसल के साथ अपने पीले एवं नीले फूलों के साथ

अलग चमक–दमक बताती है जबकि ट्रैक्टर की बुबाई में तिलहन को अलग से नहीं बोई जा सकती है।

देश में अनाज उत्पादन को बढ़ाना है तो कृषि मशीनरी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि कृषि मशीनरी को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि आम तौर पर यहाँ पर छोटे किसान हैं, उन्होनें कहा कि बेहतर होता है कि भारतीय कृषि यंत्र निर्माता, इस दिशा में गम्भीरता से सोचें क्योंकि वे यहाँ कि परिस्थितियों मौसम, और मिट्टी को अच्छी तरह समझते हैं।[12]

तालिका क्रमांक 3 – (12)

रवी की फसल बुबाई :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	ट्रैक्टर का सीडल	53	17.7
02–	बैलो वाली नारी	138	46.0
03–	दोनों से	109	36.3
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 3(12) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 46.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बैलों वाली नारी से रवी की फसल की बुबाई को श्रेष्ठ माना दूसरा समूह 36.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था, जिन्होनें दोनों से बुबाई करने को श्रेष्ठ माना।

भूमि संरक्षण हेतु वृक्षारोपण :–

सृष्टि के इतिहास में वृक्षों का महान योगदान है। वृक्षों से बाढ़ नियन्त्रण में सहायता मिलती है वृक्षों से भूमि के कटाव को रोका जाता है। वृक्ष वर्षा के अतिरिक्त जल को सोखकर

12– डॉ0 श्रीवास्तव पी0एस0एच0 – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वरिष्ठ विज्ञानी ग्रामीण पाक्षिक (समाचार पत्र) नई दिल्ली 16–31 जनवरी 2003 पेज–11

तथा नदियों के प्रवाह को नियन्त्रित करके बाढ़ के प्रकोप को कम करते हैं और भूमि के कटाव को रोकते हैं। इस प्रकार से वृक्ष भूमि को उबड़–खाबड़ होने से रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति मे कमी नहीं आने देते हैं। वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। वे तेज आंधियों को रोककर वर्षा को आकर्षित करके तथा मिट्टी के कणों को अपनी जड़ो से बांध ाकर रेगिस्तानों के प्रसार को नियन्त्रित करते हैं।

वृक्ष वातावरण से दूषित वायु (कार्बन–डाइऑक्साइड) को अपने पोषण हेतु ग्रहण करते हैं जबकि अन्य जीव जन्तु ऑक्सीजन ग्रहण करके दूषित वायु निकालते हैं। इस प्रकार वृक्ष वायु प्रदूषण को दूर करके पर्यावरण में सन्तुलन बनाये रखते हैं।

तालिका क्रमांक 3 – (13)

भूमि के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण आवश्यक है :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हां	271	90.3
02–	नहीं	29	7.7
	योग	300	100.0

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 3 (13) के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण किये गये 300 महिला श्रमिकों मे से 90.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया भूमि के संरक्षण के लिये वृक्षारोपण आवश्यक है जबकि 9.7 प्रतिशत महिला श्रमिक इससे सहमत नहीं थी।

परिवार कल्याण एवं कार्यक्षमता :–

परिवार कल्याण अपनाने में शिक्षा का प्रभाव अधिक पड़ा हैं। जबकि कहीं ज्यादा धर्म और परम्पराओं ने इस कार्यक्रम को प्रभावित किया है। श्रमिक महिलायें अधिकांश परम्परावादी एवं प्राचीन रुढ़ियों को आत्मसात किये हुए हैं और वह इसे आज भी त्यागने को

अथवा परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं। परिवार कल्याण एवं कार्य क्षमता के सम्बन्ध में आंकड़ो से स्पष्ट है कि जिन महिला श्रमिकों ने इस कार्यक्रम को अपनाया है, उनमें अधिकांश महिला श्रमिकों की कृषि कार्यक्षमता पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनकी कार्यक्षमता में कोई परिवर्तन नहीं पाया। जबकि दूसरे समूह में महिला श्रमिकों को मानसिक कारणों से उनकी कार्य क्षमता में कमी का अहसास हुआ।

महिला श्रमिकों का यह भ्रम मात्र ही है कि परिवार कल्याण अपनाने से उनके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है और कार्य क्षमता में कमी आती हैं। जबकि विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि उपाय अपनाने वाले जो सीमित परिवार थे उनका स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता दूसरों की तुलना में बेहतर थी। कार्यक्षमता और परिवार कल्याण कार्यक्रम का घनिष्ठ सम्बन्ध है, जिन महिला श्रमिकों ने इस कार्यक्रम को नही अपनाया है, वे शारीरिक रुप से कमोर देखी गई। उनका स्वास्थ्य भी सामान्य से कम था अतः ऐसे महिला श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी आना स्वाभाविक हैं।

तालिका क्रमांक 3 – (14)

परिवार कल्याण एवं कार्य क्षमता :–

क्र0सं0	कार्य क्षमता	संख्या	प्रतिशत
01–	कार्य क्षमता में वृद्धि	101	33.7
02–	कार्य क्षमता में कमी	39	13.0
03–	पूर्ववत्	160	53.3
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 3 – (14) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों ने 53.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों द्वारा परिवार कल्याण उपाय अनाया गया और उनकी कार्यक्षमता पूर्ववत् रही। दूसरा समूह 33.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिनके द्वारा परिवार कल्याण उपाय अपनाया गया और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई।

अध्याय – 4

महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति :–

1:– पृष्ठभूमि

2:– मुख्य व्यवसाय खेती की स्थिति

3:– खेती पर आश्रितता

4:– महिला श्रमिकों की आय एवं व्यय

5:– महिला श्रमिकों की आय के अन्य स्रोत

6:– महिला श्रमिकों की मासिक बचत

7:– महिला श्रमिकों द्वारा कर्ज का उपयोग

8:– महिला श्रमिकों के परिवार में शैक्षणिक बेरोजगारी

9:– आय और परिवार के आकार का अनुपात।

—: पृष्ठभूमि :—

किसी भी जन समुदाय का सबसे मौलिक कार्य अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना होता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि कोई भी महिला समाज या जन समुदाय अपने परिवार की जाविका निर्वाह और आर्थिक समता के लिए कृषि, व्यापार, नौकरी, मजदूरी जो भी करता है वह उसका प्रकृति प्रदत्त मौलिक, सबसे आवश्यक तथा अनवार्य कार्य होता है। उसके बिना उनका जीवित रहना एवं समाज में सम्मान प्राप्त करना असम्भव होता है। इसी मौलिक सिद्धांत का परिणाम होता है कि जिस ढंग से महिलायें उत्पादन कार्य करने एवं मनुष्यों के साथ कन्धा मिलाकर कृषि में जो पैदा करती है, उसी के अनुरूप महिला समाज के आन्तरिक एवं बाह्य सम्बंधों का भी निर्माण होता है क्योकि इन्ही सम्बन्धों की जड़ में महिलाओं के मानसिक तथा वैचारिक रूप बनते है।

गांवों में रहने वाली तीन चाथाई जनसंख्या में व्यापक, हृदय द्रावक गरीबी और विकराल बेरोजगारी ऐसी समस्यायें हैं। उनमें कृषि कार्यरत महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय है। महिला श्रमिकों के जीवन में आने वाली आर्थिक विषमताओं का संन्तोषजनक समाधान अभी तक नहीं हुआ। जिससे भारत में लोकतांत्रिक शोषण रहित और समतापरक समाज के निर्माण का स्वप्न साकार न हो सका।

प्रस्तुत अध्ययन में कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों की अर्थिक स्थिति एवं उनके जीवन में आने वाली आर्थिक विषमताओं का अध्ययन किया गया है।

भारत कृषि प्रधान देश है यहाँ कृषि की उन्नति अधिक से अधिक होना अति आवश्यक है। कृषि कार्यरत महिला श्रमिको में शिक्षा के अभाव के कारण आधुनिक ढंग से खेती करने का भाव जाग्रत नहीं हो सका। इसलिये बढ़ती हुई मंहगाई और बारह महीने काम न मिलने के कारण महिला श्रमिकों के जीवन में आर्थिक विषमता आना स्वाभाविक है।

भूमिहीन और सीमान्त कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को जिस वस्तु की जरूरत है वह उसकी प्राप्ती अन्यन्त अल्प आये के कारण नहीं कर पाती हैं ,अपनी अल्प आय में वृद्धि के लिये फालतू समय में धर पर किसी पूरक उद्योग को चला कर पूरा करती है।

पूर्व रियासत होने के कारण समथर क्षेत्र में उच्च जाति की महिलायें और पर्व जमींदारों की महिलायें कृषि कार्य करने के लिये खेतों पर नही जाती हैं। इस कार्य को अधिकतर दलित एवं मुस्लिम जाति की महिलायें ही अधिक करती हैं तथा अर्थिक विषमता से बचने के लिये पशु (बकरी) पालन एवं मुर्गी पालन भी करती हैं।

संशोधित राशनिंग योजना के अंतर्गत अब अधिकांश ग्रामों में गरीब परिवारों को कम कीमत पर चावल, गेहूं, चीनी, उपलब्ध है परन्तु उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे का साधन कम है। कृषि क्षेत्र में भूमि पुनर्वितरण के फलस्वरूप भूमिहीनों की संख्या कुछ घटती जा रही है लेकिन औसतन आधा या एक एकड़ भूमि जो उन्हें मिली है उसमें अच्छी पैदावारी होने पर भी लगभग 4–5 महीने तक को ही अनाज होता है। ऐसी आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये श्रमिक महिलायें कटाई, बुबाई एवं रोपाई के मैासम एवं अन्य कृषि कार्य की समाप्ती के पश्चात् बाकी समय में गैर कृषक क्षेत्र में कार्य करती है जिससे उनकी विक्रय शक्ति में वृद्धि होती है।

प्रथम, कृषक कृषि कार्य से जुड़ा होता है वह न केवल भूमि पर रहता है बल्कि उसे अपने श्रम से लाभदायक बनाता है। कानूनी दृष्टि से वह भूमि का स्वामी होता है। उसे किराये पर जोतने वाला या बिना भू–स्वामी अधिकार के एक श्रमिक हो जाता है लेकिन इन सब स्थितियों में वह श्रम द्वारा अपनी आजीविका कमाता है। कुछ लोग कृषक शब्द का प्रयोग भू–स्वामी किसानो के लिये करते है तो कुछ अन्य इसमें किराये पर भूमि जातने वालों तथा भूमिहीन श्रमिकों को भी सम्मिलित करते है।[1]

1:- Thorner Denial , Prasantry in Devid L, Sils(Ed) International enxyelopoedia of the social science, Vol 2nd pp.505 -11

मुख्य व्यवसाय खेती की स्थिति :-

जनपद झांसी समथर क्षेत्र में महिला श्रमिकों का मुख्य व्यवसाय खेती ही है। समथर क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण वहाँ के निवासियों को आर्थिक जीवन के स्तम्भ के रूप में खेती का ही सहारा है और महिला श्रमिकों को भी यहाँ पर अधिकांशतः कृषि कार्य करने को भी उपलब्ध होता है।

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के परिवारों में खेती की स्थिति भिन्न–भिन्न है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत घर की जमीन है कुछ परिवारों के पास बटाई की भी जमीन है, कुछ परिवारों के पास सामूहिक जमीन है। जिस पर सामूहिक रूप से दो–तीन परिवारों का स्वामित्व है। कुछ महिला श्रमिकों के परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल जोत को जमीन है और कुछ परिवारों के पास नाम मात्र को भी जमीन नहीं है।

जिन महिला श्रमिकों के पास थोड़ी बहुत ही जमीन है वह खेती में स्वतंत्र रूप से पैदावार करती हैं। इस थोड़ी सी जमीन में ही वह फसलानुरुप अन्न एवं साक सब्जी पैदा करती हैं क्योंकि स्वयं की जमीन में किसी को कुछ लेना देना नही पड़ता। जिन महिला श्रमिकों के पास बटाई की जमीन है वह इस प्रकार की फसल बोती है जिससे दोनो पक्षों को लाभ हो। बटाई की जमीन में यह भय रहता है कि प्राकृतिक प्रकोप से फसल प्रभावित न हो जाय। इसलिये बटाई की जमीन में ऐसी फसल पैदा करती है जो प्राकृतिक प्रकोपों को सहन कर सके। जिन महिला श्रमिकों के पास सामूहिक खेती है वह अपने भू–साथियों (सामूहिक लोगों) के अनुरूप खेती करती है, जिस फसल को अगल–बगल के किसान बोते हैं उसी फसल की बुबाई करती हैं। क्याोकि किसानो को यह विश्वास होता है कि एक सी फसल यदि सभी पास पडोस के खेतो में बोई गई है तो वह फसल, पशु एवं फसल चोरों से अधिक सुरक्षित रहती है। महिला श्रमिक इस बात को कहती हैं कि एक सी फसल सभी खेतों

में होती है तो खेत, खेत की रखवाली करने लगता है। सामूहिक खेती में अधिकांशतः प्राकृतिक अनुकूलन ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है।

जिन महिला श्रमिकों के पास जोत की जमीन होती है वह सभी से अधिक हानि लाभ को ध्यान मे रखती हुई प्राकृतिक अनूकूलन एवं प्रतिकूलन को समझती हुई, पानी समय पर उपलब्ध होने के साधनों को जानती हुई खेती करती है। जोत की जमीन में भू–स्वामियों को पहले पूरे पैसे देने पड़ते है तब बाद में जमीन जोती जाती है। इसलिये इसमें होने वाले लाभ का सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है।

समथर क्षेत्रांतर्गत महिला श्रमिको के कई परिवार ऐसे है जिनके पास नाम मात्र की भी जमीन नहीं है। यह श्रमिक महिलायें बड़े–बड़े किसानों या भू–स्वामियों के यहाँ कृषि कार्य करके अपनें परिवार को चलाती हैं। यहाँ की खेती पर अत्याधिक आधिपत्य रियासत कालीन सरदारों का है और उन लोगों का है जो तत्कालीन शासक के अत्यधिक निकट, कृपापात्र या उनके रिश्तेदार माने जाते थे। इन लोगों में गूजर, कायस्थ और ब्राहम्ण जाति के लोक अधिक हैं इन्हीं लोगो के खेतों पर या फार्मों पर श्रमिक महिलायें काम करती हुई देखी जाती हैं।

भूमिहीन महिला श्रमिकों को कटाई के बाद कुछ प्राकृतिक या आकस्मिक रूप से ऐसे कार्य मिल जाते है जिनमें मजदूरी के बन्धन से मुक्त होते हुऐ आशा से अधिक लाभ प्राप्त होता है जैसे रवी की फसल की कटाई के समय अधिक घूप पड़ने के कारण गेंहूं की बाल एवं चने के घेटी टपकने लगती है, कटाई में शीघ्रता लाने के कारण तिलहन (राई, सरसों सेमुआ) के कई अधिक पके पौधें छूट जाते हैं। इनको बड़े कृषक क्या मध्यम कृषक भी नही उठातें हैं इनको अधिकांशतः भूमि हीन महिला श्रमिक ही बीनती है। इस कार्य से उनको

तत्कालीन समय में मजदूरी से भी अधिक लाभ होता हैं और कुछ समय के लिये मजदूरी के बन्धन से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से लाभ अर्जित करती हैं।

तालिका क्रमांक 4 – (1)

खेती की स्थिति :–

क्र0सं0	खेती	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वयं की	99	33.0
2.	बटाई की	45	15.0
3	सामूहिक	36	12.0
4	जोते की	30	10.0
5	खेती नहीं	90	30.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक – 4(1) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से सबसे अधिक 33.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास स्वयं की खेती है दूसरा समूह 30.0 प्रतिशत महिलाओं का था जिनके पास स्वयं की खेती नहीं है। फिर भी दूसरे समूह की महिलायें कृषि कार्य करके परिवार का पालन करती हुई परिवार में संगठन बनाये रखती हैं।

खेती पर आश्रितता :–

सही अर्थो में उसी परिवार को कृषक कहा जा सकता है जिसके सभी सक्रिय सदस्य पुरूष और स्त्रियाँ दोनो खेतों पर काम करते हैं।[2] कृषि कार्यरत कई महिलाओं के परिवार ऐसे हैं जो मात्र खेती पर ही आश्रित है इन्हें अन्य व्यवसायों का सहारा बहुत कम है। समथर के ग्राम्य जीवन में कृषि श्रमिक पुरूष हो या स्त्री हो इनका जीवन यापन खेती ही हैं।

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पास स्वयं जमीन है या नहीं है। खेती बटाई की है या सामूहिक है उनके परिवार का आश्रय खेती है इसी से वर्ष भर के भोजन पानी

2:- Andre Beteille -Six Essays in Comparative Sociology P. 53

एवं वस्त्रों की समस्या एवं कई प्रकार की आकस्मिक समस्यायें हल होती हैं। कृषि वैज्ञानिकता के बढ़ते कदमों से समथर क्षेत्र की कुछ महिला श्रमिक परिचित तो हुई है किन्तु अर्थाभाव एवं अशिक्षा के कारण उनका खरीदना तो दूर उनका समायोचित प्रयोग करना बहुत कम जानती हैं। इसका एक कारण और भी है कि मशीनरी कार्य को छोडकर शेष कार्य पूरूषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलकर करती हैं पर मशीनरी कार्य नहीं, इसलिये आधुनिकता से अपरिचित रहती हैं।

समथर क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्यरत महिला श्रमिकों का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि अर्थाभाव एवं अशिक्षा के कारण कुछ श्रमिक महिलाओं ने पूर्व ढंग से खेती करने को उचित ठहराया उन्होंने उत्तर में बताया कि समय पर खेती करने के लिये आधुनिक साधन नहीं होते है और कभी प्राप्त हो भी गये तो उनका खर्च अधिक उठाना पडता है। उन्नत बीजों के प्रयोग एवं उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिये रसायनिक खादों के प्रयोग में लागत(लग्गत) अधिक लगानी पडती है फिर सिंचाई के साधनों पर भी व्यय करना पड़ता है। इन सभी मदों का योग करने पर खेती में अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है, फिर वैज्ञानिक साधनों का भी यथा समय ओर यथा स्थान प्रयोग करना भी उचित रीति से नहीं जानती है।

यद्यपि कई श्रमिक महिलाओं ने आधुनिक तरीक से खेती करने को उचित ठहराया। उनकी राय है कि उननत बीजो एवं रसायनिक खादों के प्रयोग तथा सिंचाई की सुविधायें सरकार द्वारा दिये लाभ को समयनुसार अर्जित करना चाहिए। पर साथ ही साथ आधुनिकता से खेती करने के लिए पूर्व की तरह पशुधन का सहारा लेना भी आवश्यक है। कृषि उपकरणों से बड़े–बड़े किसानों और भू स्वामियों को अधिक लाभ उत्पन्न होता है पर छोटी खेती वाले या जोत वाले कृषकों को कम लाभ उत्पन्न होता है। इसका कारण है कि

छोटे कृषक जमीन के हिसाब से खेती करते है। इन्हें अनाज पैदा करने के लिये गोबर का खाद, साक सब्जी पैदा करने के लिये राख की महती आवश्यकता होती है। यह साधन पशु धन से ही सुलभ होता है।

300 महिला श्रमिकों के सर्वेक्षण में अधिकांश श्रमिकों ने खेती पर ही अपने को आश्रित कर बताया जबकि कुछ महिला श्रमिकों ने अपनें को पूर्णतः आश्रित नहीं बताया।

तालिका क्रमांक 3 – (2)

महिला श्रमिकों की कृषि पर आश्रितता :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हाँ	214	71.3
02–	नहीं	86	28.7
	योग	300	100.0

यदि हां तो :–

"कृषि कार्य का ढंग" :–

अ–	पूर्व की तरह	134	62.7
ब–	आधुनिक वैज्ञानिक	80	37.3
	योग	214	100.0

उत्तरदाताओं की आधुनिक कृषि पद्धति के सम्बंध में राय :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	हाँ	नहीं	योग
अ–	उन्नत बीजों का प्रयोग	180	120	300
		60%	40%	100.0
ब–	ट्रैक्टर का प्रयोग	130	170	300
		43.3%	56.7%	100.0
स–	रसायनिक खादों का प्रयोग	154	155	300
		48.3%	51.7%	100.0
द–	सिंचाई के साधनों का अधिक	182	118	300
	मात्रा में प्रयोग	60.7%	39.3%	100.0

उपरोक्त तालिका क्रमांक 4(2) से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गये 300 महिला श्रमिकों में से सबसे अधिक 214(71.3%) महिला श्रमिक ऐसी है जो खेती पर ही आश्रित हैं। दूसरे समूह में 86(28.7%) महला श्रमिक ऐसी भी थी जो खेती पर आश्रित नहीं थी इनमें 62.7% पूर्व की तरह खेती एवं 37.3% आधुनिक वैज्ञानिक ढंब से खेती करती थी ।

महिला श्रमिकों की आय एव व्यय:–

स्त्रियों द्वारा धनोपार्जन के संबंध में सेन गुप्ता कहती है कि यह हर्ष का विषय है कि जन सेवाओं में अधिक से अधिक स्त्रियाँ आ गई है।[3]

कृषि के क्षेत्र में कृषि कार्यरत महिलाओं का कृषकों के लिये बड़ा योगदान है। कृषि भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख रोजगार है। इस पर देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिये निर्भर है। फिर भी कृषि और कृषि पर आश्रितो की दशा गिरी हुई

है। भारतीय कृषक आज उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ उसके पूर्वज खड़े थे। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के कुछ पिछड़ेपन के महत्वपर्ण कारण यह है कि ग्राम्य्र कृषि क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को पुरूष श्रमिकों की अपेक्षा पारिश्रमिक कम दिया जाता है। जिन महिला श्रमिकों के पास थोड़ी बहुत घर की जमीन है उन्हें, कृषि शस्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, दूसरी बात मशीनरी कार्यो से उनकों पृथक रखा जाता है जिसके कारण वह कृषि उद्यागों से अनभिज्ञ बनी रहती हैं।

समथर क्षेत्रान्तर्गत महिला श्रमिकों की आय कम होने का कारण यह भी है कि महिला श्रमिक एवं उनका परिवार गांव के साहूकार से बीज लेता है जो निम्न कोटि का हेाता है जिससे फसल भी निम्न कोटि की होती है। जब उत्तम प्रकार का बीज इन्हें प्राप्त हो जाता है तो फसल में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है।

फसलों में वृद्धि होते हुये भी दोष पूर्ण विक्रय व्यवस्था इनकी आय को प्रभावित करती है। परिवहन के उन्नत साधन न होने कारण कृषि उपज को गांव से गल्ला मण्डी तक लाने में कठिनाई होती है। जो महिला श्रमिक या उनका परिवार अपनी अपनी उपज को मण्डी तक ले आजे है तो उन्हें वहाँ के दलाल आदि के चक्कर में आकर हानि उठानी पड़ती है। ये दलाल लोग उनका पैसा हड़प लेते है जिससे उनकी आय प्रभावित होती है। समथर क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डी में उपज को सुरक्षित रखने के लिये पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस कारण महिला श्रमिकों को उपज उसी दिन बेंच देना पड़ती हैं। कई श्रमिक महिलाएं कृषि उपज का अधिकतर भाग अपना और अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिये गांव के साहूकार को ही दे देतीं हैं यह अनुमान है कि पंजाब में कृषि उपज का प्रायः 55 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 65 प्रतिशत भाग गांव में ही बेंच देते हैं।

आर्थिक ढ़ाचे को खोखला बनाने वाली एक समस्या भूमि हीन महिला श्रमिकों की है। इनकी दिशा समथर क्षेत्र के अर्न्तगत अति दयनीय है। इन कई परिवारों में जमीन नही है। यदि किसी के पास है भी तो वह इतनी छोटी है कि उसमें ढ़ंग से फसल नहीं उपजाई जा सकती है। इनमें से भूमिहीन श्रमिक महिलाएं इसका कारण है कि पहले यह किसी कुटीर उद्योग में लगी हुई थी। कुटीर उद्योग के नष्ट हो जाने पर इनको कोई जीविकोपार्जन का साधन दिखाई नहीं दिया। इस कारण दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीविकोपार्जन करती हुई परिवार को भी सहयोग देने लगी हैं।

इन सब कारणों के बाबजूद भी महिला श्रमिकों को बुबाई एवं कटाई के समय अच्छा लाभ भी हो जाता है। जिससे उनकी गिरती हुई आर्थिक दिशा को सहारा मिल जाता है।

तालिका क्रमांक 4 – (3)

महिला श्रमिकों की आय एवं व्यय :–

क्रम सं0	उत्तरदाता मासिक आय एवं व्यय समूह (रुपयों) में	आय संख्या	प्रतिशत	व्यय संख्या	प्रतिशत
01–	800 रु0 या इससे कम	10	3.3	45	15.0
02–	801 रु0 से 1000 तक	35	11.7		
03–	1001 रु0 से 1200 तक	42	14.0		
04–	1201 रु0 से 1400 तक	58	19.3		
05–	1401 रु0 से 1600 तक	98	32.7		
06–	1601 रु0 से 1800 तक	30	10.0	255	85.0
07–	1801 रु0 से 2000 तक	21	07.0		
08–	2001 रु0 या इससे अधिक	06	02.0		
	योग	300	100.0	300	100.0

तालिका क्रमांक 4 – (3) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में सबसे अधिक 32.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों की मासिक आय 1401 से 1600 रुपयें के बीच थी एवं 85 प्रतिशत महिला श्रमिकों का व्यय 1001 रु0 से लेकर 2001 रु0 और इससे अधिक था कहने का तात्पर्य है कि महिला श्रमिकों को जो भी आय होती है वह लगभग सभी उन पर एवं उनके परिवार पर व्यय हो जाती है आय के अन्य दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है दूसरे समूह में 19.3 प्रतिशत ऐसी महिला श्रमिक थी जिनकी आय 1201 से 1400 रु0 थी एवं 15 प्रतिशत ऐसी महिला श्रमिक थी जिनकी मासिक व्यय 801 रुपये से 1000 रुपये तक था। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकतर ऐसी महिला श्रमिक पाई गई जिनकी मासिक आय एवं व्यय लगभग बराबर था।

तालिका क्रमांक 4 – (4)

आय के अन्य स्रोत :–

क्र0सं0	आय के अन्य स्रोत	संख्या	प्रतिशत
01–	बीड़ी उद्योग	20	6.7
02–	मिट्टी के बर्तन का उद्योग	8	2.6
03–	लोहा उद्योग	–	–
04–	लकड़ी फर्नीचर आदि का उद्योग	1	0.3
05–	दुकानदारी	2	0.7
06–	अन्य	14	4.7
07–	आय के अन्य स्रोत नहीं	255	85.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 4 – (4) से स्पष्ट है कि 85.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों की आय से अन्य स्रोत नहीं हैं। वे पूर्णतया कृषि पर ही आधारित है। बाकी 15.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों के बीड़ी उद्योग, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य दूसरे आय के साधन हैं। इस प्रकार

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांशतः महिला श्रमिक पूर्ण रुपेण कृषि की आय पर ही अपना जीवन यापन कर रही हैं।

महिला श्रमिकों की मासिक बचत :–

जहाँ कृषि पर आधाति महिला श्रमिकों की बचता का सवाल हैं-इसके उत्तर में 300 महिला श्रमिकों ने अपने अपने ढ़ग से मासिक बचत की जानकारी दी। महिला श्रमिकों ने बताया कि हर एक पुरुष और महिला चाहती है कि आने वाले समय (भविष्य) के लिये कुछ न कुछ जरुर बचाया जाय, पर हम गरीबों के लिये ऐसा सम्भव नहीं हो पाता। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे अधिक 64.0 प्रतिशत श्रमिक महिलायें ऐसी थी जिनकी मासिक बचत शून्य थी। उनके कथानानुसार दैनिक प्रयोग में आने वाली वसतुओं के भाव प्रतिदिन (दिन–दिन) बढ़ते जा रहे हैं और मंहगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। ऐसी स्थिति में हम महिला श्रमिकें की बचत करना तो कोसों दूर है,अपना सामान्य खर्च चलाना दुर्लभ होता जा रहा है। महिला श्रमिकों का बजट लाभ का न होकर हानि का रह जाता है। फसल को हानि होने से या प्राकृतिक आपदा से किसी–किसी महीने में बजट असन्तुलित हो जाता है और खेतों में काम करने को कम मिलता है और कहीं मिल गया तो पैसे बहुत कम मिलते हैं, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है दिन भर वर्षा,जाड़ा, और गर्मी में कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें और उनके परिवार में बच्चों को न तो पौष्टिक आहार मिल पाता है और न ही अच्छे ढ़ग से रह पाते हैं। महिला श्रमिकों के कथानुसार उनका परिवार संघर्ष मय जीवन यापन कर रहा है।

परन्तु कुछ श्रमिक महिलाओं ने अपनी आवश्यकताओं को कम करके बचत की

है। परन्तु हम इसको बचत कैसे कह सकते, क्योंकि महिला श्रमिक एवं उनका परिवार ऋण लिये हुए हैं ? जिन्हें ऋण (कर्ज) चुकता करने की कोशिश में व्यस्त देखी जा सकती हैं।

तालिक क्रमांक 4 – (5)

महिला श्रमिकों की मासिक बचत (रुपयों) में :–

क्र0सं0	प्रतिमाह बचत (रुपयों में)	संख्या	प्रतिशत
01–	कुछ भी नहीं	192	64.0
02–	100 रु0 या इससे कम	53	17.7
03–	101 रु0 से 200 रु0 तक	29	9.7
04–	201 रु0 से 300 रु0 तक	15	5.0
05–	301 रु0 से 400 रु0 तक	10	3.3
06–	401 रु0 से अधिक तक	01	0.3
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 4 – (5) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से सबसे अधिक 64.0 प्रतिशत ऐसी श्रमिक महिलायें थी जिनकी मासिक बचत शून्य थी और 17.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों की मासिक बचत 100/रु0 या इससे कम थी। इस प्रकार प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते है कि अधिकांश महिला श्रमिको के पास बचत के नाम पर कोई धन संग्रह नहीं था। कुछ महिला श्रमिकों ने बताया कि वे ऋण लेने के बाबजूद समायोजन के लिये अल्प बचत कर रही है जैसे–बैंको में बचत खाता द्वारा और डबल डिपोजिट स्कीम में जमा आदि के द्वारा।

महिला श्रमिकों द्वारा कर्ज का उपयोग (ऋण ग्रस्तत्ता)

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों और उनके परिवारों को कर्ज में फसने का मुख्य कारण सामान्य आय का कम होना है, वह उनके खाने पीने के लिये ही पर्याप्त नहीं

होती है। महिला श्रमिकों के पास खेती में स्थाई सुधार के लिये रुपया लगाना तो दूर रहा, प्रतिदिन के कृषि कार्यो में भी अपनी अल्प आय से रुपया नहीं लगा पाती हैं। इसके अतिरिक्त शादी विवाह, पशु खरीदने, भोजन, वस्त्र, रोग, दुर्घटना में उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और फिर वह जन्म भर कर्जदार बनी रहती हैं। यदि उनके परिवार का कोई सदस्य अज्ञान वश कर्ज में फस जाता है तो उसके भार को हटाने में पूरा–पूरा सहयोग देती हैं। महिला श्रमिक और उनका परिवार पेशेवर महाजनों या वनियों से कर्ज लेता है। पेशेवर महाजन महिला श्रमिकों एवं उनके परिवारों की अशिक्षा, अज्ञानता, असहाय अवस्थाका पूरा–पूरा लाभ उठाते हैं अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण के अनुसार कृषक वर्ग परिवार ऋणों का 70 प्रतिशत महाजनों से प्राप्त करने के लिये बाध्य होता हैं।

गांवों की प्रमुख समस्याओं में से एक कर्ज से ग्रसित होने की है। यहाँ प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, भूमि का उपजाऊपन, खनिज भण्डारों की बहुलता एवं जनसंख्या की विशालता के बाबजूद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख हैं। यहां पर कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के परिवार दरिद्रता और ऋण के बन्धनों से जकड़े हैं। देश में समृद्ध कृषि के सभी तत्वों जैसे कृषि योंग्य भूमि की बहुलता, विभिन्न फसलें पैदा करने वाली जलवायु, पानी की सुविधा परिश्रमी कृषक आदि की अधिकता के बाबजूद भी कृषि पिछड़ी दशा में है, इसलिये भारतीय गांवों पर निर्धनता की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। कई लोगों को तो किसी–किसी वक्त भी रोटी भी नसीब नहीं होती है। महिला श्रमिकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर्ज लेना पड़ता हैं। यहां का कृषक वर्ग (कृषि पर आधारित वर्ग) ऋण में ही पैदा होता हैं। ऋण में ही जीवन बिताता है, उसी में मरता है और पीछे वालो के लिये भी ऋण ही छोड़ जाता है।

भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार देश का कृषक वर्ग 70 प्रतिशत ऋण महाजनों से 14 प्रतिशत ऋण रिस्तेदारों से 3 प्रतिशत ऋण समितियों से 10 प्रतिशत ऋण अन्य साधनों से प्राप्त करते हैं। महाजन के ब्याज की दर 20 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक है। यह ब्याज की दर बहुत ऊंची दर है। ग्रामीण जनता की अशिक्षा का लाभ उठा कर साहूकारों एवं महाजनों ने चक्रवृद्धि ब्याज लागू कर कृषक वर्ग को सदैव अपने पजें में फसाये रखा है। कभी भी उनकी आर्थिक समृद्धि में योग नहीं दिया है। किसानों की फसल को वे सस्ते दामों में ले लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वापिस उनहें मंहगी दामों में बेच देते हैं। इसलिये किसानों का ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता हैं।[4]

महिला श्रमिकों के ऋण (कर्ज) लेने के कारण निम्नलिखित हैं :—

1:— कम आय

2:— भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव

3:— कुटीर उद्योगों का अभाव

4:— भूमि के छोट—छोटे टुकड़े

5:— गिरा हुआ स्वास्थ्य

6:— कृषि की अनिश्चितता

7:— सामाजिक रीति—रिवाज

8:— मुकद्दमें बाजी

9:— अपेक्षा

4:— गुप्ता एम0एन0 शर्मा डी0डी0 — भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रकाशन साहित्य भवन आगरा 1995 पेज 440—441.

तालिका क्रमांक 4 – (6)

महिला श्रमिकों द्वारा कर्ज का उपयोग :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	शादी विवाह आदि में	92	30.7
02–	पशु खरीदने में	65	21.7
03–	वस्त्र भोज आदि में	02	0.6
04–	मकान आदि में	71	23.7
05–	अन्य मदों में	22	7.3
06–	कर्ज न लेने वाली महिला श्रमिक	48	16.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 4(6) से विदित होता है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में अधिकांश 30.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने शादी विवाह आदि के लिये कर्ज लिया था। 23.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने मकान आदि के लिये कर्ज लिया है। इस प्रकार प्राप्त आंकडों से स्पष्ट है कि 84.0 प्रतिशत महिला श्रमिक किसी न किसी मद हेतु कर्ज लिये पाई गयी।

महिला श्रमिकों के परिवार में शैक्षिणक बेरोजगारी :–

परिवार एवं समाज में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या एक गम्भीर समस्या है। यह परिवार एवं समाज के लिये अभिशाप एवं राष्ट्र के लिये चुनौती है जहां अशिक्षा को दूर करने के लिये शिक्षा का प्रसार प्रचार हुआ वहीं दूसरी तरफ शिक्षित बेरोजगारों की लम्बी–लम्बी कतारें लगना प्रारम्भ हो गई। जहाँ एक ओर कम्प्यूटरीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव से काम करने में शीघ्रता हुई है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षित बेरोजगारों को काम न मिलने से अधिक निराशा हुई है, औद्योगीकरण ने जहां अनेक सुविधायें प्रदान की हैं वहीं दूसरी और ग्रामीण कुटीर व्यवसायों को भी झकझोर दिया गया है और कृषि के अतिरिक्त शेष समय में कृषक परिवारों

द्वारा किये जाने व्यवसायों को भी चौपट कर दिया गया।

बेरोजगारी अनेक रुपों में चरम सीमा पर है, शैक्षिणक बेरोजगारी आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयों को जन्म दे रही है। शिक्षित बेरोजगार चाहे वह पुरुष हो या महिला हो मानसिक चिन्ता से ग्रस्त रहते हैं। बेरोजगारी से ही निराशा तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बनी है शैक्षणिक बेरोजगारी ही पारिवारिक विघटन एवं कलेश, हीन स्वास्थ्य, नैतिक पतन, सांस्कृतिक पतन, तोड़फोड़, राजनीतिक क्रान्ति आदि के लिये भी उत्तरदाई है।

उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ्य शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिलता, जो काम करना चाहते हैं।[5]

सर्वेक्षण के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के परिवारों में शिक्षित बेरोजगार सदस्यों की दशा का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि 44 प्रतिशत (132) परिवारों में एक–एक पुरुष शिक्षित बेरोजगार था। परन्तु इन परिवारों में एक–एक पुरुष शिक्षित बेरोजगार था। परन्तु इन परिवारों में शिक्षित महिला बेरोजगार नहीं थी। दूसरा समूह 24.3 प्रतिशत (73) महिला श्रमिकों का था जिनके परिवारों में कोई भी पुरुष एवं महिला शिक्षित बेरोजगार नहीं था तीसरा समूह 20 प्रतिशत (60) महिला श्रमिकों का था जिनके परिवारों में दो–दो पुरुष शिक्षित बेरोजगार थे परन्तु महिला शिक्षित बेरोजगार नहीं थी। इसके अलावा और महिला संख्या क्रमशः इस प्रकार है। 7.7 प्रतिशत (23), 3.3 प्रतिशत महिला (10) 0.7 प्रतिशत (2) परिवारों में क्रमशः शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निम्न है, तीन–तीन पुरुष एवं एक–एक महिलायें चार–चार पुरुष एवं दो–दो महिलायें और छः–छः पुरुष एवं चार–चार महिलायें हैं।

5:- Madam G.R. Social change and social problems in India Society P.226 .

9:— वर्तमान कार्य से सन्तुष्टि :—

श्रमिक महिलायें एवं उनका परिवार कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों को करता हुआ अपना जीवन—यापन करता है। इनके पारिवारिक जीवन की अर्थ व्यवस्था कृषि कार्यो पर निर्भर रहती है। पर वर्तमान कार्यो को करती हुई अपने आर्थिक जीवन से पूर्ण तया सन्तुष्ट रहती हैं। महिला श्रमिकों का जीवन सरल और सादा होता हैं। वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें कृषि कार्य करते हुए जो आमदनी प्राप्त होती, उसी से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। उनके पास वर्तमान में जो साज सज्जा और श्रृंगार की सामग्री होती है वहीं उनके लिये पर्याप्त होती है। आर्थिक विषमता उनके जीवन को बहुत कम प्रभावित कर पाती है। इन महिला श्रमिकों की आय भी इतनी नहीं है कि ये जरुरत की चीजों के अतिरिक्त अन्य मदों पर खर्च कर सकें। वर्तमान जीवन में इन्हें साधारण और पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, मोटा वस्त्र तथा विनम्र पूर्ण व्यवहार अधिक पसन्द है।

यदि परिवर्तन भी जीवन में कुछ लाना चाहती हैं जिससे आय में बढ़ोतरी हो वह भी कृषि से सम्बन्धित होना चाहिए। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रुप से निर्भरता उन्हें अधिक प्रिय है सरल और छल रहित सादगी पूर्ण जीवन को वह प्रमुखता देती हैं। इन्हीं सब कारणों से वह अपने वर्तमान कार्य से सन्तुष्ट रहती हैं।

तालिका क्रमांक 4 — (7)

महिला श्रमिकों की वर्तमान कार्य से सन्तुष्टि :—

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1—	हां	221	73.7
2—	नहीं	79	26.3
	योग	300	100.0

यदि नहीं तो किस प्रकार का परिवर्तन चाहती हैं :

क्र0सं0	उत्तरदाता	हां	नहीं	योग
1–	कृषि से अधिक आय चाहती है	281	19	300
		(93.7%)	(6.3%)	100.00
2–	कृषि के अतिरिक्त अन्य	274	26	300
	जीवकोपार्जन ढूढ़नो चाहती हैं	(91.3%)	(8.7%)	100.00

तालिका क्रमांक 4 – (7) से विदित होता हैं कि अध्ययन किया गया 300 महिला श्रमिकों में से अधिकांशतः 73.7 प्रतिशत श्रमिक महिलायें अपने वर्तमान कार्य से सन्तुष्ट हैं। दूसरा समूह 26.3 प्रतिशत श्रमिक महिलाओं का है जो अपने वर्तमान कार्य से सन्तुष्ट नहीं हैं।

आय और परिवार के आकार में अनुपात :–

परिवार कल्याण के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों में आय एवं परिवार के आकार का भी ज्ञान पाया गया। जहां महिला श्रमिकों का परिवार छोटा होता है, तो वहां सीमित आय में ही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इसके विपरीत यदि परिवार बड़ा होता है तो महिला श्रमिक एवं उसका परिवार मानसिक एवं शारीरिक रुप से परेशान रहता है। अतः परिवार को सीमित रखने में ही महिला श्रमिकों का हित सर्वोपरि हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जिन महिला श्रमिकों का परिदार छोटा है वे बडे आकार के परिवार वाली महिला श्रमिकों की अपेक्षा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रुप से समर्थ हैं।

अनेक अध्ययनों में पाया गया कि आर्थिक रुप सें सम्पन्न परिवारों में कम बच्चे होते हैं। न्यूयार्क में अचिकित्सीय लोगों पर किये गये अध्ययन में पाया गया कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आय, शिक्षा और रहने के स्तर का सीधा सम्बन्ध बच्चों के जन्म से नहीं है।[6]

6:– व्हेल्पटन वी0के0एण्ड क्लाइड वी किसर (सोशल एण्ड साइकोलॉजी फेक्टर्स एफेक्टिंग फेटीलिटी, मिलवेक मेमोरियल फण्ड न्यूयार्क (1950) वोल्यूम –2 पेज 359 से 416 तक।

प्रस्तुत अध्ययन में महिला श्रमिकों की आय और उनके परिवार के आकार से सम्बन्धित आंकड़े प्रस्तुत हैं।

तालिका क्रमांक 4 –(8)

परिवार में आय और आकार का अनुपात :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	हां	नहीं	कुछ नही कह सकते	योग
01–	क्या परिवार के आकार और आय में कोई अनुपात है।	218 (72.7%)	52 (17.3%)	30 (10.0%)	300 100%

तालिका क्रमांक 4 – (8) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से अधिकांशतः 72.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि परिवार के आय और परिवार के आकार में घनिष्ट अनुपात है। जब कि दूसरे समूह की 17.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने परिवार में आय और आकार के अनुपात को स्वीकार नही किया।

अध्याय - 5

श्रमिक महिलाओं से सम्बन्धित संस्थाओं जैसे परिवार विवाह, जातिगत आधार विचार तथा सामाजिक मूल्य:–

1:– पृष्ठभूमि

2:– पारिवारिक सदस्यों की सामाजिक स्थिति एवं कार्यों में परिवर्तन

3:– परिवार में परिवर्तन

4:– पारिवारिक जीवन से सन्तुष्टि

5:– परिवार के सदस्यों का रोजगार हेतु अन्यत्र पलायन

6:– परिवार में महिलाओं का ग्राम के बाहर काम करने जाना

7:– परिवार में पिता की श्रेष्ठता

8:– मातृ सत्तात्मक परिवार

9:– परिवार में छुआछूत

10:– निम्न जाति के साथ खानपान

11:– छुआछूत के सम्बन्ध में विचार

12:– जातिप्रथा

13:– जातिय महिलाओं से सम्बन्ध

14:– विवाह

15:– विवाह से सम्बन्धित युवक युवतियों की राय

16:– महिला श्रमिकों की दृष्टि से कोर्ट मैरिज

17:– विधवा विवाह

18:– पर्दा प्रथा

19:– शहरी करण

20:– शहरी करण से उद्योगों में वृद्धि

21:– शहरी करण से पूर्व पलायन

22:– शहरी करण एवं औद्योगीकरण से खानपान में परिवर्तन

23:– गाँवों में आकर लोगों का बसना

24:– परिवार में शादी एवं क्रय–विक्रय के निर्णय

25:– सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन

पृष्ठभूमि :-

वर्तमान युग में कई सस्थाओं ने परिवार के कार्य अपने हाथ में ले लिये है पर महिला श्रमिकों का परिवार अन्य सभी संस्थाओं से अधिक अपने कार्यों का निर्वाहन करता है, अधिकांश समाजों में आज भी महिला श्रमिकों के परिवर्तन मुख्य सामाजिक प्रतिमान बने हुए हैं। बढ़ते हुए औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं धर्म निरपेक्षता के कारण कई पुराने कार्य अब परिवार के पास नहीं रहे हैं। परन्तु सामाजिक संस्थाओं का महत्व उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के आधार पर नहीं आँका जाता। सामाजिक संस्थाओं का महत्त्व उनमूल्यों के आधार पर आंका जाता है जिनकी पूर्ति ये संस्थायें करती हैं। महिला श्रमिकों का परिवार एक सामाजिक संस्था के रुप में अपने सदस्यों के अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्धों में होने वाले अनुभवों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। इसी कारण परिवार का एक संस्था के रुप में अधिक महत्व आंका जाता है। परिवार उपभोग, मनोरंजन, सुरक्षा, स्नेह, सहयोगात्मक साथ एवं इसी प्रकार के अन्य मूल्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है।

संस्थाओं का निर्माण सामाजिक प्रतिमानों के माध्यम से होता है, सामाजिक स्तर पर किसी अनुभव क्रिया को जब बारबार दोहराया जाता है तो वह आदत बन जाती है जब आदत को सारा समूह स्वीकार करके वैसा ही व्यवहार करने लगता है, तो वह जनरीति (फाल–बे) बन जाती है। जब जनरीति का बार–बार प्रयोग किया जाय और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जाय तो वह प्रथा बन जाती है जब प्रथा उपयोगी व कल्याणकारी सिद्ध हो जाती है तो वह रुढि का रुप धारण कर लेती हैं। जब रुढी के चारों ओर एक ढ़ाँचे का निर्माण हो जाता है तो वह संस्था का रुप ले लेती है। इस प्रकार संस्था का विकास क्रमिक होता है।

परिवार एवं विवाह, एक जुड़वा संस्थायें हैं, मूल रुप में परिवार एक समितिया

प्राथमिक समूह हैं। जबकि विवाह एक संस्था है सामाजिक संस्थायें सामाजिक संरचना एवं प्रणाली है, जिसके माध्यम से मानव समाज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक बहुमुखी गतिविधियों को संगठित, निर्देशित एवं संचालित करता हैं।

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के परिवार नगरीय परिवार की तुलना में अधिक सजातीय होते हैं, यह स्थिर संगठित तथा सजातीय रुप से कार्य करने वाले होते हैं। परिवार में पति, पत्नी, माता–पिता, और बच्चों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध शहरी परिवारों की अपेक्षा अधिक स्थिर एवं प्रगाढ़ होते हैं। सदस्यों के विचारों, विश्वासों आदर्शो, मूल्यों और कार्य करने के तरीकों में समानता पाई जाती है।

मानव के शारीरिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने के लिये प्रत्येक समाज में विवाह का कोई न कोई स्वरुप पाया जाता है। पशु समाज में यौन इच्छा की तृप्ति एक शारीरिक आवश्यकता है, जबकि मानव समाज में यह शारीरिक कम सामाजिक और सांस्कृतिक अधिक है। विवाह एक संस्था है जिसके द्वारा दो विषम लिगिंयों को योन जीवन व्यतीत करने, सन्तानोत्पत्ति करने और उनका भरण–पोषण करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती हैं। ग्रामीण समाजों में भी लैंगिक सम्बन्धों को योन जीवन व्यतीत करने, सन्तानोंत्पत्ति करने और उनका भरण–पोषण करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती हैं। ग्रामीण समाजों में भी लैंगिक सम्बन्धों को नियन्त्रित करने के लिये विवाह संस्था पाई जाती है। ग्रामीण विवाह के अध्ययन के आधार पर हम महिला श्रमिकों के जातिगत आचार–विचार तथा सामाजिक मूल्यों का अध्ययन कर सकते हैं।

कृषि कार्य प्रधान ग्रामीण समुदाय में हिन्दुओं की बहुलता के कारण वहां हिन्दू विवाह प्रथाओं की ही प्रधानता पाई जाति हैं। वहां स्त्री पुरुषों के सम्बन्धों में हिन्दू आदर्शो का प्रभाव है, गांव में विवाह प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिये अनिवार्य समझा जाता है। अविवाहित

रहना गांव में उचित नही माना जाता है। पुरुषों का अविवाहित रहना फिर भी स्वीकार किया जाता है किन्तु स्त्री का अविवाहित रहना निन्दनीय समझा जाता है। पुरुषों का जबकि शहरों में स्त्री का अविवाहित रहना निन्दनीय नहीं समझा जाता हैं कृषक समाज में यौवनावस्था प्राप्त करने के बाद पिता के घर में लड़की का अविवाहित रहना अनुचित माना जाता है।

कृषक क्षेत्र में जातिगत आचार–विचार सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। यह हिन्दुओ के सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता रही है, जाति के अध्ययन के बिना हम भारतीय सामाजिक संस्थाओं के मूल रूप को नही समझ सकते। भारत में जाति ही व्यक्ति के कार्य प्रस्थिति, उपलब्ध अवसरों एवं सुविधाओं को तय करती है।

समथर क्षेत्र पूर्व रियासत होने के कारण यहाँ के दलित मजदूर श्रमिकों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। यहां पर दलित श्रमिकों को बेगार देना पड़ती थी। अब इसका पूर्ण रूपेण समापन हो गया। बंधुआ मजदूरी का अन्त हुआ। पूर्व सामन्तों एवं जमीदारों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना एवं जमीन में नीचे बैठने की स्थिति अब समाप्त हुई। परिवार के कुछ परम्परात्मक कायों में भी परिवर्तन हुआ। नई न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक, सामुदायिक विकास योजना एवं पंचवर्षीय योजना, यातायात एवं संचार के नवीन साधन नई शिक्षा प्रणाली, कृषि में हरित क्रांति आदि कारको के प्रभाव के कारण महिला श्रमिकों के पारिवारिक सदस्यों की सामाजिक स्थिति एवं कार्यो में परिवर्तन आया है।

वर्तमान समय में महिला श्रमिकों के परिवारों की संरचना और कार्यो में कई परिवर्तन आये हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और उनके स्थान पर छोटे–छोटे एकाकी परिवार बन रहे हैं। परिवार में वयोवृद्ध लोगों का सम्मान एवं नियन्त्रण घटा है तथा स्त्रियों की स्थिति उंची उठी है। परिवार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय युवा पीढ़ी के सदस्यों की भी सलाह ली जाने लगी है। इस प्रकार पुरूष प्रधान परिवार में स्त्री–पुरूषों

की समानता को भी बल मिला है और वयोवृद्धों ने युवा लोगों के महत्व को स्वीकार किया है। परिवार में सामूहिकता का स्थान व्यक्तिवादिता ने ले लिया है और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों के प्रति अधिक जागरूक हुआ है।

ग्रामीण परिवारों में भी पुरानी एवं नवीन पीढ़ी के बीच संघर्ष देखा जा सकता है। नगरीय परिवारों की भॉति ही ग्रामों में भी परिवार के कार्य अन्य संस्थाएं ग्रहण कर रही है। जैसे आटा पीसने, कपड़े धोने, शिक्षा प्रदान करने आदि कार्य, अब परिवार के सदस्यों के स्थान पर आटा पीसने की चक्की, लाण्ड्री एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा कार्य किये जाने लगे है। इस प्रकार ग्रामीण पारिवारिक जीवन परिवर्तन की संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहे है।

पिछले डेढ सौ वर्षो में परम्परात्मक संयुक्त परिवार तथा परिवारवादी ग्रामीण. संरचना में गुणात्मक परिवर्तन होता जा रहा है। ग्रामीण परिवारों के सम्बन्धो का आधार प्रस्थिति से अनुबन्ध की ओर खिसक रहा है। रीतिरिवाज के शासन का स्थान कानून का शासन ले रहा है।[1]

पंचम अध्याय में श्रमिक महिलाओं से सम्बन्धित संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह उनके जातिगत आचार विचार एवं सामाजिक मूल्यों से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

परिवार के सदस्यो की सामाजिक स्थिति तथा कार्यो में परिवर्तन :–

परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के बन्धनों से जुड़े हुये है। एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। पति पत्नी , माता –पिता, पुत्र–पुत्री और भाई बहन अपने अपने क्रमशः सामाजिक कार्यो और पति पत्नी में एक दूसरे पर प्रभाव डालते है। तथा

---

1 - Desai A.R. - Rural Sociology in India p.37

व्यवहार और सम्बन्ध रखते हैं। एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं और बनाये रखते हैं।[2]

परिवार सत्ता और नियमो का प्रतिपादन, कार्यो में परिवर्तन, हस्तान्तरण एवं नियमों को प्रभाव शाली बनाने वाली सार्वभौमिक संस्था है। बहुत पहले से परिवार की सामाजिक स्थिति एवं कार्यो में परिवर्तन होता आया है। परिवार का मुखिया घर का यथार्थ शासक होता है। परिवार में रूढ़ि परम्परायें और कतिपय नियम होते हैं। ये नियम परम्परायें अपने लघु रूप में परिवार में देखी जा सकती है। इन सबका निमार्ण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए न केवल अनिवार्य होता है बल्कि उसका पालन करने में सबका हित है। वर्तमान में नवजागरण परिवार की एकात्मक सत्ता का ह्रास होता जा रहा है, जिसका कारण राजनीतिक संस्थाओं का शक्ति शाली होना व परिवार का शनैः शनैः विघटन होना है। परिवार के नियम और तद् जनित अनुशासन शिथिल होते जा रहे हैं।

तालिका क्रमांक 5 – (1)

परिवार के सदस्यो की सामाजिक स्थिति तथा कार्यो में परिवर्तन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	हाँ	नहीं	योग
1–	परिवार के सदस्यों की सामाजिक स्थिति एवं कार्यो में परिवर्तन	218 72.7	82 27.3	300 100.0

यदि हां तो किस प्रकार के परिवर्तन

2:- Burgess and Lock - The family from Institution to compion ship - by the Macmillan company NewYourk 1954 page-8

क्रमांक	उत्तरदाता	हाँ	नहीं		योग
1–	परिवार के मुखिया का	200	100		300
	सम्मान अधिक नहीं है।	66.7%	33.3%		100.0%
2–	परिवार के सदस्यों की	186	114		300
	विपरीत विचारधारायें है	62.0%	38.0%		100.0%
3–	परिवार के सदस्यों से	126	174		300
	प्रायः तकरार होती	42.0%	58.0%		100.0%
	रहती है				
4–	संयुक्त परिवार है	21	279		300
	पर एकता नहीं है।	7.0%	93.0%		100.0%
5–	परिवार में भूमिका	अच्छी	खराब	कुछ नहीं	
	कैसी है			कह सकते	
		175	95	30	300
		58.3%	31.7%	10.0%	100.0%
		हां	नही		
6–	क्या नव जवानों की	197	103		300
	परिवार में अधिक बात	65.7%	34.3%		100.0%
	मानी जाती है				

तालिका क्रमांक 4 – (1) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में से 72.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया कि परिवार की सामाजिक स्थिति एवं कार्यों में परिवर्तन हुआ है।

यह परिवर्तन चाहे मुखिया के सम्मान से हो, विपरीति विचार धाराओं से हो,सदस्यों की तकरार से हो, परिवार में एकता, परिवार परिवार में भूमिका या नव जवानों की बात मानने से हो, इन सभी में वर्तमान समय में अपनी–अपनी दृष्टि से श्रमिक महिलायें परिवर्तन स्वीकार करती हैं।

तालिका क्रमांक – 5 (2)

परिवार में परिवर्तन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1–	हाँ	210	70.0
2–	नहीं	70	23.3
3–	नही मालूम	20	06.7
	योग	300	100.0

यदि हां तो किस प्रकार के परिवर्तन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	हां	नहीं	योग
1–	अब विभिनन पारिवारिक सदस्यों पर अंकुश प्रायः समाप्त है।	175 58.3	125 41.7	300 100
2–	परिवार में विघटन हो	170 56.7	130 43.3	300 100
3–	परिवार के सदस्य अपनी अलग–अलग राय रखते है	191 63.7	109 38.3	300 100.0
4–	संयुक्त परिवार के स्थान एंकाकी परिवार प्रचलन में हैं।	200 66.7	100 33.3	300 100.0

तालिका क्रंमाक 4–(2) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 70 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया कि परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं।

यह परिवर्तन पारिवारिक सदस्यों के अंकुश की समाप्ति, पारिवारिक विघटन, सदस्यों की अलग अलग राय या एकाकी परिवार के प्रचलन से हो, महिला श्रमिकों ने अपनी–अपनी दृष्टि से परिवार में होन वाले परिवर्तनों को स्वीकार किया है।

पारिवारिक जीवन से सन्तुष्टि :-

ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में पारिवारिक जीवन का प्रमुख स्थान है, परिवार ही ग्रामीण समाज की मुख्य आधारशिला है। परिवार ही शिक्षा, संस्कृति एवं जीवन में होने वाली सन्तुष्टि का प्रधान केन्द्र है। प्रारम्भ में परिवार का निर्माण प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ, जो आगे चलकर मानव की अनेक आवश्कताओं की पूर्ति का साधन बन गया। परिवार के कारण ही आज मानव जाति अमर बनी हुई है।

संन्तुष्टि का मूल्य नगरीय परिवारों की अपेक्षा ग्रामीण कृषक परिवारों में अधिक पाया जाता है। कृषि श्रमिक परिवार पर्यावरण और कारकों से प्रभावित होते हैं। कृषि की प्रधानता एवम् प्रकृति की निर्भरता एवं उत्पादन से सन्तुष्टि महिला श्रमिक परिवारों की मूल विशेषता है।

किसी भी परिवार की सन्तुष्टि का मुख्य आधार अधिकांशतः व्यवसाय होता है, कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों का मुख्य व्यवसाय खेती है। परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्य में लगे होते हैं इसलिये महिला श्रमिकों के परिवारों को कृषि परिवार भी कहते हैं। श्रमिक परिवारों में श्रम विभाजन का आधार आयु और लिंग है, इस कारण महिलायें भी कृषि कार्य में बढ़कर भाग लेती हैं, महिला श्रमिकों को बल प्रदान करने में नातेदारी सम्बन्ध, सामूहिक निवास, भूमि तथा आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रुप से सम्पन्न करना महत्वपूर्ण कारण हैं। परिवार की भूमि सामूहिक होने से सभी सदस्य सहयोग द्वारा उस पर कार्य करते हैं।

तालिका क्रमांक 5 – (3)

महिला श्रमिकों की पारिवारिक जीवन से सन्तुष्टि :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हां	225	75.0
02–	नहीं	75	25.0
	योग	300	100.0

यदि नहीं तो

उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
अ – जीवन स्तर को उंचा उठाने हेतु गांव छोड़कर शहर आना चाहती है।	60	80.0
ब – गांव में रहकर आप कोई अन्य कार्य कर सकती है।	15	20.0
योग	75	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (3) से विदित होता है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से अधिकांशतः 75 प्रतिशत महिला श्रमिक अपने पारिवारिक जीवन से सन्तुष्ट नहीं हैं।

परिवार के सदस्यों का रोजगार हेतु अन्यत्र जाना :–

महिला श्रमिकों के परिवार के सदस्यों का रोजगार के लिए बाहर जाने का कारण यह रहा कि औद्योगीकरण के कारण उत्पादन का कार्य मशीनों से होने लगा, जो कुटीर उद्योगों की तुलना में सुन्दर और सस्ता होता है। इस दृष्टि से कुटीर उद्योग समाप्त होने

लगे। जिससे गांव में बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ी। बेकारी से मुक्ति पाने के लिये श्रमिक महिलाओं के परिवार जन नगरों की ओर भागने लगे। नगरों में पहुंच कर कुछ लोग दुर्व्यसनों में भी फंस गये।

पहले गांवों में वस्तु विनिमय प्रचलित था अब उसका स्थान मुद्रा ने ले लिया। मुद्रा का संचय करने से पूंजीवादी धारणा का जन्म हुआ फिर सेठ साहूकार श्रमिक परिवारों को ऋण देकर उनका शोषण करने लगे।

इधर अंग्रेजों के शासन काल से ही भूमि और किसानों के सम्बन्धों में परिवर्तन हुये और कृषक समाज को भूमि रखने और बेचने का अधिकार मिला। दूसरा लाभ महाजनों ने फिर उठाया। उन्होंने किसानों की ऋण देकर उस पर ब्याज लेकर उनकी जमीन हड़पने लगे। ऐसे भी कई परिवार महिला श्रमिकों के समथर क्षेत्र में है जिनकी जमीन ऋण चुकाने में ही चली गई। वास्तविकता आधुनिकीकृत होते हुए समाजों में, गतिशीलता सम्बन्धी इन अपेक्षाओं से भिन्न प्रतीत होती है कि भूमिहीन और गरीब लोग ही नकद मजदूरी की तलाश में नगरों की और जाने के लिये बाध्य होते हैं और भू–स्वामी तथा धनी लोग अपेक्षतया अधि ाक समय तक अपने ग्रामीण आवास में रहने से सन्तुष्ट रहते हैं।[3]

संक्षेप में हम यह कह सकते हे कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिवर्तन हुये हैं। एक और कृषि में नयी तकनीकी, बीज, खाद, यन्त्रों का प्रयोग हुआ, बैंक एवं साख की सुविधायें बढ़ी तथा सहकारी समितियों की स्थापना हुई। दूसरी ओर ग्रामीण कुटीर उद्योगो का ह्रास हुआ शोषण गरीबी एवं बेकारी बढ़ी जिससे मुक्ति पाने के लिये महिला श्रमिकों के परिवारों के सदस्य रोजगार पाने के लिये नगरों में जाने लगे।

3:- Goald H.A. Sanskratization and Westernization a Dynamic View Ecnomic weekly volume 13 No.25 June 14, 1968 P - 947

तालिका क्रमांक 5(4)

महिला श्रमिकों के परिवार के सदस्यों का रोजगार के लिय बाहर जाना :–

क्रमांक	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हां	202	67:3
02–	नहीं	98	32.7
	योग	300	100.0

यदि हां तो किन कारणों से

क्र0सं0	उत्तरदाता	हां	नहीं	योग
1–	भूमि की कमी के कारण	140	160	300
		46.7%	53.3%	100
2–	बड़ा परिवार	60	240	300
		20.0%	80.0%	100
3–	आर्थिक स्थिति में वृद्धि	155	145	300
		51.7%	48.0%	100
4–	परिवार में कलह के	65	235	300
	कारण	21.7%	78.3%	100
5–	बाहर काम करने से	170	130	300
	सामाजिक स्थिति में वृद्धि	56.7%	43.3%	100

तालिका क्रमांक 5 – (4) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 67.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने रोजगार के लिये परिवार के सदस्यों का बाहर जाना निम्न कारणों से बताया। अ– भूमि की कमी के कारण ब– बडा परिवार स– आर्थिक स्थिति

में वृद्धि द– परिवार के कलह के कारण य– बाहर काम करने से सामाजिक स्थिति में वृद्धि। दूसरा समूह 32.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिनके परिवार को कोई भी सदस्य रोजगार के लिये बाहर नहीं गया था।

परिवार में महिलाओं का ग्राम से बाहर काम करने जाना :–

समाज शास्त्रियों का विचार हे कि परिवार और समाज में उन स्त्रियों ने पूरी तरह से अपने स्तर में सुधार जाने का प्रयास किया जो बाहर नौकरी या काम करने जाती हैं। बहुत ही कम कृषि पर आधारित महिला श्रमिक परिवारों ने यह स्वीकार किया कि महिलायें बाहर नौकरी या काम करने जायें तो हमें हस्ताक्षेप नहीं होगा। पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाय तो श्रमिक परिवारों की महिलायें इतनी शिक्षित या होशियार नहीं है कि बाहर काम करने जा सकें। यदि शिक्षित भी हैं तो बे बाहर काम करने व नौकरी करने में अपना संकुचित दृष्टिकोण अपनाये हुये हैं। कुछ महिला श्रमिक परिवारों का कहना है कि यदि महिलायें बाहर काम करने जायेगी तो पुरुषों का प्रभुत्व समाप्त हो जायेगा और दबाब में नहीं रहेगी।

महिला श्रमिकों के परिवार के सदस्य महिलाओं पर अपने विचार लादने में, अपना दबाब बनाने में, अपनी जबरन आज्ञा मनवाने में सफल नहीं होगें।

इस क्षेत्र में बहुत ही कम महिला श्रमिकों के परिवार ऐसे हैं जो महिलाओं के विकास के बारे में सोचते है और महिलाओं को प्रगति के लिये प्रोत्साहन करते हैं।

तालिका क्रमांक 5 –(5)

महिलाओं का ग्राम से बाहर काम करने जाना :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हां	20	6.7
02–	नहीं	280	93.3
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 5–(5) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 प्रतिशत महिला श्रमिकों में से मात्र 6.7 प्रतिशत परिवारों में ही महिलायें ग्राम से बाहर काम करने के लिये जाती हैं जबकि 93.3 प्रतिशत परिवारों में से नहीं जाती हैं।

परिवार में पिता की श्रेष्ठता :–

महिला श्रमिकों का परिवार पितृसत्तात्मक परिवार होता है। इन परिवारों में पिता की श्रेष्ठता रहती है। पिता का परिवार पर निर्बाध शासन रहता है। वही परिवार में विभिन्न सदस्यों के बीच अनुशासन कायम रखता है। उनके बीच कार्य विभाजन करता है। परिवार में होनी वाली आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता है। सामाजिक लेन देन में प्रमुख भाग लेता है। पिता की आज्ञा का पालन परिवार के सभी सदस्यों को करना पड़ता है। इस प्रकार इसका अस्तित्व परिवार के तमाम सदस्यों पर छाया रहता है। पितृसत्तात्मक परिवार में स्वभावतः ऐसे वातवरण भी सृष्टि होती है जो सामूहिक भावना को प्रबल बनाता है और व्यक्तिगत भावना को कुचलता है।

कृषक परिवार अधिक संगठित और अनुशासित होते हैं। परिवार का मुखिया पिता, बड़ा भाई या अन्य वयोवृद्ध पुरुष होता है। वही परिवार में आयु व लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन करता है। परिवार में विवाह शादी का प्रबन्ध, सम्पत्ति की देखरेख, शिक्षा, भरण पोषण आदि सभी कार्यों का भार उसी पर होता है। गाँव पंचायत और जाति पंचायत में पारिवारिक मुखिया ही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, पारिवारिक विवादों को भी वही सुलझाता है।

परिवार के मुखिया को परिवार का शासक पुरौहित, गुरु, शिक्षक, तथा व्यवस्थापक होने की सत्ता और अधिकार रहे हैं।[4]

4:- Desai A.R - Rural Sociology in India, P. 33

तालिका क्रमांक 5–(6)

परिवार में पिता श्रेष्ठ होता है :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1–	हां	300	100.0
2–	नहीं	–	–
	योग	300	100

यदि हां तो :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1–	एक मनुष्य की मालकी होती है।	40	13.3
2–	पिता परिवार में प्रमुख होता है	38	12.7
3–	अन्य लोग सलाह देते है	15	5.0
4–	पिता के बाद अधिकांशतः बड़ा भाई मालिक होता है	45	15.0
5–	इनमें सभी	162	54.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (6) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से सभी 100 प्रतिशत महिलाओं ने अपने अपने, भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणों से परिवार में पिता को ही श्रेष्ठ माना है, क्योकि समथर क्षेत्रान्तर्गत कृषि श्रमिक महिलाओं के सभी परिवार पितृसत्तात्मक है।

मातृसत्तात्मक परिवार :–

सामाजिक संगठन के दो मुख्य स्वरुप है। पितृ वंशीय व मातृवंशीय, मातृवंशीय समाज भारत के तीन प्रमुख क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

1– ब्रह्मपुत्र व दक्षिणी तट पर बसने वाली खासी व गारो जनजातियों का क्षेत्र

2– केरल के नायरों का क्षेत्र

3– काडर, इरुला, पुलायन आदि आदिवासियों का दक्षिण क्षेत्र

मातृवंशीय समाजों के कुछ नियम :–

1– मातृवंशीय समाजों में वंश माता के नाम से चलता है।

2– मातृवंशीय समाजों में अधिकार और नियत्रण की शक्तियाँ महिलाओं में केन्द्रित रहती हैं।

3– मातृवंशीय समाजों में परिवार मातृ स्थानीय होते हैं।

4– मातृवंशीय समाजों में परिवार मातृ सत्तात्मक होते हैं।

5– सम्पत्ति का हस्तानान्तरण माता से पुत्री को होता है।

6– मातृवंशीय समाजों में सम्पत्ति का अधिकार महिला वर्ग के पास होता है।

7– सामाजिक कार्यो में परिवार का प्रतिनिधित्व महिला मुखिया करती हैं।

8– जीवन साथी का चुनाव स्वयं करती हैं।

9– बच्चों का पालन पोषण पत्नी के घर पर होता है।

10– महिलाओं की स्थिति पुरुषों से अच्छी होती है।

11– ईश्वर की कल्पना स्त्रियों के रुप में की जाती हैं। इन समाजों में देवताओं की नहीं देवियों की पूजा की जाती है।

12– धार्मिक कर्मकांड व पुरोहित का कार्य भी महिलाएँ ही करती हैं।

इन सब नियमों के बाबजूद भी पुरुषों को यथाचित सम्मान मिलता है, उन्हें हेय या निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाता जबकि पितृसत्तात्मक परिवारों में स्त्रियों को उचित सम्मान नहीं मिलता और किन्हीं परिवारों में हेय दृष्टि से भी देखा जाता है।

5:- डॉ–शर्मा के0ए0 भारतीय समाज और संस्कृति, पृ0 – 962

समथर क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान समय में एक भी परिवार मातृसत्तात्मक नहीं है।

तालिका क्रमांक 5 – (7)

आपका परिवार मातृसत्तात्मक

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हां	–	–
02–	नहीं	300	100.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (7) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से एक भी परिवार मातृसत्तामक नहीं हैं।

परिवार में छूआछूत :–

सरकारी स्तर पर कई प्रयास किये जाने के बाद भी कृषक परिवारों में आज भी छुआछूत पाई जाती है, छुआछूत व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। छुआछूत के लिये जातिय एवं प्रजातिय भेदभाव को उत्तदरदायी माना गया, कुछ लोगों ने धार्मिक कर्मकाण्डों को छुआछूत के लिये उत्तरदायी माना है। सामाजिक व्यवहार और परम्परा ने भी छुआछूत को जन्म दिया। नेसफील्ड की मान्यता है कि अपवित्र व्यवसायों को करने वाले लोग समाज में अछूत माने जाने लगे।.

अस्पृश्य (अछूत) जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाय और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। बिट्रिश शासन काल में इनकी स्थिति को सुधारने के लिये कई प्रयास आरम्भ हुये, किन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात छुआछूत की समस्या को दूर करने का भागीरथी प्रयास किया गया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया 1976 में इस नियम को संशोधित करके इसमें

6:– डा0 सक्सेना आर,0 – भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थायें पृ0 – 99

कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को "नागरिक अधिकार संरक्षण कानून" 1976 के नाम से जाना जाता है।

पिछले पचपन सालों में छुआछूत का विस्तार कम हो गया है। आर्य समाज एवं गाँधी जी के विचारों को हम इसका श्रेय दे सकते हैं छुआछूत विरोधी भावना अब प्रबल होती जा रही है। इसमें कानून के साथ-साथ जनसहयोग भी अधिक अपेक्षनीय है।

अस्पृश्यता का निर्धारण केवल छूये मात्र से हिन्दुओं द्वारा की जाने वाली शुद्धि को नहीं मान सकते।[6] संयुक्त तालिका क्रमांक 5 – (8) में निहित प्रस्तुत अध्ययन में 300 महिला श्रमिकों से छुआछूत मानने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया। उत्तर में अधिकांश 71 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने छुआछूत को मानना स्वीकार किया। आश्चर्य तो यह है कि एक दलित जाति, दूसरी दलित जाति से छुआछूत मानती है। दूसरा समूह 29 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जो छुआछूत नही मानती है।

निम्न जाति के साथ भोजन (खान-पान) :-

कृषक परिवारों में छुआछूत के समान ही खान-पान की भी एक सामाजिक विसंगति है। गाँवों की परम्परा में एक उच्च जाति अपनी से निम्न जाति के साथ खान-पान स्वीकार नहीं करती, खान-पान के मामले में हुक्का एक सबसे अधिक सवेदनशील तत्व है। जिन जातियों का हुक्का पानी एक होता है वह जातियाँ एक दूसरे के यहाँ खानपान में कच्चा भोजन कर लेती हैं। हुक्के से कम कठोर कचचा खाना या पानी है और उससे भी उदार पक्का खाना है गांवों में उच्च जाति के लोग अपने से निम्न जाति के यहां पक्का भोजन कर लेते हैं उन लोगों का यह मानना है कि घी के प्रचुर प्रयोग. से पानी में पके शुष्क भोजन का दारिद्रय और दोष दूर हो जाता है यही परम्परा पिछड़े जातियों की अनेक उपजातियों में भी लागू होती है।

ग्राम्य जीवन में खान–पान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता हे निम्नतम जातियों यहाँ गाँव के लोग, विवाह शादी में भोजन ग्रहण नहीं करते है निम्नतम जातियों के यहाँ विवाह आदि में उच्च जाति के लोग जाते तो देखे जाते है पर व्यवहार के रुप में आर्थिक सहयोग करके वापिस आ जाते हैं खान–पान के निषेध में कुछ हद तक जजमानी प्रथा भी उत्तरदाई है।

संयुक्त तालिका क्रमांक 5 – (8)

महिला श्रमिकों का छुआछूत एवं खान–पान से सम्बन्धित दृष्टिकोण :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	हां	नहीं	योग
1–	आपके परिवार में	213	87	300
	छुआछूत मानी जाती है	71%	29%	100%
2–	आप निम्नजाति के लोगों के	60	240	300
	साथ खान–पान करती है	20	80	100

संयुक्त तालिका क्रमांक 5 – (8) के प्रस्तुत अध्ययन में 300 महिला श्रमिकों में निम्न जाति के लोगों के साथ खान–पान करने की जानकारी ली गई तो इनमें से अधिकांश 80 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने अन्य अपने से निम्न जाति के लोगों के साथ खान–पान न करना स्वीकार किया केवल 20 प्रतिशत महिलाश्रमिकों ने ही निम्न जाति के साथ खानपान स्वीकार किया।

छुआछूत के सम्बन्ध में विचार :–

छुआछूत के नाम पर भारत में करोड़ो लोगों को मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया है और उन्हें निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य किया गया है। इन्हें गांवों में किसी दूर स्थान पर टूटी–फूटी झोपडियों कच्चे मकानों एवं गन्दे स्थानों पर रहना पड़ रहा है। भारत में इस समय अस्पृश्य या अछूत माने जाने वाले लोगों की संख्या वर्तमान में 12 करोड़ों से अधिक है।

महिला श्रमिक परिवार रुढ़वादी एवं परम्परावादी होते हैं, इसलिये वह नये कानूनों को स्वीकार नहीं करते। अपृश्यता निवारण अधिनियम का प्रभाव कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के परिवारों में एवं ग्राम में बहुत धीमी गति से देखा गया। सरकार के परिवर्तनशील नियमों के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन तो होगा पर ग्राम्य स्तर पर निकट भविष्य में छुआछूत का उन्मूलन सम्भव नहीं है। अछूत जन भी जजमानी के सहारे अपनी निम्नता का भरपूर फायदा उठाते है। तथा जजमान भी जाति के आधार पर परम्परागत अपना सेवक समझकर शादी विवाह या आवश्यक अवसरों पर धन एवं धान्य से इनकी पूरी–पूरी सहायता करते हैं।

तालिका क्रमांक 5 – (9)

छुआछूत से सम्बन्धित उत्तरदाताओं की राय :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या प्रति	प्रतिशत
01–	आवश्क	195	65.0
02–	अत्यावश्यक	22	07.3
03–	अनावश्यक	83	27.7
	योग	300	100.0

तालिका 5 (9) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 65 प्रतिशत महिला श्रमिक छुआछूत को आवश्क मानती हैं। दूसरा समूह 27.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जो छुआछूत को अनावश्यक मानती हैं।

जाति प्रथा :–

जातिप्रथा ग्रांमीण स्तर का प्रमुख आधार है। यह हिन्दुओं के सामाजिक संगठन की विशेषता रही है। सामान्यतः मुसलमानों को जाति प्रथा के बाहर समझा जाता है, पर ऐसी

बात नहीं है। हिन्दुस्तान में मुसलमान भी जाति प्रथा से बच नही पाये। वे भी इसकी चपेट में आ गये अन्तर केवल इतना ही है कि उनमें ऊँचनीच के मापदण्ड और उनकी जातियों के अन्तर्सम्वन्ध भिन्न प्रकार के है। इस्लाम ग्रहण करने वाले भारतीयों ने भी अपनी जाति प्रथा एवं जातीय संस्कारों को नहीं छोड़ा जाति के अध्ययन के बिना हम भरतीय सामाजिक संस्थाओं के मूल को नही समझ सकते हैं। भारत में जाति ही व्यक्ति के कार्य, प्रस्थिति, उपलब्ध अवसरों एवं असुविधाओं को तय करती है।

जाति भेद गाँवों में, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रणलियों, उनके निवास स्थानों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को निश्चित करती है। भू–स्वामित्व भी जाति पर आधारित है, अनेक कारण वश प्रशासकीय कार्यों को अधिकांशतः जाति के आधार पर बांटा गया है। जाति ने लोगों के जटिल धार्मिक और लौकिक प्रतिकानों को भी तय किया है। इसने विभिन्न समूहों के मनोविज्ञान को स्थापित किया है और सामाजिक तथा ऊँच नीच सम्बन्धों के ऐसे सूक्ष्म क्रमबद्ध स्तर स्थापित किये हैं कि सामाजिक संरचना एक विशाल श्रेणियों में विभक्त स्तूप की भांति दिखलाई पड़ती है, जिसका आधार स्थल अछूत जन समूह है और जिसका शिखर कुछ ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है।[7]

कृषि कार्यरत महिला श्रमिक समाज में सदस्यों की सामुदायिक भावना सम्पूर्ण समाज के बजाय अपनी जाति तक ही सीमित होती है। जाति के नैतिक नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझती है, ऐसा न करने पर जाति पंचायत उन्हें दण्ड देती है। महिला श्रमिक समाज के अन्तर्गत जाति प्रथा में ऊँच नीच का एक उतार चढ़ाव पाया गया है। समाज में प्रत्येक जाति की महिला की एक सामाजिक स्थिति पाई गई है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण महिलायें सबसे ऊपर और उसके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा अछूत जातियों की महिलायें हैं। इस संस्तरण (उतार – चढ़ाव) में जातियों का उपर अथवा नीचे

7:- Desai A.K - Rural Sociology in India p. - 38

गमन करना साधारणता असम्भव है।

जो महिला जिस जाति में जन्म लेती है जीवन पर्यन्त उसी की सदस्य बनी रहती है। वह अपने जीवन काल में जाति बदल नहीं सकती है। यदि महिला श्रमिक अन्तर्जातीय विवाह करे तो भी उसकी सामाजिक स्तर पर जन्म की ही जाति मानी जाती है। जातीय तथा सामाजिक मूल्यों के अन्तर्गत उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है।

तालिका क्रमांक 5 – (10)

जाति प्रथा चालू रखने के सम्बन्ध में राय :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हाँ	230	76.7
02	नहीं	70	23.3
	योग	300	100.0

यदि हाँ तो किन कारणों से :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
अ	आपसी सम्बन्धों को अर्थिक मजबूत करने हेतु	50	21.7
ब–	जाति की श्रेष्ठता बनाने हेतु	51	22.2
स–	राजनीतिक सफलता हेतु	25	10.9
द–	आजकल जाति की एकता में शक्ति है।	104	45.2
य–	अन्य	–	–
	योग	230	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (10) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से सबसे अधिक 76.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने जाति प्रथा को चालू रहने की स्वीकृति अपने, अपने दृष्टिकोणों से दी है। "आजकल जाति की एकता में शक्ति है" इस दृष्टिकोण

पर 45.2 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने अपनी स्वीकृति दी है।

जातीय महिलओं संम्बन्ध :–

कृषि कार्यरत महिला श्रमिको में अपनी जाति की महिलओं से अच्छे सम्बन्ध स्थापित हैं। यह जातीय सम्बन्ध समान व्यवसाय के साथ साथ जातिगत नियमों पर भी आधारित होते हैं। जातीय सम्बन्ध ही सामाजिक श्रेणी बृद्धता का आधार होते हैं।

ग्राम्य जीवन में गई शुभ अवसर या त्यौहार ऐसे होते हैं कि जिसमें केवल जाति की महिलाओं को ही बुलावा दिया जाता है और जाति की महिलायें आकर त्यौहार की पूजा में शमिल होती है। इन अवसरों पर अन्य जाति की महिलाओं को नहीं बुलाया जाता है। घर परिवार या जाति में विवाह आदि सम्पन्न होता है तो उसी जाति की महिलायें आकर काम का बंटवारा कर लेती हैं। यह सब कार्य जाति की एकता के सूचक है। जाति की एकता में ही जाति की मर्यादा भी निहित होती है।

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों में जाति की एकता अधिक देखेने को मिली है। यह जातीय एकता नगरीय महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओं में अधिक पाई जाती है।

तालिका क्रमांक 5 – (11)

जातीय महिलाओं में आपसी संबंध :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	हाँ	238	79.3
02–	नहीं	62	20.7
	योग	300	100.0

प्रस्तुत तालिका क्रमांक –5 (11) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में से 79.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों के जाति की महिलाओं से आपसी सम्बन्ध अच्छे हैं।

8- Kalpna K.M - Marrige and Family in India P.27

विवाह :–

ईश्वर ने संसार के जीवों की रचना करते समय कुछ को नर और कुछ को नारी बनाया, सृष्टि का कम चलते रहने के लिये यह विधान बनाया गया है। साथ ही हर जीवन में एक प्रवृत्ति निहित कर दी गई है जिसे काम कहते हैं। यह प्रवृत्ति दो विषम लिंगीय जीवों को एक साथ इकठ्ठा होने और संतान उत्पत्ति के लिये प्रेरणा देती है।

स्त्री पुरूष का सम्बन्ध आदि काल से शाश्वत रूप से चला आ रहा है वह पुरूष की अर्द्धान्गिनी मानी जाती हैं और संसार के प्रत्येक भाग में हमेशा से दोनों एक दूसरें के साथ रहने का प्रयास करते है। संसार के विभिन्न भागों में और इतिहास के विभिन्न कालों में स्त्री पुरूष का यह सम्बन्ध भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता है। विवाह को कहीं ठेका समझा गया, कहीं धार्मिक सम्बन्ध। किसी स्थान पर वह कानूनी सम्बन्ध मात्र होता है और कुछ स्थानों पर केवल योन सम्बन्ध मात्र।

कर्म, पूजा(संतति) और रति(आनंद) हिन्दु विवाह के उद्देश्य माने जातें हैं।[8] विवाह एक सामाजिक संस्था है जो न केवल पुरूष और स्त्री की यौन इच्छा की तृप्ति करती है, वरन् समाज में सुधार व्यवस्था को कामय रखने में अपना योगदान करती है। मानव की सृष्टि को आगे बढ़ाती रहती है और विवाहित लोगों तथा उनके सम्बन्धियों को मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक सन्तोष प्रदान करती है।

महिला श्रमिकों का वैवाहिक जीवन उनकी सांस्कृतिक पैटर्न (धरोहर) पति पत्नी के सम्बन्ध पर निर्भर करती है। श्रमिक महिलाओं की राय में अन्तर्विवाह (एक ही जाति में विवाह) अच्छा माना गया, इससे सामाजिक सम्बन्धें को शक्ति प्रदान होती है, परन्तु अन्तजार्तीय विवाह से नही। इस प्रकार विवाह या अन्तर्जातीय विवाह दोनों का ही उद्देश्य संतानोत्पत्ति और अनुवंशिकता को बनाये रखने का है।

प्रस्तुत अध्ययन में महिला श्रमिकों से विवाह सम्बन्धी जानकरी ली गई जिसमें अधिकांशतः महिला श्रमिकों का अन्तर्विवाह हुआ था। ऐसी भी महिला श्रमिक अध्ययन में शामिल थीं जिनका अन्तर्जातीय विवाह हुआ था। परन्तु ऐसी महिला श्रमिकों की संख्या नगण्य थी। ग्रामीण स्तर् पर महिला श्रमिक परिवारों में जाति के बाहर शादी करने की अनुमति बिलकुल नहीं दी जाती है। यदि काई किसी परिवार का कोई सदस्य कर भी लेता है तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। और उस परिवार वालों को जाति ओर समाज में शर्मिन्दा होना पड़ता है। ऐसे महिला श्रमिक परिवारों में इनकी संख्या भी नगण्य थी।

विवाह से सम्बन्धित युवक युवतियों की राय :–

विवाह में माता पिता की इच्छा सर्वोपरि नहीं रही हैं।युवक युवतियों की इच्छा व सहमति पर ही वैवाहिक सम्बन्ध तय किये जाते है।[9] समय के तीव्र गति से बदलते हुये परिवेश में युवकों की एवं युवतियों की राय लेना भी आवश्यक सा हो गया है, जिससे वर–वधू और परिवार जनों के सामने कोई परेशानी खड़ी न हो। आधुनिक समय में युवक–युवतियों की राय के बाद ही विचार प्रकिया का पहला चरण प्रारम्भ होता है, नगरीय सम्पर्क के कारण ग्रामों के पूर्व जमीदारों या धनाढ्यों के यहाँ भी विवाह के प्रतिमान परिवर्तित हो रहे हैं। समथर क्षेत्रांतर्गत कृषि पर आधारित महिला श्रमिक परिवारों में शादी के बारे में युवक युवतियों की सलाह नहीं ली जाती है, सलाह लेने में परिवार, बुजुर्गो की अवहेलना समझता है। दलित एवं मजदूर वर्ग भी इसे स्वीकार नहीं करता इन परिवारों के लिये मुखिया का निर्णय ही मान्य होता है। आधुनिकता से दूर रहकर युवक–युवतियों की राय लिये बिना शादी तो तय हो जाती है। परन्तु इन परिवारों में यह अच्छाई पायी जाती है कि युगलो के जीवन में बहुत कम विंसंगति आती है।

---

9 – डा0 पोथन के0पी0 एवं टोग्या वी0सी0 – परिवार और समाज, कमल प्रकाशन इन्दौर, 1989 पेज 279

आयोजित विवाहों का स्थान अब प्रेम विवाह ले रहे है। विवाह की विधियों एवं प्रविधियों में परिवर्तन हो रहे है। शहरी करण की प्रकिया के कारण कोर्ट मैरिज भी अधिक होने लगी है। पर महिला श्रमिक परिवारों में इसकी संख्या यदा कदा ही देखने को मिलती है।

तालिका क्रमांक 5 – (12)

शादी तय करने में युवक युवतियों की राय :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	राय नहीं लेना चाहिये	230	76.7
02–	राय लेना चाहिये	11	03.7
03	इस बारे में कुछ कह नहीं सकते	59	19.6
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (12) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से अधिकतर 76.7 महिला श्रमिकों ने राय न लेने से मना किया है। दूसरा समूह 19.6 प्रतिशत महिलाओं का है जो राय लेने के बारे कुछ न कहने की स्थिति में थीं।

तालिका क्रमांक 5 – (13)

महिला श्रमिकों की दृष्टि में कोर्ट मैरिज :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01–	उचित	35	11.7
02–	अनुचित	225	75.0
03–	कुछ नहीं कह सकते हैं।	40	13.3
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (13) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में से अधिकतर 75 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने कोर्ट मैरिज को अनुचित ठहराया, दूसरा समूह 13.3 प्रतिशत महिलाओं का हैं जो कार्ट मैरिज के बारे में कुछ न कह सकने की स्थिति में थी।

विधवा विवाह :–

गाँव में उच्च जातियों में विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं हैं, यद्यपि विधुरों को पुनर्विवाह की आज्ञा है। गाँव में शीघ्र विवाह एवं बाल विवाह के कारण विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। विधवाओं के साथ अनेक अत्याचार होते हैं। किसी भी शुभ कार्य में उनकी उपस्थिति अपशकुन मानी जाती है। उन्हें साज – श्रृंगार, इत्र तेल, चमकीले वस्त्र आदि के प्रयोग की मनाही होती है, और उन्हे सिर के बाल मुड़वाने होते हैं। हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने विधवा स्त्रियों को विवाह की छूट तो दी है, किन्तु गाँव में विशेषकर उच्च जाति में ऐसे विवाहों का प्रबल विरोध पाया जाता है। निम्न (नीची) जातियों में विधवा विवाह की समस्या नहीं है।

महिला श्रमिक परिवारों में विशेषकर विधवा विवाह को उदार दृष्टि से ही देखा गया है। उच्च वर्गों में विधवा पुनर्विवाह को अधिक अनुदार दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति घटती जा रही है।

<u>तालिका क्रमांक</u> 5 – (14)

विधवा विवाह का पक्ष

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	277	92.3
2.	नहीं	23	7.7
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 05 – (14) से स्पष्ट है कि 300 महिला श्रमिकों में से 92.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने विधवा विवाह का पक्ष स्वीकार किया जबकि 07.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने विधवा विवाह का पक्ष अस्वीकार किया।

पर्दा प्रथा :–

परिवार की स्थापना के लिये, महिलाओं की स्थिति और संतानोत्पादक में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। चूंकि श्रमिक महिलायें पुरानी मान्यताओं का अंधानुकरण करती आ रही हैं। इनमें पर्दा प्रथा श्रमिक महिलाओं की निम्न मासिकता को प्रकट करती है। इनमें सोचने का दायरा भी सीमित है। इनमें उचित निर्णय लेने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती है और आज भी श्रमिक महिलायें अपने पिछड़ेपन में जीती चली आ रही हैं।

पर्दा प्रथा ग्राम्य जीवन में एक अच्छे संस्कार के रुप में मानी जाती है जबकि पर्दा प्रथा जीवन का एक बहुत बड़ा बन्धन है। महिला श्रमिकों से उनके परिवार में पर्दा प्रथा अपनाने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया तो अधिकांश 96.0 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार में पर्दा प्रथा न अपनाई जाती है। पर्दा प्रथा न अपनाने वाली महिला श्रमिकों ने बताया कि पर्दा प्रथा का कोई औचित्य नहीं है। ये प्रथा संकुचित बुद्धि वाल परिवारों में ही प्रचलित है, इन परिवारों में महिलाओं का शोषण किया जाता हैं और वे चुपचाप इस अत्याचार एवं शोषण को सहती चली आती हैं।

शहरीकरण :–

शहरी करण जहां एक और आर्थिक विकास का प्रतिफल हैं, वहीं यह इसकी वृद्धि के प्रमुख कारक के रुप में भी माना जाता है। किसी भी अर्थ व्यवस्था के विकास के सूचक के रुप में वहाँ के शहरी विकास को लिया जा सकता है। यही कारण है कि भारत में भी

नियोजन कर्ताओं का एवं नीति निर्धारकों का ध्यान यहाँ के विकास की ओर अधिक आकृष्ट हुआ।

भारत में शहरो की संख्या एव उनके विकास क इतिहास को देखा जाये तो 1951 की जनगणना में शहरों एवं कस्वों की अप्रत्याशित वृद्धि नजर आती है। 1941 में कुल शहरी जनसंख्या सम्पूर्ण जनसंख्या की 13.9 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1951 में 17.3 तथा 1971 में 19.19 और 1981 में बढ़कर 23.31 हो गई।

नगरीकरण का अर्थ लोगों का केवल गांव से नगरों की ओर प्रयाण करना अथवा कृषि को छोड़कर नौकरी या व्यापार करना ही नहीं है बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगो के विचारों, व्यवहारों मनोप्रवृत्तियों और मूल्यों में नगरीय विशेषताओं के अनुसार परिवर्तन होने लगते हैं।[10]

आज भारत में नगर का तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से है जिनमें (1) जनसंख्या का 75 प्रतिशत से अधिक भाग गैर कृषि कार्यो के द्वारा आजीविका उपार्जित करता है। (2) जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति हो (3) जिसकी कुल जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, इन आधारों पर भारत में कस्वों और नगरों को छः प्रमुख भागों में किया जा सकता है।

1:– छोटे कस्बे (5,000 से 10,000 तक जनसंख्या वाले)

2:– सामान्य कस्बे (10,000 से 20,000 तक जनसंख्या वाले)

3:– बड़े कस्बे (20,000 से 50,000 तक जनसंख्या वाले)

4:– नगर (50,000 से 1,00,000 तक जनसंख्या वाले)

5:– बड़े नगर (1,00,000 लाख से 10,00,000 तक जनसंख्या वाले)

10 - Anderson, The Urban Country, P - 5

6:– मैट्रो पॉलिटन नगर (10,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले।)

आज भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 76 प्रतिशत से भी अधिक भाग उन नगरों से सम्बंन्धित है, जिनकी जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक है। दूसरा तथ्य यह है कि नगरों के विकास का कारण केबल औद्योगीकरण से नहीं है। भारत में अनेक नगरों का विकास धार्मिक केन्द्रों अथवा राजनीतिक केन्द्रो के रुप में भी हुआ है।

इस समय समथर की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 20,227 पुरुष है जिसमें 10,754 पुरुष हैं एवं 9473 महिलायें हैं। यह जनसंख्या के आधार पर बड़े कस्बे के अर्न्तगत आता है। यहाँ पर अभी हाल में शासकीय महाविद्यालय कला एवं कृषि संकाय से स्थापित हुआ है। यहाँ पर स्वशासी संस्था नगरपालिका है। यह बड़ा कस्बा शहरीकरण की सीमा में आ चुका है। परन्तु महिला श्रमिकों को अशिक्षा के कारण यह भी ज्ञात कम है कि हमारा कस्बा (ग्राम) शहरी सीमा में आ चुका है।

समथर क्षेत्र का शहरी सीमा मे आने पर भी यहां कोई अच्छा उद्योग विकसित नहीं हुआ है। इसके दो कारण रहे है पहला करण यह रहा कि पूर्व समथर रियासत जो पहले बिन्ध्य प्रदेश में थी, सन् 1948 में देशी राज्यों का जब- विलय हुआ तो इसका विलय नियमानुसार मध्य भारत में होना था परन्तु निर्मित परिस्थिति बस इसका विलय उत्तर प्रदेश में हो गया दूसरा कारण यह रहा है कि समथर का झाँसी कानपुर रैलवे लाइन से बिल्कुल अलग – थलग पड़ जाना।

इस प्रकार समथर में कृषि कार्य को छोड़कर कोई अच्छा बड़ा सा उद्योग नहीं है।

तालिका क्रमांक 5 – (15)

आपका गांव शहरी सीमा में आ गया

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	114	38.0
2.	नहीं	186	62.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (15) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 38.0 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि हमारा ग्राम शहरी सीमा में आ गया जब कि 62.0 प्रतिशत महिलाओं को यही विदित है,कि हमारा ग्राम शहरी सीमा में अभी नहीं आया है।

तालिका क्रमांक 5 – (17)

शहरी करण के कारण उद्योग में वृद्धि :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	घरेलू उद्योग	100	33.3
2.	कुटीर उद्योग	92	30.7
3.	व्यवसायिक उद्योग	108	36.0
4.	उद्योग	–	–
5.	कोई उद्योग नहीं	–	–
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (16) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से सबसे अधिक 36.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि यहाँ व्यवसायिक उद्योग अधिक है। दूसरा समूह 33.3 प्रतिशत श्रमिक महिलाओं का है जिन्होंने घरेलू उद्योगों को बताया।

शहरीकरण से पूर्व पलायन :–

समथर क्षेत्र कृषि पर अधिक आश्रित होने के कारण कृषि में ह्रास एवं गल्ला व्यवसायियों की अवनति होने के कारण 1970–72 के आस–पास इस क्षेत्र के कुछ कृषक एवं मजदूरों का पलायन हुआ। इस पलायन में विशेषकर मुस्लिम वर्ग में हिम्माल जाति के एवं अनुसूचित जनजाति में मोगिया जाति के परिवार थे, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के पास खेती बहुत कम होती है। इनके जीवन यापन का आधार मजदूरी है। जब इनकी मजदूरी प्रभावित हुई तो यह लोग पलायन कर गये। अनुसूचित जनजाति के लोग जो मोगिया या बहेलिया जाति के नाम से जाने जाते हैं, इन लोगों के पास समथर रियासत के पूर्व शासकों द्वारा दी हुई जमीने थी यह लोग भली–भाति खेती करते थे। इनकी खेती को फलती–फूलती देख कर समाज के अराजकतत्वों एवं बाहुबलियों ने इनकी खेती पर एवं स्वयं इन पर कुठाराघात किया। जिससे यह कृषि कार्य छोड़कर एवं परेशान होकर, कुछ लोग अपनी जमीनों को बेचकर झाँसी, ग्वालियर एवं टीकमगढ़ क्षेत्रों में रोजी रोटी कमाने के लिये पलायन कर गये।

आज लोगों में वैयक्तिकता को महत्व देने की अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके कारण पलायन प्रवृत्ति का भी जन्म होता जा रहा है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने के या उसे अपने अनुसार परिवर्तित करने के बजाय, अपने वातावरण तथा स्थान में परिवर्तन करना अधिक पसन्द करते हैं।[11]

सन् 1991 में समथर क्षेत्र में गल्ला मण्डी का शुभारम्भ हुआ नगरपालिका द्वारा अनेक दुकानों का निर्माण हुआ तब से पुरुष एवं महिला वर्ग को रोजगार उपलब्ध हुआ। अब वर्तमान समय में समथर क्षेत्र के निवासियों का पलायन रुक गया है। कृषि एवं मजदूरी का प्रभावित होना इस क्षेत्र से पलायन का सबसे बड़ा कारण था परन्तु इसके अतिरिक्त और भी छोट–छोटे कई कारण थे।

11:– श्रीवास्तव, एस0 सी0 जनांकिकीय अध्ययन के प्रारूप, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस मुंबई 1990 पेज 300

तालिका क्रमांक 5 – (18)

शहरीकरण से पूर्व पलायन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हां	205	68.3
02.	नहीं	95	31.7
	योग	300	100.0

यदि हां तो पलायन के कारण :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
अ.	रोजगार न मिलना	63	30.7
ब.	खेती की असुरक्षा	60	29.3
स.	अच्छी चिकित्सा न मिलना	20	9.8
द.	यातायात की सुविधा का अभाव	25	12.2
य.	बच्चों की पढ़ाई का उचित प्रबन्ध न होना	30	14.6
र.	उपर्युक्त सभी	07	3.4
	योग	205	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (18) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 68.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने रोजगार न मिलना, खेती की असुरक्षा, अच्छी चिकित्सा न मिलना यातायात की असुविधा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का उचित प्रबन्ध न होना, इन सभी कारणों से पूर्व पलायन होना स्वीकार किया जिसमें अधिक रोजगार न मिलना और खेती की असुरक्षा से हुआ। दूसरा समूह 31.7 प्रतिशत ऐसी महिला श्रमिकों का था जिनहोने शहरी करण से पूर्व पलायन को स्वीकार नहीं किया।

शहरीकरण एवं औद्योगिकरण से खान–पान में परिवर्तन :–

नगरीय प्रभाव के कारण महिला श्रमिकों के परिवारों में खान–पान एवं वेश भूषा में परिवर्तन आया है। इन परिवारों में घी, दूध, सब्जी, गेहूँ, काफी एवं ठण्डे पेय पदार्थो का उपयोग बढ़ा है। चाय, बिस्कुट, तम्बाकू की खपत भी गांव में बढ़ी है। पहले खाना बनाने के लिये मिट्‌टी एवं पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था अब उनके स्थान पर स्टील, प्लास्टिक एवं कांच के बर्तनों का प्रयोग बड़ा है।

श्रमिक परिवारों की स्त्री एवं पुरुष मोटे कपड़ों का प्रयोग करते थे। पुरुष धोती कुर्ता एवं पगड़ी व स्त्रियां लंहगा ओढ़नी व कंचुकी पहनती थी। अब इनके स्थान पर पुरुष कोट पेन्ट बुशशर्ट एवं स्त्रियाँ पेटीकोट, साड़ी ब्लाउज पहननें लगी हैं। इसी प्रकार अब कुछ स्त्रियायें आधुनिक सौन्दर्य प्रसाधनों जैसे पाउडर, क्रीम, लिपिस्टिक, आइब्रो नेलपॉलिश आदि का प्रयोग करने लगीं हैं स्कूल जाने वाली बच्चियाँ शर्ट, स्कार्ट, बूट, मौजें पहनने लगीं हैं। देशी जूतों के स्थान पर बूट, सैण्डिल एवं चपपलों का उपयोग बढ़ा है। हाथ से बने कपड़े के स्थान पर मिल में बने सूती, ऊनी, रेशमी, टेरालिन, टेरीकाँट, नायँलाँन एवं कृत्रिम रेशों से बने बस्त्र भी महिला श्रमिक परिवारों में लोक प्रिय हो गये हैं।

तालिका क्रमांक 5 – (18)

शहरीकरण एवं औद्योगिकरण से खान–पान में परिवर्तन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	211	70.3
2.	नहीं	89	29.7
	योग	300	100.0

यदि हां तो किस प्रकार

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	सुविधानुसार फल एवं दूध सब्जी का प्रयोग	150	71.1
2.	चाय, काफी ठण्डे पेय पदार्थो का अधिक प्रयोग	61	28.9
	योग	211	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (18) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 70.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने खान–पान में परिवर्तन अपनी–अपनी दृष्टि से स्वीकार किया जबकि दूसरा समूह 29.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है इन्होनें खान–पान में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया।

गांव में आकर लोगों का बसना :–

जिन स्थानों पर आय के अन्य साधन नहीं होते हैं, जिन स्थानों पर औद्योगिक स्थिति में सुधार नहीं होता, वहाँ के निवासी अपनी जीविका अब भी कृषि पर निर्भर करते हैं वहाँ जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में ह्रास होता जाता है। उपलब्ध भूमि की उत्पादन क्षमता में ह्रास नियम लागू होने के कारण भोजन, आवास, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं में कमी आने लगती है और मौसमी बेरोजगारी, एवं छिपी बेरोजगारी आदि उत्पन्न होने लगती है। इन तमाम कृषि के दुष्परिणामों के कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने लगते हैं।

एक नजदीक के गांव से जाकर रहना इसको अन्य ग्राम का बास नहीं कह सकते, बहुत आस–पास के क्षेत्र में जाकर रहना भी दूसरी जगह का वास (रहना) नहीं कह सकते। दूसरे गांव में जाकर बास करने वाला वह व्यक्ति होता है जो कि किसी भी राजनैतिक सीमा

चाहे वह जिले की ही सीमा क्यों न हो, पार कर दे।

भारतीय श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और समय समय पर अपने गांव जाते रहते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थाई रुप से नहीं बस पाते हैं यह भारतीय श्रमिकों की प्रवासिता की विशेषता के कारण है इससे पाश्चात्य देशों की भांति एक स्थाई औद्योगिक श्रम शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो पाया है इससे श्रम संघो की सदस्यता स्थाई रुप से नहीं हो पाती है।[12]

दूसरी जगह जाकर निवास करने वाले मनुष्य भूमि के अतिरिक्त अच्छी जलवायु, प्राकृतिक साधनों की बहुलता, उसके उपयोग करने की स्वतंत्रता, आवास की सुविधाओं (शिक्षा, अच्छी रोजगार सुविधाओं, संचार व्यवस्था आदि) के कारण समथर क्षेत्र में कई परिवार बाहर से आकर निवास करने लगे हैं जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ गुण दोष युक्त वातावरण उत्पन्न हुआ है।

तालिका क्रमांक 5 – (19)

बाहर आये हुये लोगों का आपके ग्राम में निवास

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	250	83.3
2.	नहीं	50	16.7
	योग	300	100.0

12:– डा0 शर्मा आर0पी0 एवं जैन शशी के. – ओद्यौगिक समाज शास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स त्रिपोलिया बाजार जयपुर 1984–85

यदि हां तो लाभ/हानि

	लाभ				हानि		
क्र0सं0	उत्तरदाता	सं0	प्रतिशत	क्र0सं0	उत्तरदाता	सं0	प्रतिशत
1.	लोगों में प्रतिस्पर्धा	135	54.0	1.	रोजगार क अवसर	118	47.2
2.	अधिक मेहनत करने लालसा	65	26.0	2.	वैमन्सय बढा है	72	28.8
3.	आपसी अनुभव का लाभ	50	20.9	3.	नैतिक मूल्यों में	60	24.0
4.	कोई लाभ	–	–	4.	कोई हानि नहीं	–	–
	योग	250	100.0		योग	250	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (19) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 83.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने अपने गांव में बाहर से आये लोगों का निवास करना बताया। इससे स्थानीय जनों में काम करने की प्रतिस्पर्धा हुई है, अधिक मेहनत की लालसा एवं आपसी अनुभव का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत रोजगार के अवसर भी छूट गए है। वैमनस्य बढ़ा हैं, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, यह हानि भी हुई है।

परिवार में शादी एवं क्रय–विक्रय के निर्णय :–

ग्रामीण परिवारों में सभी सदस्यों की भूमि मकान एवं पूंजी अधिकतर सामूहिक होती है। इसी कारण ग्रामीण परिवारों का अस्तित्व सहयोग पर टिका हुआ है। समय के बदलते परिवेश में लड़के एवं लड़कियों के विवाह तथा जमीन मकान के क्रय–विक्रय के निर्णय परिवार में सभी की सलाह, पर होने लगे हैं। कुछ परिवारों में भिन्न–भिन्न सदस्यों द्वारा निर्णय लिये जाते है।

महिला श्रमिक परिवारों में बदलती परिस्थितियों के कारण मुखिया का महत्व कम

हुआ है और आज के समय में मुखिया के लिय सभी सदस्यों की सलाह लेना भी आवश्क हो गया है । समय के आधार पर परिवार एवं समाज में नव युवकों का महत्व बड़ा है। स्त्रियों एवं पुरुषों में समानता की भावना पैदा होने के कारण स्त्रियों का महत्व बढ़ा है । उनका व्यक्तित्व अब पुरुषों की सत्ता के नीचे दबकर नहीं रह गया है। स्त्रीयों के अधिकारों में वृद्धि हुई है। अब पारिवारिक महत्वपूर्ण निर्णयों में स्त्रियों की सलाह एवं निर्मायों को भी स्वीकार किया जाने लगा है।

तालिका क्रमांक 5 – (20)

परिवार में शादी, जमीन के क्रय–विक्रय के निर्णय :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	परिवार के मुखिया	172	57.3
2.	परिवार के नव जवानों कमाउ सदस्यों द्वारा	95	31.7
3.	सभी मिलकर	33	11.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 5 – (20) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 श्रमिकों में से 57.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों के परिवारों में मुखिया द्वारा निर्णय लिये जाते है। दूसरा समूह 31.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिनके परिवार में नव जवान और कमाउ सदस्यों द्वारा निर्णय लिये जाते है। तीसरा समूह 11.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिनके परिवार में सभी मिलकर निर्णय लेते है।

सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन :–

पारिवारिक संगठनों के अलावा प्रत्येक समाज में सामाजिक मूल्यों के अपने विशिष्ठ प्रतिमान होते हैं। समाज के मूल्य और संगठन परस्पर सम्बन्धित होते हैं। किसी भी

परिवर्तन में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में हमें यह आवश्यक ध्यान रखना है कि संगठनों की तुलना में सामाजिक मूल्य, परिवर्तन में अक्सर बाधक होते हैं। वर्तमान में एशियाई देशों में सामाजिक समानता को (Social Equality) को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मूल्य के रुप में स्वीकार किया गया है। इसी मूल्य को ध्यान मे रखते हुए भारत ने अपने सन्मुख एक जाति बिहीन और वर्ग बिहीन समाज (Casteless and Classless Society) की रचना का लक्ष्य रखा है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि एशियाई समाजों में यद्यपि परम्परागत मूल्य आज भी मौजूद हैं परन्तु आदर्श एक समतावादी समाज के निर्माण का रखा गया है। लेकिन इन समाजों में और विशेषतः भारत में संस्तरणात्मक मूल्यों का महत्व आज भी बना हुआ है।

बढ़ते हुये नगरीकरण के प्रभाव के कारण ग्रामीण सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। नगरीय लोगों के सम्पर्क में आने से सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन को और अधिक बल मिला है। महिला श्रमिक समाज भी इस परिवर्तन से अछूती नहीं है। परम्परात्मक जाति व्यवस्थाओं में व्यक्ति का सामाजिक मूल्याकन इस बात पर होता था कि उसने किस जाति में जन्म लिया है, किन्तु वर्तमान समय में जन्म के स्थान पर व्यक्ति के वैयक्तिक गुणों एवं अर्जित गुणों का महत्व बढ़ा है।

स्पष्ट है कि वर्तमान समय में ग्रामीण भारत में सामाजिक मूल्यों में अनेक नवीन परिवर्तन आ रहे हैं फिर भी गांवों में नगरों की अपेक्षा परिवर्तन की गति बहुत धीमी है।

तालिका क्रमांक 5 – (21)

सामालिक मूल्यों में परिवर्तन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	हां	नहीं	नहीं मालूम	योग
1.	जाति धर्म अपना स्थान	160	101	39	300
	खो रहे हैं।	53.3%	33.7%	13.0%	100%
2.	सामाजिक सम्बन्धों में	182	76	42	300
	कटुता आ रही है।	60.7%	25.3%	14.0%	100%
3.	संयुक्त परिवार समाप्त	261	28	11	300
	हो रहे हैं।	87.0%	9.3%	3.7%	100%
4.	धार्मिक मूल्य परिर्वतन	114	147	39	300
	हो रहे हैं।	38.0%	49.0%	13.0%	100%

तालिका क्रमांक 5 – (21) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों ने सामाजिक मूल्यो में परिवर्तन को निम्न, प्रकार प्रस्तुत किया :–

1– जाति घर्म अपना स्थान खो रहे हैं। इस तथ्य को 53.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया जबकि दूसरे समूह 33.7 प्रतिशत महिलाओं ने इसे अस्वीकार किया।

2– सामाजिक सम्बन्धों में कटुआ आ रही है। इस तथ्य को 60.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया जबकि दूसरे समूह की 25.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने इसे अस्वीकार किया।

3– संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं। इस तथ्य को 87 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया जबकि दूसरे समूह की 9.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने इसे अस्वीकार किया।

4– धार्मिक मूल्य परिर्वतन हो रहे हैं। इस तथ्य को 38 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार

किया जबकि 49 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने इसे अस्वीकार किया।

इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन तो आया है परन्तु यह नगरीय समाज से बहुत कम, अभी भी ग्राम्य जीवन में प्राचीन सामाजिक मूल्यों को बहुत देखा जाता है।

अध्याय - 6

महिला श्रमिकों की सांस्कृतिक विशेषतायें जैसे शिक्षा, मनोरंजनात्मक कार्य एवं अन्तः क्रियाओं का अध्ययन :—

1 :— पृष्ठभूमि

2 :— महिला श्रमिकों का शैक्षिक स्तर

3 :— परिवार के शैक्षिक स्तर में सुधार

4 :— गाँव में शिक्षा सुविधायें

5 :— महिलाओं का शैक्षिक होना आवश्यक

6 :— शिक्षा के अवसर से परिवर्तन

7 :— धर्म में विश्वास

8 :— शिशुओं की जन्म स्थली

9 :— शिशुओं को दुग्ध पान

10:— संस्कारो में विश्वास

11:— बच्चों की शिक्षा पद्धति

12:— पल्स पोलियो से बच्चों को सुरक्षा

13:— बच्चों का टीकाकरण

14:— जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक उत्थान में बाधा

15:— जनसंख्या समस्या का हल

16:— मनोरंजन एवं सूचना के साधन

पृष्ठभूमि :-

प्रत्येक गाँव में कृषि कार्य में सहयोग के लिये महिला श्रमिकों का एक समूह होता है। जो एक निश्चित भू क्षेत्र में बसा होता है और जो कुछ दूरी पर बसे ऐसे ही समूह से भिन्न है। गाँव की प्रथकता वहाँ यातायात एवं सड़कों की कमी , अधिकतर लोगों की कृषि पर निर्भरता, आर्थिक दृष्टि से पारस्परिक निर्भरता, परिवार एवं समाज के अनुभव एवं परम्परायें, सामुदायिक उत्सवों एवं त्यौहारों का महत्व आदि कारकों की उपस्थिति कृषि कार्यरत महिला श्रमिकों की एक रूपता को सम्भव एवं स्वभाविक बनाती है।

महिला श्रमिकों की सांस्कृतिक विशेषताएं अन्य विशेषताओं की भांति ही नगरीय जीवन से काफी भिन्न होती है। महिला श्रमिकों के सांस्कृतिक पक्ष के दो भाग है। 1– धार्मिक विश्वास तथा व्यवहार 2– सौन्दर्य बोध तथा कलात्मक क्रियायें।

महिला श्रमिकों की धार्मिकता को समझना बड़ा कठिन कार्य है क्योकि इनकी धार्मिकता न तो पुस्तकीय है, न दीक्षा एवं शिक्षा द्वारा अर्जित। महिला श्रमिकों ने उसे अपने संस्कारों एवं परम्पराओं द्वारा युगों पूर्व के पूर्वजों से विरासत में प्राप्त किया है। इसलिये धर्म एवं देवी देवताओं के बारे में उनकी अधिकतर धारणायें मानवीकृत तथा मानवता रोपी हैं। उनमें आदिम जातियों का सर्वात्म वाद (एनीमिसम) जादूटोना (मेजिक) बहुदेव वाद (पपेलीथिज्म) पौराणिक कल्पित गाथायें (मैथेस) और भूत–चुड़ैलों तथा प्रेतात्माओं पर विश्वास सभी कुछ शामिल है। नगरीय महिलाओं की धारणायें उनसे भिन्न हैं वे प्रायः अन्यन्त शास्त्रीय और परिष्कृत होती हैं और जिनमें जीवन आत्मा, आदि अन्य मूल तत्व और ज्ञान आदि के बारे में एक से एक पुस्तकीय ज्ञान है, जिनमें सूक्ष्म ही सूक्ष्म चिन्तन है। महिला श्रमिकों के धार्मिक विश्वासों में विवेक बुद्धि और बाद–विवाद या शास्त्रार्थ आदि के लिये स्थान नहीं होता है। नगरीय महिलाओं की भांति अमूर्त चिन्तन से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनके विश्वास

अत्यन्त सरल सीधे सादे और मूर्त रुप लिये होते हैं। महिला श्रमिकों का किसी भी देवी देवता या किसी भी प्रकार के ईश्वर से कोई विरोध नहीं होता है। वह अनगिनत देवी–देवताओं को सिर झुकाती हैं और वैसी ही बात करती है जैसे देवी देवता उनकी बातों को सुनते ही हों। इसलिये बह गिड़गिड़ा कर उनसे अपनी अच्छा पूर्ति करने के लिये प्रार्थना भी करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रेत आत्माओं के रुप में आने वाले देवी देवताओं को डॉटती एवं फटकारती भी हैं। अतः उनके जीवन में देखा जाता है कि महिला श्रमिकों का आधार उनकी परम्परा बद्धता और अज्ञान और अपनी समझ तथा सामर्थ्य से परे वास्तविक अथवा कल्पित शक्तियों से भयभीत होना है।

ग्रामीण महिला श्रमिकों का विश्वास हे कि यह दुनिया तरह–तरह की अनगिनत आत्माओं से भरी पड़ी है, उनका धार्मिक विश्वास है कि मृत पूर्वजों की आत्माओं को सन्तुष्ट करना चाहिये अन्यथा ये उन्हें परेशान करेगीं। उनके लिये मृत पूर्वजों, शरीर मुक्त आत्माओं, देवी देवताओं और ईश्वर अथवा परमात्मा आदि ने रहने के लिए पितृलोक, प्रेतलोक, देवलोक तथा बैकुण्ठधाम आदि काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक लोक होते हैं। यही नहीं, महिला श्रमिकों की दृष्टि में सांसारिक घटनाओं के लिये कोई न कोई देवी देवता अलग – अलग होता है। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के पीछे किसी न किसी आत्मा या देवी देवता का हाथ होता है। अतः इन आत्माओं तथा देवी देवताओं को मनाना खुश करना और उनसे भयभीत रहना. उनका आदर सम्मान करना महिला श्रमिकों के लिये आवश्यक है। यह आवश्यकता उनके तमाम व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करती हैं।

महिला श्रमिक समाज के वास्तविक जीवन के परिष्कृत तथा सौन्दर्य बोध एवं आकांक्षाओं पर आधारित रुपों का परिचय हमें उसके सांस्कृतिक व्यवहार से मिलता जिसकी अभिव्यक्ति चार प्रकार की कलाओं द्वारा होती है।

ये चार कलाएँ हैं :–

1:– चित्रकारी (पेनटिंग)

2:– पक्काशी (इनग्रेविंग)

3:– संगीत और लोक गाथांए (म्यूजिक एवं फोलकलोन)

4:– नाटक तथा नृत्य (ड्रामा एण्ड डान्स)

सौन्दर्य कला के ये चारों रुप हमें नगरी समाज में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण तथा नगरी समाज के इन कला रुपों की अन्तर्वस्तु, तथा अभिव्यक्ति में बहुत अन्तर होता है। ये चारो कलांए क्या है ? रेखांकन, चित्रकारी, नक्काशी में द्विविमितीय(टू–डिमेसिनल) प्रभाव पैदा किया जाता है, रुपंकर कला में विभिन्न सामग्रियों की सहायता से त्रिविमितीय (थ्रीडिमेसिनल) प्रभाव पैदा किया जाता है इसमें लकड़ी या पत्थर को काट कर या तराशकर विभिन्न आकृतियों को दबाकर या उभार कर मूल आकृति को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है शरीर और मुँह को (चेहरे या मुखोटे से) तरह–तरह के कलेवरों से ढ़ककर भिन्न–भिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। लोक कथाओं में अनेकानेक मनगढंत काल्पनिक पौराणिक कथाएँ, गाथायें, कहावतें, पहेलियां आदि पदों में होती हैं और इन्हें गाया जाता है। अन्त में नाटक और नृत्य में उपयुक्त तीनों कलाएं शामिल होती हैं।[1]

भारतीय ग्राम एवं ग्रामणिओं (महिला श्रमिकों) के अध्ययन में बृहत एवं लघु परम्परा इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग एवं इन दोनों की अन्तः क्रियाओं का भी उल्लेख किया जाता है। ये दोनों परम्परायें आन्तरिक एवं बाह्य सम्पर्को द्वारा अन्तः क्रियाऐं करती हैं प्रथम स्तर पर जन साधारण एवं निरक्षर कृषकों द्वारा अन्तः क्रियाएँ होती हैं और द्वितीय स्तर पर अभिजातवर्ग तथा चिन्तनशील व्यक्तियों के द्वारा इन दोनों का सम्पर्क होता है।

प्रथम के अन्तर्गत आने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियायें लघु परम्परा को निर्मित करती

1:– डॉ0 गुप्त रघुराज एवं मुन्शी एस0एन0 मुन्शी – ग्रामीण समाज शास्त्र, भारतीय परिवेश में विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली 7, 1983 पेज 58

हैं और दूसरे के अर्न्तगत आने वाली बृहत परम्पराओं को परम्पराओं के इन दोनों स्तरों पर निरन्तर अन्तः क्रिया होती रहती हैं।[2] लघु परम्परा का सम्बन्ध प्रभुखतः निरक्षर कृषकों और बृहत परम्परा का चिनतनशील व्यक्तियों का जो संख्या में छोटे होते हैं के साथ पाया जाता है।

महिला श्रमिकों का शैक्षिक स्तर :–

शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की अवस्था किसी भी देश के विकास की स्थिति को प्रकट करती है। एक देश में शिक्षित या अशिक्षित क आधार पर उसकी विकसित एवं अविकसित अवस्था का ज्ञान किया जा सकता हैं। स्वतन्त्र भारत में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं की अशिक्षा को दूर कर उन्हें वर्तमान से परिचित कराना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। जिससे वे राष्ट्र निर्माण की धारा में सक्रिय रुप से भाग ले सके। वर्तमान समय में महिला श्रमिक समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित है। जिनका निराकरण वैदिक कालीन ज्ञान अथवा चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा के सही ढंग से क्रियान्वयन द्वारा ही किया जा सकता है।

महिला श्रमिकों की शिक्षा का स्तर बहुत निराशाजनक है उनका एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है जो थोड़ी बहुत शिक्षित हैं वे केवल प्राथमिक स्तर तक ही है। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में काम करने वाला श्रम का एक बहुत बड़ा भाग (चाहे वह स्त्री श्रमिक हो) या पुरुष कामगार हो पढ़ा लिखा नहीं होता।[3]

शिक्षा के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार काल में श्रमिक महिलायें आज भी अधिक संख्या में निरक्षर हैं। प्राइमरी से हाईस्कूल, तक शिक्षित श्रमिक महिलायें बहुत कम से कम हैं। इण्टर तक शिक्षित महिला श्रमिकों की संख्या नगण्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो शिक्षा

2:- Singj Yogendra - Modernization of An India Tradition P.13

3:- श्रीमति डॉ0 परमार दुर्गा श्रमजीवी महिलाएँ और समकालीन पारिवारिक संगठन, साहित्य भवन (प्रा0) लिमिटेड इलाहाबाद 1982 पेज 46

योजना लागू की गई है। वह केवल कागजों तक ही सीमित है। महिला श्रमिकों को इससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी और ग्रामीण परिवारों के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा लड़कियों को एवं महिलाओं को शिक्षा संस्थाओं में भेजना या शिक्षित करना अधिक पसन्द नही किया जाता है और न शिक्षा संस्थाओं द्वारा लड़कियों एवं महिलाओं को कोई लाभ दिलाना स्वीकार किया जाता है।

शिक्षा वह संस्था है जिसका केन्द्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है[3] समथर क्षेत्रान्तर्गत श्रमिक महिलायें शिक्षा संस्थाओं से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकी, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी इनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

तालिका क्रमांक 6 – (1)

महिला श्रमिकों का शैक्षिक स्तर :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1–	अशिक्षित	258	86.0
2–	थोड़ा शिक्षित	15	5.0
3–	प्राइमरी	12	4.0
4–	जूनियर हाईस्कूल	12	4.0
5–	हाईस्कूल	03	1.0
6–	इण्टर स्नातक	–	–
7–	स्नातक या उससे अधिक	–	–
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (1) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 श्रमिक महिलाओं में से 86.0 प्रतिशत महिला श्रमिक अशिक्षित हैं। 5.0 प्रतिशत महिला श्रमिक थोड़ी

शिक्षित हैं। 4.0, 4.0 प्रतिशत महिला श्रमिक क्रमशः प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल हैं। मात्र 1.0 प्रतिशत महिला श्रमिक हाईस्कूल हैं।

परिवार के शैक्षिक स्तर में सुधार :–

महिला श्रमिक परिवारों में पूर्व की अपेक्षा अब शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। यद्यपि परिवार में शैक्षिक सुधार के बाद कोई नवीनता देखने को नहीं मिली इसका मुख्य कारण रोजगारपरक शिक्षा का न होना है। महिला श्रमिकों ने यह बताया कि परिवार के शैक्षिक स्तर के सुधार से यह लाभ हुआ कि आगे आने वाली पीढी अपने ढग से जीना चाहेगी। वह समय और श्रेणी के अनुसार अपने को, अपने परिवार को अच्छे वातावरण में ढालने का प्रयास करेगी। परिवार में कुछ बच्चों के पढ़ जाने के कारण महिला श्रमिकों ने पारिवारिक हित को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से सर्वोपरि मानकर पारिवारिक संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास भी किया है। महिला श्रमिकों ने अपने परिश्रम के माध्यम से परिवार के भौतिक स्तर को ऊंचा ही नही उठाया बल्कि बच्चों को शिक्षित भी बनाया है।

शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में उन भौतिक बौद्धिक, और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिये सम्पूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिये आवश्यक है।[4]

परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है और माता–पिता ही इसके कुशल शिक्षक होते हैं। इस बात पर यदि ध्यान दे तो हम देखते है कि परिवार में माता–पिता अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो परिवारिक जीवन की शिक्षा वास्तविक अर्थ में दे सकते हैं और वे एक जिम्मेदार माता–पिता होने के साथ साथ सफल शिक्षक भी साबित हुये हैं।

4:- Phillips B.S. Sociology Social structure and change P-305

महिला श्रमिकों के परिवारों में आधुनिक समय में शिक्षा के प्रसार के कारण सदस्यों ने यह समझा है कि हम लोग किस प्रकार की जिन्दगी जी रहे है अथवा और भी शिक्षा के ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा हम परिवार की खुशहाली के लिये विभिन्न रास्ते अपना सकते हैं।

महिला श्रमिकों के परिवारों में शैक्षिक सुधार तो हुआ है पर वह बिलकुल मन्द गति से हुआ है। अभी फिलहाल उन्हें कोई विशेष लाभ अर्जित नहीं हुआ। यह शासन की नीति दिखाने में तो अधिक है पर वास्तविकता में बहुत कम है।

तालिका क्रमांक 6 – (2)

परिवार के शैक्षिक स्तर में सुधार :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	110	36.7
2.	नहीं	190	63.3
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (2) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 36.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों के परिवारों के ही शैक्षिक स्तर में सुधार आया है। जबकि दूसरा समूह 63.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है इनके परिवारों के शैक्षिक स्तर में कोई सुधार नहीं आया है।

गांवों में शिक्षा सुविधायें :–

मानव सृष्टि का एक ऐसा प्राणी है जिसके द्वारा आदि काल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और कुछ बह स्वयं अर्जित करता है। मानव कि प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की

5:- Bottomare, T.B. - Sociology P - 275

प्रक्रिया के द्वारा और हस्तान्तरण प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती गयी है। ज्ञान की परम्परात्मक श्रृंखला ही शिक्षा है जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाकर श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है।

शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।[6]

महिला श्रमिकों से गांवों में प्राप्त होने वाली शिक्षा सुविधाओं के बारे में जब पूछा गया तो यह ज्ञात हुआ कि उनकों यह विदित है कि समथर जिला झाँसी में शासन की कई शिक्षा संस्थायें हैं। पूर्व से ही यहाँ जी0आई0सी0 कॉलेज है और अभी हाल में कुछ वर्षो से यहा राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई है । इस महाविद्यलाय का सन् 1996–97 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी द्वारा शिलान्यास हुआ। इस महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला एवं कृषि संकाय की मान्यता प्राप्त हुई है। परन्तु अभी कला संकाय की शिक्षा दी जाती है, कृषि संकाय की नहीं।

बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण महिला श्रमिकों ने शिक्षा या साक्षरता को ही सबकुछ नहीं माना है। इन्होंने रोजगार युक्त या बुनियादी शिक्षा को श्रेष्ठ माना है और बच्चों के लिये शिक्षा के माध्यम से शरीर, मन, और आत्मा के श्रेष्ठतम विकास पर जोर दिया जाता है। महिला श्रमिकों ने शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाकर बच्चों व बच्चियाँ को हस्तकला उद्योग की शिक्षा देने की इच्छा प्रकट की है।

आजादी के 56 साल बाद हमारे देश में साक्षरता की स्थिति यह है कि गांवों में इण्टर मीडिएट पास महिलायें नहीं है। बड़ा गांव ब्लाक (झाँसी) की एक पंचायत में इसी तरह का मामला प्रकाश में आया। बताया गया कि पिछले दिनों तक जिला प्राथमिक शिक्षा

6 :– महात्मा गाँधी – हरिजन 1937.

कार्यक्रम के तहत की जा रही शिक्षामित्रों की भर्ती के लिये ग्राम पंचायत सेवा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र की नियुक्ति होना थी। सभी गांवों में वह जानकारी भेजी गयी उक्त पंचायत में करीब 5 ग्राम आते हैं लेकिन किसी भी ग्राम में कोई भी महिला इण्टर मीडिएट पास नहीं मिली। तब किसी अन्य की नियुक्ति की गई। जनपद झाँसी में ऐसे कई गांव है जहाँ आज भी पढ़ी लिखी महिलायें बिरली ही मिलती है।[7]

इस बात से स्पष्ट है कि गांवों में शिक्षा सुविधाओं के बाद भी कई महिलायें शिक्षा से बंचित है।

तालिका क्रमांक 6 – (3)

गांवों में शिक्षा सुविधायें :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	300	100.0
2.	नहीं	–	–

यदि हां तो किस स्तर की

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	प्राइमरी	–	–
2.	जूनियर	–	–
3.	हाईस्कूल	–	–
4.	इससे अधिक	300	100.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (3) से स्प्ष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से सभी को यानी 100 प्रतिशत महिलाओं को विदित है कि हमारे गांवों में उच्च्य शिक्षा

7:– अमर उजाला झाँसी, समाचार – पत्र मंगलवार 5 अगस्त, 2002 पेज – 5

सुविधायें है परन्तु इन सुविधाओं से महिलायें लाभान्वित नहीं हो सकी।

महिलाओं का शैक्षिक होना आवश्यक :–

समथर कस्बा में 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या 9473 है। जिसमें 4085, 43.12 प्रतिशत महिलायें साक्षर और 5388, 56.88 प्रतिशत महिलायें निरक्षर है। महिला श्रमिकों से जब महिलाओं की शिक्षा के बारे में प्रश्न पूछा गया तो उनमें से अधिकाश महिलाओं ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वर्तमान के बदलते परिवेश में महिलाओं का शिक्षित होना जरुरी है। यह सत्य भी है कि शिक्षित महिलायें आत्म निभर बन कर ही अपने परिवार व समाज के विकास में योगदान कर सकती हैं।

राजस्थान में अनुसूचित जाति में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत कम साक्षर है एक और जहाँ 42.38 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं वहीं महिलांए 8.3 प्रतिशत ही साक्षर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 49.9 तथा 27 है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार गैर अनुसूचित जाति के लोगों में 66 प्रतिशत पुरुष तथा 38 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। ये तथ्य अन्तर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में उजागर किये गये हैं।[8]

तालिका क्रमांक 6 – (4)

महिलाओं का शैक्षिक होना आवश्क :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	204	68.0
2.	नहीं	96	32.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (4) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों

8:– दैनिक भास्कर ग्वालियर, मंगलवार 10 सितम्बर, 2002 पेज – 11

में से 68 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक बताया। जबकि 32 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने महिलाओं का शिक्षित होना आवश्क नहीं बताया।

शिक्षा के अवसर से परिवर्तन :-

समथर क्षेत्र में शिक्षा के बढते प्रसार से महिला श्रमिकों के परिवारों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। बुजुर्गो के पुराने अनुभव चाहे वह खेती करने में चाहे मकान बनाने में या स्वास्थ्य बनाने में क्षेत्र में हो इनके अनुभव का महत्व बराबर कम हो गया है। परम्परागत रुढ़िवादिता में ह्रास देखने को मिला है। पूर्व में स्त्रियों में शिक्षा की कमी के कारण ''झूठी शर्म'' की भावना जो उत्पन्न होती थी और उन पर परिवार और समाज द्वारा जो मातृत्व लाद दिया जाता था, वह रुढिवादिता अब कम हुई है।

सब गांवों में चाहे वह एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र में क्यों न बसे हो, परिवर्तन का रुप और दिशा एक न होगी। हैलपर्न ने गांवों को पहले कुछ प्रकारों में बांटा है, और फिर उनमें सम्भावित भावी परिवर्तनों की ओर संकेत किया है।

गांव में परिवर्तन लाने में आधुनिक शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामवासियों का नगरों से शिक्षा प्राप्त कर पुनः गांव में लौटने से गांवों में प्रगति एवं शिक्षा विचारों को बल मिला है। ग्रामवासियों की पुरानी मानसिकता समाप्त हुई है और वे अन्ध विश्वासों का छोड़कर वैज्ञानिकता एवं आधुनिकता को ग्रहण करने लगे हैं, इससे ग्रामों में परिवर्तन की ऐसी संक्रिया शुरु हुई है जिसने उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन मे कई परिवर्तन किये हैं। जाति एवं धर्म की परम्परा में उदारता आई है। पहले भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक जगह बैठकर खान–पान एवं धार्मिक कृत्य नहीं करते थे अब गांव में यह परम्परा बहुत कुछ हद तक कम हुई है। सभी जातियों के लोग भोज के अवसरों पर एक दूसरे के घर जाकर भोजन करने लगे हैं। मन्दिरों में भी समान रुप से आना जाना एवं

पूजा कर्म प्रारम्भ हुये हैं। शिक्षा के प्रभाव के कारण गांव की समस्याओं को समझते हुये ग्रामीण जन राष्ट्रीय योजनाओं में भाग लेने लगे हैं।

उपर्युक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त गांवो में चिकित्सा, सफाई एवं मनोरंजन आदि के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुये हैं। मनोरंजन के नवीन साधनों में टी0वी, रेडियों, बी0सी. आर एवं समाचार पत्रों अधिक खेल–कूद जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल बालीवॉल कैरम एवं ताश आदि का प्रचलन गांवों में बढा है।

तालिका क्रमांक 6 – (5)

शिक्षा के अवसर से परिवर्तन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	197	65.7
2.	नहीं	103	34.3
	योग	300	100.0

यदि हां तो किस प्रकार :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या		योग
		हां	नहीं	
अ.	परम्परागत रुढिवादिता कम हुई	160 (53.3%)	140 (46.7%)	300 100.0%
ब.	लोग स्थानीय तथा राष्ट्रीय योजनाओं में समस्याओं को अधिक समझने लगे है।	125 (41.7%)	175 (58.3%)	300 100.0%
स.	लोग राष्ट्रीय योजनाओं में अधिक	105	195	300

	भाग लेने लगे है।	(35%)	(65%)	100.0%
द.	धर्म एवं जाति के विचारों में	62	238	300
	उदारता आई हैं।	(20.7%)	(79.3%)	100.0%
य.	रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार	195	105	300
	पत्रों मे लोग अधिक रुचि	(65%)	(35%)	100.0%
	लेने लगे हैं			

तालिका क्रमांक 6 – (5) से स्प्ष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 65.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने शिक्षा के अवसर प्राप्त होने के कारण गांव मे परिवर्तन होना स्वीकार किया है। जबकि दूसरा समूह 34.3 महिला श्रमिकों का है इन्होंनें परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। गांव में परिवर्तनों के निम्न कारण हैं।

अ– रुढ़िवादिता का कम होना ब– लोगों द्वारा स्थानीय तथा राष्ट्रीयता समस्याओं को समझना स– राष्ट्रीय योजनाओं में अधिक भाग लेना द– धर्म एवं जाति के विचारों में उदारता य– रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों में अधिक रुचि लेना।

धर्म में विश्वास :–

महिला श्रमिकों का धर्म में अत्यधिक विश्वास है इसका कारण केबल यह है भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ जीवन की अधिकांश क्रियाओं का प्रारम्भ और समाप्ति धार्मिक विधि विधानों से होती है। इसलिये कहा जाता है कि भारतीयों का जीवन धर्म के इर्द–गिर्द घूमता है। चूंकि कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों का मुख्य जीवकोपार्जन का साधन खेती है और वह खेती का कार्य प्रकृति पर निर्भर है, अतः प्राकृतिक शक्तियों में महिला श्रमिकों का अटूट विश्वास है। जैसे लहलहाती फसलें, गड़गडाते बादल या तूफान उफनती हुई नदियाँ, झिलमिलाती रात्रि, चमकती ऊषा, फलों से भरी वसुधा, इनकी पूजा और आरधना में ही अपना हित

समझती है। कृषि कार्य में प्राकृतिक तत्वों की पूजा सर्वोपरि मानी जाती है।

धर्म क्रिया का एक ढंग है साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है।[9] श्रमिक महिलायें, धर्म का आधार लेकर कृषि कार्य का प्रारंभ वैशाख सुदी अक्षय तृतीधा (अक्ती) से या आषाढ़ मास के किसी शुभ महूर्त से श्री गणपति पूजन और भूमि पूजन से प्रारंभ करती हैं।और वर्ष में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार धर्म महिला श्रमिकों के आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है।

धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है।[10] धर्म में अलौकिक शक्ति पर विश्वास किया जाता है। ग्रामीण धर्म में जादूटाना, झाड़फूक, भूत प्रेत में विश्वास, पूर्वज पूजा और पौराणिक कथाओं आदि में ईश्वरीय तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। गप्रमीण धर्म में अनेक लोकों की भी कल्पना की गई है जैसे पितृ लोक, प्रेतलोक, देवलोक, वैकुण्ठ धाम आदि। इन विभिन्न लोको में क्रमशः मृत पूर्वज, अशरीर आत्माओं तथा देवी देवताओं के निवास की कल्पना की गई है। ग्रामीण धर्म में प्राकृतिक शक्तियों के पीछे विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई है। जैसे वर्षा का देवता, वन का देवता, हवा का देवता, आदि।

<u>तालिका क्रमांक</u> 6 – (6)

महिला श्रमिकों का धर्म में विश्वास :–

क्रमांक	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	300	100.0
2.	नहीं	–	–
	योग	300	100.0

9 - Malinowski B. - Magic science and Religion other Essays p- 424
10 - Tylor E.B. - Primitive culture P- 424

यदि हाँ तो :–

क्रमांक	उत्तरदाता	संख्या		योग
		हाँ	नहीं	
अ–	क्या आप धार्मिक प्रवचन तथा	210	90	300
	अनुष्ठानों में शामिल होती हैं।	70.0	30.0	100.0
ब–	क्या आप झाड़ फूंक पर विश्वास	215	85	300
	करती है।	71.7	28.3	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (6)से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों मे से सभी 100 प्रतिशत महिला श्रमिकों को धर्म में विश्वास है जिससे 70 प्रतिशत महिला धार्मिक कृत्यों में शामिल होती है और झाड़ फूंक पर 71.1 प्रतिशत महिला श्रमिक विश्वास करती है।

शिशुओं की जन्म स्थली :–

ग्रामीण धर्म में जजमानी प्रथा के अधिक प्रचलन के कारण महिला श्रमिकों के परिवारों में शिशु का जन्म अधिकतर घर पर ही होता है। चिकित्सा सम्बन्धी बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ गर्भावस्था में ग्रामीण महिलायें उठाती तो है पर ग्रामीण धर्म की अमिट छाप के कारण शिशु की जन्म स्थली का गौरव अपने निवास को ही देना श्रेयष्कर समझती हैं।

डब्ल्यू0एच0 बाइजर ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक गांव की जजमानी व्यवस्था का सूक्ष्मं और विशद् विवेचन प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक आज भी एक प्रमाणिक ग्रन्थ है।[11] जाति व्यवस्था ही भारत में सामाजिक पद सोपन का मुख्य आधार है। यह केवल व्यक्ति और समूहों के सामाजिक सम्बन्धों को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि उनके आर्थिक जीवन की

11 - Wiser W.H - The hindu Jajmani System,1936.

केन्द्रीय धुरी है। जजमानी व्यवस्था में जिस परिवार की सेवा की जाती हैं। वह परिवार या परिवार का मुखिया जजमान कहलाता है। यद्यपि बुन्देलखण्ड के कुछ जिलों में जजमान को यजमान कहते हैं। यह शब्द ब्राह्मण प्रयोग करते हैं क्योकि वह उनसे "यज्ञ" आदि कर्म करवाते हैं। अन्य निम्न जाति जजमान को किसान कहती है। विभिन्न जातियों की एक दूसरें के लिये भिन्न भिन्न कार्य सम्पादित करने की व्यवस्था को जजमानी का नाम दिया गया है।

महिला श्रमिक शिशु का जन्म घर पर इसलिये सम्पन्न कराती है कि अच्छे बुरे कार्यों में सेवारत कमीनों को किसानों द्वारा कुछ पारितोषक जरूर दिया जाता है, चाहे वह शिशु का जन्म सरकारी अस्पतालों में क्यों न करायें इनमें नाई का काम प्रधान होता है। नाइन जच्चा व बच्चा की 10–15 दिन मालिश करती है और नाई जन्म के समय आये हुये मेहमानों की सेवा करता है।

धानुक जाति की स्त्रियां दाई का काम करती हैं एवं मल मूत्र को साफ करके सफाई करती हैं इन सब व्यवस्थाओ के कारण श्रमिक महिलायें घर पर ही बच्चें का जन्म कराती है।

तालिका क्रमांक 6 – (7)

शिशुओं का जन्म स्थान :–

क्रमांक	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	घर	226	75.3
2.	सरकारी अस्पताल	74	24.7
3.	प्राइवेट नर्सिंग होम	–	–
4.	अन्य	–	–
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (6) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 75.3 प्रतिशत महिला श्रमिक घर पर ही शिशु का जन्म कराती है। जबकि दूसरा समूह 24.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जो शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल में कराना पसन्द करती थीं।

शिशुओं को दुग्धपान :–

प्रारंभ में माता के दूध के बाद श्रमिक महिलायें शिशु को गाय या बकरी का दूध पिलाना ज्यादा पसन्द करती है। गाय का दूध हल्का एवं पाचन शील होता हैं, महिला श्रमिकों का यह विश्वास है कि प्रारम्भ में गाय का दूध पिलाने से शिशु में गाय के बछड़े जैसी स्फूर्ति आती है महिला श्रमिकों ने गायों में भी काली गाय का दूध अति उत्तम बताया। इसको "श्यामा" गाय भी कहते हैं अन्य गायों का दूध उत्तम होते हुये भी कफ वात एवं पित्त वर्द्धक हो सकता है पर काली गाय का दूध नहीं, यह दूध निर्दोखिल (दोष रहित) होता है ।

मुस्लिम एवं दलित वर्ग की श्रमिक महिलायें प्रारंभ में शिशु को बकरी का दूध पिलाना पसन्द करती हैं इन महिलाओ का विश्वास है कि बकरी सभी प्रकार की वनस्पति को खाती है इसलिये इसका दूध अच्छा होता है। जबकि भैंस के दूध की सभी ने मना की है।

माता का दूध तो सभी दूधों में श्रेष्ठ होता है। परम्परानुसार शिशु पर माता के दूध का कर्ज भी चढ़ जाता है। ग्रामीण महिलायें शिशु की ताकत के लिये अपने शिशु को स्तनों पान कराती है। परन्तु शहरी महिलायें अपनी सेहत की कमजोरी के डर से शिशुओं को अपने स्तनों का पान नहीं कराती हैं।

तालिका क्रमांक 6 – (8)

प्रारम्भ में शिशुओं को दुग्धपान से सम्बन्धित राय :–

क्रमांक	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	माता का दूध	187	62.3
2.	भैंस का दूध	–	–
3.	गाय का दूध	38	12.7
4	बकरी का दूध	75	25.0
	योग	300	100..0

तालिका क्रमांक 6 – (8)से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 62.3 प्रतिशत महिलाओं ने प्रारम्भ में शिशु को माता का दूध श्रेष्ठ बताया है। दूसरी समूह 25.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिन्होनें प्रारत्भ में शिशु के लिये बकरी का दूध श्रेष्ठ माना है।

संस्कारों में विश्वास :–

हिन्दु समाज में संस्कार जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उसका पूर्व रूप से आशय प्रकट करना कठिन है संस्कार शब्द संस्कृत भाषा से प्रकट होकर अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ अच्छा बनाना, योग्य बनाना या शुद्ध बनाना है।

सामाजिक संस्कारों का महत्व महिला पुरूष के सम्पूर्ण जीवन से होता हे तथा इन्हे जीवन में भिन्न भिन्न अवसरों पर पूरा किया जाता है हिन्दु महिला श्रमिक समाज षोडश संस्कारों में से कुछ संस्कारों को मानता है। जो श्रमिक महिलायें ब्राहमण या सवर्ण होती हैं उनके यहाँ उपनयन (जनेऊ) संस्कार माना जाता है। इसका तात्पर्य बालक को शिक्षा देने के लिये संरक्षण में लेना है। अब इसका मौलिक अर्थ और महत्व बदल गया है और यह मात्र

तीन धागों का जनेऊ बनकर रह गया है।

अन्तिम संस्कार सभी धर्मो में अपनी – अपनी धार्मिक रीति के अनुसार होता है पिण्डदान सभी हिन्दू परिवारों में माना जाता है। इसमें पुत्र, मृत पिता की आत्मा तृप्ति के लिये पिण्डदान करता है। गोदान को सभी हिन्दु महिला श्रमिक परिवारों में माना जाता है। प्रत्येक हिन्दु धर्म अनुयायी परिवारों में विवाह, शादी, यज्ञ के अवसर पर गोदान अवश्य होता है। मनुष्य के शरीर छूटने के पूर्व या बाद में भी गोदान का अपना एक अलग महत्त्व है।

वास्तव में यह कहा जा सकता हे कि यह पता लगाना बहुत कठिन हे कि हिन्दु समाज में कहाँ धार्मिक क्रिया (कर्म काण्डा) का अन्त होता है और कहाँ धर्म निरपेक्ष क्रियाओं का प्रारम्भ।[12] संस्कार का उद्‌देश्य व्यक्ति का समाजीकरण करना भी होता है। क्योकि संस्कारों द्वारा धर्म, मूल्यों, प्रतिमानों तथा आदर्शो का ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कारों से समाज और व्यक्ति के बीच संतुलन होता है संस्कारों द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों से परिचित होता है और समाज के साथ अनुकूलन करना भी सीख जाता है।

<u>तालिका क्रमांक</u> 6 – (9)

महिला श्रमिकों का सामाजिक संस्कारों में विश्वास :–

क्रमांक	उत्तरदाता	हाँ	नहीं	नहीं मानते	योग
1.	उपनयन	20	213	67	300
		(6.7%)	(71.0%)	(2.3%)	100.0
2.	अन्तिम संस्कार	300	–	–	300
		(100%)	–	–	100.0
3.	पिण्डदान	233	–	67	300
		(77.7%)	–	(2.3%)	100.0
4.	गोदान	233	–	67	300
		(77.7%)	–	(22.3%)	100.0

12 - Desai A.R. - Rural Sociology in India, P - 59

तालिका क्रमांक 6 – (9) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों मे से 6.7 प्रतिशत श्रमिक महिलाओं को उपनयन संस्कार में विश्वास है। अन्तिम संस्कार में सम्पूर्ण 100 प्रतिशत महिला श्रमिकों को विश्वास है। पिण्डदान में 77.7प्रतिशत महिला श्रमिकों को विश्वास है एवम गोदान में 77.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों को विश्वास हैं।

बच्चों की चिकित्सा पद्धति :–

प्रारम्भ में बच्चों के स्वास्थ्य का उन्नत स्तर एवं उनकी बीमारी से रक्षा करने का शासन द्वारा अत्यधिक प्रयत्न किया जा रहा है ताकि बच्चे बडे होने पर स्वस्थ्य की दृष्टि से अधिक क्रियाशील हो सकें।

ग्रामीण स्तर पर बच्चों के बीमार होने पर जैसे जुखाम, खांसी आदि में तुलसी शहद अदरक आदि का उचित ढंग से प्रयोग करके घेरलू चिकित्सा को श्रमिक महिलायें अपनाती हैं। घरेलू चिकित्सा में बच्चों के लिये श्रमिक महिलायें जीवन रक्षा घोल का उपयोग करती हैं। बच्चों की मलेरिया, चेचक, हैजा एवं तपेदिक से रक्षा करने के लिये डाक्टरी इलाज का सहारा लेती हैं। आज की परिस्थिति में वैद्य के इलाज को कम महत्व दिया जाता है। पर कभी कभी वैद्य के इलाज को भी कुछ श्रमिक महिलायें स्वीकार करती हैं और वह सफल भी होती है।

ग्रामीण वातावरण में रहने के कारण एवं भूतप्रेत में विश्वास के कारण श्रमिक महिलायें बच्चों के बीमार होने पर झाड़फूंक का भी सहारा लेती है परन्तु अब इस विश्वास में बहुत कमी हुई है और झाड़फूंक के साथ साथ श्रमिक महिलायें डाक्टरी इलाज को भी अन्जाम देती हैं और इस पर विश्वास भी करती है कि डाक्टरी इलाज में लापरवाही से बच्चों का जीवन भी बिगड़ सकता है।

अस्वस्थ होने पर लोगों द्वारा अपनाई गई चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में विभिन्न अध्ययन किये गये। ग्रामीण क्षेत्र पर किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वाधिक 71.5 प्रतिशत संख्या ऐसे रोगियों की थी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी को अपनाते थे और रोगी उस चिकित्सालय में 6 कि.मी. दूर से आते थे।[13]

13– अवस्थी एन0एम0माथुर बी0डी0,सिद्दकी एम0आई0ए0, श्रीवास्तव आर0एन0ए0 एक्सप्लोरेट्री स्टडी ऑफविसीसेज कस्टम्स नीइस एण्ड प्रेक्टिसि इन–रिलेशन टू हेल्थ डिसीज इन एबिलेज आफ बुन्देलखण्ड उ0प्र0 इण्डियन जर्नल ऑफ प्रिवेन्टिव एण्ड सोशल मेडिसन वोल्यूम–10 नं0–1 (1979) पी0पी0 – 52–53

तालिका क्रमांक 6 – (10)

बच्चों बीमार होने पर चिकित्सा पद्धति :–

क्रमांक	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	घरेलू इलाज	50	16.7
2.	वैद्य का इलाज	22	7.3
3.	डाक्टर से इलाज	210	70.0
4.	झाड़फूंक	18	6.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (10) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 70.0 प्रतिशत डाक्टरी इलाज अपनाती थी दूसरा समूह 30.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जो घरेलू इलाज अपनाती थीं एवं वैद्य के इलाज और झाड़फूंक पर ही विश्वास करती थी।

पल्स पालियों से बच्चों की सुरक्षा :–

विश्व भर में पालियों उन्मूलन में महत्वपर्ण प्रगति हुई है। वर्तमान में लगभग 206 देश पोलियों मुक्त है। सन् 2002 में मात्र 7 देशेां में ही पोलियों के मामले दर्ज किये गये। इन 7 देशों में सिर्फ भारत में सन् 2002 में 1556 पालियों के मामले पाये गये हैं। 2002 में पूरे विश्व के 84 प्रतिशत मामले भारत में पाये गये है। 2002 में केवल उत्तर प्रदेश में विश्व के 67 प्रतिशत पोलियो मामले दर्ज किय गये।[14]

महिला श्रमिको ने पूछने पर बताया कि उक्त 0.5 वर्ष तक के बच्चों को वर्ष में 2 बार पोलियों की दवा पिलाई जाती है जब कभी महिला श्रमिक या परिवार का कोई सदस्य बच्चों को पोलियों की दवा पिलाने के लये काम की व्यस्तता के कारण दवा पिलाने वाले केन्द्र पर नहीं पहुँच पाता तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बच्चों को गांव, गांव में ढूढ़कर दवा पिलाते हैं। परन्तु कुछ विसंगतियो के कारण पालियों के बेसलरी नामक वायरस का पूर्ण

14 – आखिर क्यों है उत्तर प्रदेश पर ही नजर ? पत्रिका, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम भारत आकड़े 25 जनवरी 2003 विश्वस्वास्थ्य संगठन नेशनल पोलियो सर्बेलस प्रोजेक्ट भारत सरकार, स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय, शिशु स्वास्थ्य विभाग दिल्ली।

सफाया नहीं हो पा रहा है।

तालिका क्रमांक 6 – (11)

बच्चों को पोलियों से सुरक्षा के लिये दवा पिलाना :–

क्रमांक	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	300	100.0
2.	नहीं	–	–
	योग	300	100.0

यदि हाँ तो कितने वर्ष तक :–

क्रमांक	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	1–3 वर्ष तक	–	–
2.	0–4 वर्ष तक	–	–
3.	0–5 वर्ष तक	300	100.0
4.	उपर्युक्त सभी	–	–
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (11) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों मे से सभी 100 प्रतिशत 0–5 वर्ष तक के बच्चो को पल्स पोलियों की दवा पिलाती हैं।

बच्चो का टीकाकरण :–

टीकाकरण सही उम्र पर सही मात्रा में समय वद्ध कार्यक्रम के तहत तथा पूरी मात्रा में सभी प्रकार के टीकों के साथ पूरा किया जाना उचित होता है। जिस ढांचे के अन्तर्गत बताया जाता है कि प्रत्येक टीके के कितने डोज कब दिये जाने चाहिये उसे

टीकाकरण का समय बद्ध कार्यक्रम अथवा शिडयूल कहते हैं। इसी के अनुसार चलने से बच्चों को सम्पूर्ण संरक्षण मिलता है। भरत में जिस कार्यक्रम को अपनाया गया है उसके अनुसार टिटेनस टॉक्साइड के 2 टीके गर्भवती महिलाओं को लगते हैं एवं ओ0पी0वी0 के तीन डोजेज तथा डी0पी0टी0 के तीन डोजेज साथ साथ बी0सी0जी0 का और खसरे का एक एक डोज लगता है।

श्रमिक महिलायें डाक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सलाह से बच्चों का सही समय पर टीकाकरण करवाती हैं। बीमारियों को रोकने की पद्धतियों में से टीकाकरण एक सस्ता, कम खर्चीली पद्धति है जैसा कि सर्वश्रुत है।

टीकाकरण से आम तौर पर टाली जाने वाली बीमारियाँ

1. टिटेनस
2. पोलियोमायलायटिस
3. डिष्थेरिया
4. काली खांसी
5. खसरा
6. तपेदिक आदि

तालिका क्रमांक 6 – (12)

बच्चों का टीकाकरण :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	300	100.0
2.	नहीं	–	–
	योग	300	100.0

यदि हां तो टीकाकरण की सुविधा :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	स्थानीय सुविधा	300	100.0
2.	शहरी सुविधा	–	–
3.	कोई सुविधा नहीं	–	–
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (12) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से सभी 100 प्रतिशत महिला श्रमिक बच्चों का टीकाकरण करवाती हैं और इन सभी को स्थानीय सुविधा प्राप्त है।

जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक उत्थान में वाधा :–

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है। जहां पश्चिमी देशों की जनसंख्या घट रही है वहीं भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। जहां 1901 में भारत की जनसंख्या 23.83 करोड़ थी वहीं 1991 में 84.43 करोड़ हो गई यहाँ जनसंख्या का 74.3 प्रतिशत भाग गांवों में और 25.7 प्रतिशत भाग नगरों में रहता है। अर्थात् वर्तमान में देश के 4 व्यक्तियों में से 3 गांवों में और नगर में रहता है। अर्थात वर्तमान में देश के 4 व्यक्तियों में से 3 गांवों में और 1 नगर में रहता है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग एम करोड सत्तर लाख लोगों की वृद्धि होती है जो लगभग आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। भारत में प्रतिवर्ष तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या ने यहाँ के आर्थिक विकास, प्रशासन और सामाजिक कल्याण आदि को प्रभावित किया है बेकारी एवं गरीबी को जन्म दिया है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जन विस्फोट हो रहा है। शहरों की अपेक्षा गांवों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है।

जनसंख्या वृद्धि और जीवन स्तर के अर्न्तगत जनसंख्या विस्फोट के कुछ तथ्य

भारत

प्रतिमिनिट	50 बच्चे
1 धंटे में	3 हजार बच्चे
1 दिन में	72 अजार बच्चे
1 वर्ष में	2,41 करोड़ बच्चे

प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ोतरी से प्रतिवर्ष अतिरिक्त आवश्कताऐं :–

अनाज	1,25,46,000 क्विन्टल
कपड़ा	18,87,74,000 मीटर
आवास	25,09,000
स्कूल	1,26,000
अध्यापक	3,72,000
नौकरियां	40,00,000

उपरोक्त अतिरिक्त संसाधन प्रतिवर्ष जुटाना असम्भव है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन तो बढ़ नहीं सकती बल्कि परिवारों के बढ़ने के साथ साथ जमीन का बटबारा होता जा रहा हे और दिनों दिन गरीब होते जा रहे है। जब विकास की बात करते हैं तो वह राष्ट्र के विकास की बात मानी जाती है जबकि परिवार की उन्नति ही समाज एवं राष्ट्र की उन्नती है।[15]

1 मार्च 1991 को भारत की जनसंख्या 843,930,861 अर्थात 84.39 करोड़ थी पुरुषों की संख्या 43.76 करोड़ तथा स्त्रियों की जनसंख्या 40.43 करोड के लगभग थी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। जिसमें विश्व की 16 प्रतिशत

15– स्वास्थ्य की बात समुदाय के साथ, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य जनचेतना अभियान ग्रामीण स्तरीय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यअधिकारी जिला भिण्ड, (म0प्र0)

जनसंख्या निवास करती है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.42 प्रतिशत भाग है।[16]

महिला श्रमिकों ने अधिकतर निरक्षर होने के या बहुत कम पढे लिखे होने के बाद भी अधिकांश महिला श्रमिकों ने यह स्वीकार किया है कि जनसंख्या वृद्धि से परिवार के उत्थान में बाधा आई है।

तालिका क्रमांक 6 – (13)

जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक उत्थान मे बाधा :–

क्र0सं0	उत्तरदात	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	232	77.3
2.	नहीं	68	22.7
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (13) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 77.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने यह स्वीकारकिया कि जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक उत्थान में बाधा आई है। दूसरा समूह 22.7 प्रतिशत महिलाओं का है इन्होनें जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक उत्थान में बाधा को स्वीकार नहीं किया। इनमें मुस्लिम परिवार अधिक हैं।

जनसंख्या समस्या का हल :–

भारत में जनसंख्या वृद्धि ने अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। आवश्कता इस बात की है कि इस बढ़ती जनसंख्या को समय रहते नियन्त्रित किया जाय अन्यथा इसके भयंकर दुष्परिणाम भुगतने होगें जनसंख्या समस्या को हल करने के लिए निम्नांकिंत उपाय अपनाये जा सकते हैं।

1:– बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाये जाय।

16– वार्ष्णेय आर0पी0–सांख्यिकी के मूल तत्व,द्वितीय खण्ड भारतीय संमक, जवाहर पब्लिकेशन्स आगरा –3 1995–96 पेज – 48

2:– गांवों में अधिकाधिक शिक्षा का प्रसार किया जाय ताकि ग्रामवासी स्वयं ही अधिक जनसंख्या के दोष से परिचित हो सकें।

3:– गर्भपात की छूट की जाय जिससे अवांछित बच्चों का जन्म होने से रोका जा सके।

4:– आत्म संयम को बढावा दिया जाय।

5:– ग्रामों में मनोरंजन के नवीन साधन उपलब्ध कराये जाये।

6:– भूमि व्यवस्था में सुधार लागू कर भूमि का उचित वितरण किया जाय।

8:– देशान्तरण को बढ़ावा दिया जाय जो लोग विदेशों में जाना चाहते है उन्हें इस बात की सुविधा दी जाय।

9:– कल्याण के कार्यक्रमों को सुचारु रुप से लागू किया जाय।

10:– देश में सभी धर्माबलम्बियों को एक ही कानून बनाया जाय और समान आचार संहिता लागू की जाय।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अगले दशक के लिये रखें गये लक्ष्यों और कार्यनीतियों की प्राथमिकता तय करने के लिये नीतिगत ढाचे की व्यवस्था है जिससे भारत के लोगो की प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी जरुरते पूरी हो सकें और 2010 तक कुल पुनः स्थापना स्तर प्राप्त किया जा सके।[17]

महिला श्रमिकों ने जनसंख्या समस्या को हल करने के लिये शिक्षा के प्रचार पर अधिक जोर दिया है। सत्य भी है कि शिक्षा के माध्यम से ही जनसंख्या विस्फोट से होने वाले परिणामों को समझकर के फिर परिवार कल्याण अपना कर इस समस्या को हल किया जा सकता है।

17– सिन्हा, शत्रुघ्न – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के लेख का एक अंश ''प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य पत्रिका खण्ड 4 अंक 3 सितम्बर, 2002 भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग के लिए एस0नारायण एण्ड संस, नई दिल्ली द्वारा रुपांकित तथा मुद्रित सम्पादक आर0के0 सरकार पेज 1

तालिका क्रमांक 6 – (14)

जनसंख्या समस्या का हल :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षा के प्रसार	142	47.3
2.	दबाब या भय से	–	–
3.	कुल लाभ प्रदान करके	114	38.0
4.	अन्य	44	14.7
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 6 – (14) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 47.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने जनसंख्या समस्या को हल करने के लिये शिक्षा के प्रसार को ही उचित माध्यम बताया। दूसरा समूह 38.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिन्होंने कुछ लाभ प्रदान करके जनसंख्या समस्या के हल को उचित बताया।

मनोरंजन एवं सूचना के साधन :–

मनोरंजन मानसिक तनाव एवं थकान से मुक्ति दिलाता है और पुनः नये सिरे से कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनोरंजन कार्यक्रम ग्रामीण जनता के सामाजिक विकास एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है। मनोरंजन ग्राम्य वासियों को जहाँ थकान से मुक्ति दिलाकर स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करता है। वहीं वह सभी लोगों को समूह एवं समाज के साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। समाज में मनोरंजन परस्पर सद्भाव, मैत्री, सहयोग, सहिष्णुता, सामूहिकता, घनिष्ठता, एकता और सामंजस्यता को बढ़ावा देता है तथा वर्ग – भेद, जाति भिन्नता, संघर्ष एवं तनावों से मुक्ति दिलाता है। मनोरंजन ग्राम वासियों को परस्पर नजदीक लाने एवं खाली समय का उपयोग करने में सहायक है।

गाव में श्रमिक महिलायें संगीत, नाच–गान, परस्पर बात–चीत, हसी–मजाक आदि के द्वारा मनोरंजन करती हैं तो पुरुष शक्ति प्रदर्शन करने वाले खेलकूद के द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्राम्य स्तर पर महिला श्रमिकों का मनोरंजन परिवार एवं समूह पर आधारित रहता हे जबकि नगरीय महिलाओं का मनोरंजन वैयक्तिकता, पर आधारित होता है। नगरीय मनोरंजन मे व्यवसायों का रुप पाया जाता है। ग्रामों का मनोरंजन धार्मिक कार्यो, उत्सवों, त्यौहारों आदि का अंग है। वर्तमान समय में नगरीय मनोरंजन का प्रसार गांवों में भी होने लगा है। वहाँ अब श्रमिक महिलायें परम्परात्मक साधनों की जगह नवीन मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करने लगी हैं। जिन महिला श्रमिकों के पास टी0वी रेडियों या कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता है ,तो वह दूसरी महिलाओं के यहां जाकर साधनों का लाभ अर्जित करती हैं। टेलीफोन की सुविधा ग्राम स्तर पर असरदार व्यक्तियों के यहाँ ही उपलब्ध है, गरीब महिला श्रमिक परिवारों में यह सुविधा नहीं हैं।

तालिका क्रमांक 6 – (15)

मनोरंजन एवं सूचना के साधन :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या		योग
		हां	नहीं	
1.	समाचार पत्र	18	282	300
		(6.0%)	(94.0%)0	100%
2.	रेडियो	50	250	300
		(16.7%)	(83.3%)	100%
3.	टी0वी0	75	275	300
		(25.0%)	(75.0%)	100%
4.	टेलीफोन	–	300	300
		–	(100%)	100%

क्रम सं0 1 :– उपरोक्त संयुक्त तालिका 6 – (15) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से समाचार पत्रों को केवल 6 प्रतिशत ही श्रमिक महिलायें ही समयानुसार पढ़ती थी परन्तु खरीद करके समाचार – पत्र कोई भी श्रमिक महिला नहीं लेती थी।

क्रम0सं0 2 :– महिला श्रमिकों से जब रेडियों के बारे में पूछा गया तो 300 महिला श्रमिकों मे से 16.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास ही रेडियो था जबकि 83.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास रेडियों नहीं था।

क्रम सं0 3 :– महिला श्रमिकों से जब टी0वी के बारे में पूछा गया कि क्या आपके पास टी0वी0 है तो 300 महिला श्रमिकों में से 25 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास छोटी वाली टी0वी0 थी 75 प्रतिशत महिलाओं के पास नहीं थी कुछ महिला श्रमिक जिन के पास टी0वी0 नहीं थी वह दूसरों के यहाँ टी0वी0 देखने जाती थी।

क्रम सं0 4 :– 300 महिला श्रमिकों में किसी के पास भी टेलीफोन नहीं था यानी 100 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास टेलीफोन नहीं था।

अध्याय - 7

महिला श्रमिकों की राजनीतिक चेतना एवं उनकी राजनीतिक भागीदारी का विशलेशणात्मक अध्ययन।

1 :– पृष्ठभूमि

2 :– परम्परागत नेतृत्व

3 :– पंचायत व्यवस्था से नई शक्ति एवं सत्ता

4 :– गांव में पंचायत चुनाव द्वारा तनाव

5 :– सहकारी संस्थाओं द्वारा सामाजिक संगठन में वृद्धि

6 :– गाँव के पुनर्निर्माण में सहकारिता का सहयोगे

7 :– सामुदायिक योजना में प्राथमिकता

8 :– महिलाओं की राजनीति में भागीदारी

9 :– पंचायत के विकेन्द्रीकरण से तैतीस प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी

10 :– महिलाओं का नेतृत्व

11 :– स्त्री और पुरुषों में बराबरी का दर्जा

पृष्ठभूमि :-

भारत में पंचायती राज एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अर्न्तगत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण अवधारण बन चुकी है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का तात्पर्य ऐसी राज्य व्यवस्था से है जहाँ शासन व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के हाथों में न होकर सभी वर्गो के पुरुष एवं महिलाओं के हाथों में निहित हो। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में पुरुष एवं समान रुप से महिलायें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से शासन व्यवस्था में सक्रिय रुप से भाग लेती है। जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में शासन की बागडोर होती है। विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय शासकीय इकाई को छोटी इकाइयों में विभाजित कर उन्हें कुछ अधिकार और दायित्व सौपने से है। ये अधिकार और दायित्व इस दृष्टि से सीमित होते हैं कि प्रत्येक नीचे के स्तर वाली संस्था पर ऊपर के स्तरवाली संस्था का नियन्त्रण रहता हैं। इन सभी संस्थाओं पर अन्तिम नियन्त्रण राज्य सरकार का रहता है। विकेन्द्रीकरण में स्थानीय संस्थाओं और उसके पुरुष एवं महिलाओं को अपनी बुद्धि और विवेक से पूर्णतः काम लेने का अवसर दिया जाता है। इन्हें ही अपने क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने का कार्य सौपा जाता है।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय यह है कि लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया जाय और उनमें प्रशासनिक सत्ता का इस प्रकार से वितरण किया जाय कि महिला पुरुषों को समान रुप से पग–पग पर उसकी अनुभूति हो सके। ग्रामीण महिला समाज में परिवर्तन लाने के व्यापक लख्य को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एक गतिशील नेतृत्व के विकास पर जोर दिया गया है। आशा यह की गयी कि नवीन प्रकार का महिला नेतृत्व ग्रामीण समाज में विकास कार्यो को गति प्रदान करने और उसे आधुनिकीकरण की दशा में आगे बढ़ाने में सक्रिय

योगदान दे सकेगा। पंचायती राज के अर्न्तगत सत्ता को ग्रामीण खण्ड और जिला स्तर पर विभिन्न पुरुष एवं महिला जनप्रतिनिधियों को सौपने और उन्हें ही विकास कार्यो का दायित्व संभालने की दृष्टि से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन किया गया। पंचायती राज के अर्न्तगत इसी तीन स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से सत्ता का निचले स्तरों पर वितरण किया गया। इसी को लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम से पुकारा गया। पंचायती राज का अर्थ स्पष्ट करते हुए ''तृतीय पंचवर्षीय योजना (ए ड्राफ्ट आउट लाइन) में बताया गया कि ग्राम खण्ड और जिला स्तर पर लोक प्रिय एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का एक ऐसा अन्तर–सम्बन्धी संगह है जिसमें जनता के प्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ तथा जिला परिषदें और साथ ही सहकारी संगठन, सरकार की विभिन्न विकसित ऐजेन्सियों के समर्थन व सहायता के आधार पर एक टीम के रुप में मिलकर कार्य करते हैं।

वर्तमान समय में यह व्यवस्था देश के करीब–करीब सभी भागों में लागू है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक पुरुष एवं महिला यह अनुभव करे कि वह समाज का एक अंग है और उसके स्वस्थ विकास में उसका योगदान भी अनिवार्य है। इसी बात को ध्यान में रखकर मेहता कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि ग्रामीण जनता को अपने विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कुछ अधिक दायित्व सौपे जाय। ऐसा करने से ग्रामवासियों में आत्म विश्वास, अभिरुचि और उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सकेगी। आज पंचायती राज संस्थाओं में त्रि–सूत्री या तीन स्तरीय व्यवस्था अपनाई गयी है। जिसके अर्न्तगत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, तहसील या खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना की गई। इस योजना के माध्यम से लाखो पुरुषों एवं महिलाओं को अपने विकास कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन का अवसर मिला। लोकतन्त्र का महत्व इस दृष्टि से विशेष है कि यह जनता को अपने

उत्तरदायित्व और कर्तव्य के प्रति सजग और पुनर्निर्माण के कार्य में भागीदार बना देता है।

पंचायती राज संस्थाओं का संगठन (Organization of Panchayti Raj Institution)

पंचायती राज संस्थाओं का तीन स्तरीय संगठन इस प्रकार है :–

1:– जिला स्तर पर 2:– खण्ड स्तर पर 3:– ग्राम स्तर पर

जिला परिषद पंचायत समितियां 1. गांव सभा 2. ग्राम पंचायत 3. न्याय पंचायत

ग्राम स्तर पर :– 1– गांव सभा 2– ग्राम पंचायत 3– न्याय पंचायत

जहां विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आधुनिकीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना था, वहाँ पंचायती राज का उद्देश्य आधुनिकीकरण के उत्प्रेरक प्रतिनिधियों के रुप में प्रभावशाली और विकास की ओर उन्मुख ग्रामीण नेतृत्व को विकसित करना है।[1]

1 :- Narayan Inbal. ' Emerging concept' in Mathur M.V. and Narayan Iqbol (eds.) Panchayti Raj, Planning and Democracy P.19-34

परम्परागत नेतृत्व :–

गांव में अधिकांशतः परम्परागत नेतृत्व उन्हीं लोगों के हाथों में होता है जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ होती है, चूँकि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति ही समय पर लोगों की सहायता कर सकते हैं,। इसलिए गांव में भू–स्वामियों एवं साहूकारों का परम्परागत नेतृत्व अधिक है। साहूकार कई लोगों को ऋण देकर एवं भू–स्वामी अपनी जमीन पर कई लोगों को मजदूरी प्रदान कर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बनायें रखते हैं। ऋण प्राप्त करने वाले कृषक,
मजदूरी प्रदान कर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बनायें रखते हैं। ऋण प्राप्त करने वाले कृषक,
मजदूर दलित एवं कृषि कार्यरत श्रमिक महिलाओं के परिवार इन भू–स्वामियों के प्रभाव में रहते हैं इस प्रकार भूमि की मात्रा और सम्पत्ति भी ग्रामीण परम्परागत नेतृत्व के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है।

गांव वालों का सम्बन्ध प्रशासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नहीं होता हे। गांव में जिस आदमी के सम्बन्ध, तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य उच्चाधिकारियों से होते हैं, उसको विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है समय आने पर ऐसा व्यक्ति गाँव वालों और उच्चाधिकारियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है तथा सरकार से सम्बन्धित मामलों में गांव वालों की सहायता करता है। फिर समयानुसार गांव वालों का प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व करने लगता है।

गांव में पाय जाने वाले नेतृत्व को औपचारिक एवं अनौपचारिक दो भागों में बांटा गया अनौपचारिक को विभिनन खण्डों में विभाजित किया गया है। जो निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट है।[2]

2 :- Orenstein Henry-Leadership and caste in Bombay village in Leadership and political Institutions in India ed. By park and tinker, P.415-426.

समथर क्षेत्र में पूर्व परम्परागत नेतृत्व की स्थिति विद्यमान है। इसका कारण पूर्व काल में रियासत का होना था। महिला श्रमिकों से पूछने पर उन्होंने समथर क्षेत्र में अधिकतर परम्परागत नेतृत्व को स्वीकार किया था। परम्परागत नेतृत्व राज परिवार से सम्बन्धित है। निरक्षर जनता की तो बात ही क्या हैं पढीलिखी जनता भी इन्हें अपना नेता मानती है।

तालिका क्रमांक 7(1)

गांव में पूर्व की तरह परम्परागत नेतृत्व :-

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	190	63.3
2.	नहीं	110	36.7
	योग	300	100

तालिका क्रमांक 7(1) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से अधिकतर 63.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने परम्परागत नेतृत्व को स्वीकार किया। दूसरा समूह 36.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होनें परम्परागत नेतृत्व स्वीकार नहीं किया।

पंचायत व्यवस्था से नई शक्ति एवं सत्ता :-

पंचायत व्यवस्था से ग्राम्य जीवन में नवीनता का संचार हुआ। 1976 के कानून द्वारा बधुंआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया। शासन द्वारा गांव पंचायत को ये आदेशित किया गया कि बधुआ मजदूरों का पता लगाकर उन्हें मुक्त कराके नया जीवन प्रदान करने में सरकार को योगदान दें।

पंचायती राज के प्रारम्भ में निम्न जातियों विशेषतः हरिजनों को आत्म सम्मान तथा शक्ति की एक नवीन अनुभूति प्रदान की है।[3] भारतीय गांवों में अशिक्षा व्याप्त है। इनमें दलित जाति के लोग और महिलायें अधिक हैं। अशिक्षा के समाधान के लिये पंचायतों ने

3 :- Crinivas M.N.Social Change in Modern India, 1966.

प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षण संस्थायें खोली हैं प्रौढ शिक्षा पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की भी व्यवस्था की हैं। गांव पंचायत नें सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सुधार के साथ–साथ राजनीतिक चेतना को महत्व पूर्ण योगदान दिया है। जो निम्नाकिंत है :–

1:– ग्रामीण नेतृत्व का विकास
2:– शान्ति एवं संरक्षा
3:– प्रशासन में सहायता
4:– न्याय की व्यवस्था
5:– नागरिकता की शिक्षा

जहाँ तक पंचायत के माध्यम से गांव के लोगों को शक्ति एवं सत्ता की प्राप्ति हुई है। इसमें विद्वान एक मत है कि पंचायती राज ने ग्रामीण सामाजिक सरंचना और उसके विभिन्न तत्वों में परिवर्तन लाने में योगदान दिया है।

महिला श्रमिकों ने यह स्वीकार किया कि पंचायती राज से नई शक्ति एवं सत्ता प्राप्त हुई तथा अनेक कार्यो में परिवर्तन हुआ। प्रसव के समय माताओ एवं शिशुओं की देखभाल एवं स्वास्थ्य रक्षा का नैतिक एवं राष्ट्रीय दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में गांव पंचायत का महती सहयोग रहा है।

तालिका क्रमांक 7 – (2)

नई पंचायत व्यवस्था से लाभ :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	201	67.0
2.	नहीं	99	33.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 7 – (2) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 67 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया कि नई पंचायत व्यवस्था से ग्रामीण जनता

को नई शक्ति एवं सत्ता की प्राप्ति हुई है। जबकि दूसरा समूह 33 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिन्होंने इसको अस्वीकार किया है।

गांव में पंचायत चुनाव द्वारा तनाव :–

पंचायत चुनावों से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे घनिष्ठ समूहों का विकास हुआ ऐसे समूहों को घड़े (Faction) नाम से पुकारा जाता है। ये धड़े दलबन्दी को प्रोत्साहित करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को चुनावों में राजनीतिक दलों के भाग लेने से ग्रामीण क्षेत्रों में दलबन्दी बढ़ी है। परिणाम यह हुआ कि एक जाति का दूसरी जाति के साथ तनाव एवं संघर्ष शुरु हो गया। ग्रामीण सामुदायिक जीवन में इस प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण पंचायती राज संस्थाओं के सफलता पूर्ण कार्य संचालन में बाधक बन गया। कई बार यह भी देखा गया कि इन संस्थाओं के सदस्य अपनी जाति, गोत्र, परिवार, मित्र समूह तथा अपने राजनीतिक दल विशेष से सम्बन्धित लोगों के स्वार्थो की पूर्ति में लग जाते हैं। जिसके कारण ग्रामों में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य तनाव पूर्ण वातावरण के कारण अपूर्ण रह जाता है।

महिला श्रमिकों ने यह अधिकतर स्वीकार किया कि पंचायत चुनाव के कारण गांव में मनमुटाव एवं तनाव बढ़ा है। पंचायती राज संस्थाओं के लिय चुने गये अधिकांश नेताओं का साधारणतः अपनी जाति का समर्थन प्राप्त होता है। ये अकसर अपने मित्र, नाते–रिश्तेदारो तथा संयुक्त परिवारों के विस्तृत सम्बन्धों के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं। ऐसी स्थिति में नेताओं का दृष्टिकोण परम्परावादी बना रहता है, इस कारण अमूल चूक परिवर्तनों की आशा नहीं की जा सकती।

इन सब विसंगतियों से ग्राम्य जीवन में तनाव, संघर्ष फूट बैमनस्यता को बढ़ावा मिला है।

तालिका क्रमांक 7 – (3)

गांव में पंचायत चुनाव द्वारा तनाव

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
01.	हां	210	70
02.	नहीं	90	30
	योग	300	100

यदि हां तो

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
अ.	जातिवाद	45	21.4
ब.	परिवारवाद	65	31.0
स.	दलबन्दी	40	19.0
द.	उपर्युक्त सभी	60	28.6
	योग	210	100.0

तालिका क्रमांक 7 – (3) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 70.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया कि पंचायत चुनाव से गांव में तनाव बढ़ा है। दूसरा समूह 30.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था, जिन्होनें गांव में पंचायत चुनाव द्वारा होने वाले तनाव को स्वीकार नहीं किया।

तनाव का कारण जातिवाद, परिवारवाद दलबन्दी आदि कारण है।

संहकारी संस्थाओं द्वारा सामाजिक संगठन में वृद्धि :–

जहाँ तक सहकारी संस्थाओं के सामाजिक संगठन का प्रश्न है वह आपस में मिलजुलकर कर काम करने का ही पर्याय है। यह पर्याय विशेषतः परस्पर विरोध या प्रतिद्वन्द्विता, प्रतियोगिता के बिल्कुल उल्टें अर्थो में है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के

इतिहास में इसे सामाजिक अथवा आर्थिक संगठन के ऐसे किसी भी रुप में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें प्रतियोगिता के विरुद्ध सामंजस्य अथवा समन्वय की भावना से प्रेरित होकर आपस में मिलजुलकर सहयोग के आधार पर काम करने पर जोर दिया जाता है।

सहयोग निर्धन व्यक्तियों का वह कार्य है जिसे वे अपनी इच्छा से परस्पर अपनी स्वयं की शक्तियों साधनों या दोनों के परस्पर प्रबन्धकारिणी द्वारा अपने समान लाभ के उद्देश्य को रख उपयोग करने हेतु एकत्र होते हैं।[4]

सहकारिता का मूल आधार सहयोग है। सहयोग का अर्थ सहकारिता में यह लिया गया कि लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को हल करने एवं सामूहिक कल्याण के लिये परस्पर मिलकर कार्य करें। सहयोग एक प्रकार का संगठन है, जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति हेतु एकत्रित होते हैं। सरहारेस प्लेकेट ने सहकारिता को संगठन द्वारा प्रभावपूर्ण बनाया गया स्वावलम्बन कहा है।

कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों ने पूछनं पर यह बताया कि सहकारी संस्थायें विशेष्तया क्रय–विक्रय, खरीद फरोख्त और खेती में काम आने वाली चीजों व मशीनों (हल, ट्रैक्टर, बैल, आदि) चारागाहों के लिये सहयोग के रुप में किसानों को कर्ज देती हैं। ये सस्थायें अनेक खाद्य सामग्री पैदा करके उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग का कार्य करती हैं।

तालिका क्रमांक 7 – (4)

सहकारी संस्थाओं द्वारा सामाजिक संगठन में वृद्धि :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	123	41.0
2.	नहीं	77	25.7
3.	कुछ नहीं जानते	100	33.3
	योग	300	100.0

4 :- Herrick - Rural Gedit, P.247

तालिका क्रमांक 7 – (4) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में 41.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने यह स्वीकार किया कि सहकारी संस्थाओं द्वारा सामाजिक संगठन में वृद्धि हुई है। दूसरा समूह 33.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है।

गांव के पुनर्निर्माण में सहकारिता का सहयोग :–

कृषि कार्यरत महिला श्रमिकों को अधिकतर यह बिदित था कि गांव के पुनर्निर्माण में सहकारी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। सहकारिता के माध्यम से गांवों में आर्थिक विकास हुआ है। कृषि के नये तरीकों, खाद फसलों आदि के द्वारा किसानों की आय में बृद्धि हुई है। सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीणों को उचित मूल्य पर उपभोग की वस्तुंए उपलब्ध हो जाती हैं, कम ब्याज पर ऋण मिलने से बे साहूकारो के शोषण से मुक्त हुये है। सहकारिताके माध्यम से ग्रामीणों के विकास के लिये बनायी गयी सामुदायिक विकास योजनाओं एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम आदि का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचा है। सहकारिता की स्थापना के बाद ग्रामीण लोग अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के प्रति जागरुक हुए हैं। राजनीतिक दल सहकारी समितियों की सदस्यता एवं पद अधिकार चुनाव मतदान एवं नेतृत्व के बारे में बे अब अच्छी तरह से जानते हैं सहकारिता ने विभिन्न धर्मो जातियों एवं वर्गो के लोगों को साथ – साथ कार्य करने की प्रेरणा दी है वे चुनाव में परस्पर सहयोग करते हैं, इससे उनमें समानता की भावना एवं प्रजातान्त्रिक मूल्यों का विकास हुआ है।

सहकारिता ने गांवों मे झगड़े और वैमनस्य को कम कर सुखी एवं मैत्रीपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए ग्रामीण जनता को संगठित किया है। आर्थिक विकास के साथ–साथ सहकारिता ने मानवीय गुणों चरित्र एवं नैतिकता उत्पन्न की है। इससे लोगों में आत्म विश्वास, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, मितव्ययिता एवं सहयोग जैसे गुणों की वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 7 – (5)

गांव में पुनर्निर्माण में सहकारिता का सहयोग :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	215	71.7
2.	नहीं	85	28.3
	योग	300	100.0

यदि हां तो :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
अ.	आर्थिक प्रगति	30	14.0
ब.	शोषण से मुक्ति	34	15.8
स.	विकास योजना का क्रियान्वयन	25	11.6
द.	मानवीय गुणों का विकास	36	16.7
य.	उपर्युक्त सभी	90	41.9
	योग	215	100.0

तालिका क्रमांक 7 – (5) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 71.7 प्रतिशत महिला श्रमिको ने स्वीकार किया कि गांव के पुर्नर्निमाण में सहकारिता का सहयोग रहा है।

सहकारिता के सहयोग से गांव ने कई प्रगति की है इन सभी प्रगतिओं को महिला श्रमिकों ने अपने–अपने दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया। जिनमें अ–आर्थिक प्रगति, ब– शोषण से मुक्तिं, स– विकास योजना का क्रियान्वयन, द– मानवीय गुणों का विकास, य– उपर्युक्त सभी को 90 (41.9) प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया।

सामुदायिक योजना में प्राथमिकता :–

सामुदायिक विकास देश के 5.57 लाख से अधिक गांवों में निवास करने बाली 74.3 प्रतिशत जनसंख्या के सोचने, विचारने और कार्य करने के तरीकों को बदलने का एक विशाल प्रयत्न और परीक्षण है। सामुदायिक विकास का तात्पर्य सम्पूर्ण समुदाय का विकास करने और उसे आत्म–निर्भर बनाने से है। सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ग्रामीण समुदाय के लोगो अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तर्था सर्वागींण विकास के लिये सरकार के साथ मिलकर सहयोग करते हैं। सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों से यह अपेक्षा की गई कि वे कृषि सम्बन्धी एवं औद्योगिक पिछड़ेपन, अशिक्षा, निर्धनता, कुपोषण, तथा अस्वस्थ्य कर परिस्थितियों को दूर करने और ग्रामीण समुदायों का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ हो सकेगें।

यह स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित एवं कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान प्राप्त आत्म निर्भर कार्यक्रम है जिसमें सरकार तो केबल तकनीकी या प्राविधिक मार्ग दर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।[5]

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत कृषि को अधिक महत्व देते हुये इसमें नयी तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना सिंचाई के साधनों जैसे नलकूप, कुए, तालाब एवं छोटी–छोटी नहरों आदि के निर्माण द्वारा पानी की व्यवस्था करना, उत्तम बीजों, रासायनिक खादों तथा आधुनिक कृषि के औजारों का प्रबन्ध करना सम्मिलित है। सीमान्त किसानों (एक हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक) एवं लघु किसानों एक (एक हेक्टेयर से अधिक किन्तु दो हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक) के लिये भूमि विकास, सिचाई, बागवानी, खाद, बीज, कृषि औजार नई किस्म की फसलों एवं कृषि प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे किसानों को व्यय का 1/2 से 1/3 हिस्सा सहायता (Sub Sidy) के रुप में दिया जाता है। सहकारी

---

5 :- India 'Government of India Publication 1959 P.214

समितियों के माध्यम से ऐसे किसानों की सहायता की जाती है। इनके अलावा पशुओं की नस्ल सुधारना, भूमिक्षरण की रोकथाम एवं वृक्षारोपण करना और सब्जी तथा फलों की खेती के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना आदि कार्यक्रम भी शामिल हैं। विकास खण्डों द्वारा प्रतिवर्ष उन्नत नस्ल के पशुओं का उन्नत तरीकों से गर्भाधान कराया जाता है। पशुपालन भी कृषि कार्य का एक अंग है।

महिला श्रमिकों ने अधिकतर यही स्वीकार किया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि कार्य को अधिक प्राथमिकता दी गई। सामुदायिक विकास योजना का कार्य पांच स्तरों पर किया जाता है 1– केन्द्र स्तर, 2– राज्य स्तर, 3– जिला स्तर, 4– खण्ड स्तर, 5– ग्राम स्तर जब यह योजना प्रारम्भ हुई थी तो इसका सम्बन्ध केन्द्र सरकार के योजना मंत्रालय से था किन्तु बाद में यह योजना " कृषि एवं सिचाई मंत्रालय के अधीन कर दी गई।

<u>तालिका क्रमांक</u> 7 – (6)

सामदायिक विकास योजना में प्राथमिकताएँ :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
अ.	कृषि	112	37.3
ब.	यातायात एवं संचार	60	20.0
स.	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	90	30.0
द.	स्त्रियों व बच्चों का कल्याण	38	12.7
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक –7(6) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 112 (37.3 प्रतिशत) महिला श्रमिकों ने कृषि कार्य को प्राथमिकता देने में अपनी स्वीकृति दी हैं। दूसरा समूह 90 (30.0 प्रतिशत) महिला श्रमिकों का हैं जिन्होंने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता देने में अपनी स्वीकृति दी है।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी :–

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, उन्नति के साथ–साथ राजनैतिक और संगठनात्मक विकास के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है । जिसका मूल उद्देश्य उन्हें समाज एवं परिवार में सम्मान जनक स्थान प्रदान करते हुये एक उत्तरदायी और महत्वपूर्ण नागरिक के रुप में विकसित करके राजनीति को मुख्य धारा में जोड़ना रहा है।

देश के तमाम हिस्सों मे नगरपालिका, महापालिका और पंचायत का चुनाव लडने वाली महिलायें बड़ी तादाद में अपने घरों के पुरुषों के स्थान पर ही आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ती है। इसके बाबजूद हजारों, लाखों महिलाओं के चुनावी मैदान में उतरने से हमारे समाज में जर्बदस्त परिवर्तन आया हैं।[6]

बड़े पैमाने से घरों पर औरतों का निकलना, उनका राजनीति मे प्रवेश करना प्रभावशाली पदों को सम्हालना इन सारी बातों ने घरों के अन्दर और घरों के बाहर महिलाओं के स्थान और स्तर में परिवर्तन लाने का काम किया है। महिला श्रमिकों से जब महिलाओं के राजनीति में भाग लेने की बात पूछी गई तो समय के बदलते परिवेश में अधिकतर महिला श्रमिकों ने इस बात को स्वीकार किया कि महिलाओं को घर की चाहरदीवारी रुपी कैद से निकलकर राजनीति में भाग लेने के कारण अपनी बात को समाज और राष्ट तक पहुचाने का सुअवसर मिला है, एवं महिलाओं पर होने वाले अपराधों का भी ग्राफ नीचे गिरा है।

---

6 :- अली सुभाषिनी – महिला आरक्षण से खिलबाड़ नामक लेख का एक अंश, दैनिक जागरण ग्वालियर 15 मई, 2003 पेज – 6

तालिका क्रमांक 7 – (7)

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	204	68.0
2.	नहीं	96	32.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 7 – (7) से स्पष्ट है कि अध्ययन किय्र गये 300 महिला श्रमिकों में से 204 (68.0) प्रतिशत महिला श्रमिकों ने महिलाओं का राजनीति में भाग लेना स्वीकार किया। दूसरा समूह 96.0 (32.0 प्रतिशत) महिला श्रमिकों का है जिन्होंने महिलाओं का राजनीति में भाग लेना स्वीकार नही किया।

पंचायत के विकेन्द्रीकरा से तैतीस प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी :–

निचले स्तर पर स्व शासन के लिये पंचायती राज प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनता की जरुरतों और आकांक्षाओं के अनुरुप विकासात्मक कार्यक्रमों की विकेन्द्रित योजनायें बनाने और इनको अमल में लाने के लिये यह आदर्श मंच है। इसलिये गांवों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।

संविधान के 73वे संशोधन 1992 में तीन स्तरीय पंचायती राज स्वरुप (गांव पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत) के गठन और ग्राम सभा–गांववासियों की आम सभा – को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान है। अधिनियम में पंचायतों के लिए नियमित तौर पर हर पांचवर्ष पश्चात् चुनाव कराने और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए

सीटों का आनुपातिक आरक्षण तथा महिलाओं के लिए कम से कम 33 सीटों का आरक्षण किया गया है।[7]

संविधान में शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि आदि जैसे 29 विषयों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रावधान है। इसमें हर पांचवे साल राज्य विदित आयोगों के गठन का भी जो कि पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले संसाधनों और वित्तीय अधिकारों के बारे मे सिफारिश करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को समुचित प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जाने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है ताकि पंचायती राज संस्थायें स्व प्रशासन की संस्थाओं के रुप में काम कर सके और नियमित रुप से चुनाव हो सकें।

भारत सरकार यह चाहती है कि प्रभावी विकेन्द्रीकरण गांव स्तर तक पहुचे। ग्राम पंचायते और ग्रामसभायें निचले स्तर पर जनतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थायें है। विकासात्मक योजनाओं के अमल,खासकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में ग्रामीण महिलाओं की भागीदार बहुत महत्वपूर्ण है।

पंचायत में महिलाओं की भागीदारी का अर्थ है:–

1:– प्रत्येक बैठक में भाग लेना।

2:– अपने विचार प्रकट करना।

3:– आम आदमी की समस्याओं को पंचायत के सामने रखना।

4:– निर्णय लेने की क्षमता।

5:– अपनी जिम्मेदारी को स्वयं निभागना।[8]

गांव सभा द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किये जाने के लिये यह जरुरी है कि सभी ग्रामवासी और खासकर ग्रामीण गरीब महिलायें तथा कमजोर वर्गो के लोग ग्राम सभा

---

7 :- पंचायती राज ग्राम विकास कार्यक्रमों पर एक नजर – (नामक पुस्तिका) सूचना और प्रशासन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के लिए प्रकाशित नई दिल्ली मई,2001 पेज–1

8:–विकेन्द्रीकरण एक नई दिशा – पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित लखनऊ पेज 49

की बैठकों में हिस्सा लें। निचले स्तर पर जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण तभी सफल है जब ग्राम सभा की बैठकों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला सदस्य सक्रिय रुप से भाग लें।

महिला श्रमिकों ने पूछने पर यह बताया था कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी शुरु हुई है। इस बात को महिला श्रमिक इसलिये जानती हैं कि समथर क्षेत्र में के कई गांवों में महिलायें ग्राम प्रधान हैं एवम् वर्तमान में नगर पालिका समथर की अध्यक्ष एक हरिजन महिला है।

तालिका क्रमांक 7 – (8)

पंचायत के विकेन्द्रीकरण से तैतीस प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी के सम्बन्ध में रायः–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	197	65.7
2.	नहीं	103	34.3
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 7 – (8) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 65.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया है कि पंचायत के विकेन्द्रीकरण से महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई है। दूसरा समूह 34.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिन्होने पंचायत के विकेन्द्रीकरण से महिलाओं की भागीदारी को स्वीकार नहीं किया है।

महिलाओं का नेतृत्व :–

समाज की शक्ति संरचना में महिला नेतृत्व का प्रमुख स्थान है । महिला नेतृत्व ही राजनैतिक संगठनों और शक्ति संरचना को जीवन दिशाा और प्रवाह प्रदान करता है । महिला नेतृत्व के अध्ययन बिना राजनैतिक संगठनों और संरचनाओं की "प्रकार्य प्रणाली" को नहीं समझा जा सकता है। अतः स्वभावतः समाज वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान महिला नेतृत्व की

ओर आकृष्ट किया है। नेतृत्व करने वाली महिलाओं की योग्यता व क्षमता पर शक्ति का सदुपयोग निर्भर करता है। नेतृत्व सार्वभौमिक एवं विश्वव्यापी धटना है। जहाँ जीवन है वहा समाज है और जहाँ समाज है वहाँ नेतृत्व है। महिलाओं की प्रतिभा और सामाजिक परिस्थितियाँ महिलाओं में नेतृत्व के भाव जाग्रत करती हैं।

समथर नगर पालिका में दिसम्बर 2000 से एक हरिजन महिला अध्यक्ष है और इसी समय से नगर पालिका के 25 वार्डो में से 9 वार्डों में पार्षद महिलायें हैं इन महिलाओ में कई श्रमिक महिलायें भी हैं। इस प्रकार 100 प्रतिशत सीटों में से 36 प्रतिशत सीटों पर महिला पार्षद काबिज है। और एक महिला का नामीनेशन है। इसके पूर्व 1995 के नगरपालिका चुनाव में भी 36 प्रतिशत सीटों पर महिला पार्षदो का कब्जा था और दो महिलाओं का नोमिनेशन था। यह बात भी सत्य है कि यदि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था न होती तो महिलाओं का नेतृत्व उभरकर समाज के समाने न आता और महिलाओं की प्रतिभा दबी हुई बनी रहती जैसा कि महिला आरक्षण प्रारम्भ होने के पूर्व की वर्षो से होता आया है वर्तमान समय में महिला नेतृत्व इतनी शक्ति से उभरा है कि 33 प्रतिशत के स्थान पर महिलाओं ने 36 प्रतिशत स्थान प्राप्त कियें है।

अधिकतर महिला श्रमिकों ने इसे अच्छी तरह स्वीकार किया कि आज के समय में महिला नेतृत्व उभरकर समाज के सामने आया है।

तालिका क्रमांक 7 – (9)

महिलाओं का नेंतृत्व :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	211	70.3
2.	नहीं	89	29.7
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 7 – (9) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 70.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया है कि महिलाओ का नेतृत्व उभर कर सामने आया है दूसरा समूह 29.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिन्होने महिला नेतृत्व का उभरना स्वीकार नहीं किया।

स्त्री और पूरूषों में बराबरी का दर्जा :–

उत्तर प्रदेश की 16.61 करोड़ जनसंख्या में 7.86 करोड़ महिलायें हैं किन्तु प्रदेश की आबादी का हिस्सा अभी तक प्रायः उपेक्षित सा रहा है, जब कि देश , प्रदेश व समाज के उत्थान में महिला आबादी का योगदान पुरूष वर्ग से किसी भी मायने में कमतर नहीं है। 1000 पर 898 महिला वाले इस राज्य में अब प्रथम बार महिलाओं के उत्थान की ठोस पहल हुई है कि महिलाओं को भी पुरूषों के समान राजनैतिक संरक्षण एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ – साथ उन्हें जीवन समर के अन्य प्रमुख क्षेत्रों मसलन इंजीनियरिंग, चिकित्सा,सूचना,तकनीकि,एवं विज्ञान तथा शोध अध्ययन के क्षेत्र में भी मजबूत आधार प्रदान किया गया है।

भारत में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास का स्वप्न तभी पूरा हो सकता जब कि ग्रामवासी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न, सुशिक्षित हो और ग्रामीण महिलाओं की भी भागीदारी विकास की

पूरी प्रक्रिया में बराबर की हो। इस दृष्टि से केन्द्र और राज्य की सरकारें ग्रामीण विकास के लिये कृत संकल्प हैं। पंचायती राज में उनके दायित्व तथा उनके अधिकार आदि सब हमारी विकास यात्रा के हिस्से है। ग्रामीण महिलाओं की दशा सुधारने के जो प्रयास हुये हैं इसी का सुफल है कि तरक्की की राह पर अब केवल शहरी महिलायें ही नहीं बल्कि ग्रामीण महिलायें भी अग्रसर हैं और वह ग्रामीण विकास की धुरी बनती जा रहीं है।

ग्रामीण महिलाओं की प्रगति एक सफर है, मंजिल नहीं। इसलिये ग्रामीण महिलाओं की उत्थान की इस परम्परा को और भी आगें बढाना हैं वस्तुतः स्त्री ही परिवार की धुरी होती है। वह परिवार को दिशा प्रदान करती है । इसलिये उसका परिवार समाज एवं राष्ट में बराबरी का दर्जा होता है यह बात अब ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों की समझ में आने लगी है, अतः बालिका शिक्षा की दिशा में प्रगति हो रही है । स्त्री शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी होती है अब इसकी अनदेखी करना राष्टीय प्रगति में बाधा पहुँचाना है। स्त्री जीवन की जटिलतायें तो वैसे कुछ कम नहीं होती हैं इसलिये यह जरूरी हे कि उन्हें सुलझाने की दिशा में सदा सजग, सक्रियऔर सचेष्ट रहा जाय। जुझारू महिलाओं की सफलतायें दूसरों के लिये भी प्रेरणा और प्रोत्साहन सिद्ध हो सकतीं हैं। ग्रामीण महिलायें किसी से भी पीछे नहीं हैं। घर की देहरी से लेकर खेत और खलिहानों तक उनके परिश्रम को नकारा नहीं जा सकता। ये भी अपने मोर्चे पर पुरूषों के तुल्य डटी नजर आती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों शिक्षा और जागृति की लहर ने महिलाओं को भी काफी प्रभवित किया हैं इसी का नतीजा है कि महिला डेयरी परियोजना, आंगनबाड़ी कार्यक्रम तथा महिला मंगलदल आदि के माध्यम से नया इतिहास रचा जारहा है पुरानी मान्यताओं जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वासों का अंधेरा दूर हो रहा है। विकास का नया प्रकाश उन कोनों को भी आलोकित कर रहा है जहाँ रोशनी की किरण नहीं पहुँच पाती थी। अनेक स्व–सहायता समूह तथा गैर सरकारी संगठन इस उजाले को आगे बढ़ाने

का काम कर रहें है।[9]

महिला श्रमिकों से जब स्त्री और पुरूष में समानता की बात पूछी गयी है तो अधि ाकांश अशिक्षित महिला होने के बाद भी महिला श्रमिकों ने स्त्री और पुरूष में समानता की बात को अधिकतर स्वीकार किया है। समय के तेजी से बदलते हुये दृश्य में ग्रामीण महिलाओ में भी जाग्रति के अंकुर उत्पन्न हुये हैं।

तालिका क्रमांक 7 – (10)

स्त्री एवं पुरूष एक समान है :–

क्र0सं0	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	246	82.0
2.	नहीं	54	18.0
	योग	300	100.0

तालिका क्रमांक 7 – (10) से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिको में से 82 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्त्री और पुरूष को एक समान माना है। दूसरा समूह 18 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिन्होंने स्त्री एवम् पुरूष को एकसमान नहीं माना हैं।

9– भारती ममता विकास की धुरी बन रही है ग्रामीण महिलायें , ग्रामीण भारत पाक्षिक समाचार पत्र नई दिल्ली 1–15 जरवरी 2003 पेजं. 5

अध्याय - ८

निष्कर्ष

एवं

अनुशंसायें

प्रस्तुत अध्ययन "कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के परिवारिक संगठन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" जनपद झाँसी स्थान समथरके विशिष्ट संदर्भ में किया गया।

इस शोध ग्रन्थ को लिखने का मुख्य उद्देश्य कृषि पर आधारित महिला श्रमिको की समाज में स्थिति, कृषि कार्य का ज्ञान, जाति गत आचार–विचार, जनसंख्या के प्रति दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना एवं उनकी भागीदारी का अध्ययन करना था।

अध्ययन से प्रतीत होता है कि महिला श्रमिक आर्थिक विषमताओं से अनवरत संघर्ष कर रहीं है। उनके जीवन में शिक्षा का अभाव है, उनके परिवारों में शिक्षा का अभाव है। उनके परिवारों में शिक्षा का अधिक प्रसार प्रचार नहीं है। परम्परागत मान्ताओं में वह आज भी जकड़ी हुई हैं। कानूनों की अपेक्षा जातिगत कर्म उनके लिये श्रेयष्कर होता है।

फिर भी समय में बड़ी तेजी से परिवर्तन आने के कारण महिला श्रमिकों की मानसिकता में भी परिवर्तन आना स्वाभविक है। परन्तु समाज एव जाति में व्याप्त प्रचीन परम्परायें, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, महिला श्रमिकों की मानसिकता में परिवर्तन का विरोध करती हैं और धर्म का प्रभाव उनको बाल–विवाह एवं देवी देवताओं पर विश्वास झाड़फूंक पर विश्वास के लिये वाध्य करता है। कुछ तथ्य जैसे पुत्री की कम उम्र में शादी करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना। धर्म शास्त्रों में कन्या का पाणि ग्रहण संस्कार यौवन प्राप्ति अथवा रजस्वला होने के पूर्व न करने से माता पिता नरक गामी होते हैं।इस सम्बन्धमें एक श्लोक नीचे उद्धत किया जा रहा है :–

"अष्ट वर्षा भवेद् गौरी , नव वर्षा न रोहणी !
दस वर्षा भवेत्कन्या , तत् उर्ध्व रजस्वला !!

इसी प्रकार कुछ महिला श्रमिक परिवारों में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का

कन्या दान फलित माना जाता है। जिससे बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। इन परिवारों में स्त्रियों को शिक्षित करने के पक्ष में भी कम मत देखे जाते हैं। इन्हें दूसरों की अमानत माना जाता है। इसलिये इन पर लोग अधिक व्यय करना पसन्द नहीं करते हैं। इन परिवारों में पर्दाप्रथा को उचित माना जाता है, अपनी ही जाति को श्रेष्ठ समझा जाता है।निम्न जाति की महिलाओं के साथ खान पान न करना छुआछूत को मानना आदि मान्यतायें महिला श्रमिकों के पारिवारिक विकास में व्यवधान उत्पन्न करती हैं।

यद्यपि भारत करकार ने महिलाओं के पक्ष में अनेक कानून बनाये हैं। परन्तु उन कानूनों से ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में कोई प्रभावकारी लाभ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में व्यापक संदर्भ में ग्रामीण महिलाओं के जीवन के सम्बन्ध में अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव की गई, साथ ही सामंजस्यता सम्बन्धी अनेक समस्याओं की आज के युग में अध्ययन करने की जरूरत है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध "कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन" नामक शोध विषय मुख्यतः सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रभावों रातिरिवाजों, परम्पराओं, संस्कार एवं दैवीय विश्वास तथा मानवीय जीवन शैली में मनोवृत्यात्मक परिवर्तनों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों के अध्ययन से सम्बन्धित है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में निदर्शन विधि की लाटरी पद्धति द्वारा समथर क्षेत्र में रहने वाली 1000 महिला श्रमिकों में से 30 प्रतिशत यानी 300 महिला श्रमिकों का चयन किया हैं साक्षत्कार अनुसूची के माध्यम से महिला सूचना दाताओं से परिवारिक संगठन के तथ्यों को लिपिबद्ध किया है। वैयक्तिक विवरण के साथ साथ महिला श्रमिकों के पारिवारिक आर्थिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर विभिन्न प्रश्नों को इस तरह रखा गया है, जिससे सूचनादाताओं को प्रश्नोत्तर देने में रूचि यथावत बनी रहे। साक्षात्कार के दौरान सूचना प्राप्ति करने में बाधायें तो अवश्य

आई परन्तु अध्येता के अपने मृदुल व्यवहार एवं कौशल से सभी बाधायें दूर हो गई। तत्पश्चात् संकलित सामग्री, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकडों का संकेतीकरण करके एवं सारणीयन प्रपत्र तैयार करके वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। शोध समस्या के प्रतिवेदन को मुख्यतः आठ भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने यह जानने का प्रयास किया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला श्रमिकों को या ग्रामीण महिलाओं को जो सुविधायें उपल्ब्ध कराई हैं और जो अधिकार प्रदान किये हैं उनके द्वारा कहाँ तक महिला समाज एवं उनके परिवार का विकास हुआ है। इसके अलावा उत्तरदाताओं से इस कार्यक्रम से सम्बन्धित पारिवारिक जीवन की शिक्षा एवं बाल श्रमिक कानून की जानकारी के बारें में महिला श्रमिकों के ज्ञान के स्तर को मापने का प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष रूप से जो आंकड़े सामने आये हैं। उनसे पता चलता है कि आधुनिक समय में श्रमिक महिलाओं में मानसिक एवं सामाजिक रूप से बदलाव तो आया है। किन्तु वह बदलाव की वह स्थिति अध्येता के समाने नहीं आई जो आना चाहिये थी । इसका कारण यह है कि अभी उनमें और उनके परिवारों में परम्परात्मकता की छाप विद्यमान है।

धर्म:—

अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से अधिकांश 77.7 प्रतिशत हिन्दु धर्म को मानने वाली थी दूसरा समूह 22.3 प्रतिशत इस्लामधर्म को मानने वाली महिला श्रमिकों का था।

वर्ष 1991 के सर्वेक्षण के अनुसार समथर क्षेत्र में मुख्यतः धर्मानुसार जनसंख्या इस प्रकार थी हिन्दु महिलायें 70.3 प्रतिशत एवं मुस्लिम महिलायें 29.3 प्रतिशत थी। सिख एवं ईसाई धर्म के अनुयायी इस क्षेत्र में निवास नहीं करते है।

इस प्रकार समथर क्षेत्र में अधिकतर हिन्दु और मुस्लिम महिला श्रमिक ही कृषि

कार्यरत है। अतः उसी अनुपात में इनका साक्षात्कार किया गया।

जाति :–

अध्ययन किये गये महिला श्रमिकों में से अधिकांश 60.7 प्रतिशत पिछडी जाति की श्रमिक महिलायें थी जैसे काछी, गड़रिया, लुहार, कुम्हार आदि । दूसरा समूह 19.0प्रतिशत महिला श्रमिको का था। जो अनुसूचित जनजाति की थी।

पारिवारिक व्यवसाय :–

जनपद झाँसी समथर क्षेत्र के अन्तर्गत 62.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों के परिवारों में श्रमिक (मजदूरी) आदि कार्य होते थे। दूसरा समूह 34.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिनके परिवारों में कृषि कार्य होता था।

परिवार का प्रारूप :–

अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से अधिकांश 79.0 प्रतिशत महिला श्रमिक एकाकी परिवार में रहती थी। दूसरा समूह 20.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जो संयुक्त परिवार को अपनाये हुये थीं। इस प्रकार का अध्ययन सन् 1961 में श्री राल एवं 1968 में श्री गोरे द्वारा किया गया। जिसमें इन्होने पाया कि संयुक्त परिवार में रहने वाले अधिकतर लोग परिवार नियोजन के उपाय अपना रहे थें।

महिला श्रमिक एवं उनके पतियों की आयु :–

समथर क्षेत्र के अन्तर्गत महिला श्रमिकों से सम्बन्धित अध्ययन के पश्चात यह पाया गया कि अधिकांश 27.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों की आदर्श आयु 30 से 39 वर्ष के बीच थी और उनके 33.0 प्रतिशत पतियों की आयु 30से 39 के बीच थी इस प्रकार महिला श्रमिकों की आयु उनके पतियों से लगभग 6 वर्ष कम थी ।

इसी प्रकार का जनसंख्यात्मक अध्ययन दिल्ली के शहरी क्षेत्र पर श्री डी0सी0 दुबे

द्वारा किया गया जो परिवार नियोजन उपायों को अपनाये हुऐ थे। " एडॉप्शन ऑफ ए न्यू कॉन्टासेप्टिव इन अर्वन इन्डिया न्यू देहली"। इस अध्ययन और प्रस्तुत अध्ययन में काफी समानता पाई गई।

परिवारों में वृद्धों की संख्या :–

अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों के परिवारों में से 47.3 प्रतिशत परिवारों में वृद्धों की संख्या एक थी। दूसरा समूह 31.0 प्रतिशत परिवारों का था जिसमें वृद्ध जन नहीं थे। इसके अलावा अन्य महिला श्रमिक परिवारों में जिनका प्रतिशत इस प्रकार था, 12.7 प्रतिशत, 5.0 प्रतिशत 4.0 प्रतिशत इन परिवारों में वृद्ध सदस्य संख्या क्रमशः 2,3,4 थी।

महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार :–

वर्तमान समय में कानूनी रूप से भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। शासन द्वारा महिलाओं को समाज में पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त है। दहेज में कमी बताकर महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की गई है तलाक के समय पत्नी की सहमति होना भी आवश्यक माना गया है।

सर्वेक्षण किये गये अधिकांश 69.3 प्रतिशत महहलाओं ने बताया कि महिलाओं की सामाजिक स्थति में सुधार हुआ है। दूसरा समूह 30.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिनकी राय में महिलाओं की सामाजिक स्थति में कोई सुधार नहीं हुआ।

आय :– जनपद झाँसी स्थान समथर के संदर्भ में जिन महिला श्रमिकों का अध्ययन किया गया है वे अधिकतर निम्न एवं मध्य वर्ग की थी इन महिला श्रमिकों की मासिक आय 775 से 2300 के बीच थी।

शिक्षा :– महिला श्रमिकों में से अधिकाशं 86.0 प्रतिशत महिला श्रमिक अशिक्षित थी जबकि दूसरा समूह 5.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जो थोड़ा शिक्षित था। इसके बाद 4.0

प्रतिशत महिला श्रमिक प्राइमरी एवं 4.0 प्रतिशत जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण थी मात्र 1.0 प्रतिशत महिला श्रमिक हाईस्कूल उत्तीर्ण थी।

खेती की स्थति :– अध्ययन किये गये 300 महिला श्रमिकों में से 33.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास स्वयं की खेती थी दूसरा समूह 30.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिनके पास खेती नहीं थी इसके बाद और भी महिला श्रमिकों के समूह थे जिनके पास बटाई की सामूहिक जोत की जमीन (खेती) थी।

पंचायत द्वारा भूमि का देना :– पंचायत द्वारा दलित परिवारों का खेती योग्य जो भूमि दी गयी थी वह कुछ स्मय पूर्व बाहूवलियों द्वारा दवा ली गयी। मगर शासन की कठोर कार्यवाही के कारण वह भूमि उन्हें दुवारा फिर प्राप्त हो गयी।

अध्ययन के द्वारा विदित हुआ कि 27(9.0 प्रतिशत) महिला श्रमिकों को पंचायत द्वारा खेती योग्य भूमि दी गयी।

मासिक व्यय :– अधिकाशं 85.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने अपने परिवार के मासिक व्यय के सम्बन्ध में बताया कि 1001 रु0 से 2001रु0 तक और इससे अधिक अपने परिवार पर व्यय करती थी दूसरा समूह 15.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंने बताया कि वह 800 रु0 से 1000रु0 तक मासिक व्यय अपने परिवार पर करती थी।

इस प्रकार आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकतर महिला श्रमिक ऐसी थी जिनकी आय और व्यय लगभग बराबर थी। इसके अलावा उन्होनें यह भी बताया कि किसी, किसी माह तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जब उनकी आय से अधिक उनका व्यय अनिवार्य रूप से हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनको खर्च चलाने हेतु दूसरों से कर्ज भी लेना पड़ता है।

मासिक बचत :– मासिक बचत के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिकाशं 64.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि बचत के नाम पर कुछ भी जमा नहीं हो पाता है। दूसरा समूह 17.7

प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जो 100रु0 या इससे कम मासिक बचत करती थी और इतनी बचत करना वे परिवार के हित में आवश्यक समझती थी।

आय और परिवार के आकार का अनुपात :– अधिकाशं 72.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि परिवार के आकार और आय में घनिष्ठ संम्बन्ध है। यदि परिवार छोटा होगा तो महिला श्रमिकों द्वारा सीमित आय में ही अपने परिवार की आवश्कतायें पूरी कर ली जायगी इसके विपरीत यदि परिवार बडा होगा तो उस परिवार के सभी सदस्य मानसिक एवं शारीरिक रुप से परेशान रहेगें अतः परिवार को सीमित रखने में ही महिला श्रमिकों का हित सर्वोपरि है परन्तु महिला श्रमिकों की कथनी और करनी में अन्तर पाया गया।

दूसरा समूह 17.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था उनका विचार था कि आय और परिवार के आकार में कोई सामंजस्य नहीं है जबकि अनेक अध्ययनों में पाया गया कि सम्पन्न परिवारों में कम बच्चे थे और कम आय वाले परिवारों में अधिक बच्चे देखे गये।

सीमित परिवार :– सीमित परिवार को अच्छा मानते हुये 79.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि सीमित परिवार से सबसे बड़ा लाभ परिवार के सभी बच्चों एवं परिवार की देखभाल से है। दूसरा समूह 20.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होनें सीमित परिवार को अच्छा नहीं माना।

यूँ तो 79.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने सीमित परिवार होने से अनेकों लाभ बतायें थे चाहे कम खर्च से हो, सभी की एक रसोई बनना हो, अच्छी देखभाल हो, अच्छी शिक्षा हो या सामजिक प्रतिष्ठा हो, महिला श्रमिक सीमित परिवार में अपना व अपने परिवार का भविष्य उज्जवल देखती हैं एवं सुखी सम्पन्न होने की जिज्ञासा रखती है।

पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह आयु सम्बन्धी विचार :– पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह की आयु के सम्बन्ध में अधिकांश 66.7 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि पुत्र का विवाह 25 साल

के करीब करना चाहिये. पुत्रियों के विवाह के सम्बन्ध में 81.4 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि पुत्रियों का विवाह 20 साल के करीब करना चाहिये।

महिला श्रमिकों के परिवारों में विवाह :– प्रस्तुत अध्ययन में अधिकाशंतः महिला श्रमिकों का अर्न्तविवाह हुआ था ऐसे भी कुछ महिला श्रमिक अध्ययन में शामिल थी जिनका अन्तर्जातियें विवाह हुआ था परन्तु ऐसी महिला श्रमिकों की संख्या नगण्य थी।

सन् 1959 में प्यूरिटोरिको को ने पहाड़ी क्षेत्र का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि परिवार के स्थायित्व और समाज को निरन्तर बनायें रखने के लिये विवाह आवश्यक है। सभी प्रकार के विवाह सन्तानोत्पत्ति और यौन इच्छाओं की संन्तुष्टि के लिये मान्यता प्रदान करते है।

विवाह विच्छेद (तलाक) :– समथर क्षेत्र में तलाक युक्त महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है। गांवों में नगरों की अपेक्षा तलाक की दर कम होती है। धार्मिक एवं सामाजिक बंधन के डर से एक दूसरे का साथ ही श्रेयष्कर समझा जाता है तलाक के संम्बन्ध में मात्र 20.7 प्रतिशत महिलाओं ने ही जानकारी दी जबकि 79.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने अनभिज्ञता प्रकट की एक दो परिवार ऐसे भी है जिन परिवारों में पति अपनी पत्नीयों को छोड़कर लम्बे समय तक लापता हो जाते है।

विधवा विवाह :– विधवा विवाह को अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ी जातियों में उदार दृष्टि से देखा जाता है जबकि ब्राहम्ण क्षत्रिय एवं सवर्ण जातियों में अनुदार दृष्टि से देखा जाता हैं। अधिकाशतः 92.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने विधवा विवाह होना स्वीकार किया हैं यह महिलायें अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की हैं जबकि 07.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने विधवा विवाह होना अस्वीकार किया हैं यह महिलायें अधिकतर सवर्ण जातियों की थी।

फसलों की जानकारी :– भारत वर्ष के कृषि विस्तार क्षेत्र में तीन ही फसलें मानी जाती हैं खरीफ , रवी एवम जायदाद खरीफ की फसल का श्री गणेश वर्षा के प्रारम्भ पर कर दिया जाता है । और रवी की फसल का श्री गणेश वर्षा के समापन पर किया जाता है। धान की खेती खरीफ की फसल की प्रमुख खेती मानी जाती है। ज्वार, बाजरा एवं देशी अरहर के साथ तिलहन में तिली (तिल) पैदा होती है। रवी की फसल में चना, गेहूँ,मटर, एवं मसूर के साथ तिलहन में राई , सरसों अलसी एवं सेमुआं प्रमुख होता है।

300 महिला श्रमिकों में से सभी ने यानी 100.0 प्रतिशत ने खरीफ की फसल के बारे में बताया कि ज्वार, बाजरा खरीफ की फसल में ही पैदा किया जाता हैसाथ ही साथ महिला श्रमिकों ने रवी के फसल के बारे में भी जानकारी दी थी।

परिवार कल्याण एवं कार्यक्षमता :– परिवार कल्याण उपाय अपनाने के बाद 53.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों की कार्य क्षमता पूर्ववत् रही, जबकि 33.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि हई है।

कुछ मुस्लिम महिला श्रमिकों ने परिवार कल्याण उपाय अपनाने का विराध किया उन्होने बताया कि इस्लाम धर्म एवं कुरान शरीफ स्थाई उपाय अपनाने के सख्त खिलाफ है और जिस मुस्लिम पुरूष या महिला ने उपरोक्त उपाया अपना लिया है वह नापाक हो जाता है और ऐसे शख्स की इबातदत खुदा कुबूल नहीं करता है।

परिवार में पिता की श्रेष्ठता :– भारतीय परम्परा के अनुसार परिवार में पिता सर्वोपरि होता है। परिवार में पिता का शासन सभी जनों पर कायम रहता है।पितृसत्तात्मक परिवार में सामूहिक भावना का आदर एवं व्यक्तिगत भावना का निरादर होता है।

300 महिला श्रमिकों में से सभी ने परिवार में पिता को श्रेष्ठ माना है। किन्तु पिता को श्रेष्ठ मानने का दृष्टिकेण अपने आपने मतानुसार था। 54.0 प्रतिशत महिलाओं के विचार थे

कि पिता की श्रेष्ठता में एक मनुष्य का स्वामित्व होता हैं। पिता परिवार मे प्रमुख होता है, अन्य लोग सलाह देते हैं पिता के बाद अधिकांशतः बड़ा भाई मालिक होता है, जबकि दूसरा समूह 15.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जो केवल इस विचार से सहमत थी कि पिता के बाद अधिकांशतः बड़ा भाई मालिक होता है।

मातृ सत्तात्मक परिवार :– मातृ सत्तात्मक परिवार में महिलाओं की स्थिति पुरूषों से श्रेष्ठ होती है । ईश्वर की कल्पना स्त्रियों के रूप में की गई है। इन परिवारों में पुरूषों को भी हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता , महिलाओं द्वारा पुरूषों को सम्मान दिया जाता है। समथर क्षेत्र के अन्तर्गत मातृ सत्तात्मक परिवार नहीं पाये गये।

पर्दा प्रथा :– अधिकांश 96.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि उनके परिवार की महिलायें पर्दा प्रथा को अपनाती हैं दूसरा समूह 4.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होने बताया कि उनके परिवार की महिलायें पर्दा प्रथा को नहीं मानती हैं ।

परिवार में पर्दा प्रथा का अपनाया जाना एवं सन्तानोत्पत्ति का धन्ष्टि सम्बन्ध है। जिस परिवार में महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा को अपनाया जा रहा था वहाँ की महिलाओं का पारिवारिक व सामाजिक स्तर अच्छा नहीं पाया गया है और उस परिवार में बच्चों की संख्या भी अधिक थी।

चूंकि महिला श्रमिकों द्वारा अपनी पुरानी मान्यताओं का अन्धानुकरण होता चला आ रहा है। उनके सोचने का दायरा भी सीमित है। इसी वजह से महिला श्रमिकों द्वारा अपने परिवार में पर्दा प्रथा को महत्व दिया जाता है। जो उनकी निम्न मानसिकता को प्रकट करता है।, इनमें सोचने और निर्णय लेने की पर्याप्त क्षमता न होने के कारण यहाँ का महिला श्रमिक समाज बहुत पिछड़ा पाया गया।

जिन परिवारों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था उन परिवारों में महिलाओं का हर प्रकार

से शोषण होते पाया गया ।

निम्न जाति के साथ भोजन :– अपनी से निम्न जाति के साथ खाप पान न करने को 80.0 प्रतिशत महिला श्रमिको ने स्वीकार किया जबकि दूसरे समूह की 20.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने निम्न जाति के साथ खान पान करना स्वीकार किया है। ग्रामीण समाजों में एक जाति का दूसरी जाति के साथ भोजन करने या न करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

परिवार में छुआछूत :– अधिकांश 71.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने परिवार में छुआछूत मानना स्वीकार किया जबकि दूसरा समूह 29.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंने छुआछूत को न मानना स्वीकार किया।

आश्चर्य तो यह है कि एक दलित जाति दूसरी दलित जाति से उतनी ही छुआछूत मानती है जितनी सवर्ण जाति दलित जाति से ,ग्रामों में अभी भी छुआछूत अधिक मानी जाती है।

शहरीकरण :– केवल 38.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि हमारा गॉव समथर शहरी सीमा में आ चुका है जबकि 62.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने समथर का शहरी सीमा में आना अस्वीकार किया है। इस का मुख्य कारण अशिक्षा का व्याप्त रहना है, दूसरा कारण यहाँ किसी अच्छे प्रकार के उद्योग धन्धों का विकास नहीं हो पाया। इसके मुख्य कारण दो थे।

1:– समथर (पूर्व राज्य) का विलय नियमानुसार 1948 में मध्य भारत में होना था किन्तु निर्मित परिस्थिति के कारण इस का विलय उत्तर प्रदेश में हुआ।

2:– समथर नगर का झाँसी कानपुर लाइन से एकदम अलग थलग पड़ जाना।.

साथ ही साथ पूर्व एवं वर्तमान विधायकों एवं सांसदों की समथर क्षेत्र के प्रति उदासीनता का भी होना रहा।

परिवार में शादी एवं क्रय–विक्रय के निर्णय :– 57.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने बताया कि परिवार में शादी एवं जमीन के क्रय–विक्रय के निर्णय परिवार के मुखिया द्वारा लिये जाते हैं। दूसरा समूह 31.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था, जिन्होनें बताया कि परिवार में शादी एवं जमीन के क्रय–विक्रय के निर्णय, परिवार के कमाऊ सदस्यों द्वारा लिये जाते हैं।

गांव में शैक्षिक सुविधायें :– सभी 100.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने यह स्वीकार किया कि समथर में शैक्षिक सुविधाये उपलब्ध हैं यह सुविधायें कला एवं कृषि संकाय से स्नातक स्तर तक हैं।

फिर भी इस क्षेत्र में बहुत कम महिलायें एवं लड़किया शिक्षित है। इसका कारण पूर्व काल में सामन्त शाही व्यवस्था का होना रहा। जिसकी छाप आज भी विद्यमान है।

भूमि संरक्षण हेतु वृक्षारोपण :– अधिकांश 90.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया कि भूमि के कटाव को रोकने के लिये वृक्षारोपण आवयश्क है जबकि 9.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

भूमि की सुरक्षा एवं कृषि कार्य में महान सहयोग के लिये वृक्षारोपण जरुरी है। वृक्ष भूमि को उबड़–खाबड होने से रोकते हैं एवं इसकी उर्बरा शक्ति को बढ़ाते हैं। वृक्ष तेज आंधियों को रोक कर वर्षा को आकर्षित करके तथा मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों में बांधकर रेगिस्तान के प्रसार को नियंत्रित करते हैं।

महिलाओं का शैक्षिक होना आवश्यक :– महिलाओं के शैक्षिक होने के सम्बन्ध में अधिकतर 68.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया कि महिलाओं का शिक्षित होना आवश्क है, जबकि दूसरा समूह 32.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंने महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक नहीं समझा।

यह वास्तविक सत्य है कि महिलायें शिक्षित होकर एवं आत्म निर्भर बनकर परिवार

एवं समाज के विकास में योगदान कर सकती है।

धर्म में विश्वास :– महिला श्रमिकों को धर्म में अधिक विश्वास है। एक तो महिलायें, स्वयं उदारवृत्ति की होती है दूसरा कारण भारत वर्ष धर्म प्रधान देश है। धार्मिक आधार पर कृषि कार्य में प्राकृतिक तत्वों की ही पूजा सर्वोपरि मानी गई है चाहे वह जल हो, भूमि हो, पहाड़ हो, आंधी या तूफान हो, हरीभरी फसल हो, नदी या समुद्र हो सभी को देवता के रुप में माना गया है। धर्म के आधार पर ही श्रमिक महिलायें कथा, प्रवचन, एवं अनुष्ठानों में शामिल होती हैं और झाड़फूक पर एवं भूत–प्रेत पर विश्वास करती हैं।

संस्कारों में विश्वास :– सस्कार शब्द का आशय प्रकट करना कठिन है। भिन्न–भिन्न ग्रन्थों में एवं सूत्रों में भिन्न–भिन्न संस्कार बताये गये हैं। संस्कार शब्द संस्कृत का भाषा से उत्पन्न होकर अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। सामान्य दृष्टि से संस्कार का अर्थ है अच्छा बनना, योग्य बनना या शुद्ध बनना है। संसकारों से समाज और व्यक्ति के बीच सन्तुलन होता है। संस्कारों के द्वारा ही सामाजिक दायित्वों से परिचित होकर उन्हें पूरा किया जाता है। उपनयन संस्कार को केवल 6.7 प्रतिशत महिला श्रमिक परिवारों में ही माना जाता था। अधिकांश यह परिवार सवर्ण महिलाओं के परिवार थे, जबकि 93.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों में से कुछ के यहाँ पर यह सम्पन्न नहीं होता था और कुछ इसकों नही मानती थी। अन्तिम संस्कार सभी महिला श्रमिक परिवारों में यानी 100 प्रतिशत होता है। पिण्डदान 77.7 प्रतिशत सभी महिला श्रमिक मानती हैं जबकि 22.3 प्रतिशत महिला श्रमिक इसको नहीं मानती थी गोदान संस्कार 77.7 प्रतिशत महिला श्रमिक मानती है जबकि 22.3 प्रतिशत महिला श्रमिक नहीं मानती थी।

जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक उत्थान में बाधा :– भारत में जनसंख्या सुरसा के मुख के समान तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इससे पारिवारिक उत्थान में बाधा तो आई

है पर साथ ही साथ राष्ट्र का आर्थिक विकास, प्रशासन और सामाजिक कल्याण आदि भी कम प्रभावित नहीं हुआ है। धार्मिक क्षेत्र में सृष्टि को बनाये रखने में सन्तानोत्पत्ति का एक विशेष महत्व हें इसका बुरा असर हमारे समाज मे जनसंख्या वृद्धि के रुप में देखने को मिल रहा है। विशेष कर हिन्दू समाज की जिन महिलाओं में धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव था उनके विचारों में शनैः–शनैः परिवर्तन आ रहा है और वे अपने–अपने ढग से जीने को प्रयत्नशील दिखाई देती है। परन्तु मुस्लिम महिला समाज में नियोजित परिवार को अच्छा नहीं समझा जाता है। इनके परिवारों में बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं इन मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि बच्चों की शादी के लिए कई विकल्प आते हैं, तो वे उस परिवार की लड़की को बधू बनाते हैं जिसकी माँ ने अधिक बच्चे पैदा किये हों।

जनसंख्या वृद्धि से पारिवरिक उत्थान में बाधा को 77.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया। जबकि दूसरा समूह 22.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है जिन्होने जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक उत्थान में आने वाली बाधा को अस्वीकार किया।

जनसंख्या समस्या के हल के सम्बन्ध में 47.3 प्रतिशत महिला श्रमिक शिक्षा के प्रसार से सहमत थी दूसरा समूह 38.0 महिला श्रमिकों का था जो कुछ लाभ प्रदान करने से सहमत थी।

<u>पल्स पोलियों से सुरक्षा</u> :– बच्चों की अपंगता से रक्षा हेतु वर्ष में दो बार पल्स पोलियों की दवा श्रमिक महिलाएं केन्द्रों पर जाकर अपने–अपने बच्चों को पिलाती हैं। समी 100.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों द्वारा 0–5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियों की दवा सेवन कराई जाति हैं, इससे पल्स पोलियों के बेसलरी नामक बायरस का.सफाया होता है।

<u>मनोरंजन एवं सूचना के साधन</u> :– मनोरंजन के साधन के रुप में 6.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों द्वारा समाचार पत्र को पढ़ा जाता है जबकि दूसरे समूह में 94.0 प्रतिशत महिला

श्रमिकों द्वारा नहीं। 16.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास रेडियों था जबकि दूसरे समूह में 83.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास नही,। 25.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास टी0वी0 थी जबकि दूसरे समूह में 75.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों के पास नहीं थी। टेलीफोन की सुविधा महिला श्रमिकों के पास नही थी।

<u>गांव में पंचायत चुनाव द्वारा तनाव</u> :— गांव में पंचायत चुनाव द्वारा तनाव बढने का (70.0) प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया, जबकि दूसरा समूह 30.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंने तनाव को अस्वीकार किया। चुनाव के कारण ही गांवों मे पार्टी बन्दी का विस्तार हुआ। गांव जो सज्जनता एवं शान्ति के केन्द्र माने जाते थे उनमें अशान्ति का वातावरण निर्मित होने लगा।

<u>सामुदायिक योजना में प्राथमिकता</u> :— 37.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने स्वीकार किया कि सामुदायिक विकास योजना के अर्न्तगत "कृषि " को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा समूह 30.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंने स्वीकार किया कि सामुदायिक विकास योजना में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है।

सामुदायिक विकास योजना भारत के 557 लाख से अधिक ग्रामों मे रहने वाली 74.3 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या के सोचने, विचारने एवं कार्य करने के ढगों को बदलने का एक विशाल प्रयत्न है।

<u>पंचायत के विकेन्द्रीकरण से तैंतीस प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी</u> :— अधिकांश 5.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने यह स्वीकार किया कि पंचायत राज के विकेन्द्रीकरण से 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी शासन द्वारा स्वीकार हुई है। दूसरा समूह 34.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंने 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को स्वीकार नहीं किया।

महिलाओं को समाज में स्थान देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 33 प्रतिशत स्थान जो महिलाओं को आरक्षित किये है वह उचित हैं, क्योंकि निचले स्तर पर ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा लोकतन्त्र की महत्वपूर्ण संस्थायें है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी अति महत्वपूर्ण है।

पंचायत व्यवस्था से नई शक्ति एवं सत्ता :– 67.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने इसे स्वीकार किया कि नई पंचायत व्यवस्था से ग्रामीण जनता को लाभ हुआ है जबकि दूसरा समूह 33.0 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंने इसे अस्वीकार किया। पंचायती राज व्यवस्था के प्रारम्भ होने से दलित महिला वर्ग को आगे आने का पूरा–पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायती व्यवस्था से ग्रामीण जनता में सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक सुधार के साथ–साथ राजनीतिक चेतना का भी प्रादुर्भाव हुआ है।

महिलाओं का नेतृत्व :– महिलाओं के नेतृत्व के बारे में 70.3 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने यह स्वीकार किया कि महिलाओं का नेतृत्व उभर कर सामने आया हे। दूसरा समूह 29.7 प्रतिशत महिला श्रमिकों का था जिन्होंने महिलाओं के नेतृत्व का उभरना स्वीकार नहीं किया।

स्थानीय स्तर पर महिलाओं का नेतृत्व उभरने का एक प्रमाण यह है कि नगर पंचायत समथर के चुनाव सन् 2000 में 33 प्रतिशत आरक्षित स्थान की जगह पर महिलाओं ने 36 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये और कुछ महिलायें बहुत कम मतों से पराजित हुई थी सन् 1995 के चुनाव में भी महिलाओं ने 36.0 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये थे।

प्रस्तुत अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे :-

1:- महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति के अध्ययन से विदित हुआ कि महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति पुरुषों से बहुत कुछ न्यून है। पुरुषों के समान कार्य करने के बाद भी इन को समान पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है जबकि यह पुरुषों से किसी प्रकार से भी मेहनत के कार्यो में पीछे नहीं हैं। यह श्रमिक क्षेत्र मे बहुत बड़ा भेदभाव है। श्रम क्षेत्र की इस बिसंगति को दूर होना अति आवश्यक है।

2:- अध्ययन किये गये महिला श्रमिकों में तलाक का क्या कारण रहा है। इसका सही निर्धारण नहीं किया जा सकता पर यह सच है कि पारिवारिक विघटन की यह एक विषय सूची है। तलाक युक्त महिला, समाज एवं रिश्तेदारी में उदार दृष्टि से नहीं देखी जाती है। यह महिलायें अपने माता-पिता एवं भाइयों के संरक्षण में रहने के बाद भी कृषि कार्य करके अपना एवं बच्चों का जीवन-यापन करती है। कुछ परिवार ऐसे भी है जिनके पति अपनी पत्नियों को छोड़कर लम्बे समय से लापता है। प्रश्न यह उठता है कि इन महिलाओं को किस श्रेणी में रखा जाय। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता मिलना चाहिए।

3:- महिला श्रमिकों का रहन-सहन अति निम्न प्रकृतिक है कच्चे मकान अधिक संख्या में हैं। शासन द्वारा दलित जाति के समान ही इन गरीब महिला श्रमिक परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

4:- श्रमिक महिलाओं में कुछ पिछड़ी एवं दलित जाति की महिलायें ऐसी है जिनके पास नाम मात्र की भी जमीन नहीं है, जबकि वह कृषि कार्य में दक्षता रखती हैं। ऐसे महिला श्रमिक परिवारों को शासन द्वारा कुछ खेती योग्य जमीन दी जानी चाहिए।

कुछ महिला श्रमिक परिवारों की खेती योग्य भूमि पर पर दंबग लोग कब्जा किये है

या दबाये हैं एसी भूमि को मुक्त कराकर हक वालों को कानूनन भूमि काबिज कराना चाहिये।

5:– वर्तमान समय में चाहे ग्राम हो या नगर हो एकाकी परिवार ही अधिक प्रचलन मे पाये जाते है कुछ संयुक्त परिवार ग्रामों में देखने को मिल जाते हैं। जिस प्रकार संयुक्त परिवार नगरों में समाप्ती पर हैं। उसी प्रकार विस्तारित परिवार ग्रामों में भी समाप्ती पर हैं मात्र 2 विस्तारित परिवार ही महिला श्रमिकों में पाये गये।

6:– स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार नहीं आया। भारतीयें महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुधार में अनेकों अवरोध है। इन अवरोधों को दूर करके ही भारतीये महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पूर्ण सुधार हो सकता है ।

7:– महिला श्रमिकों द्वारा पत्र–पत्रिकायें पढने सम्बन्धी प्रवृत्ती एवं दृष्टिकोण पर विचार किया गया। अधिकतर महिला श्रमिक पत्र–पत्रिकायें नहीं पढ़ती थी। क्योकि वे अशिक्षित थी तथा कुछ महिलायें आर्थिक स्थिति के कारण खरीदकर पढ़ने में असमर्थ थी।

8:– भारत की लगभग 74.3 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रुप से कृषि पर निर्भर हैं। इसी कारण भारत कृषि प्रधान देश है। राष्ट्रीय आय का लगभग 31.7 प्रतिशत भाग कृषि आय से ही प्राप्त होता है और देश की कुल क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग 43.7 प्रतिशत भाग में खेती की जाती है। भारत के अनेक उद्योग कच्चे माल के लिये कृषि पर ही आधारित है, जैसे सूती वस्त्र, जूट, चीनी, हथकरघा, वनस्पति तेल उद्योग आदि ।

9:– भारत में स्वतन्त्रता के उपरान्त भारतीय कृषि क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये जिनके फलस्वरुप कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। फिर भी कृषकों की कई समस्याओं को देख़ते हुये इस दिशा में अभी और अनेक प्रयासों की आवश्यकता है।

10:– कृषि कार्यरत महिला श्रमिकों को नये प्रकार के बीजों, कृषि उपकरणों, विभिन्न प्रकार

की खादों, मिट्टी की जांच एवं उसे उर्वरक बनाने के उपायो तथा नवीन विधियों आदि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित कृषि के फलस्वरुप कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। देश अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा और ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित अनेक समस्याओं में न्यूनता आयेगी।

11:– प्रत्येक क्षेत्रों में वृक्षों से होने वाले लाभों को देखते हुये वृक्षारोपण का महत्व और बढ गया है। सन् 1957 से ही इस भावना को बलवती बनाने के लिय सरकार द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन मनोहत्सव मनाया जाता है। 1965 में सरकार ने केन्द्रीय वन आयोग की स्थापना की देश की जनता को '"वन महोत्सव" राष्ट्रीय कार्यक्रम की भांति अपनाना चाहिए। क्योकि जिस गति से वन सम्पदा का विनाश हो चुका है उसकी क्षति दो चार वृक्ष लगाकर नहीं की जा सकती है, वल्कि सभी को खाली पढ़ी भूमि का हिस्सा वृक्षों की हरी भरी चादर से ढ़क देना होगा। इससे वनसम्पदा बढ़ेगी, कृषि योग्य समयानुकूल वर्षा होगी तथा और भी अनेक अप्रत्यक्ष लाभों से लाभान्वित हो सकेगे।

12:– विधवा विवाह होने की अधिकांश महिला श्रमिक पक्षधर थी परन्तु उच्च जाति की श्रमिक महिलायें विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थी क्योकि उच्च जातियों में विधवा विवाह न होना एक विसंगति है। जो विधवा महिलाये निराश्रित होकर किसी प्रकार अपना जीवनयापन कर रही हैं, वह परिवार एवं समाज की स्वीकृति से दुवारा अपना जीवन साथी चुनकर आश्रित हो सकती हैं, उच्च जातियों में विधवा विवाह को सामाजिक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

13:– अधिकाशं महिला श्रमिकों ने जनसंख्या वृद्धि को पारिवारिक उत्थान में बाधा बताया। उनका विचार था कि कितने भी विकास कार्य करा लिये जाये लेकिन जब तक बढ़ती हुई

जनसंख्या को कारगर ढग से रोकने के प्रयास नही किये जायगे तब तक बढती हुई जनसंख्या के अनुरुप नये विकास कार्यो की माग बढती रहेगी। बढती हुई जनसंख्या आज विस्फोट का रुप लेती जा रही है, यदि इस पर सख्त कदम न उठाया गया तो मात्र 5 वर्षो में ही वर्तमान जनसंख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी।

कुछ महिला श्रमिक जनसंख्या वृद्धि से पारिवारिक बाधा को स्वीकार नहीं करती थी। यह महिला श्रमिक मुस्लिम समाज की थी इनका कहना था कि जो जनसंख्या वृद्धि पर पाबंदी लगाता है वह खुदा के यहाँ गुनेहगार माना जाता है।

धर्म की ओट लेकर जनसंख्या वृद्धि करना राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करतना है। मुस्लिम परिवारों ने हमेशा से ही अपने धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से जनसंख्या को बढाना अपना लक्ष्य माना है। जबकि जनसंख्या को कम करने में सभी धर्मो का एवं जातियों का सहयोग अपेक्षनीय है।

महिला श्रमिकों को यह समझना चाहिये कि एक निश्चित समय के पश्चात शरीर परिपक्व होता है और उस अवस्था में शरीर एवं मस्तिष्क किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व निभा सकता है। कम आयु में विवाह करने पर सन्तान शारीरिक एवं मानसिक रुप से अशक्त होती है और जो कम समय भी काल कबलित हो जायेगी अथवा बीमार समाज की स्थापना करेगी।

14:– अधिकाशं महिला श्रमिकों ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का समर्थन किया था। आधुनिक समय में महिलाओं का घर के बन्धन से बाहर निकलकर राजनीति में प्रवेश कर सत्ता] से जुडना इस बात का प्रमाण है कि महिलायें भी किसी प्रकार पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी से इन पर होने वाले जुल्मों की संख्या भी कम हुई है।

जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने 73 वे संविधान संसोधन 1992 के द्वारा 33 प्रतिशत

महिलाओं के लिय पंचायत चुनाव में आरक्षण किया है उसी प्रकार भारत सरकार को शासनिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में केन्द्र स्तर पर महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था कर देनी चाहिये।

15:— ग्रामीण महिला श्रमिकों के पारिवारिक सामजंस्य के सम्बन्ध में इनको मातृत्व लाभ देने की कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिये। लघु उद्योग अथवा कृषि उद्योग में कार्यरत महिलाओं को निशुल्क चिकित्सीय सुविधा दी जानी चाहिये।

16:— महिला वाल विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिये नारी निकेतन, महिला उद्धार गृह, महिला अनुरक्षण गृह एवं महिला विकास एवं कल्याण के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को उदारता से अनुदान दिया जाना चहिए।

प्रस्तुत शोध प्रबन्धक को समझने के लिये उपरोक्त बातों को क्रम में रखा गया है प्रस्तुत शोध प्रबन्धक जनपद झाँसी स्थान समथर के सन्दर्भ में कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन के प्रति दृष्टिकोण को जानने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन में महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन के प्रति मूल्य व्यवहार एवं ज्ञान से सम्बन्धित विचार लिये गये हैं। ये बिचार कृषि उत्पादन से सम्बन्धित आय और पारिवारिक सेवा के प्रति नये दृष्टि कोण से सम्बन्धित थे। आज विकासशील ग्रामीण श्रमिक महिलायें प्राचीन एवं नयी व्यवस्था के बीच संघर्षरत है। पुरानी व्यवस्था नयी शक्तियों का सामना नहीं कर पाती है, और न ही ग्रामीण महिला श्रमिकों की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं को पूरा कर पाती है। इसलिये इनमें पारस्परिक समन्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। जिससे पारिवारिक संगठन की पुरानी एवं नयी पद्धती में किसी प्रकार की टकराहट न हो सके।

प्रस्तुत अध्ययन से महिला श्रमिकों को पारिवारिक संगठन की नीति एवं निर्धारण में मदद मिल सकेगी और परम्परा से चली आ रही रुढ़ियों एवं कुप्रथाओं का अन्त हो सकेगा।

इस प्रकार यह अध्ययन महिला श्रमिकों एवं समाज के दूसरे वर्गों के लिये अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महिला श्रमिकों से सम्बन्धित समस्या के समाधान में यह शोध प्रबन्ध सहायक सिद्ध हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1895 – सिंह जगजीत दीवान साहिब : ताबरीख गुलदस्ता जंग मुंशी नवल किशोर प्रेस (सी0आई0ई0) लखनऊ

1905 – वेद के0एम0 : स्टेट एण्ड लेवर इन इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे

1926 – वेस्टर एम0ई0 : दि शॉट हिस्टोरी ऑफ मैरिज, प्रीतम पब्लिशिंग कॉरपुरेशन, लन्दन

1931 – प्रसाद वेनी : हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, हिन्दुस्तान एकेडमी, संयुक्त प्रान्त

1940 – नेहरु पं0 जवाहर लाल : हिन्दुस्तान की समस्याये, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

1944 – डॉ0 ज्ञानी शिवदत्त : भारतीय संस्कृति, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली

1948 – लुण्डवर्ग, जार्ज ए0 : सोशल रिसर्च, लौंगमेन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क

1950 – शर्मा कैलाश चन्द्र शास्त्री : भारतीय समाज संस्कृति तथा संस्थाये, प्रकाशक समाज शास्त्र समिति – कानपुर

1952 – मुकर्जी आर0के0 : इण्डिया वर्किंग क्लासिस हिन्दु किताब लिमि, बॉम्बे

1954 – सिंह यशपाल, कु0 यतीन्द्र : गुर्जर इतिहास, विजया प्रेस मेरठ

1954 – राव शास्त्री शकुन्तला : वुमेन इन दि वैदिक येज भारतीय विद्या भवन, बॉम्बे

1956 – रागेय राधव : सामाजिक संस्थायें और रीतिरिवाज, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, राधाकमल प्रकाशन, दिल्ली

1956 – अल्तेकर ए0एस0 : दि पॉजीशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिबलाइजेशन, मोती लाल बनारसी दास देहली

1956 – डॉ0 शास्त्री मंगल वेष : भारतीय संस्कृति का विकास, प्रकाशक समाज विज्ञान परिषद, बनारस

1956 – दुर्खीम इमाइल : डिवीजन ऑफ लेवर इन सोसाइटी, फ्री प्रेस न्यूयार्क

1958 – आचार्य चतुरसेन : भारतीय संस्कृति का इतिहास, रस्तोगी एण्ड कम्पनी, मेरठ

1959 – मुकर्जी राधाकमल : भारत की संस्कृति और कला, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली

1959 – डॉ0 शास्त्री हरिदत्त : भारतीय साहित्य और संस्कृति, मुंशी मनोहर लाल, नई सड़क, दिल्ली

1960 – सेन गुप्ता पद्मिनी : वुमेन वर्क्स इन इण्डिया, एशिया पब्लिंशग हाउस बॉम्बे, न्यू देहली

1960 – सक्सेना आर0सी0 : श्रम समस्या और समाज कल्याण, जय प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ

1961 – पाराशर चिरोंजीलाल : नारी और समाज, राकेश पब्लिकेशन गाजियावाद मेरठ

1961 – मार्गरिट कोरमेकः दी हिन्दू वुमेन पब्लिकेशन हाउस एशिया, बॉम्बे

1961 – रागेराधव : संस्कृति और समाज शास्त्र भाग – 1 विनोद पुस्तक मन्दिर हॉस्पिटल रोड, आगरा

1962 – शर्मा कैलाश नाथ : भारतीय समाज और संस्कृति, किशोर पब्लिशिंग हाउस, कानपुर

1962 – डॉ0 शास्त्री शिवराज : ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध, लीला कमल प्रकाशन, मेरठ

1963 – कपाडिया के0एम0 : अनुवादक हरिकृष्ण रावत, भारत में विवाह एवं परिवार, सुन्दर लाल जैन, मोती लाल, वनारसी दास बंगला रोड, जवाहर नगर, नई दिल्ली

1963 – त्रिपाठी शम्भु रत्न : भारतीय संस्कृति और समाज, किताब घर, कानपुर

1963 – डॉ0 आर्या एल0पी0 : सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धतियां, आर0एस0 वंसल साहित्य भवन, आगरा

1964 – महरोत्रा एस0एन0 : लेवर प्रोब्लम्ब्स इन इंण्डिया, एस0चन्द्र एण्ड कम्पनी, देहली

1966 – वैकटरयप्पा के0एन0 : फेमीनिन् रॉलस, पोप्लर प्रकाशन, बॉम्बे

1966 – श्री सिंह ये0 : समाज कार्य सिद्धान्त और व्यवहार प्रकाशक, प्रकाशन केन्द्र न्यू बिल्डिंग्स अमीनावाद, लखनऊ

1966 – गिगरिस वी0एन0 : श्रम अर्द्धशास्त्र, सरस्वती सदन मंसूरी

1966 – डॉ0 पाण्डेय : भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, साहित्य निकेतन श्रृद्धानगर पार्क, कानपुर

1966 – डॉ0 मुकर्जी आर0के0 : हिन्दू सभ्यता, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली

1966 – डॉ0 उपाध्याय रामजी: भारतीय संस्कृति का उत्थान, रामनारायण वैनी माधव, इलाइावाद

1967 – डॉ0 ज्ञानी शिवदत्त : वेदकालीन समाज, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी

1967 – श्री शर्मा राजीव लोचन : जनजाती जीवन और संस्कृति, सहकारी प्रकाशन प्रसारण कानपुर

1967 – श्री निवास एम0एन0: आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, राजकमल प्रकाशन दिल्ली

1968 – चौधरी धर्मपाल : सामाजिक कार्य का परिचय, आत्मा राम एण्ड सन्स, दिल्ली

1970 – डॉ0 शहस्रबुद्धे पुरुषोत्तम गणेश : हिन्दू समाज संगठन और विघटन, प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वारणसी

1970 – गेरोला वाचस्पति : वैदिक साहित्य और संस्कृति, सम्वर्तिका प्रकाशन इलाहाबाद

1970 – लाल सुन्दर : भारत में अग्रेंजी राज्य, द्वितीय खण्ड, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

1971 – जैन कैलाश चन्द्र : प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

1973 – त्रिपाठी सुरेन्द्र : सामाजिक विघंटन, उ0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ

1975 – डॉ0 सिंह सुरेन्द्र : सामाजिक अनुसंधान उ0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ

1976 – डॉ0 सत्यदेव : सामाजिक विज्ञानों की शोध पद्धतियां, हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी चण्डीगढ़

1981 – त्रिपाठी चन्द्रवली : भारतीय समाज में नारी आदर्शो का विकास, दुर्गावती प्रकाशन ,गोरखपुर

1982 – डॉ0 श्रीमति परमार दुर्गा : श्रमजीवि महिलायें और समकालीन, पारिवारिक संगठन, साहित्य भवन प्रकाशन प्रा0 लि0 इलाइावाद

1982 – डॉ0 गुप्त रघुराज एवं मुंशी एस0एन0 : ग्रामीण समाजशास्त्र भारतीय परिवेश में विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली – 7

1982 – व्होरा आशारानी : भारतीय नारी, दशा और दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

1983 – व्होरा आशारानी : नारी शोषण, आइने और आयाम, नेशनल पब्लिशंग हाउस, नई दिल्ली

1984 – मदान जी0आर0 : भारतीय सामाजिक समस्यायें, विघंटन एवं कल्याण, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली

1984–85– डॉ0 शर्मा आर0पी0 एवं जैन शशी के0 : ओद्योगिक समाज शास्त्र, पब्लिकेशन्स त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

1985 – राय पारसनाथ : अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा

1986 – सिंह इन्द्र जीत : श्रमिक विधियां, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहावाद

1986 – व्होरा आशारानी : भारतीय नारी – अस्मिता और अधिकार, नेशनल पब्लिशर हाउस, नई दिल्ली

1987 – डॉ0 मिश्र उर्मिला प्रकाश : प्राचीन भारत में नारी, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल

1988 – अग्रवाल सुशीला : स्टेट ऑव वुमेन (एडी) : प्रिन्ट वैल पब्लिशर जयपुर

1989 – डॉ0 पोथन के0पी0, डॉ0 टोंग्या बी0सी0, प्रकाशक कमल प्रकाशन, 54,प्रिन्स यशवंत रोड, इन्दौर

1990 – जैन बी0एम0 : शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीक, रिसर्च पब्लिकेशन्स,जयपुर

1990 – श्रीवास्तव एस0सी0 : जनांकिकीय अध्ययन के प्रारुप, हिमालया पब्लिशिंग हाउस मुम्बई

1991 – विजय वर्गीय आर0एस0 : श्रम विधियां, दी लायरस होम, इन्दौर

1995 – गुप्ता एम0एल0 डॉ0 शर्मा डी0डी0 : भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र प्रकशन साहित्य भवन, आगरा।

1995–96 – वार्ष्णेय आर0पी0 : शांख्यिकी के मूल तत्व, द्वितीय खण्ड भारतीय समंक, जवाहर पब्लिकेशन्स, आगरा–3

2000 – प्रो0 दास हरसरन : कृषि अर्द्धशास्त्र, खण्ड – 9, रामा पब्लिशंग हाउस, बड़ौत

लेख, पत्रिकाएँ, प्रतिवेदन एवं पम्पलेट

1940 – भारत के किसान मजदूर एक हो जाओं, समथर क्षेत्र के टोड़ी ग्राम में भारत के ह्रदय सम्राठ श्री सुभाष चन्द्रबोस के आगमन का पम्पलेट, 27 फरवरी, स्वाधीन प्रेस झाँसी

1954 – आद्य नाथ : वुमेन'स एम्पलॉयमेन्ट इन इण्डिया, मिनिस्टरी ऑफ इण्डिया, पब्लिकेशन, न्यू देहली

1956 – डेविस किंग्सले एण्ड जूडियः सोशल स्ट्रक्चर एण्ड फर्टिलिटी एन एनालिटिक फ्रेम वर्क, इकोनोमिक डवलपमेंन्ट एण्ड कल्चरल चेन्ज

1958 – आलमुनि एसोशियेशन बुलेटिन आलइंडिया इन्डस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ बोल्यूम VII नं0 19

1958 – विलकेनिंग ई0ए0 "ज्वायन्ट डिसीजन मेकिंग इन फार्म फेमिलीज एज फंक्शन ऑफ स्टेट्स एण्ड रोल अमेरिकन साशियोलॉजीकल रिव्यू – 23"

1961 – केशराज जे0पी : वि सिस्टम ऑफ वर्कर्स पार्टीसियेशन इन इण्डिया, इण्डिया जनरल ऑफ सोशल वर्क, वोल्यूम, XXI मार्च 1961

1965 – वोहलिन, जो एम0 : दि एडोप्शन एण्ड डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज इन एग्रीकल्चर, इन जेम्स एच0 कोप (एडीटर) अवर चेन्जिंग रुरल सोसाइटी, एमीज, आईओबा, आईओवा स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस।

1965 – पर्तिनाल ले0जी0 : " दि सरल फेमिली ऑफ दि फ्यूचर " इन जेम्स एच0कोप (एडीटर) अवर चेन्जिंग रुरल सोसाइटी, एमीज, आईओबा, आईओवा स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस।

1966 – महाजन अमरजीत : वुमेन टू रॉलस – ए स्टडी ऑफ रॉल कॉनफिलेक्ट, सोशल बेलफेयर, मार्च 1966 बोल्यूम, 24 न04

1967 – गोल्ड एच0ए0 सांस्कृतिकजेशन एण्ड वेस्टर्निजेसन ए डायनामिक ब्यु वोल्युम XXI,No 25 Jun 14,1967

1979–77– इयर वुक : फेमिली वेल्फेयर प्रोग्राम इन इंडिया गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एण्ड फेमिली वेल्फेयर, डिपार्टमेन्ट ऑफ फेमिली वेल्फेयर, न्यू देहली

1982 – यूनाइटेड नेशन्स, डेमोग्राफिक इण्डिकेटर्स ऑफ कन्ट्रीज एज एसेस्ड इन 1980, डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्टरनेशनल इकोनोमिक एण्ड सोशल एफेयर्स, न्यूयार्क। ऑफ सैट पब्लिकेशन नं0 64,65 डब्लू0एच0ओ0।

1984 – एनुअलरिपोर्ट, 1983–84 गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिलि वेल्फेयर, न्यू देहली

1985 – इंडिया टू डे, जुलाई 31, 1985

1989 – भारती : पॉलिटीकल कोन्सिसनेस ऑफ व्हाइट कफलर बर्किंग बुमेन – ए केस ऑफ दि कैपीटल बोल्यूम 8 जनवरी 1989

2000 – सन्देश पत्रिका, शत प्रतिशत साक्षरता की ओर अभियान, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उ0प्र0 लखनऊ 10 जुलाई 2000 अंक।

2002 – सन्देश पत्रिका वंचितों को को पाजिब हक का भरोसा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश लखनऊ

2003 – अली सुभाषिनी : महिला आरक्षण से खिलवाड़ नामक लेख, दैनिक जागरण ग्वालियर 15 मई 2003

विषय - कृषि पर आधारित महिला श्रमिकों के पारिवारिक संगठन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(जनपद झाँसी स्थान समथर के सन्दर्भ में)

A Sociologifcal study of family Organisation of Agriculture based Female Workers.

साक्षात्कार अंनुसूची

क्रम संख्या.............................

1. ग्राम का नाम : ....
2. परिवार के मुखिया का नाम : ....
3. उत्तर दाता का नाम तथा मुखिया से सम्बन्ध : ....
4. उत्तर दाता तथा उसके पति की आयु

   पत्नी.............................

   पति ....
5. परिवार में सदस्यों की संख्या

   पुरुष.............................

   स्त्रियाँ ....

   बच्चे ....
6. धर्म

हिन्दू/	मुस्लिम/	सिख/	ईसाई/	अन्य
1	2	3	4	5

7. जाति

सवर्ण/	पिछड़ी जाति/	अनुसूचित जाति,	अनुसूचित जन जाति
1	2	3	4

8. परिवार का मुख्य व्यवसाय

कृषि	व्यापार	नौकरी	श्रमिक	अन्य
1	2	3	4	5

9. शैक्षिक स्तर

अशिक्षित	थोड़ा शिक्षित	प्राइमरी	जूनियर हाई स्कूल
1	2	3	4
हाई स्कूल	इण्टर	स्नातक या उससे अधिक	
5	6	7	

10. परिवार का आकार

संयुक्त	एकाकी	विस्तारित
1	2	3

11. घर की स्थिति

कच्चा	पक्का	आधा कच्चा / पक्का
1	2	3

12. पीने के पानी का साधन

कुआ	हैडपम्प	नल का पानी	नदी का पानी	अन्य
1	2	3	4	5

13. खेती की स्थिति

स्वय की	बताई की	सामूहिक	खेती जोत की	अन्य
1	2	3	4	5

14. क्या आप समाचार पत्र लेती हैं।

हाँ	नही
1	2

15. क्या आपके पास रेडियों है।

हाँ	नही
1	2

16. क्या आपके पास टी.बी. है।

हाँ	नही
1	2

17. टेलीफोन की सुविधा है।

हाँ	नही
1	2

18. क्या आप सोचते है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों की सामाजिक स्थिति तथा कार्यो में कोई परिवर्तन हुआ है।

हाँ	नही
1	2

यदि हाँ तो किस प्रकार के परिवर्तन हुए है

1. परिवार में मुखिया का सम्मान अधिक नही है।

हाँ	नही
1	2

2. परिवार के सदस्यों की विपरीत विचार धारायें है।

हाँ	नही
1	2

3. परिवार के सदस्यों से प्राय तकरार होती है।

हाँ	नही
1	2

4. सयुक्त परिवार है पर एकता नही है।

हाँ नही

1 2

5. परिवार में भूमिका कैसी है।

हाँ नही कुछ कह नही सकते

1 2 3

6. क्या नव जवानों की परिवार में अधिक बात मानी जाती है।

हाँ नही

1 2

19. आपके परिवार में प्रायः निर्णय किसके द्वारा लिये जाते है।

आपके द्वारा परिवार के मुखिया द्वारा परिवार के नवजवानों द्वारा सब मिलकर

1 2 3 4

किसी अन्य द्वारा

5

20. क्या आप निर्णय लेने में सहभागी बनती है।

हा नही नही मालूम

1 2 3

21. परिवार में बच्चों की शादी, जमीन के क्रय विक्रय के निर्णय कौन लेता है।

परिवार के मुखिया परिवार के नवजवान कमाऊ सदस्यों द्वारा सभी मिलकर

1 2 3

22. ग्राम में शहरीकरण तथा औद्योगिकरण होने से क्या खान पान में परिवर्तन आया है।

हाँ नही

1 2

यदि हाँ तो किस प्रकार

(अ) अपनी सुविधानुसार फल, दूध, सब्जी आदि का अधिक प्रयोग करने लगीं है।

हाँ नही

1 2

(ब) शहरों की तरह गांव में भी चाय, काफी ठन्डे पेय पदार्थो का अधिक प्रयोग होने लगा है।

हाँ नही

1 2

23. क्या आपके परिवार का कोई सदस्य रोजगार हेतु ग्राम के बाहर गया है।

हाँ नही

1 2

यदि हाँ तो किन कारणों से

अ. भूमि की कमी के कारण

हाँ नही

1 2

ब. बडा परिवार

हाँ नही

1 2

स. आर्थिक स्थिति में वृद्धि हेतू

हाँ नही

1 2

द. परिवार में कलह के कारण

हाँ नही

1 2

य. बाहर काम करने से सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है।

हाँ नही

1 2

24. क्या आप अनुभव करती है कि आपका परिवार अब भी संगठित है तथा कोई बिखराव नही आया है।

हाँ नही कुछ नही कह सकते

1 2 3

25. आप कैसा परिवार पसन्द करती है।

एकाकी संयुक्त परिवारविस्तृत परिवार

1 2 3

26. क्या आप अनुभव करती है कि आपके परिवार में परिवर्तन हो रहे है।

हाँ नही नही मालूम

1 2 3

यदि हां तो किस प्रकार के परिवर्तन

अ. अब विभिन्न पारिवारिक सदस्यों पर अंकुश प्रायः समाप्त है।

हाँ नही

1 2

ब. परिवार में विघटन हो रहा है।

हाँ नही

1 2

स. परीवार से सभी सदस्य अपनी अलग अलग राय रखते है।

हाँ नही

1 2

द. सयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार प्रचलन में है।

हाँ नही

1 2

27 क्या आप इस समय खेती पर आश्रित है।

हाँ नही

1 2

यदि हाँ तो खेती को किस ढग से खेती को करवाना आप पसद करेगी।

अ. पूर्व की तरह

ब. आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से

यदि आप आधुनिक कृषि पद्धति अपनाती है तो क्या आप निम्न चीजों का प्रयोग करती है।

अ. उन्नत बीजों का प्रयोग

हाँ नही

1 2

ब. टैक्टर का प्रयोग

हाँ नही

1 2

स. रसायनिक खादों का अधिक प्रयोग

हाँ नही

1 2

द. सिंचाई के साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग

हाँ नही

1 2

28. क्या पंचायत द्वारा आपकों कोई कृषि योग्य भूमि दी गई है।

हाँ नही

1 2

29. क्या पहले से ही आपके पास कृषि योग्य भूमि है।

हाँ नही

1 2

30. क्या आप अपने वर्तमान कार्य से सन्तुष्ट है।

हाँ नही

1 2

यदि नही तो आप किस प्रकार के परिवर्तन चाहती है।

अ. कृषि से अधिक आय चाहती है

हाँ नही

1 2

ब. कृषि के अतिरिक्त अन्य जीवकोपार्जन के साधन ढूढना चाहती है।

हाँ नही

1 2

31. यदि आप कृषि या कृषि आधारित कार्यो में लगी है तो कृषि में अधिक उपज करने में क्या कठिनाइयाँ है।

अ. भूमि

प्रचुर कम भूमिहीन

ब. जल

प्रचुर कम कोई साधन नही

स. उन्नत बीच

उपलब्ध अनुपलब्ध कोई ज्ञान नही

द. रसायनिक खादें

उपलब्ध अनुपलब्ध कोई ज्ञान नही

य. टैक्टर थ्रेसर

उपलब्ध अनुपलब्ध कोई ज्ञान नही

र. स्थानीय श्रमिक

उपलब्धा अनुपलब्ध कोई ज्ञान नही

32. क्या आप अपने पारिवारिक जीवन से सन्तुष्ट है।

हाँ नही

1 2

यदि नही तो

अ. जीवन स्तर को उंचा उठाने हेतु गाँव छोड़कर शहर आना चाहती है।

ब. गाँव में रहकर आप कोई अन्य कार्य कर सकती है।

33. आपके परिवार में पुत्र तथा पुत्रियों की शादियां किस उम्र में कर दी जाती है।

पुत्र – 15 साल तक 20 साल तक 25 साल या उससे अधिक

पुत्रियां – 15 साल तक 20 साल तक 25 साल या उससे अधिक

34. बहु लाने या अपनी पुत्री की शादी के बारे में निम्न में से किन वस्तुओं को अधिक महत्व देती है।

अ– धन

ब– उच्च जाति

स– शिक्षा

द– अच्छी नौकरी/अच्छी खेती

य– अच्छा परिवार

र– अन्य

35. क्या आपके परिवार में छुआछूत मानी जाती है

हाँ नही

1 2

36. क्या आप अपनी से निम्न जाति के लोगों के साथ खान पान करती है।

हाँ नही

1 2

37. क्या छुआछूत का रहना आपके लिए जरुरी है।

आवश्यक अत्यावश्यक अनावश्यक

1 2 3

38. क्या ग्रामीण स्तर पर आपकी अपनी जाति की महिलाओं से आपसी सम्बन्ध अच्छे है।

हाँ नही

1 2

39. क्या जाति प्रथा चालू रहना चाहिए।

हाँ नही

1 2

40. यदि हां तो किन कारणों से इसका जारी रहना जरुरी है।

अ– आपसी सम्बन्धों को अधिक मजबूत ककरने हेतू।

ब– जाति की श्रेष्ठता बनाने हेतू।

स– राजनीतिक सफलता हेतू।

द– आजकल जाति की एकता में शक्ति है।

य– अन्य

41. आपकी राय में क्या निम्न परिवर्तन जाति प्रथा को समाप्त कर रहे है।

	हां	नही
अ– शहरीकरण/औद्योगिकरण	हां	नही
	1	2
ब– अधिक जनसंख्या	हां	नही
	1	2
स– जनतांत्रिक सरकार	हां	नही
	1	2
द– उच्च शैक्षिक स्तर	हां	नही
	1	2
य– जाति की अपेक्षा धन का महत्व	हां	नही
	1	2

42. क्या आपके परिवार में वर्तमान समय में शैक्षिक स्तर में सुधार हुआ है।

हाँ नही

1 2

43. क्या आपके गांव में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध है।

हाँ नही

1 2

यदि हा तो किस स्तर की

अ– प्राइमरी

ब– जूनियर

स– हाई स्कूल

द– इससे अधिक

44. आपके परिवार में कितनी महिलाए एव पुरुष शिक्षित व बेरोजगार है।

पुरुष ....

स्त्री ....

45. क्या निम्नलिखित सामाजिक संस्कारों में आप विश्वास करती है।

	हा	नही	नही मानते
अ– उपनयन	हा	नही	नही मानते
	1	2	3
ब– अन्तिम संस्कार	हा	नही	नही मानते
	1	2	3
स– पिण्डदान	हा	नही	नही मानते
	1	2	3
द– गोदान	हा	नही	नही मानते
	1	2	3

46. क्या आपको धर्म में विश्वास है।

हां नही

1 2

यदि हां तो क्या

अ– क्या आप धार्मिक प्रवचन तथा अनुष्ठानों में शामिल होती है।

हां नही

1 2

ब– क्या आप झांड़फूक पर विश्वास करती है।

हां नही

1 2

47. क्या आपके गांव में जाति प्रथा प्रचलित है।

हां नही

1 2

यदि हां तो किस रुप में

अ– बहुत अधिक

ब– सामान्य

स– बहुत कम

द– बिल्कुल नही

48. क्या आप समझती है कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है।

अ– जाति धर्म अपना स्थान खो रहे है।

हा नही नही मालुम

1 2 3

ब– सामाजिक सम्बन्धों में कटुता आ रही है।

हा नही नही मालुम

1 2 3

स– संयुक्त परिवार समाप्त हो रहा है।

हा नही नही मालुम

1 2 3

द– धार्मिक मूल्य परिवर्तन हो रहे है।

हां नही नही मालुम

1 2 3

49. क्या आपके परिवार में कोई अन्य महिलाएं बाहर काम करने जाती है।

हा नही

1 2

50. आपकी राय में शादी का काम काज एक ही जाति में होना चाहिए।

हां नही

1 2

51. आपके परिवार में कोई जाति के बाहर शादी करना चाहे तो क्या आप अनुमति देगी।

हां नही

1 2

52. क्या आप सीमित परिवार को अच्छा मानती है।

हां नही

1 2

53. आपकी दृष्टि में सीमित परिवार अच्छा है।

हां नही

1 2

यदि हां तो किन कारणों से

अ– सभी का एक साथ पूजा में सम्मिलित होना

ब– सभी की एक रसोई बनना

स– सभी का एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना

द– किसी कार्य को शीघ्र निपटा लेना

य– सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना

54. क्या आपके परिवार में मातृ सत्तात्तमक है।

हा नही

1 2

55. क्या आपके परिवार में पिता ही श्रेष्ठ होता है।

हा नही

1 2

यदि हा तो

अ– एक मनुष्य की मालकी होती है।

ब– पिता परिवार में प्रमुख होता है।

स– अन्य लोग सलाह देते है।

द– पिता के बाद अधिकांशतः बड़ा भाई मालिक होता है।

य– इनमें सभी

56. आपके परिवार में कितने लोग 60 वर्ष से अधिक है।

संख्या बताइये ....

57. क्या उनको उचित सम्मान मिलता है।

हा नही

1 2

58. प्रायः वृद्धों को उचित सम्मान नही मिलता है तथा वह बोझ समझे जाते है।

हां नही स्थिति में परिवर्तन हुआ है

1 2 3

59. आपकी राय में परिवार में कोई कार्य करने में स्त्रियों की राय लेना जरुरी है।

हां नही

1 2

60. आपकी राय में महिला कामकाजी हो या घरेलू हो या बाहर जाती हो उसकी सामाजिक सुधार आया है।

हां नही

1 2

61. आप अपने परिवार में किसी बच्चे का जन्म कहां कराना चाहती है।

अ– घर

ब– सरकारी अस्पताल

स– प्राइवेट नर्सिंग होम

द– अन्य

62. बच्चों के बीमार होने पर आप किसे महत्व देती हैं

अ– घरेलू इलाज

ब– वैद्य का इलाज

स– डाक्टरी इलाज

द– झांडफूक

63. बच्चों को अपग होन से बचाने के लिए या आप पल्स पोलिओं की दवा पिलाती है।

हा नही

1 2

यदि हा तो कितने वर्ष तक के बच्चों को

अ– 1 वर्ष से 3 वर्ष

ब– 1 वर्ष से 4 वर्ष

स– 1 वर्ष से 5 वर्ष

द– उपर्युक्त सभी

64. आप प्रारम्भ में शिशु को कौन सा दूध पिलाना अच्छा समझती है।

अ– माता का दूध

ब– भैंस का दूध

स– गाय का दूध

द– बकरी का दूध

65. क्या आप बच्चों का टीकाकरण आवश्य समझती हैं।

हां नही

1 2

66. बच्चे के टीकाकरण के लिए आपके यहां कैसी सुविधा है।

अ– स्थानीय सुविधा

ब– शहरी सुविधा

स– कोई सुविधा नही

67. आपकी राय में महिलाओं को शिक्षा देना जरुरी है।

हां नही

1 2

68. क्या महिलाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए।

हां नही

1 2

69. क्या आप विधवा विवाह के पक्ष में हैं।

हां नही

1 2

70. क्या स्त्री, पुरुष आपकी राय में बराबर है।

हां नही

1 2

71. आपकी राय में परिवार में शादी माता पिता द्वारा की जानी चाहिए, शादी करने वाले युवक युवतिओं की राय लेना जरुरी है।

अ– राय नही लेनी चाहिए

ब– राय लेना चाहिए

स– इस बारे में कुछ नही कह सकते

72. आपकी दृष्टि में कोर्ट मैरिज कैसी है।

अ– उचित

ब– अनुचित

स– कुछ नही कह सकते

73. क्या आप अपने मा बाप या सास ससुर से अलग रहती है।

हां नही

1 2

यदि हां तो आप उनसे किस तरह से सम्बन्ध रखती हैं

अ– उनको समय समय पर आर्थिक सहायता देती हैं

ब– कष्ट बीमारी में उनकों मदद देती हैं

स– कभी कभी उनको देखने जाती हैं

द– उनकी कोई मदद नही करती हैं

74. क्या आपके परिवार में शादी बाद तुरन्त अलग हो जाते हैं।

हां नही

1 2

75. आपके परिवार में सदस्य जो आपसे अलग है, समय आने पर उनकी आर्थिक सहायता करती है।

हां नही

1 2

76. क्या निम्न स्थितिओं से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है

अ– कृषि योग्य भूमि के छोट छोटे टुकड़े हो गए हैं।

हां नही

1 2

ब– सिंचाई के साधन कम हो गए हैं।

हां नही

1 2

स– आने जाने के साधन अच्छे हो गए हैं।

हां नही

1 2

द– नए कृषि उपकरण प्राप्त हैं।

हां नही

1 2

य– नए बीज एवं खाद सुलभ हैं।

हां नही

1 2

77. क्या कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने के वृक्षारोपण आवश्यक है।

    हा नही

    1 2

78. ज्वार बाजरा का उत्पादन किस फसल में होता है।

    अ– रवि

    ब– खरीफ

79. रवि फसल की बोआई आप किससे अच्छी समझती हैं।

    अ– टैक्टर का सीडल

    ब– बैलो वाली नारी

    स– दोनों से

80. क्या आपका गाव शहरी सीमा में आ गया है।

    हां नही

    1 2

81. शहरीकरण हो जाने से आपके यहां उद्योग की स्थिति कैसी है। क्या इनमें कोई वृद्धि हुई है।

    अ– घरेलू उद्योग

    ब– कुटीर उद्योग

    स– व्यवसायिक उद्योग

    द– बड़े उद्योग

    य– कोई उद्योग नही

82. शहरी करण होने के पूर्व आपके गांव से लोगों का पलायन शहरो के लिए हुआ था।

    हां नही

    1 2

    यदि हां तो पलायन के कारण थे

    अ– रोजगार न मिलना

    ब– खेती की असुरक्षा

    स– अच्छी चिकित्सा व्यवस्था

    द– यातायात की सुविधा का अभाव

    य– बच्चों की पढ़ाई का उचित प्रबन्ध न होना

    र– उपर्युक्त सभी

83. क्या सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण सुधार कार्यक्रमों से आपको कोई फायदा हुआ है।

    हां नही

    1 2

    यदि हां तो किस प्रकार

    अ– आपकी आय में वृद्धि हुई है।

    हां नही

    1 2

ब– रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध है।

हां नही

1 2

स– शिक्षा के अवसर अधिक प्राप्त हो गए है।

हां नही

1 2

द– कोई फायदा नही हुआ है।

हां नही

1 2

84. आपके गांव में कोई किसानो की अन्य संस्था है जिसने कृषि की उन्नति में सहायता की है।

हां नही

1 2

यदि हां तो

अ– सहकारी क्रय विक्रय समिति

ब– दुग्ध शीत गृह

स– स्टेट बैंक कृषि शाखा

द– उपर्युक्त सभी

85. क्या आपके गांव में बाहर लोग आकर बस रहे है।

हां नही

1 2

यदि हां तो आपके गांव में बाहर से लोगों के आने के कारण क्या लाभ/हानि हुई है।

लाभ		हानि	
1–	लोगों में प्रतिस्पर्धा हुई है।	1–	रोजगार के अवसर छूट गए है।
2–	अधिक मेहनत करने की लालसा जाग्रत हुई है।	2–	वैमनस्य बढ़ा है।
3–	आपसी अनुभव का लाभ प्राप्त हुआ है।	3–	नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है
4–	कोई लाभ नही हुआ है।	4–	कोई हानि नही हुई है।

86. क्या आपके गांव में शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त होने से परिवर्तन आया है।

हां नही

1 2

यदि हां तो किस प्रकार

अ– परम्परागत रुढ़िवादिता कम हुई हैं।

हां नही

1 2

ब– लोग स्थानीय तथा राष्ट्रीय समस्याओं को अधिक समझने लगे हैं।

हां नही

1 2

स– लोग राष्ट्रीय योजनाओं में अधिक भाग लेने लगे हैं।

हां नही

1 2

द– धर्म एवं जाति के विचारों में उदारता आई हैं।

हां नही

1 2

य– रेडियों, टेलिविजन तथा समाचार पत्रों में लोग अधिक रुचि लेने लगे है।

हां नही

1 2

87. क्या आपके गांव में नेतृत्व अब पूर्व की तरह परम्परागत लोगों के हाथ में हैं।

हां नही

1 2

88. क्या आपकी राय में महिलाओं का नेतृत्व उभर रहा है।

हां नही

1 2

89. क्या नई पंचायत व्यवस्था से आपके गांव के लोगों को नई शक्ति एवं सत्ता प्राप्त हुई है।

हां नही

1 2

90. पंचायत के विकेन्द्रीकरण से वास्तविक सत्ता में 33 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी हुई है।

हां नही

1 2

91. क्या आप अनुभव करती है कि जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होने से परिवार के उत्थान में बाधा आई हैं

हां नही

1 2

92. जनसंख्या समस्या को किस तरह से हल किया जा सकता है।

अ– शिक्षा के प्रसार से

ब– दवाब या भय से

स– कुछ लाभ प्रदान करके अन्य

93. क्या आपके गांव या परिवार में परिवारिक कलह के कारण किसी महिला ने पति को तलाक दिया है।

हां नही

1 2

94. क्या सरकारी संस्थाओं ने ग्रामीण स्तर पर सामाजिक संगठन में वृद्धि की है।

हां नही कुछ नही जानते

1 2 3

95. क्या आपके परिवार में प्राचीन परम्परायें समाप्त हो रही है। तथा नये परिवर्तन आ रहे है।

हां नही कुछ नही जानते

1 2 3

96. क्या आपके यहां पारिवारिक गतिशीलता में वृद्धि आई है।

हां नही

1 2

यदि हाँ तो

अ– लोगों का गांव से शहर की ओर जाना।

हां नही

1 2

ब– रोजगार हेतु गांव में ही रहना।

हां नही

1 2

स– रोजगार हेतु बाहर जाना।

हां नही

1 2

97. आपकी राय में आपके गांव का शहरीकरण होने से नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है।

हाँ नही कुछ नही जानते

1 2 3

98. आपके ग्राम में कितने तथा किस प्रकार के कुटीर उद्योग है

अ– बीड़ी उद्योग

ब– मिट्टी के वर्तन का उद्योग

स– लौह उद्योग

द– लकड़ी फर्नीचर आदि का उद्योग

य– लकड़ी फर्नीचर आदि का उद्योग

र– दुकानदारी

व– अन्य व आय के अन्य स्रोत नही

99. आप अपने परिवारमें किस प्रकार का उत्थान चाहती है।

अ– शिक्षा के अवसरों में वृद्धि

ब– रोजगार के अवसरों में वृद्धि

स– कृषि में सुधार

द– सिंचाई के साधनों में सुधार

य– अधिक कलयाणकारी योजनाओं को लागू करना

र– अन्य

100. आपकी मासिक आय (रुपयों) में क्या है ?

1– 800 या इससे कम 2– 801 से 1000 तक

3– 1001 से 1200 तक 4– 1201 से 1400 तक

5– 1401 से 1600 तक 6– 1601 से 1800 तक

7– 1801 से 2000 तक 8– 2001 या इसवे अधिक

101. आपके विचार से परिवार के आकार और आय में कोई अनुपात है ?

हाँ नही कुछ नही कह सकते

1 2 3

102. क्या आपके पास श्रम मूल्य के अलावा भी आय का कोई साधन है ?

हाँ नही

1 2

यदि हां तो

अ– बीड़ी उद्योग

ब– मिट्टी के वर्तन

स– लौह उद्योग

द– लकड़ी फर्नीचर आदि का उद्योग

य– दुकानदारी

र– अन्य

103. क्या आपने कर्ज लिया है ?

हाँ नही

1 2

यदि हां तो किसके लिय।

1– शादी विवाह में

2– पशु खरीदने में

3– मकान आद में

4– वस्त्र भोजन में

5– अन्य मदों में

104. आपके गांव के पुनर्निमाण में सहकारिता का सहयोग रहा ।

हाँ नही

1 2

यदि हां तो

अ– आर्थिक प्रगति

ब– शोषण से मुक्ति परिवार में सदस्यों की संख्या

स– विकास योजना का क्रियान्वयन

द– मानवीय गुणों का विकास

य– उपर्युक्त सभी

105. अ– क्या परिवार कल्याण अपनाने के बाद आपकी कार्यक्षमता में परिवर्तन आया है ?

हाँ नही तटस्थ

1 2 3

ब– क्या आपकी कार्यक्षमता पहल की अपेक्ष बड़ी है।

हाँ नही तटस्थ

1 2 3

स– क्या आपकी कार्यक्षमता में पहल की अपेक्षा कमी इाई है।

हाँ नही तटस्थ

1 2 3

106. क्या बंजर भूमि विकास से हरित क्षेत्र का विस्तार होता है ?

हाँ नही

1 2

107. आपके गांव में गांव पंचायत के चुनाव से तनाव आया है।

हाँ नही

1 2

यदि हां तो

अ– जादिवाद

ब– परिवार वाद

स– दलबन्दी

द– उपर्युक्त सभी

108. आप अपने परिवार कितना मासिक व्यय करती हैं।

1– 800 रु0 या इससे कम

2– 801 से 1000 तक

3– 1001 से 1200 तक

4– 1201 से 1400 तक

5– 1401 से 1600 तक

6– 1601 से 1800 तक

7– 1801 से 2000 तक

8– 2001 या इससे अधिक

109. सामुदायिक विकास योजना में किसे प्राथमितियें दी गई।

अ– कृषि

ब– यातायात एवं संचार

स– स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

द– स्त्रियों व बच्चों का कल्याण

110. क्या आप भविष्य के लिये निम्न मासिक बचत कर रही हैं।

1– कुछ भी नही

2– 100 रु0 या इससे कम

3– 101 से 200

4– 201 से 300

5– 301 से 400

6– 401 या इससे अधिक